



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122024-259700
CG-DL-E-29122024-259700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2024/पौष 2, 1946

No. 341]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2024/PAUSHA 2, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई) - 21/2023

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सॉफ्ट फेराइट कोर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/22/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष के आवेदन प्रस्तुत किया

है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सॉफ्ट फेराइट कोर” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/22/2023-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई ताकि उक्त संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी समुचित राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में, नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत करने से पहले वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- घ. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भेजी थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी।
- ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश में उत्पादकों / निर्यातकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था।
- च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच की शुरूआत की सार्वजनिक सूचना की एक प्रति आवेदक द्वारा यथा उपलब्ध संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को भेजी थी और उन्हें नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उनके विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया था।
 - i. टीडीजी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
 - ii. फाल्को इलेक्ट्रॉनिक्स ज़ियामेन कंपनी लिमिटेड
 - iii. हांगझोऊ ग्लोबल-स्टार इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड
 - iv. टोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड
 - v. शंघाई मैगवे मैग्नेटिक कंपनी लिमिटेड
 - vi. हैनिंग लिंगटोंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
 - vii. हांगझोऊ होंगकियाओ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - viii. एम एस टाक टेक्नोलॉजी हेयुआन कंपनी लिमिटेड
 - ix. हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कंपनी लिमिटेड
 - x. ज़ाओजुआंग यियुआन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

- xi. एम एस गुआंगझोऊ टोंगयांग इलेक्ट्रॉनिक्स
 - xii. शेन्जेन यिमाई सप्लाई चैन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
 - xiii. जुयि औरगे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड
 - xiv. चांगक्सिंग चाओनेंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - xv. फेरिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - xvi. किसिंग इंटरनेशनल एचके कंपनी लिमिटेड
 - xvii. यांगझोऊ आरडी कंपनी लिमिटेड
 - xviii. बीटीआर कंपनी लिमिटेड
 - xix. झोंगशान साकियांग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 - xx. फेरोक्सक्यूब डोंग गुआन लिमिटेड
 - xxi. शानक्सी शिनहोम एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड
 - xxii. शुनक्सिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 - xxiii. फाल्को इलेक्ट्रॉनिक्स ज़ियामेन कंपनी लिमिटेड
 - xxiv. हेनिंग कांगमिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड
 - xxv. निंगबो यिनझोउ गुआन्या इंपोर्ट एक्सपो
- छ. संबद्ध जांच की जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देते हुए जवाब दिया है।
- i. हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं, लिमिटेड
 - ii. यिबिन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड
 - iii. हुझोउ हाओटोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
 - iv. टोंगजियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं:
- i. जीटी इलेक्ट्रॉनिक आई प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. शाह इलेक्ट्रॉनिक्स
 - iii. मिंगहाओ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. केपी इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - v. डोंगजिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. पार्कर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
 - vii. सिया ओवरसीज एलएलपी
 - viii. स्पीडोफर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. कॉन्टैक्ट इंजीनियरिंग मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
 - x. फेरो स्टार
 - xi. फ्लेयर ल्यूमिनेयर्स प्राइवेट लिमिटेड

- xii. परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. एलकॉम्पो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xiv. डॉल्फिन ऑटोमेशन
- xv. सालकॉम्प मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xvi. उत्सवगिरी कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xvii. एफसीआई ओईएन कनेक्टर्स लिमिटेड
- xviii. विक्टर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xix. गुरसिम टेक्रो इंडिया
- xx. एपेक्स वायर
- xxi. जैकार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- xxii. विगोर इंडस्ट्रीज
- xxiii. सैनसनऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी
- xxiv. डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxv. राधिका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxvi. गोयल लाइटिंग्स
- xxvii. सैमट्रॉन ओवरसीज
- xxviii. एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स
- xxix. यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxx. चैरोकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxxii. एस इलेक्ट्रो
- xxxiii. कैलकॉम विजन लिमिटेड
- xxxiiii. एवलॉन टेक्रोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- xxxv. ईओएस पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxxvi. इगारशी मोटर्स इंडिया लिमिटेड
- xxxvii. एसवीएम प्राइवेट लिमिटेड
- xxxviii. के एन एंटरप्राइजेज
- xxxix. इकोलेड इल्यूमिनेशंस प्राइवेट लिमिटेड
- xl. सिरमा टेक्रोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
- xli. जीटी मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xlii. गविरंगा एंटरप्राइजेज
- xliii. जस्ट इलेक्ट्रॉन्स
- xliiii. एस ए इलेक्ट्रॉनिक्स
- xliv. इंडो-टेक मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xlv. सनोक्सर टेक्रोलॉजीज

- xlvi. राहत शाह इलेक्ट्रॉनिक्स
 xlvii. विकट्री डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड
 xlviii. रिलायंस एंटरप्राइजेज
 xlix. मोलेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- झ. संबद्ध जांच की जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- i. स्पीडोफर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. विकटर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. जीटी मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. मिंगहाओ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - v. वाईएमडी इलेक्ट्रोमैक इंडिया
 - vi. फेरो स्टार
 - vii. श्री श्याम कंपोनेंट्स
 - viii. सिया ओवरसीज एलएलपी
- ञ. फेरो स्टार, श्री श्याम कंपोनेंट्स और सिया ओवरसीज एलएलपी द्वारा प्रस्तुत प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर अधूरा पाया गया है।
- ट. इसके अलावा, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने भी जांच के दौरान उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
- i. चाइना चेंबर ऑफ कॉमर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)
 - ii. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एल्लिसना)
- ठ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की थी। ईआईक्यू का उत्तर निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया था:
- i. कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड ("घरेलू उद्योग")
 - ii. स्पीडोफर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. प्रिज्मेटिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. मिंगहाओ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - v. वाईएमडी इलेक्ट्रोमैक इंडिया
 - vi. फेरो स्टार
 - vii. श्री श्याम कंपोनेंट्स
 - viii. हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं., लिमिटेड और यिबिन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं., लिमिटेड
 - ix. हुझोउ हाओटोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड और टोंगजियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं., लिमिटेड

- ड. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच में अप्रैल 2019 से मार्च 2020, अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 और पीओआई की अवधि शामिल है।
- ढ. सिस्टम महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से पूर्ववर्ती क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को वे प्राप्त हुए थे और संबद्ध जांच में उन पर विचार किया गया था। वर्तमान अंतिम जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ण. प्राधिकारी ने 16.01.2024 और 07.02.2024 को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति पर चर्चा करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ दो बैठकें की थीं। सभी हितबद्ध पक्षकारों से इनपुट लेने के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे को पुनः परिभाषित किया था।
- त. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश इन हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध की गई थी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।
- थ. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 31.05.2024 को हुई मौखिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण 13 सितंबर, 2024 को पुनः मौखिक सुनवाई की गई। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने और खंडन अनुरोध यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के अगोपनीय अंश को भी साझा करने के लिए कहा गया था।
- द. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिश करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण 7 नवंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया था। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत सीमा तक जांच की है। कोई अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोध का पुनः प्रस्तुतीकरण है जिसकी पहले प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, तो संक्षिप्तता के लिए उसे दोहराया नहीं गया है।
- ध. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियमावली 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत आय के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- न. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के लिए उन पर भरोसा किया गया है।
- प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं अपेक्षित हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- फ. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और दी गई सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया है।
- ब. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने

ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

भ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और एडी नियमावली 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 81.08 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे पीयूसी भी कहा गया है) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"3.वर्तमान जांच में विचाराधीन चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सॉफ्ट फेराइट कोर" है। फेराइट कोर्स चुंबकीय कोर्स होते हैं जो फेराइट से बने होते हैं तथा जो पोली क्रिस्टलीय ऑक्साइड होते हैं। वे सामग्री की ऐसी श्रेणी से संबंधित हैं जिसमें फेरो चुंबकत्व की तकनीकी रूप से लागू विशेषता प्रदर्शित होती है। किसी फेरो चुंबकीय सामग्री में चुंबकत्व बाहर से लागू क्षेत्र में होता है। इस फील्ड को हटाने पर यह सामग्री गैर चुंबकीय स्थिति में आ जाती है। इस व्यवहार्य को चुंबकीय रूप से "साफ्ट" कहा जाता है।

4. "सॉफ्ट फेराइट कोर्स" एक या उससे अधिक अतिरिक्त धात्विक तत्वों जैसे स्ट्रॉटियम, बेरियम, मैंगनीक निकल और जिंक के छोटे अनुपात के साथ मिश्रित फेरिक ऑक्साइड (एफई2O3) के बड़े अनुपात को मिलाकर, दबाव डालकर, निकाल कर, और फेरिंग द्वारा सेरामिक यौगिकों से बनाया जाता है। सॉफ्ट फेराइट कोर का सबसे सामान्य रूप मैंगनीज-जिंक फेराइट (एमएनजेडएन) और निकल-जिंक फेराइट (एनआईजेडएन) हैं। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मैंगनीज-जिंक आधारित सॉफ्ट फेराइट कोर तक सीमित है।

5. विचाराधीन उत्पाद को इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा होने वाले उच्च आवृत्ति के शोर के स्तरों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वे अनेक प्रकार के जियोमेट्रिक में उपलब्ध हैं ताकि उन्हें विभिन्न उद्योगों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। उनकी उच्च चुंबकीय भेद्यता और कम विद्युत चालकता के कारण उन्हें आरएफ ट्रांसफार्मर "स्विच मोड विद्युत आपूर्ति (एसएमपीएस) और फेराइट लूप स्टिक एंटेना जैसे प्रयोगों में लगाया जाता है। इन्हें अनेक अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है जिनमें विद्युत वाहन, विद्युत वाहन चार्जर, मोबाइल चार्जर, एलईडी ड्राइवर, दूरसंचार उपकरण, सौर पैनल आदि शामिल हैं, परंतु उन तक सीमित नहीं हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची-1, "फेराइट कोर" टैरिफ मद 85051110 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद रेंज और उनके द्वारा वास्तव में आपूर्तित उत्पादों के संबंध में उनके दावों के बीच विसंगतियां हैं।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की गुणवत्ता असंगत है और उसमें निष्पादन संबंधी समस्याएं हैं।
- iii. पीयूसी के दायरे का निर्णय घरेलू उद्योग के उत्पाद कैटेलाॅग से नहीं लिया जा सकता है। प्राधिकारी को प्राधिकारी के पास हुई दो चर्चाओं के अनुसार केवल ईई, पीक्यू और टोराइड कोर्स तक पीयूसी के दायरे को सीमित रखना चाहिए।
- iv. प्राधिकारी को केवल उन जियोमेट्रिक के लिए पीयूसी का दायरा सीमित करना चाहिए जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा सक्रिय रूप से बेचा जाता है और घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है।

- v. घरेलू उद्योग के पास ईई, पीक्यू और टोराइड कोर्स के अनेक जियोमेट्रिक के उत्पादन के लिए औजार नहीं हैं।
- vi. घरेलू उद्योग केवल एचएसएन कोड 85051110 के 70 ग्रेडों में से 445 जियोमेट्रिक और 12 कच्ची सामग्री के ग्रेडों का विनिर्माण करता है। घरेलू उद्योग को उसके द्वारा उत्पादित जियोमेट्रिक और ग्रेडों के उत्पादन के आंकड़े देने चाहिए।
- vii. साफ्ट फेराइट कोर्स की प्रत्येक जियोमेट्रिक को उसके प्रयोग, आवृत्ति, इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, तापीय स्थिरता, ईएमआई सिलिंडिंग जैसी निष्पादन विशेषताओं, कुशल और कारगर इलेक्ट्रानिक घटक और प्रणाली बनाने में जो उसे अपरिहार्य बनाती हैं, के लिए ईष्टतम बनाया जाता है। चूंकि आवेदक सभी जियोमेट्रिक और रेंज का उत्पादन नहीं करता है। इसलिए आवेदक द्वारा उत्पादित प्रत्येक जियोमेट्रिक और रेंज को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- viii. विभिन्न अनुप्रयोगों में फेराइट कार्स के विभिन्न आकार और आकृति अपेक्षित होती है। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से विभिन्न किस्में परस्पर स्थापनीय नहीं हैं। उदाहरण के लिए ईई1310, ईई1313 का स्थान नहीं ले सकता है। चाहे 1310, 1313 से काफी सस्ता भी हो जाए।
- ix. फेराइट कार्स के उत्पादन आवृत्ति के साथ बदल सकते हैं। विशिष्ट आयामों और आकारों को कम, मध्यम या उच्च आवृत्ति के अनुप्रयोगों के लिए निष्पादन ईष्टतम बनाने हेतु डिजाइन किया जाता है।
- x. विभिन्न अनुप्रयोग अलग-अलग मात्रा में ताप उत्पन्न करते हैं और इसलिए फेराइट कार्स को तापीय वितरण को कारगर ढंग से प्रबंधित करने के लिए विभिन्न आकारों के बारे में उपभोक्ताओं की बिल्कुल विशिष्ट जरूरतों के अनुसार उत्पादकों द्वारा डिजाइन किया जाना चाहिए।
- xi. फेराइट कोर्स की चुंबकीय विशेषताएं जैसे भेद्यता और सुचुरेशन फ्लक्स घनत्व, उसके आयामों से प्रभावित होता है। विभिन्न अनुप्रयोगों में विशिष्ट चुंबकीय विशेषताएं अपेक्षित होती हैं जिसमें मूल आकारों की एक रेंज आवश्यक है।
- xii. इलेक्ट्रानिक डिवाइसों में विभिन्न स्थान संबंधी सीमाएं होती हैं। विभिन्न डिजाइन सीमाओं के लिए उपयुक्त बनने हेतु फेराइट कोर्स को अनेक आयामों में उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार फेराइट उत्पादकों को उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार बिल्कुल विशिष्ट आकार में उत्पादन और आपूर्ति करनी चाहिए।
- xiii. कोइल के प्रेरण से कोर्स के आकार और आकृति पर निर्भर एक फेराइट कोर होता है। डिजाइनर को विभिन्न सर्किट के लिए वांछित प्रेरण मूल्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कोर आयामों की जरूरत होती है। यह पुनः एक उपभोक्ता के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाता है।
- xiv. छोटे कोर्स की लागत कम होगी। इसलिए विद्युत आपूर्ति उपकरण विनिर्माता संभव सीमा तक आकारों को कम करके अपनी लागत को ईष्टतम बनाते हैं।
- xv. प्रायः पारंपरिक प्रयोगों या प्रोटो टाइप के लिए विशिष्ट मूल आयाम जरूरी होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के आकार की आवश्यकता होती है।
- xvi. कतिपय अनुप्रयोगों के लिए उद्योग मानक होते हैं जो विशिष्ट मूल आकारों का प्रयोग बताते हैं।
- xvii. प्रचालन प्रक्रिया के मैनुअल का पैरा 3.10 बताता है कि केवल उन मदों को उत्पाद के दायरे में शामिल करना चाहिए, जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और वाणिज्यिक रूप से बेचा जाता है।
- xviii. ऑक्सो अल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टेट का निर्णय है कि यदि उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं होते हैं तो उनके आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है और इसलिए ऐसे उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- xix. एमएनजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर, एनआईजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर, और एमजीजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर के बीच सीमा शुल्क पत्तनों पर अंतर करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा बतायी गई पद्धतियां अव्यावहारिक और खर्चीली हैं।

- xx. पीयूसी / पीसीएन बैठक का उद्देश्य केवल विचाराधीन उत्पाद के दायरे को समझना था और उसे न तो सुनवाई माना जा सकता है और न ही अंतिम निर्णय लेने के लिए विचार किया जा सकता है।
- xxi. पीयूसी के विभिन्न जियोमेट्रिक बीच कीमत में भी अंतर है। विभिन्न उत्पादों को उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पीयूसी के दायरे से कतिपय जियोमेट्रिक को बाहर रखने से एडीडी की प्रवंचना नहीं हो सकती है।
- xxii. ट्रांसफार्मर के उत्पादकों पर गैर अनुमोदित साफ्ट फेराइट पर प्रतिबंध है। ये उनके उपभोक्ताओं की ओर से स्पष्ट और कड़े निर्देश हैं। इसके अलावा, ट्रांसफार्मर के उत्पादक कुछ उत्पादकों से साफ्ट फेराइट का अनुमोदन नहीं ले सकते हैं। कास्मो उत्पाद निर्विवाद रूप से अनेक बड़े अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अनुमोदित हैं।
- xxiii. यदि कोई घरेलू उत्पादक उस विशेष प्रकार के (जियोमेट्री) उत्पादन में असमर्थ है तो ट्रांसफार्मर के उत्पादक को या तो उसे आयात करना होगा या उस विशेष ट्रांसफार्मर का उत्पादन नहीं करना होगा।
- xxiv. प्राधिकारी को वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे के निर्धारण के लिए केवल आवेदक के उत्पादन पर विचार करना चाहिए। अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन अप्रासंगिक है।
- xxv. आवेदक का सुस्थापित एक घरेलू उद्योग है और वह वाणिज्यिक मात्राओं में उसके द्वारा वास्तविक रूप से उत्पादित नहीं की जा रही जियोमेट्रिक पर संरक्षण की मांग नहीं कर सकता है। वास्तविक उत्पादन और वाणिज्यिक बिक्रियों के बिना केवल सक्षमता को उस मद को पीयूसी की परिभाषा में शामिल करने के लिए अपर्याप्त माना जाना चाहिए।
- xxvi. अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स को कभी भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ऐसे साफ्ट फेराइट कोर को रखा गया था जिसमें फेरा चुंबकत्व अर्थात् ग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर की विशेषता हो। प्राधिकारी ने अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर को तैयार उत्पाद नहीं माना है। अधूरे उत्पाद में तैयार उत्पाद की विशेषताएं नहीं होती हैं। वास्तव में आवेदक के पास इस समय तक अपने किसी भी अनुरोध में अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की मांग नहीं की है।
- xxvii. आवेदक ने नहीं बताया है कि अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर को उसके किसी अनुरोध में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाए। विचाराधीन उत्पाद के दायरे को प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत के बाद और आवेदक द्वारा अनुरोध के बिना बढ़ाया गया है।
- xxviii. ग्राउंड और अनग्राउंड साफ्ट फेराइट वस्तुएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। क्योंकि वे प्रयोग और भौतिक विशेषताओं के अनुसार अलग-अलग उत्पाद हैं। अनग्राउंडेड फेराइट कोर को ट्रांसफार्मर के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें व्यावहारिक अनुप्रयोग के अपेक्षित आवश्यक विशेषताएं नहीं हैं और उसमें वांछित विद्युत विशेषताएं नहीं हैं। ग्राइंडिंग अंतिम उत्पाद के विनिर्माण से पहले का केवल एक पूर्व अपेक्षित चरण है।
- xxix. आवेदक के पास ग्राइंडिंग के लिए एक समर्पित कारखाना / ढांचा नहीं है और वह अनग्राउंड से ग्राउंड साफ्ट फेराइट में आने वाली लागत संबंधी वास्तविक सूचना नहीं दे सकता है, आवश्यक निवल स्थिर परिसंपत्ति और अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर से ग्राउंड साफ्ट फेराइट कार्स में परिवर्तन के समय मूल्यवर्धन सूचना नहीं दे सकता है।
- xxx. चूंकि स्पीडोफर के पास ग्राइंडिंग की प्रक्रिया के लिए एक समर्पित कारखाना / ढांचा है। इसलिए केवल उसके आंकड़े मूल्यवर्धन और इसके लिए तैनात निवल स्थिर परिसंपत्तियों का गणना का आधार हो सकते हैं।
- xxxi. अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कार्स को ग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर को बदलने की ग्राइंडिंग प्रक्रिया केवल एक वृद्धिशील कार्यकलाप नहीं है। चूंकि प्रत्येक साफ्ट फेराइट कोर में सैकड़ों कमियों के लिए वास्तविक रूप से निरीक्षण होता है, स्पीडोफर द्वारा निष्पादित गुणवत्ता जांच को अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर बनाने के बाद उत्पादन कार्यकलाप गिना जाना चाहिए।

- xxxii. पूर्व के निष्कर्षों ने आवेदक पर पीयूसी के दायरे में मध्यवर्ती / अनंतिम उत्पाद को शामिल करना उचित ठहराने के लिए भरोसा किया है। अंतिम जांच परिणाम के तथ्य जिन पर घरेलू उद्योग ने भरोसा किया है, वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं।
- xxxiii. अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स को शामिल करने के लिए उचित ठहराने के लिए आफफ्लेसीन के मामले में प्राधिकारी द्वारा विश्लेषित कारकों पर आवेदक का भरोसा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि को-एसिड से आफफ्लेसीन में मूल्यवर्धन 5 प्रतिशत से कम था।
- xxxiv. स्पीडोफर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को आयातित अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स पर लगभग *** रूपए प्रति एमटी की लागत आती है और उसे ग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स में बदलने में लागत आती है जो मूल्यवर्धन का 40 प्रतिशत से अधिक है। इस कार्य को करने के लिए *** से अधिक लोग नियोजित हैं।
- xxxv. अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स से ग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स के उत्पादकों को आवेदक की तुलना में अनुचित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं बनाया जा सकता है। वह भी इस कारण से कि यद्यपि आवेदक ने यह बताया है कि उसे अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स से ग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स बनाने में केवल मामूली लागत आती है। तथापि, एक मात्र उत्पादक को भारी लागत आएगी।
- xxxvi. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पीसीएन को विनिर्दिष्ट करने वाली अपनी सूचना में पीयूसी के दायरे में अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स को शामिल करने का कोई कारण नहीं बताया है। पीयूसी के दायरे और पीसीएन को समझने के लिए प्राधिकारी द्वारा आयोजित बैठकों को निर्णय नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार हितबद्ध पक्षकार पीयूसी के दायरे के संबंध में अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

ग.2 घरेलू द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- घरेलू उद्योग केवल एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स का उत्पादन करता है। एमजीजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स और एनआईजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
- एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स एक अनुकूल उत्पाद है जिन्हें जियोमेट्री, आयाम और संघटन जैसे उपभोक्ता के विनिर्देशों के अनुसार उत्पादित किया जाता है। साफ्ट फेराइट कोर्स के ऐसे प्रत्येक प्रकार की सूची बनाना संभव नहीं है, जिन्हें घरेलू उद्योग विनिर्मित करता है या घरेलू उद्योग के कैटालॉग में विनिर्मित करने की क्षमता है। कुछ एक प्रकार के एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स केवल तभी विनिर्मित होते हैं जब उपभोक्ता अपेक्षित निर्देशनों के साथ घरेलू उद्योग को उनका ऑर्डर देता है।
- घरेलू उद्योग 1500 से अधिक प्रकार के एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स का उत्पादन करता है। इसे घरेलू उद्योग के उत्पाद पोर्टफोलियो में देखा जा सकता है।
- बेचे गए उत्पादों और 2018-19 से दिसंबर, 2023 तक प्रयुक्त पाउडर की सूची दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने 1500 से अधिक प्रकार के एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स की बिक्री की है।
- यह पहचान करने के लिए कि क्या कोई आयातित साफ्ट फेराइट कोर्स पीयूसी या एनपीयूसी है, सीमा शुल्क प्राधिकारी साफ्ट फेराइट कोर्स के विनिर्माताओं द्वारा रखी गई सामग्री सुरक्षा आंकड़ा शीट के जरिए किसी साफ्ट फेराइट कोर्स के रासायनिक घटन का सत्यापन कर सकते हैं। पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी पीयूसी और एनपीयूसी का पता लगाने के लिए एक्सरे फ्लोरोसेंस तकनीक और एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के प्रयोग से साफ्ट फेराइट कोर्स का गठन निर्धारित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
- सीमा शुल्क प्राधिकारी पीयूसी और एनपीयूसी का पता लगाने के लिए साफ्ट फेराइट कोर्स की विद्युत प्रतिरोधी क्षमता के परीक्षण हेतु साफ्ट फेराइट कोर्स के रासायनिक गठन को अलग भी कर सकते हैं।
- साफ्ट फेराइट कोर्स के आयामों को वर्नियर कैलिपर के प्रयोग से मापा जा सकता है। एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स के आयामों का नाम सार्वभौमिक है।

- viii. प्राधिकारी के समक्ष गुणवत्ता के मुद्दे उठाने वाले आयातकों / प्रयोक्ताओं ने भी घरेलू उद्योग से पीयूसी खरीदा है और ऐसी आपूर्तियों के लिए घरेलू उद्योग को प्रशंसा संबंधी मेल भेजे हैं। इसके समर्थन में घरेलू उद्योग ने नमूना प्रशंसा ई-मेल प्रदान किए हैं। इन पक्षकारों ने नियमित रूप से घरेलू उद्योग से पीयूसी की खरीद भी की है।
- ix. कुछ आयातकों / प्रयोक्ताओं द्वारा उठाए गए आपूर्ति संबंधी मुद्दों के संबंध में खरीद आर्डर की तारीख के साथ नमूनों सौदों, वचनबद्ध डिलीवरी तारीख और पूर्ववर्ती वर्ष से अंतिम बीजक तारीख की सूची यह दर्शाने के लिए दी गई है कि उपभोक्ताओं की घरेलू उद्योग की डिलीवरी में कोई देरी नहीं हुई है। घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं द्वारा की गई उत्पाद पूछताछ का उत्तर देने में भी सक्रिय रहा है।
- x. स्पीडोफर का एचएसएन कोड 85051110 के अंतर्गत 70 ग्रेडों संबंधी दावा भी असाध्यांकित है। स्पीडोफर भी एनआईजेडएन फेराइट कोर्स के उत्पादन में प्रयुक्त ग्रेडों का उल्लेख कर सकता है, जो वर्तमान जांच में एनपीयूसी हैं।
- xi. घरेलू उद्योग भारत में प्रमुख ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं को एनआईजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स की आपूर्ति कर रहा है। इसके समर्थन में घरेलू उद्योग ने बिक्री बीजकों के साथ इन ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं के लिए गए खरीद आदेश प्रदान किए हैं।
- xii. प्राधिकारी को आयातित कोर्स की मात्रा / मूल्य के आधार पर वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे को सीमित नहीं करना चाहिए। पीयूसी के किसी प्रकार या ग्रेड को बाहर करने का कानूनी मापदंड सुस्थापित है। अर्थात् यदि घरेलू उद्योग भारत में समान वस्तु का विनिर्माण नहीं करता है/ विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है और ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती हो।
- xiii. पीयूसी एक आर्डर पर निर्मित विशिष्ट उत्पाद है और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित सभी जियोमेट्री समान अनुपात में नहीं होती है। वे तभी विनिर्मित होते हैं जब उपभोक्ता अपेक्षित विनिर्देशनों के साथ घरेलू उद्योग को आर्डर देता है।
- xiv. संबद्ध वस्तु की आयातों की मात्रा / मूल्य के आधार पर पीयूसी के दायरे को परिभाषित करना कभी भी प्राधिकारी की प्रक्रिया नहीं रही है।
- xv. जियोमेट्री और आयामों के आधार पर पीयूसी के दायरे को कम करने से वर्तमान जांच का पूरा प्रयोजन विफल हो जाएगा, क्योंकि इससे उत्पाद विवरणों को बदल कर चीन जन. गण. उत्पादकों द्वारा अत्यधिक प्रवंचना होगी।
- xvi. घरेलू उद्योग ने विक्टर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं को महंगे पीयूसी की आपूर्ति की है।
- xvii. घरेलू उद्योग मिरर फिनिश के साथ साफ्ट फेराइट कोर्स का उत्पादन नहीं करता है।
- xviii. किसी पाटनरोधी जांच में अपवर्जन की मांग करने के लिए गुणवत्ता एक मापदंड नहीं है और पीयूसी के दायरे की परिभाषा में गुणवत्ता संगत नहीं है।
- xix. आवेदकों के दावे के विपरीत प्राधिकारी ने पीयूसी / पीसीएन के लिए हुई बैठकों में ईई, पीक्यू, टोराइड कोर्स हेतु पीयूसी के दायरे को सीमित करने का निर्णय नहीं लिया था।
- xx. घरेलू उद्योग के पास औजारों की कमी संबंधी स्पीडोफर के दावे निराधार हैं और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
- xxi. घरेलू उद्योग ने अपनी ट्रांसफार्मर डिवीजन एलीशा कोइल एंड ट्रांसफार्मर द्वारा ओईएम को की गई बिक्रियों के बीजक के रूप में ओईएम को की गई आपूर्तियों, घरेलू उद्योग के उत्पाद के प्रयोग को अनुमोदित करने वाली ओईएम की विनिर्देशन और अनुमोदन शीटों, ओईएम को घरेलू उद्योग द्वारा बतायी गई बिक्रियों के नमूना बीजक संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
- xxii. पीयूसी / पीसीएन बैठकों का उद्देश्य पीयूसी के दायरे को अंतिम रूप देना है ताकि संशोधित पीयूसी संबंधी सूचना को सभी संबंधी पक्षकारों से एकत्रित किया जा सके। आयातकों / प्रयोक्ताओं द्वारा यह

कथन कि उसका प्रयोजन निर्णय के बिना केवल पीयूसी / पीसीएन के दायरे पर चर्चा करना है, हास्यास्पद है।

- xxiii. चूंकि पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध प्रक्रिया है, जहां प्राधिकारी ने पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति जैसे पहलुओं के निर्धारण के लिए समय सीमा तय कर रखी है, इसलिए इस संबंध में, आगे विचार करने से पीयूसी के दायरे के संबंध में प्राधिकारी के उस निष्कर्ष की केवल अनदेखी होगी जिसे सभी पक्षकारों द्वारा विस्तृत चर्चा और प्राधिकारी द्वारा सभी अनुरोधों की जांच के बाद औपचारिक रूप दिया गया था।
- xxiv. घरेलू उद्योग ने अपने सभी पूर्व अनुरोधों में प्राधिकारी द्वारा मांगे गए सभी जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और अपने दावों के सबूत दिए हैं; जबकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे को निर्धारित करने के लिए किसी सकारात्मक साक्ष्य द्वारा समर्थित कोई पक्का दावा नहीं किया है।
- xxv. पीयूसी के एक आयातक और व्यापारी, स्पीडोफर द्वारा यह अनुरोध है कि अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स को वर्तमान में पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए, को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पीडोफर ने पीयूसी के विनिर्माता से पीयूसी के आयातक के रूप में अपनी स्थिति बदली है जो वर्तमान जांच में स्पीडोफर की सूचना और कथनों की सत्यता के बारे में गहरा संदेह उत्पन्न करता है।
- xxvi. स्पीडोफर इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स पीयूसी में शामिल हैं, इस जांच की शुरुआत से ही पाटनरोधी आवेदन का अनुरोध कर रहा है। अतः स्पीडोफर द्वारा किए गए दावे की वह घरेलू उद्योग के आवेदन का समर्थन कर रहा था और उसने केवल तभी इसका प्रयोग किया जब बाद में पीयूसी के दायरे में अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स को शामिल किया गया, गलत है।
- xxvii. स्पीडोफर ने अपनी सक्रिय भागीदारी में गलत सूचना साझा किया है, क्योंकि उसने स्वयं को आयातित अनग्राउंड पीयूसी पर केवल अंतिम स्तर के ग्राइंडिंग प्रचालनों को करने के बावजूद स्वयं को पीयूसी का एक विनिर्माता घोषित किया है।
- xxviii. अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स, साफ्ट फेराइट कोर्स की उत्पादन प्रक्रिया में अंतिम स्तर है और साफ्ट फेराइट कोर्स अर्थात् पीयूसी के लिए समान वस्तु का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है और उसकी समान कच्ची सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया है।
- xxix. साफ्ट फेराइट कोर की मूल विशेषता उसकी आंतरिक चुंबकीय विशेषता है जिसे सिंटरिंग के दौरान निर्धारित किया जाता है और प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर बदला नहीं जा सकता है। अतः ग्राइंडिंग प्रचालन से साफ्ट फेराइट कोर्स की आंतरिक चुंबकीय विशेषता में कोई वृद्धि या संशोधन नहीं होता है। अर्थात् अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स और पीयूसी की मूल विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है।
- xxx. अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स की परिवर्तन की प्रक्रिया ग्राइंडिंग की प्रक्रिया है, जो सिंपल और सस्ती प्रक्रिया है। माननीय सेस्टेट ने ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में यह भी माना था कि यदि कोई उत्पाद सरलता से परिवर्तनीय हो और निर्यातकों द्वारा इस बात के लिए माना जाता है तो उत्पादन "समान" होता है।
- xxxi. स्पीडोफर अपने उपभोक्ताओं को पीयूसी की आपूर्ति करने से पहले उत्पादन प्रक्रिया का एक चरण करता है। प्राधिकारी ने पूर्व में समान स्थितियों की जांच की है और यह माना है कि मध्यवर्ती उत्पाद को मूल्यवर्धन पर ध्यान दिए बिना पीयूसी के दायरे में शामिल करना चाहिए। यदि वर्तमान जांच में अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स को पीयूसी के दायरे से बाहर किया जाता है तो उपायों की प्रवंचना की प्रबल संभावना है। यदि अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स को पीयूसी के दायरे से बाहर किया जाता है तो आयातक पाटित कीमतों पर अनग्राउंड फेराइट कोर्स प्रायः जारी रखेंगे, भारत में ग्राइंडिंग प्रचालन करेंगे और घरेलू उद्योग को क्षति में और वृद्धि होगी जिससे लागू एडीडी का प्रयोजन विफल हो जाएगा।
- xxxii. अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स के आयात भारत में पीयूसी के कुल आयातों में काफी अधिक हैं और उनमें क्षति अवधि के दौरान 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- xxxiii. अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स और पीयूसी के बीच कोई भौतिक या रासायनिक अंतर नहीं है। पीयूसी की प्रमुख विशेषताएं अर्थात् चुंबकत्व की विशेषता सिंटरिंग की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित की जाती है। यह दर्शाता है कि उत्पाद को सिंटरिंग के बाद उत्पाद किया गया है और आयातक अनग्राउंड साफ्ट फेराइट

कोर्स का आयात करके पीयूसी की विनिर्माण संबंधी कोई प्रचालन नहीं कर रहे हैं। ग्राइंडिंग प्रचालन तैयार साफ्ट फेराइट कोर्स की कोई वृद्धिशील प्रक्रिया नहीं है।

- xxxiv. स्पीडोफर के अलावा, कंपनियां जैसे गुरसिम टेक्रो इंडिया, केपी इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स का आयात किया है और भारत में उनके पास अपनी ग्राइंडिंग सुविधाएं हैं। घरेलू उद्योग ने भी स्पीडोफर जैसे एक व्यापार फेराइट सेल्स कारपोरेशन को घरेलू बाजार में अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स की आपूर्ति भी की है।
- xxxv. स्पीडोफर और घरेलू उद्योग दोनों के कर्मचारी ग्राइंडिंग की प्रक्रिया में शामिल हैं, परंतु यह कोई कौशल प्रधान प्रक्रिया नहीं है और पीयूसी के उत्पादन में केवल एक अंतिम चरण है।
- xxxvi. स्पीडोफर लाभ कमा रहा है, क्योंकि वह भारत में पीयूसी के पाटन का लाभ भोगी है। उसने पूर्ववर्ती अनुरोध में 15-20 प्रतिशत के मूल्यवर्धन का दावा किया है और किसी कारण के बिना उसे बदल कर 40 प्रतिशत कर दिया है। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइपों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में अपने अंतिम जांच परिणाम में नोट किया है कि ऐसे गौण उत्पादक जिन्होंने पीयूसी का आयात किया और उसके रूप में परिवर्तन के लिए प्रसंस्कृत किया, ने पाटन से स्वयं को सुरक्षित कर लिया है और वे भारत में पाटन से लाभान्वित हुए हैं।
- xxxvii. स्पीडोफर ने अनग्राउंड से ग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स में आने वाली परिवर्तन लागत की कोई सत्यापन योग्य राशि नहीं बतायी है।
- xxxviii. अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स की आयात कीमत पाटित कीमत है और स्पीडोफर की बिक्री कीमत उसके लाभ मार्जिन को शामिल करेगी और इसलिए मूल्यवर्धन की गणना हेतु इन मूल्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ग्राउंड और अनग्राउंड पीयूसी के उत्पादन की लागत की तुलना करना उचित पद्धति है।
- xxxix. घरेलू उद्योग अनग्राउंड से ग्राउंड पीयूसी की ग्राइंडिंग प्रक्रिया में आने वाली परिवर्तन लागत से परिचित है, क्योंकि वह पीयूसी की संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया पूरी करता है, उसके पास ग्राइंडिंग के लिए समर्पित परिसंपत्ति है और उसने अनग्राउंड पीयूसी बेची है। अनग्राउंड से ग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स में परिवर्तन की लागत साफ्ट फेराइट कोर्स के प्रकार के आधार पर उत्पादन की कुल लागत के 4-5 प्रतिशत के बीच रहती है।
- xl. निवेश का एक बड़ा हिस्सा सिंटरिंग प्रचालन के चरण तक होता है और ग्राइंडिंग प्रचालनों के लिए उपकरण में काफी कम निवेश की जरूरत होती है। पीयूसी के विनिर्माण में शामिल विभिन्न प्रचालनों के लिए खरीदे गए मशीनरी वार ब्यौरों के आधार पर ग्राइंडिंग प्रचालनों के लिए मशीनरी, मशीनरी, प्लांटों के लिए के लिए गए कुल निवेश के 5 प्रतिशत से कम है।
- xli. विनिर्माण प्रक्रिया में अधिकांश मूल्यवर्धन अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स के चरण तक होता है। फिर भी मूल्यवर्धन किसी अनंतिम उत्पाद को दायरे में शामिल करने के लिए एक मात्रा मानदंड नहीं है और अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स को पीयूसी के दायरे में शामिल करना होगा।
- xlii. यद्यपि पाटनरोधी नियमावली में विनिर्माण के अर्थ का उल्लेख नहीं है। तथापि, विभिन्न कानूनों के अंतर्गत न्यायिक निकायों ने इस पर विचार किया है। उजागर प्रिंट्स (2) बनाम भारत संघ 1989 (एससी) और सीएसटी बनाम राजश्री इलेक्ट्रॉनिक्स 1996 दोनों मामलों में यह माना गया कि विनिर्माण का अर्थ किसी वस्तु में ऐसी प्रक्रिया का उस बिंदु तक प्रयोग है, जहां वह मूल वस्तु से वाणिज्यिक रूप से नया और अलग उत्पाद बन जाता है। स्पीडोफर द्वारा की गई गुणवत्ता जांच विनिर्माण नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे नया उत्पाद नहीं बनता है।
- xliii. पीयूसी के दायरे को घरेलू उद्योग के वास्तविक उत्पादन आंकड़े के आधार पर प्राधिकारी द्वारा सीमित किया गया है और न कि घरेलू उद्योग की क्षमता के आधार पर। ये दावे कि पीयूसी के दायरे में घरेलू उद्योग द्वारा नहीं विनिर्मित जियोमेट्री शामिल है, निराधार है।
- xliv. आयातक / प्रयोक्ताओं ने ऐसी जियोमेट्री नहीं दी है, जिन्हें वे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित मानते हैं।

- xliv. पीयूसी एक ग्राहक अनुकूल उत्पाद है और इसलिए समान जियोमेट्री की कीमत सौदेबाजी के आधार पर प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग हो सकती है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के यह दावे कि विभिन्न जियोमेट्री की कीमत में भिन्नता प्रवंचना की संभावना को समाप्त कर देगी, निराधार है।
- xlvi. आयातक / प्रयोक्ता ने पीसीएन अनुरोधों के समय कीमत अंतरों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- xlvii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग में प्रयुक्त औद्योगिक लेजर मशीनों पर आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम में उल्लेख है कि जहां उत्पाद अनुकूलित हो, वहां विनिर्माता की क्षमता प्रासंगिक हो जाती है और यदि पीयूसी के ऐसे प्रकार समान वस्तु से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धी हों, तो उन्हें पीयूसी सहित पीयूसी के दायरे में शामिल किया जा सकता है। चार्जें उनका घरेलू उद्योग ने उत्पादन नहीं किया हो। इसी प्रकार वर्तमान जांच में पीयूसी एक अनुकूलित उत्पाद है।
- xlviii. घरेलू उद्योग द्वारा अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित जियोमेट्री को पीयूसी के दायरे में शामिल करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है।
- xlix. प्राधिकारी ने अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स को जोड़कर पीयूसी के दायरे को नहीं बढ़ाया है, बल्कि यह स्पष्टीकरण दिया है कि चूंकि अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स को अंतिम रूप दिए बिना पीयूसी हैं और इसलिए दायरे में शामिल हैं। जांच शुरूआत से ही स्पीडोफर का कड़ा विरोध दर्शाता है कि अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कार्स हमेशा पीयूसी में शामिल थे।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है।
8. जांच शुरूआत के अनुपालन में विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणियां देने का अवसर दिया गया था। तत्पश्चात प्राधिकारी ने 16 जनवरी 2024 और 07 फरवरी 2024 को हुई चर्चाओं में पीयूसी / पीसीएन के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध स्पष्ट करने के अवसर दिए थे।
9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आवेदन में ही निकेल जिंक (एनआईजेडएन) सॉफ्ट फेराइट कोर को इस आधार पर पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है कि एनआईजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने एनआईजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर को जांच शुरूआत अधिसूचना में पीयूसी के दायरे से बाहर रखा था।
10. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि मैग्नीशियम - जिंक (एमजीजेडएन) सॉफ्ट फेराइट कोर पीयूसी / पीसीएन चर्चाओं और जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं। इसलिए पीयूसी केवल एमजीजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर तक सीमित है। इसके उत्तर में घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि वह एमजीजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर का उत्पादन नहीं करता है और उसे पीयूसी के दायरे से बाहर किया जा सकता है।
11. मिरर फिनिश वाले साफ्ट फेराइट कोर्स को बाहर रखने संबंधी दावे के बारे में घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि वह मिरर फिनिशिंग प्रचालन नहीं करता है और मिरर फिनिश वाले साफ्ट फेराइट कोर्स को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।
12. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने महंगे अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त एमजीजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर को बाहर रखने की मांग की थी। प्राधिकारी ने इन पक्षकारों से महंगे अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त एमजीजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर की एक सूची देने का अनुरोध किया था। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी कोई सूची या इस संबंध में कोई अन्य अनुरोध नहीं किया।

13. पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने एक नोटिस जारी किया, जो 5 अप्रैल 2024 को डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ। प्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि पीयूसी का दायरा एमजीजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर की निम्नलिखित जियोमेट्री और लंबाई तक सीमित है-
- प्राधिकारी एमजीजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर की निम्नलिखित जियोमेट्री और लंबाई तक पीयूसी के दायरे को सीमित करते हैं-*
- क. 10 एमएम से 128 एमएम तक के लंबाई ईई/ई/ईएफ
- ख. 20 एमएम से 71 एमएम तक के लंबाई के पीक्यू/ईक्यू
- ग. 24 एमएम से 35 एमएम तक के लंबाई के ईटी
- घ. 03 एमएम से 202 एमएम तक लंबाई के टोरायड (कोटिंग सहित और उसके बिना)
- ड. 10 एमएम से 141 एमएम तक के लंबाई के यूयू/यूआई
- च. 20 एमएम से 245 एमएम तक के लंबाई के आई बार्स
- छ. 11 एमएम से 67 एमएम तक के लंबाई के ईआर
14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्पीडोफर जांच के आरंभिक चरण से ही वर्तमान जांच का विरोध कर रहा था। इसलिए यह दावा की कि स्पीडोफर आवेदन का समर्थक था, गलत है।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि प्राधिकारी ने अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स को बाद में पीयूसी के दायरे में शामिल करके पीयूसी का दायरा बढ़ा दिया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल वस्तु केवल तैयार साफ्ट फेराइट कोर्स थी जिसमें अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स शामिल नहीं हैं। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन में ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड दोनों साफ्ट फेराइट कोर्स के आंकड़े शामिल किए हैं और प्राधिकारी ने दिनांक 5 अप्रैल 2024 की सूचना में केवल अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स को शामिल करने को स्पष्ट किया है।
16. भारतीय प्राधिकारी तथा अन्य क्षेत्राधिकारों वाले प्राधिकारी ने उत्पाद की भौतिक तकनीकी और रासायनिक विशेषताओं, उसके प्रमुख प्रयोग और अनुप्रयोग, प्रतिस्थापनीयता की मात्रा, उपभोक्ता की समझ, वितरण शृंखला, विनिर्माण प्रक्रिया, उत्पादन लागत आदि पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने वाले मापदंडों के रूप में विचार किया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे की जांच की है:
- क. वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता और विनिर्माण प्रक्रिया।
- ख. उत्पाद के प्रयोग, कच्ची सामग्री और विशेषताएं।
- ग. विशेषताओं की दृष्टि से समानता, चाहे घरेलू रूप से उत्पादित समान उत्पाद में काफी अशुद्धियां हों।
- घ. क्या उत्पाद सरलता से परिवर्तनीय हैं और इस तथ्य की निर्यातकों को कोई जानकारी है; और
- ड. कच्ची सामग्री में अंतर को उत्पादों के वाणिज्यिक / तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय होने पर निर्णायक नहीं माना गया है।
17. वर्तमान जांच के तथ्यों पर इन मापदंडों को लागू करके प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनग्राउंड और ग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स दोनों पीयूसी के दायरे में शामिल हैं, क्योंकि:
- क. अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स, साफ्ट फेराइट कोर्स की उत्पादन प्रक्रिया में अनंतिम स्तर है।
- ख. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है और उसे प्रयोग के लिए ग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स में बदलना होता है। तथापि, प्रयोक्ता उद्योग ने इस पर प्रश्न उठाया है और दावा किया है कि अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स के अपने स्वतंत्र प्रयोग हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स के न्यूनतम स्वतंत्र प्रयोग और सीमित

अनुप्रयोग हैं। अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स का प्रयोग करने के लिए उसे ग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कार्स में बदलना होता है।

- ग. ग्राउंड और अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स के विनिर्माण प्रक्रिया समान है। अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स, ग्राउंड साफ्ट फेराइट कार्स के विनिर्माण में अनंतिम चरण है। पीयूसी की पूरी विनिर्माण प्रक्रिया में ग्राइंडिंग अंतिम और एक चरण की प्रक्रिया है।
- घ. पीयूसी की मूल विशेषताएं अर्थात् उसकी आंतरिक चुंबकीय विशेषता को सिंट्रिंग के दौरान ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए प्रकार अनग्राउंड और ग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स की मूल विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है।
- ड. ग्राउंड अथवा अनग्राउंड दोनों पीयूसी के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त मूल कच्ची सामग्री फेरिक ऑक्साइड मैगनेटिक ऑक्साइड और जिंक आक्साइड हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है।
18. उक्त विश्लेषण के मद्देनजर प्राधिकारी अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स को पीयूसी के दायरे में शामिल करना उपयुक्त मानते हैं।
19. प्राधिकारी ने मूल्यवर्धन के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के सभी अनुरोधों पर विचार किया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अनग्राउंडेड से ग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स में परिवर्तन में न्यूनतम मूल्यवर्धन होता है। इसलिए ग्राउंड और अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स के लिए अलग पीसीएन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, किसी हितबद्ध पक्षकार ने पीयूसी / पीसीएन को अंतिम देते समय ग्राउंड और अनग्राउंड साफ्ट फेराइट कोर्स के लिए पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी वर्तमान जांच में किसी पीसीएन का प्रस्ताव करना उचित नहीं समझते हैं।
20. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी पीयूसी को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं:-

वर्तमान जांच में विचाराधीन चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "साफ्ट फेराइट कोर्स" है। फेराइट कोर्स चुंबकीय कोर्स होते हैं जो फेराइट से बने होते हैं तथा जो पोली क्रिस्टलीय ऑक्साइड होते हैं। वे सामग्री की ऐसी श्रेणी से संबंधित हैं जिसमें फेरो चुंबकत्व की तकनीकी रूप से लागू विशेषता प्रदर्शित होती है। किसी फेरो चुंबकीय सामग्री में चुंबकत्व बाहर से लागू क्षेत्र में होता है। इस फील्ड को हटाने पर यह सामग्री गैर चुंबकीय स्थिति में आ जाती है। इस व्यवहार्य को चुंबकीय रूप से "साफ्ट" कहा जाता है।

"साफ्ट फेराइट कोर्स" एक या उससे अधिक अतिरिक्त धात्विक तत्वों जैसे स्ट्रोंटियम, बेरियम, मैग्नीज निकल और जिंक के छोटे अनुपात के साथ मिश्रित फेरिक ऑक्साइड (एफई203) के बड़े अनुपात को मिलाकर, दबाव डालकर, निकाल कर, और फेरिंग द्वारा सेरामिक यौगिकों से बनाया जाता है। साफ्ट फेराइट कोर्स का सबसे सामान्य रूप मैग्नीज-जिंक फेराइट (एमएनजेडएन) और निकल-जिंक फेराइट (एनआईजेडएन) हैं। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मैग्नीज-जिंक आधारित साफ्ट फेराइट कोर्स तक सीमित है।

विचाराधीन उत्पाद को इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा होने वाले उच्च आवृत्ति के शोर के स्तरों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वे अनेक प्रकार के जियोमेट्रिक में उपलब्ध हैं ताकि उन्हें विभिन्न उद्योगों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। उनकी उच्च चुंबकीय भेद्यता और कम विद्युत चालकता के कारण उन्हें आरएफ ट्रांसफार्मर "स्विच मोड विद्युत आपूर्ति (एसएमपीएस) और फेराइट लूप स्टिक एंटेना जैसे प्रयोगों में लगाया जाता है। इन्हें अनेक अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है जिनमें विद्युत वाहन, विद्युत वाहन चार्जर, मोबाइल चार्जर, एलईडी ड्राइवर, दूरसंचार उपकरण, सौर पैनल आदि शामिल हैं, परंतु उन तक सीमित नहीं हैं।

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची-1, "फेराइट कोर" टैरिफ मद 85051110 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

21. प्राधिकारी एमएनजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर की निम्नलिखित जियोमेट्री और लंबाई तक पीयूसी के दायरे को सीमित करते हैं-

क. 10 एमएम से 128 एमएम तक के लंबाई ईई/ई/ईएफ

ख. 20 एमएम से 71 एमएम तक के लंबाई के पीक्यू/ईक्यू

ग. 24 एमएम से 35 एमएम तक के लंबाई के ईटी

घ. 03 एमएम से 202 एमएम तक लंबाई के टोरायड (कोटिंग सहित और उसके बिना)

ड. 10 एमएम से 141 एमएम तक के लंबाई के यूयू/यूआई

च. 20 एमएम से 245 एमएम तक के लंबाई के आई बास

छ. 11 एमएम से 67 एमएम तक के लंबाई के ईआर

22. प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि पीयूसी के दायरे में ग्राउंड और अनग्राउंड रूप दोनों में और फिनिश सहित या रहित दोनों रूप में आयात करते समय एमएनजेडएन सॉफ्ट फेराइट कोर्स के ऊपर उल्लिखित जियोमेट्री भी शामिल है। प्राधिकारी यह भी स्पष्ट करते हैं कि निकिल - जिंक (एनआईजेडएन) और मैग्नीशियम - जिंक (एमजीजेडएन) सॉफ्ट फेराइट कोर्स, मिरर फिनिश वाले साफ्ट फेराइट कार्स वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. स्पीडोफर ने बताया है कि वह ग्राइंडिंग / फिनिशिंग के केवल छोटे प्रचालन नहीं करता है और प्राथमिक रूप से एक व्यापारी के रूप में कार्य करता है, परंतु वह 2011 से सूक्ष्म ग्राइंडिंग के जरिए काफी मूल्यवर्धन में शामिल है।
- ii. आपूर्ति श्रृंखला में स्पीडोफर की भूमिका उत्पाद के वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि विशिष्ट फेराइट कोर्स के सृजन तक विस्तृत है जिससे वे उद्योग में विनिर्माता के रूप में स्थित हैं।
- iii. प्राधिकारी यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार रखते हैं कि क्या अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन लागू कानूनों और व्यापार सूचनाओं के अनुसार महत्व रखता है या नहीं।
- iv. आवेदक ने अपने आवेदन में यह नहीं बताया है कि उसने कुल भारतीय उत्पादन की गणना में टीडीके इंडिया प्रा. लि. ("टीडीके इंडिया") के निर्यात उत्पादन पर विचार किया है और यह बताया है कि टीडीके इंडिया द्वारा किए गए निर्यात स्थिति के नियंत्रण से बाहर रखे गए हैं।
- v. आवेदक का यह अनुरोध कि आवेदन में टंकण की त्रुटि है, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह त्रुटि काफी बड़ी है।
- vi. कुल भारतीय उत्पादन को निर्यात उत्पादन तथा भारतीय उत्पादकों द्वारा आबद्ध रूप से खपत किए गए उत्पादन पर विचार करने के बाद परिकलित किया जाना चाहिए।
- vii. आवेदक ने यह नहीं बताया है कि टीडीके इंडिया, टीडीके चाइना कंपनी लि० से संबंधित है, जो अपने स्वयं के अनुरोध में चीन में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में शामिल है। इस प्रकार यह अस्पष्ट है कि प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में आवेदक के दावे के अनुसार नियम 2(ख) के अंतर्गत टीडीके इंडिया को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में कैसे माना है।
- viii. चूंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा नहीं किए गए मापदंड पर विचार किया है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच शुरूआत की सूचना ने स्थिति को सिद्ध किया है। यह वर्तमान जांच में एक सुधारी नहीं जा सकने वाली त्रुटि है।

- ix. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि टीडीके इंडिया ने अलग कार्य किया है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने टीडीके इंडिया को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया भी है। यदि टीडीके इंडिया मानता है कि उत्पाद के आयात से भारतीय उद्योग को क्षति नहीं हो रही है तो यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि चीन में उसका एक संबंधित उत्पादक है जो भारत में इतनी भारी मांग के बावजूद भारत को उत्पाद का निर्यात भी नहीं कर रहा है।
- x. टीडीके चाइना कंपनी लि० भारत को पीयूसी का कोई बड़ा निर्यातक नहीं है। इसके अलावा, यह तथ्य कि टीडीके इंडिया, टीडीके चाइना कंपनी लि० को भारी मात्रा में निर्यात कर रहा है। स्वयं सिद्ध करता है कि चीन की कंपनी एक प्रमुख उत्पादक या भारत को उत्पाद की निर्यातक भी नहीं है।
- xi. संबंध और आयात का मुद्दा केवल जांच अवधि के लिए संगत है। घरेलू उद्योग की योग्यता को ऐसे विदेशी उत्पादकों के संदर्भ में देखना अपेक्षित है जिन्होंने भारत को उत्पाद का निर्यात किया है। यदि किसी विदेशी उत्पादक ने भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है तो यह बात घरेलू उत्पादक को पात्र घरेलू उत्पादक माने जाने से वंचित नहीं करती है।
- xii. ऐसी स्थिति में जहां एक उत्पादक पूरी तरह आबद्ध प्रयोग के लिए उत्पादन कर रहा है या उत्पादक जो अधिकांशतः आबद्ध प्रयोजन के लिए उत्पादन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में समान नहीं माना जा सकता, जहां एक उत्पादक आंशिक रूप से आबद्ध खपत के साथ बाजार में बेचने के लिए अधिकांश उत्पादन कर रहा है। वर्तमान मामले में कोई भी घरेलू उत्पादक ईओयू या एसईजेड नहीं है। घरेलू उत्पादक वे हैं जिनका निर्यात बिक्रियों सहित या उनके बिना भारी घरेलू बिक्रियों के साथ डीटीए यूनिट में व्यापार है। वे ऐसे कुछ उत्पादक हो सकते हैं जो जांच अवधि में घरेलू बाजार में उत्पाद की आबद्ध रूप से खपत करते हों, परंतु उसे घरेलू बाजार में बेचने का निर्णय ले सकते हों।
- xiii. यदि टीडीके इंडिया के निर्यातों को बाहर रखा जाए तो निर्यात के लिए आवेदक के कुल उत्पादन को भी स्थिति के निर्धारण से बाहर रखना चाहिए। यदि दोनों घरेलू उत्पादकों के निर्यातों को बाहर रखा जाए तो आवेदक के पास घरेलू उद्योग के रूप में योग्यता नहीं है।
- xiv. अन्य उत्पादकों की आबद्ध खपत को बाहर रख कर और अपनी स्वयं की या संबद्ध आबद्ध खपत को कुल भारतीय उत्पादन की गणना में शामिल करके आवेदक ने अपनी स्वयं की आबद्ध खपत और अन्य घरेलू उत्पादकों की खपत से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है।
- xv. आबद्ध खपत तथा निर्यात के लिए लक्षित उत्पादन को कुल घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाते समय शामिल किया जाना चाहिए।
- xvi. नियम 5 में प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में 25 प्रतिशत से कम हिस्सा है। इस प्रकार स्थिति के संबंध में, प्राधिकारी की "प्रथमदृष्ट्या" संतुष्टि नहीं हो सकती है।
- xvii. नियम 5 में प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है या आवेदन का विरोध करने वाले और जांच की शुरुआत से पूर्व यह एक अपेक्षा है। आवेदन के प्रपत्र में आवेदक के लिए इन उत्पादकों – चाहें समर्थक हों, विरोधी या निष्पक्ष हों की स्थिति की पहचान करना अपेक्षित है।
- xviii. आवेदक ने यह माना है कि आवेदन का कोई विरोध नहीं हुआ है और उसने इस आधार पर इसे उचित ठहराने का प्रयास किया है कि जांच शुरुआत के बाद कोई विरोध नहीं हुआ है। तथापि संगत अपेक्षा यह है कि क्या जांच शुरुआत के समय 50 प्रतिशत का परीक्षण पूरा हुआ था।
- xix. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में घरेलू उद्योग की स्थिति में उल्लेख है कि केवल टीडीके इंडिया द्वारा निर्यात बिक्री और सीआईई ऑटोमोटिव लि० द्वारा आबद्ध खपत को बाहर रखने के बाद घरेलू उद्योग के पास कुल घरेलू उत्पादन में केवल 30-40 प्रतिशत हिस्सा है।
- xx. महानिदेशक ने घरेलू उद्योग द्वारा अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए बताए गए आधार से बिल्कुल अलग आधार पर स्थिति निर्धारित की है। चूंकि घरेलू उद्योग और महानिदेशक द्वारा अपनाया गया आधार अलग-अलग है। इसलिए इसका अर्थ है कि आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा पाए गए आधार पर

स्थिति को निर्धारित नहीं किया था। दूसरे शब्दों में जांच शुरुआत की सूचना ने स्थिति निर्धारित की थी जबकि घरेलू उद्योग के पास वह थी भी नहीं। यह वर्तमान जांच में गैर सुधार योग्य त्रुटि है।

- xxi. आवेदक और टीडीके इंडिया दोनों फेरिक आक्साइड के आयात में शामिल हैं। खपत मानकों के आधार पर यह माना जा सकता है कि टीडीके इंडिया का उत्पादन पीयूसी का लगभग 5600 एमटी है। इस प्रकार आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम बनेगा।
- xxii. प्रतिवादियों ने टीडीके इंडिया की कच्ची सामग्री की खरीद के आधार पर उसके उत्पादन की मात्रा बतायी है, जो दर्शाती है कि याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के प्रयास में उत्पादन को काफी कम बताया है कि वह स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- xxiii. आवेदक ने प्राधिकारी से अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया है ताकि स्थिति निर्धारित हो सके, क्योंकि याचिकाकर्ता को पता है कि सही तथ्यों पर विचार करने से यह सिद्ध होगा कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान आवेदन को बनाए रखने की स्थिति नहीं है।
- xxiv. यदि केवल टीडीके इंडिया के निर्यातों को बाहर रखा जाए तो कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा 30-40 प्रतिशत के आसपास रहेगा जिस प्रतिशत का दावा आवेदक ने आवेदन में किया है। इस प्रकार आवेदक द्वारा दिया गया यह विवरण कि उनका उत्पादन टीडीके इंडिया के निर्यात को बाहर रखे बिना 30-40 प्रतिशत बनता है, गुमराह करने वाला है।
- xxv. आवेदक ने कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है कि वह टीडीके इंडिया और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन तक कैसे पहुंचा है और टीडीके इंडिया द्वारा किए गए निर्यात का प्रतिशत कैसे बताया है।
- xxvi. प्रतिवादियों द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार टीडीके इंडिया द्वारा निर्यात उसके अनुमानित उत्पादन का केवल लगभग 40 प्रतिशत है। टीडीके इंडिया की वेबसाइट के अनुसार भी उसने अपने द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों का केवल लगभग 50-60 प्रतिशत निर्यात किया है। यह सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इस पर भरोसा किया जाना चाहिए।
- xxvii. आवेदक द्वारा किसी साक्ष्य के बिना टीडीके इंडिया द्वारा पीयूसी के 80 प्रतिशत के निर्यात पर विचार करना पीयूसी की कुल घरेलू मांग में गड़बड़ी और विकृति को दर्शाता है।
- xxviii. आवेदक ने अपने आवेदन में दावा किया था कि टीडीके इंडिया के कुल उत्पादन के 80 प्रतिशत का निर्यात होता है। तथापि आवेदक ने अपने लिखित अनुरोध में इस दृष्टिकोण को बदल दिया और अब यह दावा किया है कि टीडीके इंडिया अपने 90 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करता है।
- xxix. आवेदक ने यह गलत दावा भी किया है कि इस कारण से कि टीडीके इंडिया का रूझान निर्यातों की ओर अधिक है और संबंधित पक्षकारों ने स्थिति के संबंध में अपने उत्पादन को अधिक नहीं माना है, महत्वपूर्ण या गंभीर है। यदि घरेलू उत्पादक के निर्यात मामूली या महत्वपूर्ण नहीं हैं तो आवेदक को अपने स्वयं के निर्यातों पर भी यही तर्क लागू करना चाहिए।
- xxx. आवेदक ने सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लि० की केवल 70 प्रतिशत उत्पादन पर कुल भारतीय उत्पादन और कुल भारतीय मांग के अनुमान हेतु विचार किया है। यह मांग और भी विकृत है जब आवेदक ने कुल मांग की गणना करते समय अपने स्वयं की आबद्ध खपत को बाहर रखा है। सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लि० द्वारा आबद्ध खपत का आकलन भी धारणाओं पर आधारित है।
- xxxi. यह देखते हुए कि आवेदक के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और भारत तथा चीन के बीच औसत नौवहन समय 30-45 दिनों से अधिक है तो आवेदक को अपनी जरूरतों को आयातों से पूरा करने के बजाय पीयूसी का पाटन करना चाहिए था। आवेदक द्वारा आयातों का कारण आवेदक की उत्पाद रेंज में कुछ उत्पादों की गैर मौजूदगी है और आवेदक के स्वयं के उत्पाद लक्षित अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे।
- xxxii. याचिकाकर्ता चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का एक नियमित आयातक है और उसने पीओआई से पहले, उसके दौरान और बाद में भारी मात्रा में पीयूसी का आयात किया है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने पीओआई के दौरान पीयूसी की भारी मात्रा में

- आयात किया है जिसे मामूली मात्रा के रूप में दर्ज किया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग होने का पात्र नहीं है।
- xxxiii. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात नियमित आयात हैं और किसी शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत नहीं हुए हैं।
- xxxiv. अयोग्यता की ढील मांगने के लिए आवेदक द्वारा दावा की गई परिस्थितियां आपवादिक परिस्थितियां नहीं हैं। अपने उपभोक्ताओं के आर्डर पूरे करना व्यावसाय की सामान्य प्रक्रिया है और याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अपने उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है।
- xxxv. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों के आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि आयातित उत्पाद जियोमेट्री में अधिक अलग थे कि यह तर्क दिया जा सकता है कि आवेदक को ऐसे उत्पाद इसलिए आयातित करने पड़े, क्योंकि उसे स्वयं जरूरत थी और किसी अन्य उपभोक्ता के लिए आंशिक रूप से तत्काल जरूरत थी क्योंकि वह इसका उत्पादन नहीं करता है। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि याचिकाकर्ता ने सामग्री का आयात क्यों किया और इस प्रयोजनार्थ अपने संयंत्र का उपयोग क्यों नहीं किया। यह स्व-कारित क्षति का एक मामला है और इसलिए आयात अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि आयात का उद्देश्य महत्वपूर्ण है।
- xxxvi. याचिकाकर्ता का यह दावा कि उसने उपभोक्ताओं के तत्काल आर्डर को पूरा करने और एलीशा कोइल्स एंड ट्रांसफारमर्स (एसीटी) में आंतरिक खपत के लिए मामूली मात्रा का आयात किया है, आपवादिक नहीं माना जा सकता है। उत्पादक / निर्यातक के एतद्वारा अनुरोध करता है कि उपभोक्ता के आर्डर पूरा करना एक मानक व्यापार प्रक्रिया है और उद्योग की मांग को पूरा करने की क्षमता पर प्रश्न तब उठता है जब याचिकाकर्ता अपनी स्वयं की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा, बाजार जानकारी दर्शाती है कि याचिकाकर्ता के आयात नियमित हैं और उनके सुझाव के विपरीत किसी शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत नहीं हैं।
- xxxvii. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य भारतीय उत्पादकों की पहचान की है। तथापि, भारत में एक अग्रणी सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ('सीईएल') भी एक अन्य उत्पादक हैं जो विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है। प्रतिवादी प्राधिकारी से कुल भारतीय उत्पादन और मांग के निर्धारण के लिए इसकी जांच करने का अनुरोध करते हैं।
- xxxviii. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच अवधि में किसी सार्थक मात्रा में अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स को नहीं बेचा है।
- xxxix. अनग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स को बाहर रखने से इस कारण से इसका आयात नहीं हो सकता कि उसके प्रसंस्करण में निवेश, तकनीकी रूप से विशेषज्ञ कर्मचारियों की उपलब्धता और पर्याप्त उत्पादन कार्यकलाप करना अपेक्षित होता है। यह ग्राउंडेड साफ्ट फेराइट कोर्स की तरह लगभग एक उद्योग का विकास है।
- xl. यह बताना गलत और भ्रामक है कि समग्र उत्पादन में ग्राइंडिंग प्रमुख सार्थक चरण नहीं है।
- xli. आवेदक ने स्वयं सिद्ध गणनाएं प्रस्तुत की हैं। मूल्यवर्धन आउटपुट के मूल्य और इनपुट के मूल्य के बीच का अंतर होता है। अतः कोई भी लागत जो उत्पाद के रूपांतरण या वृद्धि में योगदान देती है, मूल्यवर्धन का भाग मानी जानी चाहिए।
- xlii. मशीनरी, भूमि और भवन, विपणन कर्मचारी, प्रशासनिक व्यय आदि सभी स्पीडोफर के कार्यकलापों का हिस्सा है। जब ये सभी स्पीडोफर की उत्पादन लागत का हिस्सा हैं जिसके आधार पर वह अपनी कीमत और प्राधिकारी एनआईपी निर्धारित करते हैं तो मूल्यवर्धन में उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।
- xliii. प्रतिवादियों ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि आवेदक को इसलिए अपात्र माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। प्रतिवादियों ने केवल ऐसे आयातों का वास्तविक औचित्य पूछा है।
- xliv. इस तथ्य के लिए कि आवेदक ने एनपीयूसी का आयात किया है। प्रतिवादी प्राधिकारी से इस दावे की सत्यता की जांच करने का अनुरोध करते हैं।

- xliv. प्राधिकारी से आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद के अनुमोदन के हिस्से की जांच करने का अनुरोध किया गया है।
- xlvi. उत्पादकों / निर्यातकों ने अनुरोध किया कि संबद्ध वस्तु के आयात के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त कारण आपवादिक परिस्थितियां नहीं हैं। वास्तव में अपने उपभोक्ताओं के आर्डर पूरे करना व्यापार की सामान्य प्रक्रिया है और याचिकाकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास उपभोक्ताओं की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। यह संदिग्ध है कि जब याचिकाकर्ता अपनी स्वयं की मांग पूरी नहीं कर सकता तो वह भारतीय उद्योग की मांग कैसे पूरी कर सकता है। इस प्रकार आयात अनिवार्य हैं।
- xlvii. याचिकाकर्ता ने याचिका में चुनिंदा आयात आंकड़े दिए हैं। प्राधिकारी से संबद्ध वस्तु के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विचार करने का और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों की कड़ी जांच करने का अनुरोध किया जाता है।
- xlviii. उत्पादकों / निर्यातकों ने बताया कि गौण स्रोतों से लिए आंकड़े प्रमाणिक और विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकारी को जांच शुरूआत के समय वर्तमान जांच में आयातों की जांच के लिए डीजीसीआई एंड एस से आंकड़े मंगाने चाहिए थे।
- xlix. उत्पादकों / निर्यातकों ने बताया कि आयात आंकड़ों की चुनिंदा पसंद से भी याचिकाकर्ता के कथित मामूली आयात का परिणाम हो सकता है जो अन्यथा मामूली नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि प्राधिकारी को पहले आंकड़े पक्के करने चाहिए और उसके बाद ही वर्तमान जांच में आगे बढ़ना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग की स्थिति पर भी पुनः विचार किया जाएगा।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- एडी करार का अनुच्छेद 4.1 और एडी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित करता है, घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है या समान उत्पाद के ऐसे उत्पादकों से है जिनका सामूहिक उत्पादन उस उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा हो, यह बात उन उत्पादकों को बाहर रखने के अधीन है जो निर्यातक या आयातक से संबंधित हों या कथित पाटित उत्पाद के स्वयं आयातक हों।
- किसी जांच की शुरूआत के लिए निर्धारित सीमा और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 तथा एडी नियमावली के नियम 5 (3) के अंतर्गत स्थिति यह है कि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत का दर्शाते हों और दूसरा यदि समान वस्तु का कोई विरोधी घरेलू उत्पादक है तो आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का हिस्सा आवेदन का समर्थन या विरोध जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उत्पादकों के हिस्से से 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।
- अर्जेंटीना, पोल्ट्री पाटनरोधी शुल्क*, में डब्ल्यूटीओ पैनल के अनुसार एडी करार के अनुच्छेद 4.1 के अंतर्गत प्रमुख हिस्से का संदर्भ दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के लिए एक से अधिक प्रमुख हिस्से हो सकते हैं। चूंकि अनेक प्रमुख हिस्से हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक को प्रमुख हिस्सा मानना गलत हो सकता है – या वह 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। अतः घरेलू उत्पादकों के रूप में एक महत्वपूर्ण, गंभीर या कुल उत्पादन के प्रमुख हिस्से के अनुसार घरेलू उद्योग को परिभाषित करने की अनुमति है। एडीए का अनुच्छेद 4.1 सदस्यों के लिए कुल घरेलू उत्पादन के 50 से अधिक प्रतिशत अर्थात् अधिक हिस्से को दर्शाने वाले घरेलू उत्पादकों के रूप में घरेलू उद्योग की परिभाषा अपेक्षित नहीं करता है।
- माननीय सेस्टेट ने लुब्रिजोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2005 एससीसी ऑनलाइन सीईएसटीएटी 1199] मामले में यह माना था कि घरेलू उत्पादन के प्रमुख हिस्से का अर्थ वह सामूहिक उत्पादन है जो कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख या महत्वपूर्ण हिस्सा हो। कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा भारत में कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से कम हो सकता है।

- v. यह तर्क अनेक जांचों से समर्थित है जिसमें प्राधिकारी ने यह अवलोकन किया है कि चूंकि प्रमुख हिस्सा शब्द का प्रयोग अधिकांश हिस्से के रूप में नहीं है। इसलिए ऐसी कोई स्पष्ट अपेक्षा नहीं है कि आवेदक को प्रमुख हिस्सा होने के लिए कुल घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा रखना होगा। प्राधिकारी ने यह भी बताया कि कुल उत्पादन के 30-40 प्रतिशत हिस्से वाले घरेलू उत्पादक, घरेलू उद्योग हो सकते हैं।
- vi. घरेलू उद्योग मुख्यतः एक एकल उत्पाद कंपनी है, जो घरेलू बाजार में पीयूसी के उत्पादन और बिक्री पर केंद्रित है और पीयूसी के कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 30-40 प्रतिशत हिस्सा रखती है। घरेलू उद्योग कुल भारतीय उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखता है और एडीए के अनुच्छेद 5.4 तथा नियम 5(3) के अंतर्गत कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक की अपेक्षा को पूरा करता है।
- vii. सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लि० साफ्ट और हार्ड दोनों फेराइट का उत्पादन करता है। पीयूसी, सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लि० के कुल कारोबार का थोड़ा सा हिस्सा है। सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लि० अपने स्वयं के डाउनस्ट्रीम उत्पादों और निर्यातों के लिए अपने उत्पादन का प्रयोग करता है और पीयूसी का बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। स्थिति के प्रयोजनार्थ सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लि० का उत्पादन अधिक नहीं है और घरेलू उद्योग की क्षति की जांच में गड़बड़ी नहीं होगी। यदि सीआईई के पीयूसी के घरेलू निष्पादन आंकड़ों को क्षति जांच में शामिल नहीं किया जाए। अतः याचिका में घरेलू उद्योग में भारतीय उत्पादन का एक विवरण सीआईई की आबद्ध खपत के साथ और उसके बिना प्रदान किया था।
- viii. टीडीके इंडिया चीन में संबंधित उत्पादकों / निर्यातकों के साथ एक बहु उत्पाद कंपनी है। टीडीके इंडिया पीयूसी के अपने उत्पादन का 80 प्रतिशत निर्यात करती है और भारतीय बाजार में उसकी रुचि नहीं है।
- ix. चूंकि टीडीके इंडिया ने घरेलू उद्योग द्वारा अनेक अनुरोधों के बावजूद आवेदन में शामिल नहीं होकर असंबंधित पक्षकारों की तुलना में अलग व्यवहार किया है। इसलिए प्राधिकारी स्थिति के प्रयोजनार्थ टीडीके को अमहत्वपूर्ण मान सकते हैं और घरेलू उद्योग की क्षति जांच प्रभावित नहीं होगी। यदि टीडीके के पीयूसी के घरेलू निष्पादन आंकड़ों को क्षति जांच में शामिल नहीं किया जाए।
- x. डेल्टा का निष्पादन यह दर्शाता है कि डेल्टा को भारी घाटा हो रहा है।
- xi. समान वस्तु के ऐसे कोई घरेलू उत्पादक नहीं हैं जिन्होंने आवेदन का विरोध किया हो। पीयूसी के उत्पादक तटस्थ रहे हैं। घरेलू उद्योग भारत में एकमात्र प्रमुख, महत्वपूर्ण और गंभीर घरेलू उत्पादक है।
- xii. घरेलू उद्योग भारत के घरेलू बाजार में एकमात्र गंभीर कंपनी है क्योंकि अन्य भारतीय उत्पादक या तो पीयूसी के आबद्ध प्रयोक्ता हैं या निर्यातक हैं। अतः घरेलू उद्योग चीन से पाटित आयातों के कारण भारत में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रतिनिधि है। स्थिति के प्रयोजनार्थ सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड, टीडीके इंडिया, टीडीके इंडिया और डेल्टा मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड का उत्पादन प्रमुख, महत्वपूर्ण या गंभीर नहीं है।
- xiii. इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान मामले में कोई विरोधी घरेलू उत्पादक नहीं है। समर्थक घरेलू उत्पादकों का प्रतिशत आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन या विरोध करने वाले समान वस्तु के उत्पादकों के कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है। अतः नियम 5(3) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत 50 प्रतिशत के परीक्षण की अपेक्षा पूरी होती है।
- xiv. घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करने के लिए कुल भारतीय उत्पादन में 30-40 प्रतिशत के हिस्से का दावा टीडीके इंडिया के निर्यात और सीआईई की आबद्ध खपत के किसी समायोजन के बिना कुल भारतीय उत्पादन के आधार पर किया गया था और इसलिए घरेलू उद्योग एडी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 की अपेक्षा को पूरा करता है।
- xv. घरेलू उद्योग ने कभी भी घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भारतीय उत्पादन से टीडीके इंडिया की निर्यात मात्रा को बाहर नहीं किया है। सीआईई के संबंध में घरेलू उद्योग ने सीआईई की आबद्ध मात्रा को शामिल करके और उसके बिना दोनों तरह से घरेलू उद्योग का हिस्सा परिकलित किया है और दोनों स्थिति में कुल भारतीय उत्पादन में घरेलू उद्योग का हिस्सा 30-40 प्रतिशत के बीच रहा है। यह बात याचिका के अनुबंध 2.4 से बिल्कुल स्पष्ट होती है।

- xvi. अनुबंध 2.4 दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने पहले सीआईईई द्वारा आबद्ध खपत के लिए भारतीय उत्पादन को समायोजित किए बिना कुल भारतीय उत्पादन पर विचार किया है और इसके अलावा, केवल सीआईईई की आबद्ध खपत को बाहर रख के परिकलन किया है और टीडीके इंडिया के निर्यात उत्पादन से कभी बाहर नहीं रखा गया था।
- xvii. पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी ने आबद्ध खपत सहित और रहित दोनों तरीके से स्थिति का परिकलन किया है। पिग आयरन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय के मामले में माननीय सेस्टेट ने निर्णय दिया था कि आबद्ध खपत को घरेलू उद्योग की गणना के समय अलग बाजार माना जाएगा और आबद्ध योजनों के लिए अपने उत्पादन का प्रयोग करने वाले उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे से घरेलू बाजार में उनके उत्पाद के विपणन से बाहर रखा जाता है।
- xviii. प्राधिकारी को अन्य भारतीय उत्पादकों से पुष्टि के बिना और सत्यापन के बिना अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों की सूचना पर विचार नहीं करना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को वास्तविक संख्या बतानी चाहिए और उन पर टिप्पणी करने के लिए घरेलू उद्योग को स्रोत बताना चाहिए।
- xix. घरेलू उद्योग ने जांच शुरूआत से पहले के अपने स्पष्टीकरण में दावा किया था कि टीडीके इंडिया को चीन से उसकी संबद्धता के कारण अपात्र घरेलू उत्पादक माना जा सकता है। इस दावे को प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में नोट किया है। प्राधिकारी ने टीडीके इंडिया को अपात्र नहीं माना, क्योंकि उसका हिस्सा भारत के कुल उत्पादन में शामिल था। घरेलू उद्योग के दावे को अनेक पूर्व की जांचों में जांच शुरूआत अधिसूचना में नोट किया गया है।
- xx. सीईएल ने 20 वर्ष पहले साफ्ट फेराइट कोर्स के विनिर्माण के अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं और इस समय वह साफ्ट फेराइट कोर्स के लिए घरेलू उद्योग का एक उपभोक्ता है। वे फेराइट के सबस्ट्रेट बनाते हैं जो पीयूसी नहीं है।
- xxi. विरोध का अभाव सुनिश्चित करने के बाद प्राधिकारी जांच तब शुरू करते हैं जब आवेदक प्रथमदृष्ट्या योग्य हो और एक बार जांच शुरू होने पर अन्य उत्पादक आवेदन का विरोध कर सकते हैं।
- xxii. टीडीके इंडिया के उत्पादन के निर्धारण के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त पद्धति जो फेरिक आक्साइड के आयातों पर आधारित है, निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है:
- फेरिक आक्साइड के आयात का अर्थ यह नहीं है कि टीडीके इंडिया द्वारा आयातित संपूर्ण फेरिक आक्साइड का उपयोग पीओआई में पीयूसी बनाने के लिए किया गया है।
 - टीडीके इंडिया एमएनजेडएन साॅफ्ट फेराइट कोर्स, एनआईजेडएन साॅफ्ट फेराइट कोर्स, पर्मानेंट मैग्नेट और फेराइट पाउडर का भी विनिर्माण करती है, इन सभी में प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में फेरिक आक्साइड की जरूरत होती है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके लिए कोई समायोजन नहीं किया है।
 - अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे एमएनजेडएन साॅफ्ट फेराइट कोर्स के जियोमेट्री के लिए फेरिक आक्साइड के लिए खपत की गणना नहीं की है जो न तो पीयूसी में शामिल है और न ही उन्होंने उसे अलग करने की कोई पद्धति बताई है। हितबद्ध पक्षकारों ने वेयरहाउस के अंतर्गत और बिलों की एक्स बांड प्रविष्टि में स्वीकृत दोनों आयातों पर विचार करके फेरिक आक्साइड के आयातों की दोहरी गणना की है।
 - पीयूसी को मैग्नीज आक्साइड के बिना विनिर्मित नहीं किया जा सकता जिसे आयात करना पड़ता है, क्योंकि पीयूसी के विनिर्माण के लिए अपेक्षित गुणवत्ता भारत में उपलब्ध नहीं है। टीडीके इंडिया ने पीओआई में केवल 1008 एमटी मैग्नीज आक्साइड का आयात किया है। एसआईओएन को लागू करके और एक किलोग्राम एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट के विनिर्माण के लिए 0.0340 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पर विचार करते हुए टीडीके इंडिया को केवल 3316 एमटी एमएनजेड साफ्ट फेराइट का उत्पादन करना चाहिए था। इन आंकड़ों में कुछेक जियोमेट्री को पीयूसी के दायरे से प्रतिबंधित करना भी संभव नहीं है।
 - टीडीके इंडिया द्वारा फेराइट पाउडर के आयात को सीधे विनिर्मित की जा रही एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फेराइट पाउडर और

फेराइट आक्साइड के लिए एसआईओएन भिन्न है जिस पर हितबद्ध पक्षकारों ने विचार नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक के पास उपलब्ध बाजार आसूचना के अनुसार टीडीके इंडिया ने केवल 26.35 एमटी फेराइट पाउडर का आयात किया जिसका उपयोग केवल 21.08 एमटी एमएनजेड साफ्ट फेराइट कोर्स के विनिर्माण में हो सकता है।

- टीडीके इंडिया ने पीओआई में अपनी संबंधित कंपनियों को 414 एमटी फेराइट पाउडर का निर्यात भी किया है। 311 एमटी फेरिक आक्साइड का उपयोग इस फेराइट पाउडर के विनिर्माण में हुआ होगा। किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।
 - यदि हितबद्ध पक्षकार द्वारा अपनाई गई पद्धति पर विचार किया जाए और फेरिक आक्साइड के आयातों पर उत्पादन निर्धारित किया जाए तो डेल्टा मैनुफैक्चरिंग का उत्पादन शून्य होगा, क्योंकि डेल्टा मैनुफैक्चरिंग लि० ने पीओआई में फेरिक आक्साइड का आयात नहीं किया है।
- xxiii. हितबद्ध पक्षकारों ने टीडीके इंडिया के उत्पादन के निर्धारण के लिए अनेक समायोजन पूर्व अपेक्षाओं पर विचार नहीं किया है और अपनी गणना को केवल फेरिक आक्साइड के आयातों पर आधारित रखा है।
- xxiv. उक्त अनुरोधों से किसी पक्षपात के बिना यदि प्राधिकारी टीडीके इंडिया और अन्य घरेलू उत्पादकों के पीयूसी के उत्पादन की गणना आयातित इनपुट के आधार पर करना चाहते हैं तो प्राधिकारी को निम्नलिखित पद्धति पर विचार करना चाहिए।
- xxv. प्राधिकारी को फेरिक आक्साइड के आयातों के बजाय एमएन304 के आयातों पर विचार करना चाहिए ताकि मैगनीज साफ्ट फेराइट या पीयूसी के उत्पादन की गणना की जा सके जिसके कारण निम्नानुसार हैं:
- मैगनीज साफ्ट फेराइट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित एमएन304 की गुणवत्ता भारत में उपलब्ध नहीं है। अतः भारत में साफ्ट फेराइट कोर्स के उत्पादकों द्वारा एमएन304 का आयात किया जाता है। घरेलू उद्योग ने केवल आयात के द्वारा एमएन304 की अपनी समस्त जरूरत को पूरा किया है और इसका सत्यापन घरेलू उद्योग के लागत आंकड़ों से किया जा सकता है।
 - एमएन304 का प्रयोग केवल मैगनीज, जिंक साफ्ट फेराइट कोर्स के विनिर्माण में होता है जबकि फेरिक आक्साइड का प्रयोग मैगनीज जिंक साफ्ट फेराइट कोर्स, निकिल जिंक साफ्ट फेराइट कोर्स और स्थायी चुंबकों के विनिर्माण में होता है। उत्पादन की गणना के लिए मैगनीज आक्साइड पर विचार करने से अन्य उत्पादों जैसे एनआईजेड साफ्ट फेराइट कोर्स और स्थायी चुंबकों के उत्पादन के अतिव्यापन की संभावना समाप्त हो जाती है।
 - एमएन304 के लिए प्रति इकाई लागत एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स की कच्ची सामग्री की कुल लागत में उच्चतम लागत है और फेरिक आक्साइड की तुलना में मात्रा के अनुसार दूसरी सर्वाधिक है।
- xxvi. चूंकि डेल्टा ने फेरिक आक्साइड, एमएन304 और फेराइट पाउडर का आयात नहीं किया है और आयातकों / प्रयोक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करते हुए प्राधिकारी को डेल्टा के लिए मैगनीज, जिंक साफ्ट फेराइट कोर्स का उत्पादन शून्य मानना चाहिए। तथापि, डेल्टा मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट अन्यथा दर्शाती है। अतः यह माना जा सकता है कि डेल्टा ने या तो टीडीके इंडिया से या सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड से फेराइट पाउडर खरीदा है। ऐसे मामले में घरेलू उद्योग ने अन्य भारतीय उत्पादकों के लिए एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स के उत्पादन की गणना के लिए निम्नलिखित पद्धति का सुझाव दिया है:
- डेल्टा के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों में दिए गए साफ्ट फेराइट के लिए सूचित खंड के प्रयोग से मैगनीज जिंक साफ्ट फेराइट कोर्स के कारोबार का पता लगाना।
 - घरेलू उद्योग की औसत घरेलू बिक्री कीमत पर बिक्री मात्राएं ज्ञात करने के लिए विचार करना चाहिए। चूंकि मालसूची में बदलाव के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स की बिक्री मात्रा पर डेल्टा के एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स की उत्पादन मात्रा के रूप में विचार किया जा सकता है।
 - डेल्टा की इस प्रकार ज्ञात एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स की उत्पादन मात्रा को टीडीके इंडिया या सीआईई या शून्य उत्पादन की उत्पादन मात्रा में समायोजित करके डेल्टा के लिए विचार किया जाना

चाहिए। अन्यथा डेल्टा के उत्पादन की मात्रा के लिए यह डेल्टा और सीआईई / टीडीके दोनों की उत्पादन की मात्रा की दोहरी गणना होगी।

- वैकल्पिक रूप से टीडीके इंडिया और सीआईई द्वारा पीओआई में मैगनीज आक्साइड के आयातों पर पीओआई में एमएनजेडएन साफ्ट फेराइट कोर्स का उत्पादन ज्ञात करने के लिए विचार किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ एसआईओएन में प्रदत्त 0.3040 की खपत का कारक प्रयोग किया जा सकता है। इस मामले में डेल्टा के उत्पादन को समायोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। इस उत्पादन में पहले ही डेल्टा द्वारा किया गया उत्पादन शामिल है।
- xxvii. पक्षपात के बिना घरेलू उद्योग ने फेरिक आक्साइड, मैगनीज आक्साइड और फेराइट पाउडर के आयात और निर्यात के आधार पर सभी अन्य भारतीय उत्पादकों का उत्पादन ज्ञात करने के लिए विभिन्न पद्धतियां भी बतायी हैं। आवेदक का उत्पादन इन सभी परिदृश्य में कुल भारतीय उत्पादन के 80 प्रतिशत से अधिक है।
- xxviii. पक्षपात के बिना टीडीके इंडिया के उत्पादन की गणना के लिए साफ्ट फेराइट के कारोबार पर आधारित अतिरिक्त पद्धति घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई है:
- वार्षिक रिपोर्ट में सूचित साफ्ट फेराइट के कुल कारोबार को घरेलू बिक्री मूल्य ज्ञात करने के लिए टीडीके इंडिया द्वारा किए गए साफ्ट फेराइट के निर्यात मूल्य से घटाया गया है।
 - इस प्रकार ज्ञात घरेलू बिक्री मूल्य को साफ्ट फेराइट की घरेलू बिक्री की गणना के लिए घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत से विभाजित किया गया है।
 - टीडीके इंडिया के निर्यात बिक्री मूल्य को उस सौदे की दर से विभाजित किया गया है, जो किलोग्राम में सूचित की गई है।
 - इस प्रकार ज्ञात घरेलू बिक्री मात्रा और निर्यात बिक्री मात्रा पर टीडीके इंडिया के पास उपलब्ध साफ्ट फेराइट की मालसूची के संबंध में उपलब्ध किसी ठोस सूचना के अभाव में उत्पादन के रूप में विचार किया गया है।
- xxix. यदि टीडीके इंडिया का उत्पादन अतिरिक्त पद्धति से परिकलित किया जाए तो घरेलू उद्योग का हिस्सा 30-40 प्रतिशत के बीच रहता है। चाहे आबद्ध सहित हो या रहित, जिससे नियम 5 के साथ पठित नियम 2(ग) की सीमा पूरी होती है।
- xxx. घरेलू उद्योग ने 2021-22 और पीओआई में तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए और कतिपय उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध देश से पीयूसी की मामूली मात्रा का आयात किया है जिसका घरेलू उद्योग विनिर्माण करने में असमर्थ था। क्षति अवधि के अन्य वर्षों में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश से कोई आयात नहीं किया गया था। 2020-21 में किए गए आयात, आयात नहीं थे, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातित उत्पादों की वापसी थे।
- xxxii. 2021-22 और पीओआई में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात उसके अपने उत्पादन, उसकी अपनी बिक्रियों, देश में भारतीय उत्पादन मांग एक प्रतिशत से कम है।
- xxxiii. घरेलू उद्योग पीयूसी का नियमित आयातक नहीं है और वह प्राथमिक रूप से भारत में पीयूसी के निर्माण और बिक्री पर केंद्रित है। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए मामूली आयात जो उसके स्वयं के उत्पादन और बिक्री तथा संबद्ध देश से पीयूसी के कुल आयातों की दृष्टि से नगण्य हैं तथा ये पात्र घरेलू उद्योग बनने से वंचित नहीं करते हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
26. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

27. यह आवेदन कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड के अलावा भारत में पीयूसी के तीन अन्य घरेलू उत्पादक हैं अर्थात:
- क. टीडीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ख. सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड
ग. डेल्टा मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड
28. किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का समर्थन या विरोध नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने दावा किया है कि पीओआई में उसके पास कुल भारतीय उत्पादन का 30-40 प्रतिशत हिस्सा है और इस पर वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था।
29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक की धारणा है कि आवेदन का कोई विरोध नहीं है और उसने इस आधार पर इसे उचित ठहराने का प्रयास किया है कि जांच शुरुआत के बाद कोई विरोध नहीं हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्हें पीयूसी के किसी अन्य भारतीय उत्पादक से कोई विरोध नहीं प्राप्त हुआ है।
30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने यह दावा करते हुए वर्तमान जांच की शुरुआत में त्रुटि की है कि घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में प्राधिकारी प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक ने जांच का समर्थन या विरोध करते हुए वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है। प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के बाद आवेदन प्रपत्र में सभी अन्य घरेलू उत्पादकों से उनके उत्पादन साझा करने के लिए सूचना पत्र भेजे थे, परन्तु टीडीके इंडिया को छोड़कर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। टीडीके इंडिया ने दिनांक 29 नवंबर, 2023 के ई-मेल द्वारा यह सूचित किया कि वह अपने कुल विनिर्मित समान के 80 प्रतिशत से अधिक का निर्यात भारत से बाहर करता है और वह वर्तमान जांच में भागीदारी करने में रूचि नहीं रखता है। बाद में जून 2024 में भी प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों से ऐसी सूचना मांगी थी और केवल टीडीके इंडिया से उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) की अवधि में उनकी कंपनी का मैंगनीज-जिंक (एमएनजेडएन) सॉफ्ट फेराइट कोर्स का कुल उत्पादन *** एम टन था और आबद्ध खपत शून्य थी। उन्होंने यह भी दोहराया कि वह जांच में भाग नहीं लेना चाहते हैं। यह नोट किया जाए कि टीडीके इंडिया ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का विरोध नहीं किया है।
31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने टीडीके को जांच में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीडीके इंडिया ने प्राधिकारी को सूचित किया है कि उसकी आवेदन में शामिल होने में कोई रूचि नहीं है।
32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक का दायित्व देश में कुल घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाते समय समग्र उत्पादन पर विचार करने का है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने आवेदन में पीयूसी के कुल भारतीय उत्पादन का ब्यौरा दिया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में स्थिति निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ भी कुल भारतीय उत्पादन पर विचार किया है।
33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा करते हुए वर्तमान जांच में आवेदक की स्थिति के संबंध में चिंता जतायी है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भारतीय उत्पादन से टीडीके इंडिया की निर्यात मात्रा को बाहर रखकर कुल भारतीय उत्पादन में अपने हिस्से के निर्धारण में गलती की है। प्राधिकारी ने इस संबंध में, घरेलू उद्योग से स्पष्टीकरण मांगा था। घरेलू उद्योग ने बताया कि उसने अंजाने में यह बताया था कि टीडीके इंडिया का उत्पादन उनके संबद्ध निर्यातों के कारण उनके आवेदन की स्थिति के निर्धारण से बाहर रखा गया था।

- घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि उसने कभी भी घरेलू उद्योग की स्थिति के निर्धारण में टीडीके इंडिया की निर्यात मात्रा को कुल भारतीय उत्पादन से बाहर नहीं रखा है जिसे आवेदन के अनुबंध 2.4 में भी देखा जा सकता है।
34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ स्थिति का निर्धारण करते समय टीडीके इंडिया की उत्पादन मात्रा को बाहर रख कर गलती की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त जांच शुरूआत पूर्व स्पष्टीकरणों में किए गए घरेलू उद्योग के दावे को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने जांच शुरूआत के समय टीडीके इंडिया को अपात्र घरेलू उत्पादक नहीं माना था और जांच शुरूआत के समय निर्धारित कुल भारतीय उत्पादन में टीडीके इंडिया का कुल उत्पादन शामिल था।
35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि टीडीके चाइना कंपनी लि० भारत को पीयूसी का बड़ा निर्यातक नहीं है और टीडीके इंडिया भारी मात्रा में टीडीके चाइना कंपनी लि० को निर्यात करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी के कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण में टीडीके इंडिया के कुल उत्पादन पर विचार किया गया है और टीडीके इंडिया को पात्र घरेलू उत्पादक माना गया है।
36. आबद्ध खपत को शामिल करके स्थिति की गणना करने संबंधी तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने केवल सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लि० की आबद्ध खपत सहित और रहित स्थिति के निर्धारण के लिए गणना प्रस्तुत की है।
37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी पीयूसी का एक विनिर्माता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने प्रचानल बंद कर दिए हैं और वर्तमान में वह घरेलू उद्योग का एक उपभोक्ता है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने इस कंपनी को वस्तुओं की बिक्री की है।
38. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक, घरेलू उद्योग नहीं है, क्योंकि उसका उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि टीडीके इंडिया का वास्तविक उत्पादन आवेदक द्वारा उसके आवेदन में विचारित उत्पादन से काफी अधिक है। इसके लिए हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि फेरिक आक्साइड पीयूसी के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है और चूंकि फेरिक आक्साइड भारत में उपलब्ध नहीं है। इसलिए केवल आयात फेरिक आक्साइड खरीदने का स्रोत है। हितबद्ध पक्षकारों ने टीडीके इंडिया द्वारा फेरिक आक्साइड के कुल आयातों पर साफ्ट फेराइट कोर्स के लिए एसआईओएन लागू किया है और यह निर्धारित किया है कि टीडीके इंडिया का उत्पादन लगभग 5600 एमटी है जिससे आवेदक का हिस्सा घट कर कुल भारतीय उत्पादन का 25 प्रतिशत से कम हो जाएगा।
39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने फेरिक आक्साइड, मैंगनीज आक्साइड और फेराइट पाउडर के आयातों और निर्यातों और डेल्टा तथा टीडीके की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर सभी अन्य भारतीय उत्पादकों का उत्पादन ज्ञात करने के लिए विभिन्न पद्धतियां भी प्रदान की हैं।
40. टीडीके इंडिया को उनके उत्पादन का पता लगाने के लिए एक पत्र भेजा गया था। टीडीके इंडिया ने 20 जून 2024 को उत्तर दिया कि वे संबद्ध जांच में भाग नहीं लेना चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) की अवधि के लिए उनकी कंपनी का मैंगनीज-जिंक (एमएनजेडएन) साफ्ट फेराइट कोर्स का कुल उत्पादन *** एम टन था और आबद्ध खपत शून्य थी। प्रदत्त ब्यौरा घरेलू उद्योग द्वारा उसकी याचिका में उल्लिखित मात्रा के लगभग समान है।
41. घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भारत में किसी अन्य उत्पादक के उत्पादन का पता लगाने के लिए कोई सूचना नहीं दी है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना और टीडीके इंडिया की सूचना पर कुल भारतीय उत्पादन ज्ञात करने के लिए विचार किया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एडी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आवेदक द्वारा 50 प्रतिशत का परीक्षण पूरा नहीं किया गया है। प्राधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत का परीक्षण केवल वहां किया जाता है, जहां आवेदन का विरोध घरेलू उद्योग द्वारा किया जाए। यदि आवेदन का कोई विरोध नहीं होता है तो यह मान लिया जाता है कि 50 प्रतिशत का मापदंड भी घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में अन्य भारतीय उत्पादकों

द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। अतः 50 प्रतिशत का परीक्षण वर्तमान जांच पर लागू करने की जरूरत नहीं है।

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी बताया है कि आवेदक पीयूसी का नियमित आयातक है और इसलिए वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने का पात्र नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 2021-22 और पीओआई में आयात किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उसने अपने डिवीजन - एलीसा कोइल एंड ट्रांसफार्मर के लिए तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए आयात किए थे। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया कि उसने पीओआई के दौरान *** एमटी का आयात किया है और किए गए आयात भारतीय मांग और / या उत्पादन का एक प्रतिशत से कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए आयात वर्तमान जांच में उसे घरेलू उद्योग बनने से वंचित नहीं करते हैं।
43. इस प्रकार रिकार्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा, आवेदक के पास कुल भारतीय उत्पादन का 30-40 प्रतिशत हिस्सा है। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।
44. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग ने न्यायिक निकायों के अनेक निर्णयों और प्राधिकारी के पूर्ववर्ती निष्कर्षों का अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकारी पूर्व निर्णयों का संदर्भ ले सकते हैं क्योंकि उनसे बहुमूल्य जानकारी मिलती है। तथापि यह नोट करना संगत है कि प्रत्येक मामला भिन्न होता है और उसमें स्वतंत्र विचार की आवश्यकता होती है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

45. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- किसी निजी कंपनी के लिए जनता को वित्तीय जानकारी देना अपेक्षित नहीं है। अतः वित्तीय विवरण सार्वजनिक डोमेन में मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है। व्यापार सूचना 10/2018 प्रयोक्ता/आयातक उद्योगों के वित्तीय विवरणों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसके प्रकटन के जरूरत के बारे में मौन हैं।
 - अनुबंध-3 में प्रतिवादियों द्वारा की गई पीयूसी की खरीद के सौदावार ब्यौरे हैं। यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और इसका सारांश नहीं हो सकता है। व्यापार सूचना 10/2018 यह अनुदेश नहीं देती कि अनुबंध-3 की सूचना को किसी रूप में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया जाए।
 - प्रतिवादी विचाराधीन उत्पाद की खरीद के लिए मुद्रा का नाम और विनमय दर का केवल तभी प्रकटन करेंगे यदि प्राधिकारी ऐसा निर्देश दें।
 - परिशिष्ट-1 में सूचित विवरण में स्पीडोफर द्वारा आयातित विभिन्न जियोमेट्री के ब्यौरे दिए गए हैं। यह व्यापार संवेदनशील जानकारी है। आयातित उत्पाद के विवरण संबंधी गोपनीयता प्राधिकारी द्वारा अनुमत प्रक्रिया के अनुसार दावा की गई है।
 - परिशिष्ट-4 में सूचित विवरण में स्पीडोफर द्वारा बेचे गए विभिन्न जियोमेट्री के ब्यौरे हैं। यह सूचना व्यापार संवेदनशील सूचना है। पुनः बेचे गए उत्पाद के विवरण के गोपनीय होने का दावा प्राधिकारी द्वारा अनुमत प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।
 - आवेदक की लागत निर्धारण पद्धति व्यापार संवेदनशील सूचना है जिसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। वास्तव में आवेदक ने स्वयं इसके गोपनीय होने का दावा किया है, परंतु प्रतिवादियों पर आरोप लगा रहा है।
 - अनुबंध 4 और अनुबंध 5 में प्रदत्त सूचना के बीच कोई विसंगति नहीं है। चूंकि जांच अवधि के दौरान पीयूसी की कोई पुनः बिक्री नहीं हुई है इसलिए कोई सूचना नहीं बतायी गई है।
 - आवेदक ने लिखित अनुरोध के पैरा 181-184 में दावा किया है कि प्रयोक्ता / उपभोक्ताओं द्वारा जतायी गई गुणवत्ता संबंधी चिंताओं पर पहले ही ध्यान दिया गया है। आवेदक ने कतिपय ई-मेल पत्राचार का साक्ष्य दिया है, परंतु उनके पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया है। चूंकि ये अनुरोध प्रतिवादियों (जो

उनकी ओर से उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत हैं) के साथ पत्राचार से संबंधित हैं इसलिए उनका हमें प्रकटन किया जाए। उनके गोपनीय होने का दावा आवेदक की टिप्पणियों की विश्वसनीयता को काफी कम कर देता है और इससे प्रतिवादी अनुरोधों पर टिप्पणी करने से भी वंचित हो गए हैं।

- ix. प्रतिवादियों ने दिनांक 17 जून 2024 के खंडन अनुरोधों में इन पत्रों के प्रकटन का अनुरोध किया है। प्रतिवादियों ने दिनांक 5 अगस्त 2024 के ई-मेल द्वारा एक पत्र भेजा और पुनः इन पत्रों के प्रकटन का अनुरोध किया। प्रतिवादियों के अनुरोध का पर्याप्त उत्तर देने के बजाय आवेदक ने केवल उनके विलंब से होने का कारण बताते हुए अनेदखी की है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

46. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. यिविन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड, तोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड, हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं, लिमिटेड और हुझोऊ हाओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने पीओआई के दौरान बेचे गए / उत्पादित उत्पादों की सूची के संबंध में अपने ईक्यूआर में कोई औचित्य बताए बिना गोपनीयता का दावा किया है।
- ii. यिविन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड, तोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड, हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं., और हुझोऊ हाओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने अपने ईक्यूआर में पीयूसी में शामिल संबंधित कंपनियों की सूची के बारे में पूरी गोपनीयता का दावा किया है।
- iii. यिविन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं., लिमिटेड, हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं., और हुझोऊ हाओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने पीयूसी के लिए विनिर्माण प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।
- iv. यिविन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं., लिमिटेड, हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं, और हुझोऊ हाओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड ने अपने ईक्यूआर में वितरण की अपनी श्रृंखला के बारे में पूरी पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।
- v. परिशिष्ट-3ख में अपने ईक्यूआर में यिविन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं., लिमिटेड और हुझोऊ हाओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ने उत्पाद के विवरण, भुगतान की शर्तें, डिलीवरी शर्तें और पीओआई के दौरान पीयूसी के निर्यात के लिए विनमय दर जैसे सभी विवरणों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।
- vi. हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कंपनी ने किसी आवश्यक औचित्य के बिना निर्यात कीमत तुलनीयता के लिए सभी समायोजनों के गोपनीय होने का दावा किया है। इसके अलावा, अपने परिशिष्ट - 3क में हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कंपनी ने किसी अन्य कटौती श्रेणी के अंतर्गत कतिपय समायोजनों की सूचना दी है और संपूर्ण परिशिष्ट - 3क के गोपनीय होने का दावा किया है जो आवेदक को ऐसे समायोजनों की प्रकृति और आधार समझने से वंचित करता है।
- vii. निर्यातक ने अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- viii. विक्टर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मिंगहाओ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीटी मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और स्पीडोफर ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अपने यूक्यूआर में लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का प्रकटन नहीं करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ix. परिशिष्ट -1 में स्पीडोफर ने उसके द्वारा आयातित उत्पाद के विवरण के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। इस सूचना का प्रकटन यह निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है कि क्या स्पीडोफर व्यापार के लिए के किसी अन्य रूप में पीयूसी का आयात भी कर रहा है।
- x. परिशिष्ट - 4 के अंतर्गत स्पीडोफर ने उसके द्वारा पुनः बेचे गए उत्पाद के विवरण के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। इस सूचना का प्रकटन यह निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है कि क्या स्पीडोफर व्यापार के लिए के किसी अन्य रूप में पीयूसी का आयात भी कर रहा है।

- xi. वाईएमडी इलेक्ट्रोमैक इंडिया, विक्टर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मिंगहाओ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जीटी मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने पीओआई के दौरान पीयूसी की खरीद के लिए मुद्रा का नाम, डिलीवरी शर्तें और विनमय दर बताए बिना अनुबंध 3 में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।
- xii. वाईएमडी इलेक्ट्रोमैक इंडिया, विक्टर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मिंगहाओ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट और जीटी मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनुबंध 4 में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है, परंतु ईक्यूआर में अनुबंध 5 में पीयूसी के पुनः बिक्री से संबंधित कोई सूचना नहीं दी है जिससे इन पक्षकारों के प्रयोक्ता या व्यापारी होने की प्रकृति पर संदेह होता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

47. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है।
48. एडी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था।
49. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

".7 गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

50. घरेलू उद्योग ने अन्य पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावों का मुद्दा उठाया है। प्रयोक्ता उद्योग ने दावा की गई गोपनीयता को उचित ठहराते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं अपेक्षित हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया था।
51. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी पक्षकारों के इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

52. वर्तमान जांच में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. गौण स्रोतों से लिए गए आयात आंकड़े प्रमाणिक और विश्वसनीय नहीं हैं।
- ii. याचिकाकर्ता आयात आंकड़ों पर विचार करते समय अपनी सुविधा के अनुसार चयन करने वाला नहीं बन सकता है। आयातित उत्पाद चाहे किलोग्राम, नग या जोड़ों में आयातित हो, वह भारतीय उद्योग में पीयूसी के साथ समान बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। याचिकाकर्ता को पाटन और क्षति की जांच के लिए एचएसएन कोड 85051110 के लिए पूरे आयात आंकड़ों पर विचार करना चाहिए था और समस्त विश्लेषण उस पर आधारित करना होगा। तथापि, याचिका में विचारित आयात में गड़बड़ी है और कम बताया गया है। याचिकाकर्ता से प्राधिकारी द्वारा यह पूछा जाना चाहिए कि वह संबद्ध वस्तु के भार में परिवर्तन करने की पद्धति का प्रकटन करे।
- iii. आयात आंकड़ों के पसंद से चयन के कारण याचिकाकर्ता के तथाकथित मामूली आयात का परिणाम भी निकला है, जो अन्यथा मामूली नहीं है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

53. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. कानून या प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अंतर्गत घरेलू उद्योग के लिए आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की कोई अपेक्षा नहीं है, चाहे उसने पीयूसी का आयात किया हो।
- ii. प्राधिकारी को ऐसे आयातक / प्रयोक्ता का अनुरोध स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसने आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की हो। माननीय सेस्टेट ने मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में यह माना है कि यह सिद्ध करना आयातक का दायित्व है कि वे धारा 2(ग) के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार हैं। इसके लिए उन्हें प्रश्नावली में यथा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करनी होती है। केवल चार प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है और केवल उनके अनुरोध स्वीकृत हो सकते हैं।
- iii. रोरी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कोई कंपनी नहीं है और इसलिए इस पक्षकार की ओर से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- iv. टोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड, यिबिन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड और हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं, लिमिटेड ने अपने परिशिष्ट में पीयूसी की जियोमेट्रिक की सूचना नहीं दी है। यदि इन निर्यातकों द्वारा जियोमेट्री नहीं दी जाती है तो प्राधिकारी यह निर्धारित करने या सत्यापन करने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे कि क्या इन निर्यातकों द्वारा सूचित सौदे पीयूसी के दायरे में शामिल जियोमेट्री से संबंधित हैं।
- v. जियोमेट्री ब्यौरे के अभाव में प्राधिकारी निर्यात सौदों में इन निर्यातकों द्वारा सूचित जियोमेट्री के सही होने का सत्यापन करने में सक्षम नहीं होंगे। प्रत्येक जियोमेट्री में अलग भार होता है। इसलिए सूचित भारों की सत्यता की जांच के लिए जियोमेट्री बनाना अनिवार्य है।
- vi. निर्यातकों ने अपने परिशिष्टों में न तो प्रति यूनिट भार और न ही नग / जोड़ों को भार में बदलने के लिए आंकड़े की गणना की पद्धति बतायी है।
- vii. टोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड ने ईक्यूआर में बताया है कि उसने पीयूसी का उत्पादन नहीं किया है, परंतु अपने संबंधित उत्पादक हुआओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड द्वारा उत्पादित पीयूसी का केवल भारत को निर्यात किया है। तथापि टोंगज़ियांग ने अपनी वेबसाइट पर पीयूसी के विनिर्माता होने का दावा किया है। दक्षिण एशिया में जिसका 50 प्रतिशत बाजार है।
- viii. वेबसाइट पर इस दावे के बावजूद कि वह अपने पीयूसी के निर्यात विश्व भर में करता है। टोंगज़ियांग हुआयुआन ने अपने ईक्यूआर में तीसरे देशों को किसी बिक्री की सूचना नहीं दी है।
- ix. तैयार उत्पाद में कोई सापेक्ष मूल्य और एडीडी के प्रभाव की मात्रा यूक्यूआर में किसी भी प्रयोक्ता द्वारा नहीं दी गई है, जो किसी प्रयोक्ता द्वारा उनके डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर एडीडी के प्रभाव को दर्शाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है।

- x. पीयूसी का प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए लक्षित ट्रांसफार्मरों में होता है। अतः ट्रांसफार्मर के विभिन्न प्रकारों पर एडीडी का प्रभाव अलग-अलग होगा। तथापि, किसी भी प्रयोक्ता ने विभिन्न ट्रांसफार्मर की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत का अलग-अलग ब्यौरा नहीं दिया है। इससे प्राधिकारी विभिन्न ट्रांसफार्मरों पर एडीडी के प्रभाव की गणना नहीं कर पाएंगे।
- xi. किसी भी प्रयोक्ता ने साफ्ट फेराइट कोर्स और पीओआई के दौरान पीयूसी की खरीद के संबंध में प्रति नग भार तथा अपने आयात आंकड़ों को एमटी में बदलने की गणना पद्धति का ब्यौरा प्रश्नावली के अपने उत्तर में नहीं दिया है।
- xii. सिया ओवरसीज एलएलपी, फेरो स्टार और श्री श्याम कंपोनेंट्स ने प्रश्नावली का रिक्त उत्तर दिया है जिसमें प्रश्नावली में केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आयातक प्रश्नावली में अधिकांश उत्तर कोई औचित्य बताए बिना रिक्त छोड़े गए हैं।
- xiii. स्पीडोफर ने वर्तमान जांच में आईक्यूआर प्रस्तुत किया है जिसमें अनेक विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों पर विचार करते हुए हम प्राधिकारी से स्पीडोफर द्वारा दायर आईक्यूआर को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है-
55. आवेदक द्वारा उसकी याचिका में प्रयुक्त आयात आंकड़ों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जतायी गई चिंता के बारे में प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 12 आयातकों / प्रयोक्ताओं की ओर से अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं। तथापि, केवल 7 आयातकों / प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। 7 आयातकों / प्रयोक्ताओं में से सिया ओवरसीज एलएलपी, फेरो स्टार और श्री श्याम कंपोनेंट्स ने बिल्कुल अधूरे उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन प्रयोक्ताओं के प्राधिकार पत्र प्राधिकारी के पास हैं और इन पक्षकारों ने विहित समय सीमा के भीतर पंजीकरण किया था। इन पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध अन्य प्रयोक्ताओं के अनुरोधों जैसे हैं। अतः उनके अनुरोधों पर विचार या गैर विचार से जांच पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
57. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में कतिपय चिंताएं जतायी हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि टोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड, यिबिन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड और हेंगडियन गुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं, लिमिटेड ने पीयूसी के जियोमेट्री की सूचना दी है और अपने परिशिष्टों के प्रति इकाई भार बताया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने निर्यातकों से कतिपय सूचना / स्पष्टीकरण मांगे थे जिन्हें उत्पादक / निर्यातकों द्वारा प्रदान किया गया है। ईक्यूआर को संतोषजनक पाया गया है और प्राधिकारी ने उन पर विचार किया है।
58. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि वर्तमान जांच में भागीदार प्रयोक्ताओं ने उनके द्वारा विनिर्मित तैयार उत्पादों में पीयूसी का सापेक्ष मूल्य नहीं बताया है और न ही अपने डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर एडीडी के लागू होने पर प्रभाव की मात्रा बतायी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद के हिस्से संबंधी जानकारी प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर का भाग है। इसके अलावा, प्रयोक्ताओं ने लिखित अनुरोधों और पत्रों के जरिए भी पाटनरोधी उपायों के प्रभाव की जानकारी दी है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

59. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में मानना लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है।

- ii. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 का संगत प्रावधान जो चीन जन. गण. को एनएमई मानने की अनुमति देता है। 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। अतः वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान प्रचलित नहीं है जो किसी जांच में प्राधिकारी को चीन जन. गण. को एनएमई मानने की अनुमति देता हो।
- iii. प्राधिकारी को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।
- iv. प्राधिकारी को कंपनी द्वारा उसके उत्तर में प्रदत्त लागत और कीमतों संबंधी आंकड़ों को इस जांच में प्रतिनिधि देश के आंकड़े लागू करने के बजाय सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु लागू करना चाहिए।
- v. आवेदक ने पाटन मार्जिन 80-90 प्रतिशत तक और क्षति मार्जिन 40-50 प्रतिशत तक काफी अधिक बताया है। यह भी बताना संगत है कि आवेदक ने स्वयं 15 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बतायी है। दूसरे शब्दों आवेदक को पता है कि क्षति मार्जिन का उसका दावा काफी अधिक है (जिसका अर्थ है कि आवेदन में पर्याप्त और सही जानकारी नहीं है)। यदि क्षति मार्जिन 15 प्रतिशत माना जाता है और पाटन मार्जिन 80 प्रतिशत तो सीएनवी और एनआईपी के लिए अपनाई गई उत्पादन लागत के बीच अंतर और अधिक बढ़ जाएगा। स्पष्ट रूप से प्राधिकारी के समक्ष बिल्कुल गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

60. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (घ) के अनुसार अनुच्छेद 15(क) के पैराग्राफ (ii) के प्रावधान की समाप्ति से स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाए। चीन जन. गण. के ऊपर आयातक डब्ल्यूटीओ देश के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह सिद्ध करने का दायित्व है कि वह उक्त पैराग्राफ (क) के प्रावधानों के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था है जिसका निर्वहन उन्होंने अभी तक नहीं किया है।
- ii. चीन जन. गण. को पिछले तीन वर्षों में भारतीय प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा सभी पाटनरोधी जांचों में निरंतर एनएमई माना जा रहा है। इस आधार पर चीन जन. गण. को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ एनएमई मानना वैध है और प्राधिकारी को जब तक चीन के विशिष्ट उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा अन्यथा न सिद्ध किया जाए। चीन के लिए सामान्य मूल्य को एनएमई शर्तों के अंतर्गत निर्धारित करना चाहिए।
- iii. किसी भी भागीदार निर्यातक ने वर्तमान जांच में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है।
- iv. प्राधिकारी को यदि आवश्यक हो, तो समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक प्रदत्त या देय किसी तर्कसंगत आधार पर उसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करके सामान्य मूल्य परिकलित करना चाहिए, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए अपेक्षित जानकारी या ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत की जानकारी घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध नहीं है और उसने अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा भी उसे प्रदान नहीं किया गया है।
- v. वर्तमान जांच में प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करना चाहिए और उसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करना चाहिए।
- vi. चीन से क्षति अवधि में भारत को पीयूसी का निर्यात करने वाले लगभग 92 उत्पादकों / निर्यातकों में से केवल दो समूहों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। शीर्ष 9 निर्यातकों का पीओआई में पीयूसी के निर्यातकों में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

- vii. संबद्ध देश से निर्यातकों / उत्पादकों की भागीदारी बहुत कम है जिसका अर्थ है कि शेष निर्यातकों ने भागीदारी नहीं की है क्योंकि उनका पाटन मार्जिन आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए पाटन मार्जिन से उच्चतर होगा।
- viii. किसी भी भागीदार उत्पादक / निर्यातक ने वर्तमान जांच में पाटन से इंकार नहीं किया है। चूंकि संबद्ध देश से निर्यातकों की भागीदारी कम है इसलिए कुछ निर्यातकों / उत्पादकों के लिए वास्तविक पाटन मार्जिन आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए पाटन मार्जिन की तुलना में काफी अधिक होगा।
- ix. वर्तमान जांच की क्षति अवधि में पाटन और तेज हुआ है। पीयूसी की आयात कीमतें प्रमुख इनपुट की कीमतों में बदलाव के अनुसार नहीं चल रही थीं।
- x. स्पीडोफर के इस दावे के विपरीत कि देश में चीन से पीयूसी का कोई पाटन नहीं हुआ है। तथापि, चीन से उनके स्वयं के आपूर्तिकर्ता ने भी यह सिद्ध करने के लिए वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है कि कोई पाटन नहीं हुआ है।
- xi. चीन में स्पीडोफर के आपूर्तिकर्ता के लिए पाटन मार्जिन आवेदन में दावा किए गए पाटन मार्जिन की तुलना में अधिक है। यह स्पष्ट है कि स्पीडोफर पाटन की प्रक्रिया में शामिल है और भारत में पाटन का लाभभोगी है और उसके द्वारा किया गया यह दावा कि कोई पाटन नहीं हो रहा है। वास्तव में गलत है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य की जांच

61. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई हैं।
62. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी। उत्पादकों / निर्यातकों के निम्नलिखित समूहों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
 - i. हुझोउ हाओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड (उत्पादक) और टोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं., लिमिटेड (निर्यातक)
 - ii. यिबिन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं., लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) और हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं., लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)
63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य का दावा करने के लिए संगत प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

चीन के लिए सामान्य मूल्य

64. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
65. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) और अनुबंध-1 के पैरा 7 पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने को कहा जाना चाहिए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाली उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकल्पित करना चाहिए।
66. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों / निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है

इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार करना अपेक्षित है।

67. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों / सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है। इसलिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसका पाठन निम्नानुसार है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।”

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो तो सामान्य मूल्य, केवल तभी प्राधिकारी सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित कर सकते हैं।
69. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी किसी तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की तीसरी पद्धति को तब अपना सकते हैं, जब उन्होंने पहली पद्धति अर्थात् तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य और दूसरी पद्धति अर्थात् तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के विकल्पों को देख लिया हो। तथापि, यह नोट किया गया है कि पहली दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पक्षकारों द्वारा कोई विश्वसनीय सूचना / साक्ष्य नहीं दिया गया है। भारत को तीसरे देशों से आयात लगभग शून्य है, चूंकि संबद्ध देश का आयातों में लगभग 100 प्रतिशत हिस्सा है। सूचना / साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी के लिए पहली या दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति अर्थात् किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर भारत में उत्पादन लागत तथा तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य परिकलित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य नीचे पाठन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

क. सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

i. हुझोउ हाओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और तोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

70. हुझोउ हाओतोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (हाओतोंग) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। हाओतोंग ने अपने संबंधित व्यापारी तोंगज़ियांग हुआयुआन इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड (तोंगज़ियांग) के जरिए भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
71. पीओआई के दौरान हाओतोंग ने भारत को *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक / निर्यातक ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार कारखानाद्वार स्तर पर इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाठन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है।
- ii. यिबिन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) और हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं, लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

72. यिबिन जिनचुआन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड (यिबिन) और हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं, लिमिटेड (हेंगडियन) दोनों पीयूसी के उत्पादक और निर्यातक हैं। तथापि यिबिन ने अपने संबंधित उत्पादक / निर्यातक हेंगडियन के जरिए भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। हेंगडियन ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे पीयूसी का निर्यात किया है। चूंकि ये कंपनियां संबंधित हैं। इसलिए प्राधिकारी ने समूह के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।
73. पीओआई के दौरान हेंगडियन समूह ने भारत को हेंगडियन के जरिए *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक / निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय बीमा, परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग व्यय आदि के लिए समायोजन का दावा किया है। तदनुसार कारखानाद्वारा स्तर पर इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है।
74. जिन अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है उनके लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

75. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य (अम.डा./मी.ट.)	निर्यात कीमत (अम.डा./मी.ट.)	पाटन मार्जिन (अम.डा./मी.ट.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
1	हुझोऊ हाओटोंग इलैक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड (उत्पादक)	***	***	***	***	60-70
2	यिबिन जिनचुआन इलैक्ट्रॉनिक्स कंलि .. और हेंगडियन ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नेटिक्स कं . लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(40-50)
3	अन्य	***	***	***	***	70-80

76. पाटन मार्जिन चीन जन.गण. से उत्पादक/निर्यातक हुझोऊ हाओटोंग इलैक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड के लिए न्यूनतम से अधिक है।

ज. क्षति तथा कारणात्मक संपर्क की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

77. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- पाटनरोधी नियमावली के तहत कानूनी मानक पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों के संबंध में निष्पादन में ह्रास/कमी है। वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों में ह्रास दर्शाने में सक्षम नहीं रहा है बल्कि उसने सुधार दर्शाया है।
- ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित हो कि वे निष्पादन की जांच करें और उसकी तुलना "निष्पादन हो सकता था" से करें। पाटनरोधी नियमावली में जोर "ह्रास" पर है। प्राधिकारी यह जांच नहीं कर सकते कि क्या निष्पादन में उस सीमा तक सुधार हुआ है, जहां तक सुधार हो सकता था।

- iii. नियमों के तहत सूचीबद्ध विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट अथवा हास महानिदेशक के इस निष्कर्ष पर आने से पूर्व होना ही चाहिए कि घरेलू उद्योग को आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।
- iv. अनुबंध II के पैरा (iv) के अनुसार कानूनी अपेक्षा बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता का विश्लेषण करना है।
- v. यद्यपि घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हुई हैं, तथापि यदि हानियों की क्षति की अवधि में काफी कम हुई हैं तो मात्र वित्तीय हानियों की मौजूदगी क्षति का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- vi. कोस्मो फेराइट लिमिटेड अब एक दशक से अधिक तक हानियों में रहा है। यदि पाटन कारण होता तो उन्हें विगत में हानियां नहीं हुई होती।
- vii. कच्ची सामग्री की कीमतों में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में जांच की अवधि के बाद बिक्री कीमत में वृद्धि यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के बाद सुधार होना ही चाहिए।
- viii. आवेदन ने ही दावा किया है कि 2021-22 एक अपवादात्मक वर्ष था। यह आवेदक का दायित्व है कि वे कारण बताएं और उसे कैसे ठीक/समायोजित किया जाना चाहिए। यदि वर्ष 2021-22 को निकाला जाए तो यह देखा जाएगा कि कोई भी मापदंड यह नहीं दर्शाता कि याचिकाकर्ता को क्षति हुई है।
- ix. चूंकि राजकोषीय वर्ष 2021-22 में अपवादात्मक लाभ में योगदान करने वाली असामान्य स्थितियां रहीं, तथापि प्राधिकारी को अपना मूल्यांकन इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के अब सामान्य निष्पादन पर ही आधार नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाए प्राधिकारी आधार वर्ष 2019-20 से प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कर सकते हैं जिसमें घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अधिक प्रतिनिधिकारक आधार रेखा है।
- x. वर्तमान मामले में पूर्ण दृष्टि से अथवा सापेक्ष दृष्टि से पाटित आयातों में काफी वृद्धि नहीं हुई है, वर्ष 2021-22 से जांच अवधि में गिरावट आई है। खपत के संबंध में आयात जांच की अवधि में सबसे कम हैं।
- xi. उत्पादक द्वारा किए गए निर्यात में वृद्धि, जो कुल निर्यातों का 90% है, का अभिप्राय यह होना चाहिए कि आधार वर्ष के प्रमुख उत्पादकों के निर्यातों में अब गिरावट आई है और उनके भाग न लेने का यह कारण है। तथ्य यह है कि संबद्ध देश के आयातों में गिरावट आई है। कानूनी अपेक्षा यह है कि प्राधिकारी को संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा पर विचार करना चाहिए।
- xii. यहां तक कि यदि वर्ष 2021-22 में आयात अधिकतम थे तो घरेलू उद्योग का आर्थिक निष्पादन वर्ष 2021-22 में सर्वोत्तम था। यह दर्शाता है कि आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है।
- xiii. कीमत कटौती वर्ष 2021-22 में अधिकतम होने के बावजूद घरेलू उद्योग का आर्थिक निष्पादन वर्ष 2021-22 में सर्वोत्तम था, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयात कीमतों से नियंत्रित नहीं थीं।
- xiv. आयातों और आवेदक की बिक्री के बीच कोई संबंध नहीं है। यदि कीमत न्यूनीकरण का कारण आयात होते तो वित्तीय वर्ष 2021-22 अधिकतम हानियां दर्शाएगा जब आयात अधिकतम मात्रा स्तर और अधिकतम कटौती स्तर पर थे। चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कोई कीमत न्यूनीकरण नहीं है।
- xv. आवेदक ने घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री, दोनों बढ़ाए हैं। तथापि, आवेदक ने निर्यात बिक्री के संबंध में ही बिक्री कीमत बढ़ाई है। इस प्रकार, आवेदक की लाभप्रदता निर्यातों के संबंध में बढ़ी है जबकि याचिकाकर्ता ने घरेलू बाजार में हानियों का दावा किया है। इसका अभिप्राय यह है कि याचिकाकर्ता का जोर टीडीके जैसे अन्य घरेलू उत्पादकों के जोर के अनुरूप वास्तविक परिवर्तन पर रहा है, जिसमें उद्योग घरेलू बाजार की तुलना में प्राप्त की जा रही बेहतर कीमतों के कारण निर्यात के लिए इच्छुक है।

- xvi. बिक्री की हानि के संबंध में आवेदक का दावा आधारहीन है क्योंकि भारत में आयातों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आवेदक भारत से अपने निर्यात निरंतर बढ़ा रहा है।
- xvii. खोई हुई बिक्री के वस्तुपरक विश्लेषण के लिए उस बिक्री संबंधी सूचना और साक्ष्य की आवश्यकता होगी जो घरेलू उद्योग द्वारा खोई गई है। इसके लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए आदेशों की सूचना संबंधी आवश्यकता होगी जो बिक्री में नहीं दी गई क्योंकि उसके बाद उपभोक्ताओं ने आयातित सामग्री की खरीद की। खोई हुई बिक्री का साक्ष्य सांख्यिकीय नहीं है। वास्तव में यह खोई हुई बिक्री के दस्तावेज और साक्ष्य है। घरेलू बिक्री के साथ नई नई स्थापित क्षमता की तुलना करते हुए विश्लेषण का अर्थ खोई हुई बिक्री नहीं है।
- xviii. भारत में आयात कीमत और चीन में कच्ची सामग्री की कीमत के बीच का डेल्टा जांच की अवधि में उस समय बढ़ा जब 2019-20 और 2020-21 से तुलना की जाए। आवेदक यह तर्क नहीं दे सकते कि डेल्टा में वर्ष 2021-22 से तुलना करने पर गिरावट आई है क्योंकि आवेदक ने खुद ही 2021-22 अपवादात्मक वर्ष होने का दावा किया है।
- xix. आवेदक ने दावा किया है कि 2021-22 में घरेलू बिक्री कम हुई बिक्री से अधिक थी और वह उसे हासिल कर पाया जिसके परिणामस्वरूप लाभ हुआ। जांच की अवधि में घरेलू बिक्री 2021-22 में घरेलू बिक्री से अधिक है। ऐसी स्थिति में इस कारण लाभप्रदता प्रभावित नहीं हो सकती।
- xx. याचिकाकर्ता के दावे के विपरीत जांच की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आई है। उत्तरदाताओं ने इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के लिए फेरिक आक्साइड की आयात कीमत दी है।
- xxi. संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत 2020-21 के उसी स्तर पर रही। तथापि, आवेदक अपनी बिक्री कीमत 26% तक बढ़ाने में सक्षम था। यह दर्शाता है कि आयात कीमत में वृद्धि न होने के बावजूद बिक्री कीमत में वृद्धि थी।
- xxii. क्षति की अवधि में बेकार क्षमताओं पर प्रचालन करने के बावजूद आवेदक द्वारा क्षमता के विस्तार से जांच की अवधि में क्षति हुई है।
- xxiii. उत्पादन और बिक्री के बीच कोई सह-संबंध नहीं है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि और उसके विपरीत बिक्री में वृद्धि नहीं हुई।
- xxiv. आवेदक ने अपनी कैप्टिव खपत और सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड की कैप्टिव खपत पर विचार नहीं किया है और आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ाने तथा कम मांग दर्शाने के लिए टीडीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की निर्यात बिक्री बढ़ा-चढ़ाकर दी है। यदि सही बिक्री पर विचार किया जाए तो आयातों का बाजार हिस्सा भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से से कम होगा।
- xxv. आवेदक अपने घरेलू प्रभाग अर्थात् अलीशा क्वाल्स एंड ट्रांसफार्मर के भीतर कैप्टिव प्रयोगों के लिए विचाराधीन उत्पाद के अपने उत्पादन के काफी भाग का उपयोग कर रहा है। आवेदक ने अलीशा क्वाल्स एंड ट्रांसफार्मर की कैप्टिव खपत के ब्यौरे नहीं दिए हैं। यदि आवेदक की कैप्टिव बिक्री विचाराधीन उत्पाद के लिए कुल मांग में शामिल की जाए तो आयातों का बाजार हिस्सा भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से से कम होगा।
- xxvi. यहां तक कि यदि क्षति की अवधि के लिए आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विचार किया जाए तो आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में न्यूनतम है और आवेदक का बाजार हिस्सा अधिकतम है।
- xxvii. लाभप्रदता के संबंध में आवेदक के निष्पादन में सुधार हुआ है। आवेदक ने 2021-22 में काफी लाभ कमाया है और उसका यह कारण दिया है कि वह कम कीमतों पर कच्ची सामग्री की खरीद कर पाया है।
- xxviii. आवेदक द्वारा दी गई 2021-22 की ब्याज लागत और मूल्यहास पर विचार करने के बाद जांच की अवधि में लाभप्रदता संबंधी सूचना यह दर्शाती है कि यदि मूल्यहास और ब्याज लागत पर 2021-22 के स्तर पर विचार किया जाए तो फिर आवेदक लाभ में होगा।

- xxix. जांच की अवधि के बाद के आंकड़े घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने में संगत नहीं हैं। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच विशिष्ट परिस्थितियों में संगत है।
- xxx. आवेदक ने उन्हीं बाजारों में चीनी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद निर्यात कीमत काफी अधिक होने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है।
- xxxi. उत्पादन के दिनों की संख्या और बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में आवेदक की औसत मालसूची में गिरावट आई है। आवेदक क्षति की अवधि में अपनी मालसूची बेचने में सक्षम रहा है। जैसे ही घरेलू बिक्री बढ़ी, आयातों में गिरावट आई।
- xxxii. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 कच्ची सामग्री, फेरिक ऑक्साइड और मैगनीज ऑक्साइड की कीमत में वृद्धि; कोविड फैलने के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और चीन में बाढ़ के कारण अब सामान्य था। प्राधिकारी को अब सामान्य परिस्थितियों में घरेलू उद्योग के अब सामान्य निष्पादन पर विचार नहीं करना चाहिए और आधार वर्ष वित्तीय वर्ष, 2019-20 से प्रवृत्ति की जांच करनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ।
- xxxiii. आवेदक और उत्तरदाताओं, दोनों ने यह तर्क दिया है कि 2021-22 अब सामान्य अवधि थी और क्षति विश्लेषण के लिए उसकी अनदेखी की जानी चाहिए। आवेदक ने इन आधारों पर अलग किए जाने की मांग की है कि उसने आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों के कारण अधिक लाभ कमाया और यह कि उसके पास कम कीमत पर कच्ची सामग्री थी। तथापि, आवेदक लागत में वृद्धि और आयात कीमतों में वृद्धि की तुलना में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि का औचित्य बताने में असमर्थ रहा है।
- xxxiv. आवेदक के दावों के विपरीत फेरिक ऑक्साइड की आयात कीमत में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। यहां तक कि जब फेरिक ऑक्साइड में गिरावट आई तो आवेदक ने अपनी बिक्री कीमत, विशेष रूप से वर्तमान जांच की शुरुआत के बाद बढ़ाई है।
- xxxv. साफ्ट फेराइट कोर मार्केट में बढ़ती हुई मांग से निरंतर वृद्धि हुई है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री और चीन (संबद्ध देश) से आयात सभी में मांग पूरी करने के लिए वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में आयात तेजी से कम हुए, जो यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. से आयात भारत में मांग और आपूर्ति अंतराल पूरा करने के लिए ही आ रहे हैं न कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुंचाने के लिए। इस प्रकार, जांच की अवधि में चीन जन.गण. से आयातों से कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।
- xxxvi. चीन में जांच किए गए उत्पादों की लागत भारत के जांच किए गए उत्पादों की लागत से कम है जो कि कच्ची सामग्री और विनिर्माण के स्तर, व्यापक क्षमताओं, दक्ष सेक्टरिंग उपस्करों, बिजली की कम लागत और प्रबंधन के संबंध में लागत संबंधी लाभ के कारण है।
- xxxvii. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता और विचाराधीन उत्पाद के अपने उत्पादन में वृद्धि की। तथापि, जांच की अवधि में उसके क्षमता उपयोग में 13% तक गिरावट आई। जांच की अवधि में क्षमता में वृद्धि से उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यदि याचिकाकर्ता ने क्षमता न बढ़ाई होती तो उसका क्षमता उपयोग अवश्य ही बढ़ गया होता और ईष्टम स्तर तक पहुंच गया होता।
- xxxviii. यह स्पष्ट नहीं है कि केवल आयात आंकड़े अद्यतन होने अथवा विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तनों के कारण ही कर्मचारियों की संख्या में कैसे परिवर्तन आया।
- xxxix. क्षति की अवधि में याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई हानियां जांच की अवधि में यह दर्शाते हुए कम हुई हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है। यह याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट से सिद्ध है, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता की लाभप्रदता जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी है।
- xl. याचिकाकर्ता की क्षमता में वृद्धि काफी विस्तार दर्शाता है जिसके लिए विशिष्ट रूप से काफी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता आवश्यक निधियां जुटाने में सफल रहा है।
- xli. याचिका जानबूझकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में विफल है जिससे संबंधित देश के मूल के आयातों से अलग से घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ। इन कारणों में आंतरिक समस्याएं, वैश्विक रूप से न्यूनीकृत बाजार स्थितियां, कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव, महामारी कोविड-19 का प्रभाव, रूस-यूक्रेन युद्ध, संयंत्र की बंदी आदि शामिल हैं।

- xlii. क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए उपयुक्त आय निकालने हेतु 22% नियोजित पूंजी पर आय अथवा सकल अचल परिसंपत्तियों पर उससे अधिक के संबंध में दावा अत्यधिक बढ़ाया हुआ है और कानून के अनुसार नहीं है।
- xliii. आवेदक, तथाकथित पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने में विफल रहा है। आवेदक के अधिकतर आर्थिक मापदंडों ने सुधार दर्शाया है। इसके अतिरिक्त, तथाकथित पाटित आयातों और आवेदक को हुई क्षति के बीच संबंध समरूपी नहीं है।
- xliv. यह दर्शाना घरेलू उद्योग का दायित्व है कि क्षति का कारण पाटित आयात है। कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी स्वतः नहीं मानी जा सकती।
- xlv. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया उत्पाद प्रमुख इलैक्ट्रॉनिक कंपनियों द्वारा अनुमोदित नहीं है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 की तुलना में आवेदक की निर्यात बिक्री में गिरावट से देखा जा सकता है।
- xlvi. आयातों से आवेदक की कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ा है। उन मामलों में जिनमें आवेदक की गुणवत्ता अनुमोदित है, उत्तरदाताओं ने कम कीमतों पर आयात उपलब्ध होने के बावजूद आवेदक से उत्पाद लिया है।
- xlvii. निचले स्तर के उद्योग द्वारा अपेक्षित आवेदक के पास पूर्ण उत्पाद प्रोफाइल के अभाव में आवेदक अपनी बिक्री और बाजार हिस्सा और बढ़ाने से रुक रहा है।
- xlviii. आवेदक ने उपभोक्ताओं से अपना उत्पाद अनुमोदित कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और इस प्रकार प्रयोक्ताओं के पास आयात को छोड़कर कोई विकल्प नहीं है।
- xlix. आवेदक विगत में स्पीडोफर कम्पोनेंट प्राइवेट लिमिटेड को अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की आपूर्ति करता आ रहा था परंतु कास्पीडोफर कम्पोनेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुणवत्ता संबंधी मुद्दे उठाए जाने के बाद उसने आपूर्ति करना रोक दिया। आवेदक ने प्रयोक्ताओं द्वारा उठाए गए गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए और व्यापार उत्पाद पोर्टफोलियो विकसित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।
- i. आवेदक की आंतरिक कमी के कारण अधिक उत्पादन लागत है। चूंकि कच्ची सामग्री की लागत कुल उत्पादन लागत का 30% ही है, अतः किसी भी दक्ष उत्पादक ने घरेलू बाजार में स्थापित किया होता। इसके अतिरिक्त, आवेदक के दावों के विपरीत कच्ची सामग्री की लागत में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ii. आवेदक प्रौद्योगिकी में और अंतिम उत्पादों में विकासों को बनाए रखने में असमर्थ रहा है।
- iii. ऑटोमोबाइल, ऐरोलॉटिक्स और रक्षा उद्योग शून्य दोष वाले संगठकों की मांग करते हैं और कोस्मो द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद इन अनुप्रयोगों के लिए किसी भी ऑटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा अनुमोदित नहीं है।
- liii. आवेदक ने प्राधिकारी की विगत परिपाटियों का यह दावा करते हुए उल्लेख किया है कि प्राधिकारी ने विगत कई जांचों में यह पाया है कि कई आर्थिक मापदंडों में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, तथापि उन मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के समान नहीं है।
- liv. उत्पादकों/निर्यातकों ने यह अनुरोध किया है कि जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रमुख कच्ची सामग्री (फेरिक ऑक्साइड और मैगनीज ऑक्साइड) की कीमतें काफी बढ़ी थी। तथापि, घरेलू उद्योग ने कीमतें काफी बढ़ने से पूर्व अपनी कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं के साथ आपूर्ति संविदा की थी। अतः, घरेलू उद्योग मई महीनों तक निरंतर कम कीमत पर कच्ची सामग्री खरीदने में सक्षम था परंतु बिक्री की उसी कीमत पर बढ़ी हुई कीमतों के अनुरूप बढ़ी हुई कीमतों पर घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की जिससे अपवादात्मक लाभ वर्ष बना। एतद्वारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे नोट करें कि यह अवसर अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध नहीं था। अतः, याचिकाकर्ता ने अपवादात्मक रूप से अच्छा कमाया। सामान्य परिस्थितियों में, व्यापार के परिणाम के साथ उसकी तुलना किसी भी तरह उपयुक्त तथा औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः, प्राधिकारी इस अवधि के आधार पर तुलना नहीं करेंगे।

- iv. प्राधिकारी आधार वर्ष अर्थात् 2019-20 से प्रवृत्ति की जांच करेंगे जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- lvi. याचिकाकर्ताओं की बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री और संबद्ध देश चीन से आयात मांग में वृद्धि के अनुरूप बढ़े हैं। वस्तुतः पूर्व वर्ष की तुलना करके मांग में गिरावट के साथ जांच की अवधि में आयातों में तेजी से कमी आई है। यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. से आयात भारत में केवल मांग और आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए आ रहे हैं न कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुंचाने के लिए। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयातों से कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- lvii. चीन से आयातित उत्पादों का पहुंच मूल्य जांच किए गए उत्पाद पाउडर यूनिट कीमत में गिरावट के लिए विनिमय दर और कच्ची सामग्री उत्पादन के कारण उतार-चढ़ाव दर्शाता आ रहा है। अप्रैल, 2022 में चीनी युआन विनिमय दर के विरुद्ध डॉलर 1:6.3, नवंबर, 2022 में 1:7.25 मार्च, 2023 में 1.6.98 था। जांच किए गए उत्पादों अर्थात् पाउडरों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री ने भी कीमतों में गिरावट दर्शाई। जांच की अवधि में कच्ची सामग्री की यूनिट कीमत में गिरावट से जांचाधीन उत्पादों की यूनिट कीमत में गिरावट आई, जोकि एक स्वाभाविक बाजार नियम है और चीनी निर्यातकों ने जांचाधीन उत्पादों का पाटन नहीं किया।
- lviii. भारत में विचाराधीन उत्पाद के कच्ची सामग्री पाउडर के विनिर्माण और सेंट्रिंग प्रक्रिया का स्तर चीन से पीछे है और चीन ने जांच किए गए उत्पादों के कच्ची सामग्री पाउडर की लागत भारत में उनकी लागत से कम है।
- lix. चीन ने जांच किए गए उत्पादों के कच्ची सामग्री पाउडर के लिए अपेक्षित आयरन रेड, कच्ची सामग्री की आपूर्ति पर्याप्त है और इसकी कीमत कम है, आयर रेड पाउडर बनाने का 70% है और आयरन रेड स्टील मिलों का अनुषंगी उत्पाद है तथा चीन की इस्पात उत्पादन क्षमता अधिक है और इसीलिए भारत की तुलना में उसको अतुलनीय लाभ है।
- lx. चीन के पास उसकी मिलों में अधिक उन्नत और दक्ष सेंट्रिंग उपस्कर है और चीन में बिजली की कम लागत विचाराधीन उत्पाद की ऊर्जा लागत को अपेक्षाकृत कम बनाती है।
- lxi. जांच किए गए उत्पादों का उत्पादन करने वाले चीन में कारखाने अत्यधिक स्वचालित हैं और जांच किए गए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित श्रम लागत कम है।
- lxii. चीन में कारखानों में एकल विनिर्देशन है जिससे मोल्ड प्रतिस्थापन की बारम्बारता कम हो जाती है और मोल्ड खपत की लागत और प्रबंधन लागत कम हो जाती है।
- lxiii. घरेलू उद्योग साक्ष्य देकर यह कहता है कि उसका निष्पादन कच्ची सामग्री की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में कोविड 19 से हुए व्यवधानों और चीन में बाढ़ जैसे कारकों के कारण 2021-22 में उत्कृष्ट थी। उत्पादक/निर्यातक एतद्वारा अनुरोध करते हैं कि उस निष्पादन को अब सामान्य माना जाना चाहिए। इन घटनाओं से घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धाकर्ताओं में बहुत मिली जिसके परिणामस्वरूप असाधारण रूप से अधिक लाभ हुए। परिणामस्वरूप उत्पादक/निर्यातक प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे तुलना के लिए इस अवधि का प्रयोग न करें और इसकी बजाए उस समय अपने सुधार का सही सही मूल्यांकन प्रदान करने के लिए 2019-20 के स्थिर आधार वर्ष से घरेलू उद्योग की प्रगति का मूल्यांकन करें।
- lxiv. अद्यतन क्षति संबंधी सूचना में याचिकाकर्ता ने कर्मचारी की संख्या 2021-22 के लिए 27 बढ़ाकर आंकड़ों में हेरफेर किया प्रतीत होता है जबकि वह जांच की अवधि में 23 रही। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों के प्राधिकार की पूरी तरह से जांच करें।
- lxv. आवेदक केवल संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहा है और इसीलिए वेबसाइट पर अपलोड की गई उसकी वार्षिक रिपोर्ट कंपनी का वास्तविक निष्पादन दर्शाने वाला माना जाता है। याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट से यह सिद्ध है, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता की लाभप्रदता जांच की अवधि में काफी बढ़ी है।
- lxvi. उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता की संस्थापित क्षमता 100 से बढ़कर 143 होना उनकी उत्पादन क्षमताओं में काफी विस्तार दर्शाता है। यह विस्तार यह बताता है कि याचिकाकर्ता ने सामानों का विनिर्माण करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु अवसंरचना, प्रौद्योगिकी अथवा अन्य

संसाधनों में निवेश किया है। इस विस्तार के लिए विशिष्ट रूप से पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता आवश्यक निधियां जुटाने में सफल रहा है।

lxvii. उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग को हुई कथाकथित रूप से कोई क्षति चीन जन.गण. से आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से हुई है।

lxviii. उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि नियोजित पूंजी पर आय के बढ़े हुए दावे हैं।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

78. घरेलू उद्योग ने क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. कई क्षति संबंधी मापदंडों ने अपवादात्मक परिस्थितियों के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में सुधार दर्शाया है:
 - कच्ची सामग्री की कीमतें बढ़ी। तथापि, घरेलू उद्योग अपनी कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं के साथ पुरानी संविदाओं पर विश्वास करने और कम कीमत पर उन्हें खरीदन में परंतु बिक्री के समय बढ़ी हुई कीमतों के अनुरूप घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम था जिससे अपवादात्मक लाभ हुए।
 - कोविड 19 महामारी से बाहर आकर चीन के सामने आपूर्ति श्रृंखला, पत्तनों पर जकड़, परिवहन की कमी और भाड़े की दरों में वृद्धि की समस्याएं आईं। चीन की कोविड नीति से भी कोविड का पता लगने की स्थिति में पूरे पोर्ट परिवहन टर्मिनल बंद हो गए।
 - चीन में प्रांत बाढ़ तथा इन-फा टाइफोन से प्रभावित थे जिससे आपूर्ति श्रृंखला, प्रचालन और हवाई, समुद्री और रेल कार्गो परिवहन हब की बंदी से भारी व्यवधान आया।
 - विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि थी परंतु चीनी उत्पादक इसे लेने में असमर्थ थे जिससे घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री बढ़ा पाया।
- ii. चीनी निर्यातकों ने इस अवधि के दौरान अधिक कीमतें लगाई जो इस तथ्य से देखा जा सकता है कि पहुंच कीमतें इस वर्ष में अपनी उच्चतम सीमा पर थीं। यद्यपि चीन से आयातों में इस वर्ष में वृद्धि हुई परंतु आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण चीनी निर्यातकों के पास बढ़ी हुई भारतीय मांग को पूरा करने के लिए सीमित क्षमता थी। इससे घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से कुछ राहत मिली और वह लाभप्रद कीमतों पर बढ़ी हुई भारतीय मांग को पूरा कर पाया जो कीमतें उसकी उत्पादन लागत से अधिक थीं जिससे लाभप्रदता की स्थिति बनी।
- iii. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह नहीं बताया कि यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 को क्षति विक्षेपण से अलग किया जाता है तो समायोजन कैसे किए जाएं।
- iv. वित्तीय वर्ष 2021-22 में सुधार को उद्योग-वार देखा जा सकता है न कि केवल घरेलू उद्योग के रूप में। वर्तमान जांच में भाग लेने वाले ट्रांसफार्मर विनिर्माता भी स्थिति का उपयोग करने में सक्षम थे और वित्तीय वर्ष 2021-22 में उन्होंने लाभ कमाए।
- v. यह एक सुस्थापित समझ है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड ह्रास दर्शाए। प्राधिकारी क्षति के सभी मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा समग्र आधार पर क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विगत में कई जांचों का उल्लेख किया है जिनमें कतिपय आर्थिक मापदंडों में सुधार के बावजूद प्राधिकारी ने माना है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- vi. मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। संबद्ध आयातों में बढ़ी हुई मांग को ही नहीं लिया है बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री को भी खा गए हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि मांग में वृद्धि से कहीं कम है।
- vii. एनपीयूसी के संबंध में निष्पादन पाटनरोधी जांच में संगत है क्योंकि दावा विचाराधीन उत्पादन पर क्षति की जांच करने का है। यदि इस दृष्टिकोण को लिया जाए तो फिर बहु-उत्पाद कंपनी, जिसको एक क्षेत्र में

क्षति हुई है और दूसरे क्षेत्र में क्षति नहीं हुई है, पाटित आयातों से संरक्षण के लिए प्राधिकारी के पास जाने में कभी भी सक्षम नहीं होगा।

- viii. पाटनरोधी जांच में निर्यात निष्पादन संगत नहीं है। यद्यपि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा कम हुई, तथापि पाटित आयातों का प्रभाव और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा का निर्धारण करने में इस पर विचार नहीं किया गया था। घरेलू उद्योग ने केवल विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री से संबंधित वित्तीय निष्पादन आंकड़े ही दिए हैं।
- ix. चीन से आयात पूर्ण दृष्टि से बढ़े हैं और जांच की अवधि में गिरावट के साथ प्रस्तावित पूरी क्षति की अवधि में काफी थे। तथापि, संबद्ध आयातों में आधार वर्ष से जांच की अवधि में वृद्धि दर्शाई है। भारत में उत्पादन के संबंध में चीन से आयात क्षति की अवधि में बढ़े।
- x. जांच की अवधि में क्षमता विस्तार के बावजूद घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाया।
- xi. जांच की अवधि के अंत में की गई क्षमता अभिवृद्धि के संबंध में अनुरोध आधारहीन हैं। क्षमता अभिवृद्धियां जांच की अवधि में अधिक समय के लिए प्रचालनात्मक थीं।
- xii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और प्रमुख कच्ची सामग्री लागत के बीच अंतर में चीन से आक्रामक पाटन के कारण जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है।
- xiii. कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि पर आधार वर्ष से विचार किया जा रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा फेरिक ऑक्साइड की खपत में स्पष्ट वृद्धि 2021-22 में उसके द्वारा खरीदी गई कच्ची सामग्री के कारण है परंतु उस वर्ष में उसका उपयोग नहीं किया गया है।
- xiv. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को अपनी बहियों के अनुसार कच्ची सामग्री के अपने वास्तविक खरीद आंकड़े दिए हैं। वास्तविक खरीद मात्रा और फेरिक ऑक्साइड तथा एमएम 304 के मूल्य के आधार पर जांच की अवधि में फेरिक ऑक्साइड और एमएम 304 की कीमतों में गिरावट काफी नहीं हैं और इस गिरावट का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की कुल लागत पर 1% से कम है।
- xv. आयातक/प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों ने प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए जानबूझकर कम फेरिक ऑक्साइड कीमतें सूचित की गईं। 2022-23 में आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों से मेल खाती हैं परंतु आयातक/प्रयोक्ताओं द्वारा सूचित कीमत वास्तविक आयात कीमत से कम है।
- xvi. घरेलू उद्योग की वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिक्री में वृद्धि मांग में वृद्धि से कहीं कम है और बढ़ी हुई मांग का भारी हिस्सा पाटित आयातों द्वारा लिया गया है।
- xvii. चीन में लगभग 92 उत्पादकों/निर्यातकों में से संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के केवल 13 निर्यातकों का जांच की अवधि में भारत को कुल निर्यातों के विचाराधीन उत्पाद की 92 प्रतिशत निर्यात मात्रा है। इन 13 उत्पादकों/निर्यातकों से आयात क्षति की अवधि की तुलना में जांच की अवधि में काफी बढ़े हैं जो यह दर्शाते हैं कि जो 13 उत्पादक/निर्यातक जांच की अवधि में प्रमुख रहे थे वे आधार वर्ष में प्रमुख नहीं थे और उन्होंने क्षति की अवधि में भारत में विचाराधीन उत्पाद की काफी बाजार मांग ली है।
- xviii. भारत को चीन से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में काफी बढ़े हैं। यह निःसंदेह सिद्ध करता है कि वर्तमान मामले में मात्रात्मक प्रभाव है।
- xix. कीमत कटौती केवल सकारात्मक नहीं थी बल्कि काफी भी थी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयात कीमतों में वृद्धि हुई है। तथापि, आयात कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि से कहीं कम है।
- xx. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों और आयात कीमतों में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है। तथापि, आयात कीमतों में वृद्धि कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप नहीं है। कच्ची सामग्री की लागतों और बिक्री खर्चों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखे बिना बिक्री कीमतों में वृद्धि कीमतों का विश्लेषण करना मूल रूप से कमी पूर्ण है।
- xxi. कीमत कटौती की मौजूदगी कीमत प्रभाव निर्धारित करने के लिए संगत मानदंड हैं न कि कीमत कटौती की मात्रा।

- xxii. चूंकि कीमत कटौती घरेलू उद्योग की औसत आयात कीमत और औसत घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर परिकल्पित की जाती है अतः कुछ बिक्री और आयात कीमत हो सकती है जो उसी समय नहीं हो रही थी। जिसके परिणामस्वरूप औसत कीमत कटौती की बजाए अलग अलग कीमत कटौती हुई।
- xxiii. यह सिद्ध है कि चीन में इनपुट लागत जांच की अवधि में वृद्धि दर्शाती है जबकि आयातों की पहुंच कीमत तेजी से कम हुई है। परिणामस्वरूप, संबद्ध आयातों का डेल्टा जांच की अवधि में काफी गिरावट दर्शाता है। जांच की अवधि में कच्ची सामग्री की लागत काफी चढ़ने के बावजूद भारत को निर्यातों की कीमत की घटती हुई पूर्ति रही है।
- xxiv. भारत ने बढ़ी हुई मांग और आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के साथ, यदि निर्यातक कम कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात जारी रखते हैं, घरेलू उद्योग के निष्पादन को काफी प्रभावित करेंगे क्योंकि अधिकतर मांग अब चीनी निर्यातकों द्वारा पूरी की जा रही है।
- xxv. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में अपने विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करने के लिए मजबूर रहा है जिससे वित्तीय वर्ष 2021-22, जो एक अपवाद था, को छोड़कर सभी वर्षों में उसे हानियां हुईं। इसके अतिरिक्त, पाटित आयातों को छोड़कर उत्पादन लागत से कम पर उत्पाद की बिक्री करने का कोई कारण नहीं है।
- xxvi. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में इनपुट कीमतों में वृद्धि के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है और कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के बावजूद और गिरावट आई। अतः, आयातों की पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों का काफी न्यूनीकरण कर रही हैं।
- xxvii. घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन जांच की अवधि में कुछ गिरावट के साथ क्षति की अवधि में बढ़ा, परंतु घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि में कम रहा है।
- xxviii. वर्ष 2021-22 को छोड़कर इसे हासिल करने के लिए अपेक्षित वास्तविक बिक्री और बिक्री मात्रा के बीच भारी अंतर है।
- xxix. वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभ यह दर्शाता है कि चीन से पाटित आयात, घरेलू उद्योग अपना उत्पादन और घरेलू बिक्री बढ़ाकर भारत में प्रयोक्ताओं की मांग पूरा कर सकता है। ग्राहक पाटित कीमतें सस्ती होने के कारण आयातों के कारण केवल घरेलू उद्योग से खरीद करने की बजाए पाटित आयातों को प्राथमिकता देते हैं।
- xxx. घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय 2021-22 को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रहा है। यद्यपि, घरेलू उद्योग की हानियों में जांच की अवधि में गिरावट आई, तथापि हानियां काफी बड़े स्तर पर हैं।
- xxxi. इस तथ्य कि हानियों से क्षति की अवधि में गिरावट आई, का यह अभिप्राय नहीं है कि घरेलू उद्योग को अब क्षति नहीं है, इसकी अपेक्षा घरेलू उद्योग को पूरी अवधि में क्षति रही है। इन हानियों का कारण स्वीकार्य रूप से केवल पाटन है।
- xxxii. ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि जांच की अवधि में क्षमता में वृद्धि के कारण है। यह सांविधिक और लागत लेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- xxxiii. खर्चों में वृद्धि घरेलू उद्योग के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्राधिकारी को सूचित किए गए हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें विधिवत् सत्यापित किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, क्षमता विस्तार के कारण मूल्यहास और ब्याज लागतों पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग अब भी हानियों में है।
- xxxiv. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची पूरी क्षति अवधि में स्थिर थी। अधिकतर महीनों के अंत में अंतिम मालसूची जांच की अवधि के अंत में अंतिम मालसूची से काफी अधिक थीं।
- xxxv. जांच की अवधि में उत्पादन ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई जबकि घरेलू बिक्री, मालसूची और बाजार हिस्सा वृद्धि दर्शाते हैं। कीमत मापदंड जांच की अवधि में, जांच की अवधि की तरह नकारात्मक वृद्धि में लौटे हैं।

- xxxvi. घरेलू उद्योग ने अपने विनिर्माण इकाई में नए निवेश किए थे और वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहता है। पाटन से और क्षमता बढ़ाने के लिए और भारत में पूरी मांग पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता काफी प्रभावित हुई है क्योंकि चीन से आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे खुलने के बाद लाभ फिर से हानियां में चले गए।
- xxxvii. सभी ज्यामितियों की निर्यात कीमत घरेलू बिक्री कीमत से कहीं अधिक है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में लाभप्रद कीमत लेने में अक्षमता देश में पाटित आयातों के कारण है, अतः घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में हानियां हो रही हैं।
- xxxviii. घरेलू उद्योग की हानियां कीमतों में काफी गिरावट के कारण जांच की अवधि के बाद अवधि में और बढ़ी।
- xxxix. घरेलू उद्योग की दो इकाईयां – सीएफआर और एसीटी हैं, जो उसी कानूनी कंपनी का भाग हैं परंतु उनमें से प्रत्येक के लिए पृथक लेखांकन रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अतः, एसीटी को साफ्ट फेराइट की बिक्री को घरेलू बिक्री के रूप में दर्शाई गई है न कि कैप्टिव खपत के रूप में।
- xl. घरेलू बिक्री मात्रा का अनुमान बाजार आसूचना के आधार पर किया गया है। टीडीके में कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि उसने अपने सभी उत्पादों के 50-60% का निर्यात किया है। यह दर्शाने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है कि टीडीके के निर्यात केवल 40% थे अथवा यह कि घरेलू ने टीडीके का उत्पादन कम बताया है।
- xli. कानूनी मानक यह है कि सभी निष्पादन मापदंड क्षति सिद्ध करने के लिए ह्रास दर्शाने की आवश्यकता नहीं है और पूर्व पाटनरोधी जांचों में कुछ आर्थिक मापदंडों में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति में होना माना गया था।
- xlii. हानियों में कमी यह नहीं दर्शाता कि क्षति नहीं है बल्कि इसकी अपेक्षा हानियों की मौजूदगी पाटित आयातों के कारण दर्शाती है।
- xliii. यह दर्शाने के लिए सबूत का भार कि पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से क्षति हुई है हितबद्ध पक्षकारों पर है जिन्होंने इस संबंध में कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दिया है।
- xliv. कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि आधार वर्ष से मानी जा रही है। घरेलू उद्योग द्वारा फेरिक ऑक्साइड की खपत में स्पष्ट वृद्धि 2021-22 में उसके द्वारा खरीदी गई कच्ची सामग्री की मालसूची के कारण है जिसे वह उस वर्ष में उपयोग नहीं कर पाया।
- xlvi. अतः उसकी कीमतें आयात कीमतों को छोड़कर अन्य कारकों से प्रभावित हैं। सूचीबद्ध आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष यह संकेत नहीं देता कि आयात कीमतों और घरेलू उद्योग की कीमतों के बीच कोई सह-संबंध है।
- xlvii. यह दर्शाने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दिया गया है कि उत्पादन और घरेलू उद्योग की बिक्री के बीच कोई सह-संबंध है अथवा इसमें "अन्य कारक" शामिल हैं।
- xlviii. सीसीसीएमई और निर्यातकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्षति विश्लेषण से अलग किए जाने का तर्क दिया है। कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने उपयुक्तता से अधिक अपनी कीमतें बढ़ाई। कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए हैं।
- xlix. लाभ प्राप्त करने वाले चीनी निर्यातक भारत में संबद्ध सामानों के पाटन का औचित्य नहीं बताते।
- l. प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी रही है कि वे एनआईपी निर्धारित करते समय 22% आरओसीई पर विचार करें।
- l. प्राधिकारी ने कई ओईएम से अनुमोदन प्रदान किए हैं जिनको उसके ट्रांसफार्मर डिविजन, एलीशा कॉयल्स और ट्रांसफार्मर ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग करके ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग ने कई ओईएम की विनिर्देशन शीटें भी दी हैं जिनमें घरेलू उद्योग आपूर्ति किया गया विचाराधीन उत्पाद प्रयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। यहां तक कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी अलीशा क्वाल्यस एंड ट्रांसफार्मर घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए साफ्ट फेराइट का प्रयोग करके

- ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति करता रहा है। घरेलू उद्योग ने व्यापारी के माध्यम से जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की है।
- ii. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाते हुए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया विचाराधीन उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद की तुलना में उनके गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहा है।
 - lii. घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में उठाए गए सभी असिद्ध गुणवत्ता मुद्दों को हल किया है। घरेलू उद्योग ने इन हितबद्ध पक्षकारों को की गई आपूर्ति के सबूत भी दिए हैं। घरेलू उद्योग ने विकटर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सभी मुद्दों को हल किया है।
 - liii. आयातक/प्रयोक्ता एडीए के अनुच्छेद 3.1 और पाकिस्तान – बीओपीपी फिल्म (यूएई) और कोरिया – न्यूमेटिक वाल्व में डब्ल्यूटीओ पैनेल रिपोर्टों की आयातकों/प्रयोक्ताओं के अनुरोधों में “सकारात्मक साक्ष्य” प्रदान करने में आयातक/प्रयोक्ता विफल रहे हैं।
 - liv. सबूत का आरंभिक भार उनके द्वारा आरोपित मुद्दों पर साक्ष्य देने का आयातक/प्रयोक्ता पर है, जैसा कि एक सुस्थापित सिद्धांत है जो डब्ल्यूटीओ द्वारा माना गया है।
 - lv. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों का लगभग 98-99% है। संबद्ध देशों से आयातों को छोड़कर अन्य देशों से आयात न्यूनतम सीमाओं से कम है और इसीलिए अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते।
 - lvi. संबद्ध देशों के लिए मांग में जांच की अवधि में काफी गिरावट के साथ क्षति की अवधि में बढ़ी है। चूंकि घरेलू उद्योग में काफी उपयोग में न लाई गई क्षमताएं हैं अतः मांग में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती।
 - lvii. भारत में खपत का पैटर्न विचाराधीन उत्पाद के संबंध में नहीं बदला है। अतः, घरेलू उद्योग को क्षति उसके कारण नहीं है।
 - lviii. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां/प्रतिस्पर्धाएं नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का आधार माना जा सकता हो।
 - lix. प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
 - lx. यद्यपि घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा जांच की अवधि में घटी, तथापि उसके निर्यात निष्पादन पर पाटित आयतों के प्रभाव और क्षति की मात्रा निर्धारित करते समय विचार नहीं किया गया है। अतः याचिका में दावा की गई क्षति निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।
 - lxi. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में ही प्रमुख रूप से लगा हुआ है। याचिका में दावा की गई क्षति केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है और उसमें अन्य किन्हीं उत्पादों की लाभप्रदता शामिल नहीं है।
 - lxii. आयातक/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तावित मापदंड कारणात्मक संपर्क स्थापित करने के लिए कभी लागू नहीं किए गए हैं।
 - lxiii. कीमत कटौती की मौजूदगी और उसका काफी होना संगत नहीं है बल्कि उसकी मात्रा नहीं है। कीमत कटौती में सुधार बाजार स्थितियों और कोविड-19 के कारण था।
 - lxiv. एमएसएमई की रक्षा का प्रयोग कर आयातक/प्रयोक्ता, जब वे यह दर्शाने के लिए सकारात्मक साक्ष्य देने में विफल रहे कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन को छोड़कर किसी कारण क्षति हुई थी, यह संकेत देता है कि ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।
 - lxv. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र घरेलू उद्योग के वास्तविक उत्पादन आंकड़ों के आधार पर प्रतिबंधित है। पूर्ण उत्पाद फाइल की मौजूदगी घरेलू उद्योग को क्षति के लिए मानदंड नहीं है।

- lxvi. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग अथवा एसीटी से ओईएम और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बिक्रियों का अनुमोदन और बीजक रिकॉर्ड में है। विचाराधीन उत्पाद के व्यापक प्रयोग को देखते हुए घरेलू उद्योग से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे सभी ग्राहकों से अनुमोदन लें।
- lxvii. यह दावा कि घरेलू उद्योग को क्षति सीमित प्रचालनों के कारण अनुमोदन लेने में उसकी अक्षमता के कारण है, का कोई औचित्य नहीं है।
- lxviii. आयातकों/प्रयोक्ताओं ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र में अपनी कैप्टिव खपत सूचित नहीं की है। इस संबंध में यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग की दो ईकाइयां अर्थात् सीएफआर डिविजन और एलीशा कॉयल्स एंड ट्रांसफार्मर्स ("एसीटी") हैं। एसीटी ट्रांसफार्मरों के उत्पादन और बिक्रियों में लगा हुआ है।
- lxix. आयातक/निर्यातक पुनः यह मानने में विफल रहे हैं कि आयात मात्रा वास्तविक खपत और आयातित कीमत के बराबर नहीं हैं। घरेलू उद्योग की बहियों में फेरिक आक्साइड की खपत कीमत घरेलू उद्योग के पास पड़ी कच्ची सामग्री की मालसूची के कारण वृद्धि दर्शाती है जो 2021-22 में खरीदी गई थी, जब कीमतें अधिक थीं परंतु उसी वर्ष में उपयोग में नहीं लाई जा सकीं।
- lxx. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति विश्लेषण में 2021-22 पर विचार किए जाने के संबंध में विरोधी विचार दिए हैं। आयातकों/प्रयोक्ताओं के पूरे तर्क 2021-22 में घरेलू उद्योग के असामान्य निष्पादन पर आधारित हैं जबकि सीसीसीएमई और निर्यातकों ने 2021-22 को क्षति विश्लेषण से अलग करने का तर्क दिया है।
- lxxi. आयातकों/प्रयोक्ताओं ने झूठे आरोप लगाए हैं कि घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात के रिकॉर्ड संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात केवल 2021-22 और 2022-23 में किया है। वर्ष 2020-21 में सूचित लेनदेन आयात के नहीं हैं बल्कि निर्यातित उत्पाद की वापसी के हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात उसके उत्पादन, बिक्री और देश में मांग के 1% से कम हैं।
- lxxii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि काफी कीमत कटौती और उसकी मौजूदगी मानदंड है न कि कीमत कटौती की मात्रा। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग उस अवधि में विद्यमान बाजार स्थितियों के कारण काफी कीमत कटौती के बावजूद सुधार करने में सक्षम था। कोविड-19 ने उस वर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- lxxiii. घरेलू उद्योग का उत्पादन पूर्व वर्ष की तुलना में घटा। डब्ल्यूटीओ कानून के अनुसार उत्पादन में किसी भी वृद्धि का मूल्यांकन क्षति निर्धारित करने के लिए मांग में वृद्धि के साथ किया जाना चाहिए। उद्योग का उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण भारत में बढ़ती हुई मांग से मेल नहीं खाता जो क्षति दर्शाता है।
- lxxiv. हानियों में कमी यह नहीं दर्शाती कि क्षति नहीं है बल्कि हानियों की मौजूदगी ही पाटित आयातों के कारण क्षति दर्शाती है। अब सामान्य और असाधारण परिस्थितियों के कारण एक वर्ष में लाभ यह दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- lxxv. अन्य हितबद्ध पक्षकार आधार वर्ष से घरेलू उद्योग के जांच की अवधि के निष्पादन की तुलना करके कुछ मात्रा और कीमत मानदंडों का विश्लेषण करने में चुनिंदा रहे हैं और उन्होंने क्षति की अवधि के बीच की प्रवृत्ति की पूरी अनदेखी की है। यह चुनिंदा दृष्टिकोण न्यायिक पूर्वोदाहरणों का विरोधाभासी है और पूरे चार वर्ष की क्षति अवधि में आंकड़ों का मूल्यांकन करने के प्रयोजन को कम करता है।
- lxxvi. यूरोपीय समुदायों से व्हीट ग्लूटेन के आयातों के संबंध में यूनाइटेड स्टेट्स – निश्चयात्मक रक्षोपाय में अपीलिय निकाय भी नोट करता है कि जब पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक घरेलू उद्योग को स्थिति को प्रभावित कर रहे हों तो कारणात्मक संपर्क मौजूद हो सकता है।
- lxxvii. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभों के निमित्त घरेलू उद्योग के कारण पाटित आयातों क्षति के बीच वर्तमान जांच में कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है, प्राधिकारी के समक्ष कोई अन्य "ज्ञात" कारक नहीं लाए अथवा कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

lxxviii. यह दर्शाने के लिए कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से क्षति हुई है, किसी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में यह नोट करना अत्यधिक अनुपयुक्त होगा कि किसी अप-सामान्य वर्ष में घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों के कारण वर्तमान जांच में कोई कारणात्मक संपर्क है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

79. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “.....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए..... ” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
80. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।
81. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग के कुछ आर्थिक मानदंडों ने सुधार दर्शाया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करने हेतु सभी मापदंडों का हास दर्शाना आवश्यक नहीं है, भले ही घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की अपवादात्मक परिस्थितियों के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में सुधार के बावजूद पाटित आयातों के कारण है।
82. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि नियोजित पूंजी पर 22% आय स्वीकार्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पूर्व में की गई सभी जांचों में प्राधिकारी की सतत परिपाटी है।
83. ओईएम से घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद के अनुमोदनों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने ट्रांसफार्मर डिविजन अलीशा कॉयल्स एंड ट्रांसफार्मरस से ओईएम को की गई बिक्री के नमूनों के बीजकों के रूप में ओईएम को की गई आपूर्तियों, कुछ ओईएम जिनको उसके ट्रांसफार्मर डिविजन से अनुमोदनों, घरेलू उद्योग द्वारा ओईएम को की गई बिक्री के नमूना बीजकों के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों को की गई बिक्री के भी नमूना बीजक दिए हैं।
84. मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को हानियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि जांच की अवधि के मूल्यहास और ब्याज लागत को वित्तीय वर्ष 2021-22 के मूल्यहास और ब्याज लागत में बदला जाए तो घरेलू उद्योग फिर भी हानियों में है।
85. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षमता जांच की अवधि के अंत में बढ़ाई गई थी और उस पर आनुपातिक रूप से विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की विस्तारित क्षमता पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी क्षति की अवधि में बढ़े हैं, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की लेखा परीक्षित लेखा बहियों के अनुसार आंकड़ों पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों का संज्ञान लिया है कि उसकी अस्थायी लाभप्रदता से उसे बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की मजदूरी और वेतनवृद्धि पुनः बनाने और क्षमता वृद्धि करने का अवसर मिला है।
87. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग अपने घरेलू डिविजन अर्थात् अलीशा कॉयल्स एंड ट्रांसफार्मरस के अन्तर्गत कैप्टिव प्रयोगों के लिए विचाराधीन उत्पाद के अपने उत्पादन के काफी भाग का उपयोग कर रहा है और उसने विचाराधीन उत्पाद की कैप्टिव खपत के ब्यौरे नहीं दिए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के दो डिविजन, सीएफआर डिविजन और एसीटी डिविजन हैं। जीएसटी विनियमों के अनुसार सीएफआर डिविजन द्वारा एसीटी डिविजन को की गई बिक्री आपूर्ति के रूप में मानी गई है और इस प्रकार जीएसटी का विषय है तथा सीएफआर

डिविजन की बहियों में बिक्री और एसीटी डिविजन की बहियों में खरीद के रूप में सूचित की गई। घरेलू उद्योग ने एसीटी डिविजन को की गई विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के लिए जीएसटी बीजक भी दिए हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग परिकलन में घरेलू उद्योग द्वारा एसीटी डिविजन को की गई विचाराधीन उत्पाद की बिक्री शामिल है। अतः विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग के परिकलन में कोई त्रुटि नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए अनुसार में भी एसीटी डिविजन को की गई बिक्री शामिल है। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि एसीटी डिविजन को बिक्री कीमत असंबद्ध ग्राहकों की कीमतों से तुलनीय है।

ज.3.2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत

88. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से लिए गए लेन-देनवार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। इस प्रकार परिकलित मांग/स्पष्ट खपत निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	95	129
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	113
चीन से संबद्ध आयात	मी.टन	1,979	2,276	2,874	2,160
अन्य देशों से आयात	मी.टन	30	36	50	28
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	120	114

89. यह देखा जाता है कि 2021-22 तक मांग बढ़ी और फिर जांच की अवधि में आंशिक रूप से घटी। घरेलू उद्योग की बिक्री क्षति की अवधि में बढ़ी है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री उपलब्ध क्षमता के अनुरूप नहीं बढ़ी है। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के पास बेकार क्षमताओं के बावजूद काफी मांग आयातों से पूरी की गई है।

ख) भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात मात्रा

90. प्राधिकारी ने क्षति जांच अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए घरेलू उत्पादन और मांग के साथ आयातों की तुलना करके पूर्ण दृष्टि और सापेक्ष दृष्टि, दोनों में संबद्ध देश से आयातों का विश्लेषण किया है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
चीन से आयात	मी.ट.	1,979	2,276	2,874	2,160
भारतीय मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	120	114
भारतीय उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	110	112
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश के आयात -					
भारतीय मांग	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	122	96
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	133	98

91. यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा जांच की अवधि में थोड़ी सी गिरावट के साथ क्षति अवधि में बढ़े हैं। संबद्ध देश से आयात पूरी क्षति अवधि में काफी रहे हैं। उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग के पास उपयोग में न लाई गई काफी क्षमताओं के बावजूद काफी अधिक रहे।
92. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात 2021-22 तक बढ़े परंतु जांच की अवधि में उनमें गिरावट आई।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

93. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क) कीमत कटौती

94. कीमत कटौती जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना करके निर्धारित की गई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	2,16,967	2,27,701	2,89,471	274,618
निवल बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज %	0-10	30-40	60-70	35-45

95. यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम है और क्षति की अवधि में तथा जांच की अवधि में इससे सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

96. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों को कम करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	121	131
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	205	166
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	2,16,967	2,27,701	2,89,471	2,74,618

वृद्धि/(कमी)					
बिक्री लागत	रु./मी.ट.		(***)	***	***
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.		***	***	(***)
पहुंच कीमत	रु./मी.ट.		10,734	61,770	-14,853

97. यह देखा जाता है कि यद्यपि जांच की अवधि में बिक्री लागत ***भारतीय रुपए प्रति मी.ट. तक बढ़ी, तथापि बिक्री कीमत में ***भारतीय रुपए प्रति मी.ट. तक गिरावट आई। जांच की अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण काफी गिरावट आई। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत वित्तीय वर्ष 2021-22 को छोड़कर क्षति की अवधि में बिक्री लागत से कम है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

98. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

99. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित थी:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	143
संयंत्र उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	125	124
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	125	87
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	128	125
विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में क्षमता विस्तार के बावजूद पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख) बाजार हिस्सा

101. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और आयातों का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध देश का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	121	96
अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	138	80
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	79	113
अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	83	98
कुल भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	82	104
कुल	%	100%	100%	100%	100%

102. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में सुधार हुआ है परंतु घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता की अपेक्षा काफी कम रहा है।

ग) मालसूची

103. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
आरंभिक	मी.टन	***	***	***	***
अंतिम	मी.टन	***	***	***	***
औसत	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	70	73

104. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची अधिकतर क्षति की अवधि में स्थिर रही है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

105. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
लाभ/(हानि)	र./मी.ट.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(31)	88	(42)
लाभ/(हानि)	लाख र.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(25)	84	(54)

नकद लाभ	लाख रु.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(9)	129	(39)
पीवीआईटी	लाख रु.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(15)	122	(32)
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(18)	120	(14)

106. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और आरओसीई 2021-22, जो घरेलू उद्योग के लिए अपवादात्मक वर्ष था, को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रही।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और वेतन तथा मजदूरी

107. प्राधिकारी ने रोजगार, वेतन और मजदूरी तथा उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है जो कि नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	128	125
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	127	123
उत्पादन/कर्मचारी	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	101
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	157	171
वेतन और मजदूरी/कर्मचारी (रु.)	रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	124	138

108. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन 2021-22 तक बढ़ा है और तत्काल पूर्व वर्ष से जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें दी गई मजदूरी भी बढ़ी है।

च) वृद्धि

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
उत्पादन (मी.ट.)	वर्ष/ वर्ष		0.95%	26.59%	-2.35%
घरेलू बिक्री (मी.ट.)	वर्ष/ वर्ष		-19.16%	18.05%	34.90%
पीवीटी (लाख रु.)	वर्ष/ वर्ष		74.79%	432.77%	-164.14%
मालसूची (मी.ट.)	वर्ष/ वर्ष		-16.26%	-16.87%	5.35%
बाजार हिस्सा (%)	वर्ष/ वर्ष		-21.49%	0.99%	42.05%

नकद लाभ (लाख रु.)	वर्ष/ वर्ष	90.93%	1520.72%	-130.41%
आरओसीई (%)	वर्ष/ वर्ष	81.96%	767.14%	-111.48%

109. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन का उत्पादन, पीबीटी, मालसूची, नकद लाभ, आरओसीई जैसे कई मापदंडों में ह्रास हुआ है और बिक्री तथा बाजार हिस्सा कुछ मापदंडों में सुधार हुआ है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने में क्षमता पर प्रभाव

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु नए निवेश किए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ रहा है और पाटित आयातों के कारण उसे हानियां हो रही हैं।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

111. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी और इसीलिए आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। आयातकों ने तर्क दिया है कि टीडीके इंडिया लाभ पर और अधिक उच्चतर कीमतों पर बिक्री कर रहा है। तथापि, अन्य पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ऐसे अन्य कारक हैं जो घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

झ) पाटन की मात्रा

112. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन काफी है और न्यूनतम से अधिक है।

ञ) गैर-आरोपण विश्लेषण

113. क्षति की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और मात्रा की जांच कर लेने पर प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नियमावली के तहत सूचीबद्ध किए गए अनुसार पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक से हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

114. यह नोट किया जाता है कि किसी अन्य देश से नगण्य आयात हैं। संबद्ध देश से आयात भारत में आयातों के 97% हैं। अतः तीसरे देशों से आयातों के कारण क्षति नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

115. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग जांच की अवधि में थोड़ी सी गिरावट के साथ निरंतर बढ़ी है। संबद्ध सामानों के लिए मांग बढ़ते रहने की उम्मीद है। घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

116. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ) व्यापार प्रतिस्पर्धा की स्थितियां तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हों।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

118. अन्य पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक प्रौद्योगिकी में विकासों के अनुरूप गति बनाने में विफल रहा है। घरेलू उद्योग ने प्रति-तर्क दिया है कि प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई विकास नहीं है कि घरेलू उद्योग उसको न बनाए रख सके। घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार भी किया है।

च) उत्पादकता

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति की अवधि में बढ़ी है। अतः, घरेलू उद्योग को इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

120. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना उसके घरेलू बाजार के अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति घरेलू के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

121. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ) क्षति मार्जिन की मात्रा

122. नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन और निकाले गए क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है जो कि निम्नलिखित है:

क्र.सं.	विवरण	क्षतिरहित कीमत (अम.ट.मी./डा.)	पहुंच कीमत (अम.ट.मी./डा.)	क्षति मार्जिन (अम.ट.मी./डा.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
1	हुझोऊ हाओटोंग इलैक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड (उत्पादक) टोंगजियांग हुआयुआन इलैक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) और	***	***	***	***	20-30
2	यिबिन जिनचुआन इलैक्ट्रॉनिक्स कं., लि. (उत्पादक/निर्यातक) और हेंगडियान ग्रुप डीएमईजीसी मैगनेटिक्स कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक)	***	***	(***)	(***)	(50-60)
3	अन्य	***	***	***	***	30-40

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

123. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- आवेदक ने यह गलत दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद अंतिम प्रयोग के उत्पादों में छोटा संगठक है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उनकी लागतों और कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- भारत में लगभग 4,000 ट्रांसफार्मर उत्पादक हैं जो प्रमुख रूप से एमएसएमई में हैं। विचाराधीन उत्पादन उनकी कुल उत्पाद लागत का 30-40% है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से ट्रांसफार्मरों की लागतों में भारी वृद्धि होगी। आवेदक ने पाटन मार्जिन के रूप में 80-90% और क्षति मार्जिन के रूप में 40-50% निर्धारित किया है। ट्रांसफार्मर उत्पादक पहले ही आयातों से काफी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं और इस बढ़ी हुई लागत से भारत में ट्रांसफार्मर उद्योग का पूरी तरह सफाया हो जाएगा।

- iii. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना भारत सरकार की इलैक्ट्रॉनिक संगठकों सेमी-कंडक्टरों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण के संवर्धन की योजना के प्रति हानिकारक होगा।
- iv. 80% ट्रांसफार्मर बाजार की पूर्ति पहली ही आयातों से की जाती है। यदि लागत बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर विनिर्माता बड़ी हुई लागत आगे लगाने में सक्षम नहीं होंगे, विशेष रूप से तब जब यह लागत वृद्धि चुनिंदा रूप से घरेलू उद्योग के लिए होगी न कि ट्रांसफार्मरों के चीनी विनिर्माताओं अथवा निर्यातकों के लिए। इस प्रकार, ट्रांसफर विनिर्माता पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद शेष 20% बाजार हिस्सा खो देंगे।
- v. आवेदक के इन दावों के विपरीत कि विचाराधीन उत्पाद की लागत ट्रांसफार्मर की लागत के 15% है, विचाराधीन उत्पाद के कारण लागत ट्रांसफार्मर की लागत का 30-40% है।
- vi. आवेदक ने दावा किया है कि 15% पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव ट्रांसफार्मर उद्योग पर 3.5% होगा जबकि उनके अनुप्रयोग में वे 70-80% पाटन मार्जिन ले रहे हैं। इस प्रकार, यदि प्राधिकारी 50-60% की रेंज में शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं तो कम से कम 14-15% की रेंज में प्रभाव होगा। ट्रांसफार्मर उद्योग अत्यधिक कीमत संचालित उद्योग है। इसका अभिप्राय यह है कि ट्रांसफार्मर उत्पादकों को आयात कीमत से प्रतिस्पर्धा करनी होगी और अन्ततः उन्हें व्यापार से बाहर जाना होगा।
- vii. आवेदक बाजार में अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की बिक्री नहीं करता। पाटनरोधी शुल्क से अनग्राउंडेड सॉफ्ट फेराइट कोर का आयात गैर-अर्थम हो जाएगा। यदि आवेदक पाटनरोधी शुल्क से अपनी कीमत बढ़ाता है तो इससे निचले स्तर का प्रयोक्ता उद्योग केवल घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचाते हुए मर जाएगा।
- viii. पाटनरोधी शुल्क तथा स्पीडोफर कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई मूल्यवृद्धि के बाद अनग्राउंडेड आयातों की पहुंच कीमत कास्मो फेराइट लिमिटेड की कीमत से काफी अधिक अपनी लागत बढ़ा देगा। स्पीडोफर कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड बाजार में रहने में सक्षम नहीं होगा और अपने प्रचालन बंद कर देगा जिससे काफी रोजगार की हानि होगी।
- ix. देश में अनग्राउंडेड सॉफ्ट फेराइट की खपत देश में ट्रांसफार्मरों की खपत का मुश्किल से 20% है। यह ट्रांसफार्मर उत्पादकों की सुभेद्यता भी दर्शाता है।
- x. वर्तमान आवेदन पत्र व्यापार से उत्तरदाताओं की जड़ बनाने के परोक्ष उद्देश्य से और अपने स्वदेशी डिविजन आलिशा कॉयल्स एंड ट्रांसफार्मरस के लिए उत्तरदाताओं के ग्राहकों की मांग करने के लिए आवेदन-पत्र अनुप्रयोग से लाया गया है। इस स्थिति से बाजार में एकाधिकार की स्थिति बनेगी। यहां तक कि यदि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो आवेदक की भीतरी विनिर्माण इकाई को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति हमेशा निरंतर होगी। यद्यपि उत्तरदाताओं को बड़ी हुई बिक्री लागत की दृष्टि से आसन्न हानि होगी।
- xi. पाटनरोधी शुल्क की मांग क्षमता विस्तार करने में किए गए निवेश को पूरा करने के लिए की जा रही है।
- xii. ट्रांसफार्मर उद्योग और विद्युत आपूर्ति उद्योग में रोजगार सॉफ्ट फेराइट उद्योग की तुलना में बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ट्रांसफार्मर उद्योग मर जाएगा और इस क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- xiii. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पादक के केवल 4 उत्पादक हैं और जिनमें से टीडीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों में लगा हुआ है तथा सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड उनके उत्पादन का काफी हिस्सा कैप्टिव रूप से खपाता है। अतः कोस्मो फेराइट लिमिटेड ही एकमात्र पाटनरोधी शुल्क का लाभग्राही है। इसके विपरीत, भारत में 4000 ट्रांसफार्मर उत्पादक हैं।
- xiv. ट्रांसफार्मर उद्योग अधिक कम लाभ मार्जिन पर प्रचालन कर रहा है, यदि ट्रांसफार्मर उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत इतनी अधिक मात्रा तक बढ़ती है तो सभी ट्रांसफार्मर विनिर्माता अपनी बिक्री पर हानि को देखते हुए व्यापार से बाहर हो जाएंगे।
- xv. इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग ट्रांसफार्मर उद्योग प्रचालनों से पूर्णतः अवगत है क्योंकि उसकी अपनी इकाई ट्रांसफार्मरों का उत्पादन कर रही है और स्पीडोफर कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड, विक्टर जैसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उसकी पहुंच है, यह आश्चर्यजनक है कि कंपनी ने यह तर्क दिया है कि सॉफ्ट फेराइट के

कारण लागतें ट्रांसफार्मर की लागतों का केवल 15% है। वास्तव में सॉफ्ट फेराइट के कारण लागत ट्रांसफार्मर की लागत का 30-40% है।

- xvi. आवेदक ने स्वीकार किया है कि देश में मांग एवं आपूर्ति अंतराल है। टीडीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कोस्मो फेराइट लिमिटेड जैसे भारतीय उत्पादक अपने उत्पादन का भारी हिस्सा निर्यात करते हैं। भारतीय उद्योग भारतीय बाजार में उत्पाद बेचने का इच्छुक नहीं है और इसीलिए भारतीय उद्योग पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद उत्पाद का आयात करने के लिए मजबूर होगा।
- xvii. कास्मो फेराइट लिमिटेड का उत्पाद कई प्रमुख उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा अनुमोदित नहीं है। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो या तो उत्तरदाताओं को शुल्क का भुगतान करने के बाद आयात करना होगा या बिक्री खोनी होगी। शुल्क का भुगतान करने के बाद आयात करना गैर-अर्थक्षम है और वे ट्रांसफार्मरों के सीधे आयातों से कीमत से बाहर हो जाएंगे।
- xviii. उत्तरदाताओं ने यह दावा नहीं किया है कि आवेदक किसी ओईएम द्वारा अनुमोदित नहीं है। उत्तरदाताओं की चिंताएं उन उच्च स्तर के उत्पादों में प्रमुख इलैक्ट्रॉनिक कंपनियों की उत्पाद विशिष्टि के संबंध में ही है जो उत्पाद की गुणवत्ता और शून्य दोष के उत्पाद की मांग करते हैं। इन कंपनियों ने आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद अनुमोदित नहीं किया है।
- xix. उत्तरदाताओं ने यह दर्शाया है कि आवेदक के पास उत्पाद प्रोफाइल की उपलब्धता के अभाव से कैसे वे आयात करने के लिए मजबूर हुए हैं। जब कोई उपाय नहीं है तो उसके बावजूद प्रयोक्ता आयात के लिए मजबूर हैं, तो उपाय लगाने से ये प्रयोक्ता मिट जाएंगे।
- xx. यदि प्राधिकारी को यह मत लेना है कि चीन से प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के लिए कारण हो सकता है तो फिर 3500 करोड़ रु. का बाजार पूरी तरह से आयातों द्वारा ले लिया जाएगा। 3500 करोड़ रु. के बाजार से 600 करोड़ रु. के बाजार की लागत पर समझौता नहीं किया जा सकता। प्रयोक्ता उद्योग को सलाह दी जाए कि उनके पास क्या उपचार उपलब्ध है।
- xxi. चूंकि घरेलू उद्योग की क्षमता भारतीय बाजार की मांग को पूरा नहीं कर सकती, अतः विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क लागू करने से कीमत वृद्धि बढ़ेगी जो सर्वोत्तम जनहित में नहीं है।
- xxii. चीन से भारत को वर्तमान में निर्यातित जांच किए गए उत्पादों की विशिष्टियां कम मूल्यवर्धित उत्पादों से उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित हो रही हैं। उत्पाद डिजाइन की जटिलता और ग्राहक के लिए मांग में वृद्धि हुई है। भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा कुछ तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, भारतीय घरेलू उद्योग भारतीय निचले स्तर के ग्राहकों की इन मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- xxiii. भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों की उसी प्रकार की विद्युत एवं उच्च कंडक्टिविटी सामग्री का निष्पादन केवल चीन से आयातित उत्पादों की उसी किस्म के निष्पादन के कम बीच के स्तर के अनुरूप ही हो सकता है और चीन से भारत को आयातित उत्पादों की उच्च निष्पादन वाली सामग्री की नई पीढ़ी के बीच काफी अंतर है। चीनी आयातों में विद्युत और उच्च कंडक्टिविटी सामग्री के अलावा आयरन डिप्लेटेड सामग्री शामिल है, जो कास्मो की सार्वजनिक सूचना में नहीं पाई जाती है।
- xxiv. जांच किए गए उत्पादों की व्यापक प्रयोग-रेंज है और अंतिम प्रयोक्ता कई उद्योगों में लगे हुए हैं तथा जांच किए गए उत्पादों पर पाटनरोधी उपाय अपनाने से भारत में कई उद्योगों का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- xxv. इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईएलसीआईएनए) फेराइट, ट्रांसफार्मर और इंडेक्टर्स जैसे ओंड संगठकों का उत्पादन करने वालों सहित इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं की पूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे सदस्यों ने चीन से आयातित "सॉफ्ट फेराइट कोर" संबंधी चल रही पाटनरोधी जांच के संबंध में गंभीर चिंताएं उठाई हैं (राजपत्र सं. सीजी-डीएल-ई-04102023-249138 और मामला फाइल संख्या एडी(ओआई)-(21/2023) दिनांक 30/9/23) ये चिंताएं प्राथमिक रूप से भारत के इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विशेष रूप से ट्रांसफार्मर और फेराइट कोर विनिर्माताओं, जो सभी इलैक्ट्रॉनिक उपस्करों के लिए अनिवार्य इनपुट हैं, को प्रभावित करते हुए, पर नकारात्मक प्रभाव के संबंध में है।

- xxvi. एमएसएमई के प्रभाव वाला ट्रांसफार्मर विनिर्माण पहले ही कम मार्जिन पर प्रचालित हो रहा है और एक श्रम गहन क्षेत्र है। कच्ची सामग्री पर शुल्क बढ़ाने से केवल इन व्यापारों को हानि नहीं होगी बल्कि कई इकाईयां बंद भी हो जाएंगी क्योंकि मांग विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पास चली जाएगी जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की क्षति होगी। हम घरेलू ट्रांसफार्मर विनिर्माण उद्योग और उसके कार्यबल के संरक्षण के लिए ऐसे उपायों पर विचार किए जाने का अनुरोध करते हैं।
- xxvii. इन उपर्युक्त चिंताओं के आलोक में ईएलसीआईएनए व्यापार उपचार महानिदेशक (डीजीटीआर) से अनुरोध करती हैं कि वे सॉफ्ट फेराइट कोर पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाले अनुरोध पर पुनर्विचार करें। यह शुल्क मेक इन इंडिया के हित के विरुद्ध होगा और इलैक्ट्रॉनिक उपस्करों के लिए अधिसंख्या ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं के हित के विरुद्ध होगा जो इलैक्ट्रॉनिक संगठकों के इस प्रमुख क्षेत्र में भारी संख्या में है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

124. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित करने के लिए पाटन की अनुचित परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है, जो देश के सामान्य हित में है।
- ii. पाटनरोधी शुल्क से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होते। भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत यह सुनिश्चित करेगा कि पाटन की परिपाटी से कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया जाता है, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकती है और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलती है।
- iii. प्राधिकारी को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क का जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव को निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी को भारतीय बाजार में सामानों की उपलब्धता पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव की जांच करनी चाहिए, उत्पाद के प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग पर और व्यापक रूप से सामान्य जनता पर प्रभाव की जांच करनी चाहिए।
- iv. वर्तमान जांच में चार ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं ने ही, यद्यपि अत्यधिक कमीपूर्ण हैं, ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। उसके सदस्यों की ओर से प्रयोक्ता एसोसिएशन द्वारा कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया गया है। इस प्रकार, भारत में प्रयोक्ताओं से सहयोग का स्तर अत्यधिक कम है और भारत में प्रयोक्ता उद्योग के हितों का प्रतिनिधि कारक नहीं है।
- v. जिन चार प्रयोक्ताओं ने यूक्यूआर दायर किए हैं, वे पाटनरोधी शुल्क की कोई मात्रा और निचले स्तर के उद्योगों पर उसका प्रभाव देने में विफल रहे हैं, परंतु सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गलत तस्वीर रखने के लिए असिद्ध विवरण दिए हैं।
- vi. यहां तक कि वर्तमान जांच में भाग लेने वाले प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा जारी ईआईक्यू का उत्तर नहीं दिया है ताकि हितधारकों को यह दर्शाने की अनुमति दी जा सके कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उनके प्रचालन कैसे प्रभावित होंगे, जो यह दर्शाता है कि उपभोक्ता शुल्कों से परेशान नहीं होंगे।
- vii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई उपयुक्त सूचना यह सिद्ध करते हुए नहीं दी गई है कि प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उद्योग की उत्पादन लागत में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी कि उससे निचले स्तर के उद्योग अप्रभावी और अदक्ष हो जाएंगे। यद्यपि, आयातकों ने जांच में भाग लिया है तथापि वे शुल्कों के प्रभाव की कोई मात्रा बताने में असमर्थ रहे हैं। यह घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए प्रयोक्ता उद्योग पर शुल्क के प्रभावों की मात्रा से भी पुष्ट हो जाता है। यदि कोई प्रभाव है, तो वह नगण्य है।
- viii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास स्थित ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं के 0.3% द्वारा किए गए अनुरोधों को उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में नहीं माना जा सकता। गैर-अनुमोदन के केवल 10 उदाहरणों को भारी संख्या नहीं माना जा सकता।
- ix. कुछ हितबद्ध पक्षकार अनग्राउंडेड स्वरूप (परिष्करण के बिना) में विचाराधीन उत्पाद का आयात करते हैं जो बिना परिष्करण के विचाराधीन उत्पाद के सिवाय कुछ नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में ग्राउंड

और अनग्राउंड, दोनों स्वरूप में और परिस्करणयुक्त अथवा उसके बिना आयातित होने पर एमएनजेडएन सोफ्ट फेराइट कोर की ज्यामितियां शामिल होनी चाहिए।

- x. घरेलू उद्योग जैसे सोफ्ट फेराइटकोर विनिर्माता आपूर्ति श्रृंखला में टियर 3 अथवा टियर 4 के आपूर्तिकर्ता हैं। सोफ्ट फेराइट कोर की आपूर्ति करने के लिए कोई अनुमोदन ट्रांसफार्मर विनिर्माता अथवा पीसीबी विनिर्माता के पास उपलब्ध होगा जो टियर 1 आपूर्तिकर्ता अथवा ओईएम में सोफ्ट फेराइट कोर को शामिल करने के बाद अपने सामानों की आपूर्ति कर रहा हो।
- xi. पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- xii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में कई मापदंडों के कारण गिरावट आई है जो यदि घरेलू उद्योग एकाधिकार की स्थिति में होता तो स्थिति नहीं हो सकती थी। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात भारत में उचित कीमतों पर आ रहे हैं और विदेशी निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग के बीच एक उचित व्यापारिक क्षेत्र बनाए रखा जाता है।
- xiii. अनुचित और पाटित आयातों से घरेलू उद्योग का संरक्षण भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल के साथ असंगत नहीं होगा।
- xiv. घरेलू उद्योग ने एमसीए वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध कई ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं।
- xv. विचाराधीन उत्पाद का बाजार इलैक्ट्रानिक्स और विद्युत क्षेत्र में एक अनिवार्य क्षेत्र है। भारतीय सरकार ने बढ़ते हुए इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के संरक्षण के लिए कई योजनाएं और संरक्षण उपाय शुरू किए हैं, जो लागू हैं। घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता है और घरेलू उद्योग का संरक्षण भारत में घरेलू उत्पादन को और बढ़ाएगा तथा “मेक इन इंडिया” पहल के घरेलू उत्पादन के संवर्धन का उद्देश्य पूरा करेगा।
- xvi. सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत विनिर्माण को प्रोत्साहन देकर भारत में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण का संवर्धन करने का प्रयास भी कर रही है। अतः घरेलू उद्योग का संरक्षण सरकार की “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” के पक्ष में है।
- xvii. प्रयोक्ता विगत में उस समय भी लागत में वृद्धि आगे पास करने में सक्षम रहे हैं जब सीमा शुल्क विचाराधीन उत्पाद पर लगाया गया था और इन सभी वर्षों में लाभदायक रहे। वे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण भी लागत में वृद्धि आगे पास करने में सक्षम होंगे। इसके विरुद्ध कोई सकारात्मक साक्ष्य साझा नहीं किया गया है।
- xviii. ट्रांसफार्मर विनिर्माता की लाभपदता 2021-22 में उस समय प्रभावित नहीं थी जब विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत बढ़ी।
- xix. प्राधिकारी को घरेलू उत्पादकों और उनके स्तर के प्रयोक्ताओं के हितों के बीच संतुलित दृष्टिकोण लेना चाहिए। यह पहले ही दर्शाया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव निचले स्तर के उत्पादों और अंतिम उत्पादों पर बहुत कम होगा।
- xx. भारत में मांग के मात्र 20% पूर्ति करने के बावजूद ये ट्रांसफार्मर विनिर्माता लाभ में रहे हैं और विचाराधीन उत्पाद के चीनी आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम रहे हैं क्योंकि वे भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लाभग्राही हैं। यदि ट्रांसफार्मर विनिर्माता यह विश्वास करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ट्रांसफार्मरों के आयातों में वृद्धि होगी तो मुद्दे को हल करने के लिए उचित कार्यवाही विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का विरोध करना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना है कि ट्रांसफार्मर पाटित कीमतों पर भारत में आयात न हों।
- xxi. सोफ्ट फेराइट कोर का बाजार अब बहुत छोटा है परंतु मांग शीघ्रता से बढ़ रही है। सरकार को पाटित आयातों से देश में सोफ्ट फेराइट के घरेलू उद्योग की रक्षा करनी चाहिए।

- xxii. घरेलू उद्योग स्पीडोफर को अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट की आपूर्ति करता था परंतु कीमत के संबंध में असहमति सहित अन्य कारकों के कारण उसने बंद कर दी।
- xxiii. ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं का उत्पाद की गुणवत्ता से कोई संबंध नहीं है बल्कि यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद उचित कीमतों पर खरीदने के लिए वे मजबूर होंगे जिससे उनकी लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।
- xxiv. ट्रांसफार्मर उत्पादकों के 0.3% द्वारा दायर गैर-अनुमोदन अनुरोधों को भारत में उद्योग का प्रतिनिधि कारक नहीं माना जा सकता। अधिकतर ट्रांसफार्मर विनिर्माता पाटनरोधी शुल्क से परेशान नहीं हैं। केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के हैं क्योंकि वे पाटनरोधी शुल्क के लाभग्राही हैं।
- xxv. गैर-अनुमोदन सूचना के संबंध में कोई गोपनीयता नहीं हो सकती क्योंकि उल्लिखित उत्पाद विशिष्टताएं ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं द्वारा साझा की हुई होनी चाहिए जिन पर गैर-अनुमोदन के दावे आधारित हैं। यदि यह सूचना प्रकट नहीं की जाती है और घरेलू उद्योग को उसे हल करने का अवसर नहीं दिया जाता है तो इन अनुरोधों को अलग किया जाना चाहिए।
- xxvi. यह दर्शाने के लिए कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी जिससे यह उद्योग अप्रभावी और अदक्ष हो जाएगा। विचाराधीन उत्पाद के व्यापारियों ने भी शुल्कों के प्रभाव की मात्रा नहीं दी है।
- xxvii. स्पीडोफर विचाराधीन उत्पाद के पाटन का एक लाभग्राही है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद की उचित कीमतों पर ही खरीद होगी। उचित कीमतों पर आयात करने से तार्किक रूप से किसी उद्योग की बंदी नहीं होगी।
- xxviii. स्पीडोफर को बेचे गए अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर वाले गुणवत्ता मुद्दे से संबंधित दावे वास्तविक रूप से गलत हैं; घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण बंद नहीं की बल्कि देरी से भुगतान, अनुचित परिवहन विलंब और कीमत संबंधी असहमतियों के कारण विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करना बंद किया क्योंकि स्पीडोफर चीन से सस्ते पाटित विचाराधीन उत्पाद का आयात करने में अधिक इच्छुक था, इस बात का समर्थन करने के लिए साक्ष्य दिए गए हैं। घरेलू उद्योग अन्य ग्राहकों को अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की बिक्री कर रहा है।
- xxix. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो वह पाटन अथवा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, की सीमा तक ही होगा। यह समझा जाता है कि पाटन के लाभग्राहियों को हानि होगी, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं, और उनका लाभ मार्जिन पाटनरोधी शुल्क की सीमा तक कम हो जाएगा। यही वे कारण हैं जिससे उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करने तथा अनुचित व्यापारिक परिपाटियों के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है।
- xxx. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग और उन अन्य भारतीय उत्पादकों को लाभ होगा, जिनको हानि हो रही थी। यह तथ्य कि एक या बहुत से विनिर्माताओं को लाभ होगा, संगत विचार नहीं होना चाहिए।
- xxxi. आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग देश में एकमात्र संगत और महत्वपूर्ण उत्पादक है। विचाराधीन उत्पाद एसीटी को आपूर्ति करने वाले घरेलू उद्योग के इस संबंध में असिद्ध दावों की अनदेखी की जानी चाहिए।
- xxxii. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण ईष्टम क्षमता पर प्रचालन करने में सक्षम नहीं रहा है और एक बार इसे ठीक किए जाने पर वह ऐसा करने में सक्षम होगा।
- xxxiii. मांग-आपूर्ति अंतराल पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने का औचित्य नहीं बना सकता क्योंकि घरेलू उद्योग उस बाजार हिस्से को पूरा करने में भी सक्षम नहीं रहा है जिसे पाटित आयातों के कारण वह सक्षम है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

125. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ट्रांसफार्मरों की लागत में वृद्धि होगी और भारत में ट्रांसफार्मर उद्योग समाप्त हो जाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसके बारे में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है।

बीसीडी आयात किए जाने पर विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमतों में वृद्धि के बावजूद प्रयोक्ता उद्योग ने प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाए हैं। दूसरी ओर, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अनुचित व्यापारिक परिपाटियों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का उपचार होने की संभावना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में भाग लेने वाले किसी भी ट्रांसफार्मर विनिर्माता ने लागत में वृद्धि को आगे पास करने में अपनी असमर्थता नहीं दर्शाई है।

126. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ट्रांसफार्मरों और इलैक्ट्रिक उपकरणों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बताया है जहां ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिभागी प्रयोक्ताओं ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बताया है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा है, तथापि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि प्रयोक्ता उद्योग आगे पास करने वाला उद्योग है। प्रयोक्ता उद्योग पर शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा।
127. प्राधिकारी घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे के अनुसार प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को नोट करते हैं।
128. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से एकाधिकार बनेगा तथा प्रयोक्ताओं के लिए उच्चतर कीमत होंगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से केवल भारत में उचित कीमतें सुनिश्चित होती हैं और इससे आयात प्रतिबंधित अथवा बंद नहीं होते। यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में एकाधिकार का सृजन होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कई जांचे की गई हैं जिनमें पाटनरोधी शुल्क लगाए गए हैं, यहां तक कि यद्यपि जब देश में एक ही उत्पादक था और भारत से बाहर एक ही आपूर्तिकर्ता देश था।
129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रभाव और जनहित विश्लेषण घरेलू उत्पादन और निचले स्तर के उद्योग में व्यापारियों की संख्या पर आधारित नहीं हो सकता। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग के लिए एक उचित व्यापारिक क्षेत्र ही सुनिश्चित होगा। इससे भारत में आयात बंद नहीं होंगे। पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के लिए मांग आपूर्ति अंतराल कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात पाटित कीमतों पर नहीं होते हैं।

ठ. स्पीडोफर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्टर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका

130. दिनांक 07 नवंबर 2024 को प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण जारी करने के अनुसरण में, स्पीडोफर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और विक्टर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः रिट याचिकाएं डब्ल्यू.पी. (सी) 15865/2024 एवं डब्ल्यू.पी. (सी) 15866/2024 दायर कीं, जिनमें दावा किया गया कि प्राधिकारी ने अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन और प्रकटन विवरण में अनुरोध हटा दिए हैं।
131. तथापि, उच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जिसे अब हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड कहा जाता है, बनाम भारत संघ और अन्य मामले में उसी न्यायालय के निर्णय के आलोक में रिट याचिकाओं को खारिज किया और प्राधिकारी को उनके अंतिम जांच परिणाम में स्पीडोफर और विक्टर द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने का निदेश दिया। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में स्पीडोफर और विक्टर द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और उनकी जांच की है।

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. यह अस्पष्ट है कि प्राधिकारी ने एक एचएस कोड के तहत या आवेदक द्वारा अभिज्ञात सभी नौ एचएस कोडों के अंतर्गत पीयूसी की आयात मात्राओं पर विचार किया है। प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आवेदक द्वारा आयात पर केवल एक एचएस कोड या आवेदक द्वारा अभिज्ञात नौ एचएस कोडों पर विचार करते हुए जांच की गई है।
 - ii. आवेदक की आपूर्तियों में मुख्य रूप से लाइटिंग खंडों में प्रयुक्त कोर शामिल हैं जो ट्रांसफार्मर के प्रयोग से भी दूर जा रहे हैं।

- iii. अलग-अलग ज्योमित्री बिल्कुल अलग-अलग उत्पाद हैं, और उत्पाद के विवरण को केवल पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए नहीं बदला जा सकता है।
- iv. यह निर्धारण कि क्या कोई ग्रेड या उत्पाद का प्रकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है, केवल आवेदक के उत्पादन पर आधारित है। यदि आवेदक ने किसी विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं किया है तो उसे शामिल नहीं किया जा सकता है। अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन प्राधिकारी की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार इस निर्धारण में अप्रासंगिक है। अतः आवेदक का ऐसा कोई दावा कि अन्य उत्पादक अतिरिक्त ज्योमित्री का उत्पादन कर रहे हैं, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। केवल कॉस्मो फेराइट लिमिटेड द्वारा उत्पादित ज्योमित्री को ही विचाराधीन उत्पाद के भीतर शामिल करना चाहिए।
- v. ईक्यू आकार को पीयूसी के दायरे में शामिल किया गया है परंतु आवेदक के वर्तमान केटॉलाग में यह आकार नहीं है।
- vi. प्राधिकारी से अनग्राउंड कोर को एक अलग पीसीएन मानने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि स्पीडोफर का विरोध यह दर्शाता है कि अनग्राउंड कोर शुरूआत से ही पीसीएन के लिए पात्र हैं।
- vii. कॉस्मो केवल फेराइट सेल्स कॉरपोरेशन जो उनका अपना वितरक है और केवल कॉस्मो के उत्पादकों को बेचता है, को अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की बिक्री कर रहा है।
- viii. प्राधिकारीको अनग्राउंड से ग्राउंड तक होने वाले मूल्यवर्धन का प्रकटन करना चाहिए क्योंकि मूल्यवर्धन का वर्तमान जांच पर महत्वपूर्ण परिणाम होता है। प्राधिकारी से इस प्रकटन का अनुरोध किया गया है कि क्या मूल्यवर्धन पर आवेदक द्वारा किए गए दावों के आधार पर या स्पीडोफर द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर विचार किया गया है। यदि प्राधिकारी ने आवेदक के मूल्यवर्धन के दावों पर विचार किया है, तो प्राधिकारी को यह भी प्रकट करना चाहिए कि प्राधिकारी ने आवेदक के दावों को कैसे उपयुक्त माना है।
- ix. चूंकि अनग्राउंडेड सॉफ्ट फेराइट कोर के आयातों में संभावित प्रवंचना की समस्या शामिल है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक द्वारा किए गए कार्यकलाप को मूल्यवर्धन के निर्धारण के लिए कैसे संगत माना जा सकता है।
- x. अनग्राउंड कोर से ग्राउंडेड सॉफ्ट फेराइट कोर के उत्पादन में काफी निवेश, विशेष विशेषज्ञता और व्यापक उत्पादन प्रयास शामिल होते हैं, जिससे ऐसी संभावना नहीं रहती है कि अनग्राउंडेड कोर का केवल पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए ग्राउंड कोर के रूप में आयात हुआ हो। इसके अलावा, अनग्राउंड के काफी मौजूदा आयातों से ऐसा लगता है कि उनकी मांग ग्राउंडेड कोर पर शुल्क से स्वतंत्र है। यह तथ्य कि केवल एक घरेलू विनिर्माता, स्पीडोफर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अनग्राउंड को ग्राउंडेड कोर में बदलने में शामिल हैं, परिवर्तन प्रक्रिया की जटिलता की अनदेखी करता है।
- xi. स्पीडोफर कंपोनेंट्स प्रा. लिमिटेड ने मूल्य वर्धन संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिसमें ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड सॉफ्ट फेराइट कोर के बीच कीमत में 20% से अधिक का कीमत अंतर है। इसके बावजूद, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि मूल्यवर्धन मामूली है, जिसे स्पीडोफर असंगत मानता है। वे नोट करते हैं कि डीजीटीआर ने पहले इस मामले में कमतर मूल्यवर्धन के साथ उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, स्पीडोफर ने बताया कि लगभग 100 कर्मचारियों को यदि शुल्क लगाया जाता है तो अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। इसमें ऐसे निर्णय के व्यापक आर्थिक प्रभाव पर जोर दिया गया है।
- xii. प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि क्या स्पीडोफर को आवेदक की स्थिति के निर्धारण में एक घरेलू उत्पादक माना गया है क्योंकि स्पीडोफर ने ग्राउंडेड सॉफ्ट फेराइट्स का उत्पादन और बिक्री की है।
- xiii. आवेदक ने अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता के दावे के बावजूद चीन से सामग्री का आयात किया जिससे यह प्रश्न उठता है कि उसने अपनी जरूरतों को स्वयं के उत्पादन से पूरा क्यों नहीं किया। इससे क्षमता की कमी, उपभोक्ताओं द्वारा उसके उत्पाद की अस्वीकृति या आयातों के बारे में भ्रामक दावों का संकेत मिलता है। प्रतिवादी आयातों के लिए आवेदक के औचित्य के समर्थक दस्तावेज का प्रकटन चाहते हैं।
- xiv. आवेदक द्वारा प्रदत्त ईमेल से पता चलता है कि उपयोगकर्ता की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का समाधान हुआ है, परंतु आवेदक द्वारा इसका प्रकटन नहीं किया गया है। आवेदक तथ्यों को छिपाना चाहता है और आवेदक के अनुरोधों को खोखला साबित करने से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को रोकना चाहता है। प्रतिवादियों से ऐसी सूचना

- का अप्रकटन जहां तक वह सूचना संबंधित है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है जो निर्णय लेने में न्यायसंगतता सुनिश्चित करता है।
- xv. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई टीडीके की कीमतों की जांच और कॉस्मो की कीमतों और आयात कीमतों से तुलना नहीं की है। प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रकटन विवरण में संगत तथ्यों को सिद्ध करने के लिए इन दलीलों पर विचार किया गया है।
- xvi. चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने माना था कि एक अन्य उत्पादक है जो आयात कीमत से अधिक कीमतों पर बिक्री कर रहा है और इसलिए, आयातों को कीमत प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है। वर्तमान जांच पर भी यही विश्लेषण लागू किया जाना चाहिए क्योंकि टीडीके इंडिया ऊंची कीमतों पर बिक्री के बावजूद लाभप्रद रहा है।
- xvii. प्राधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पूर्ण उत्पाद विवरण का अभाव, उच्च वेतन लागत, नई क्षमता के कारण मूल्यहास, आवेदक के उत्पाद को भारत में प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत नहीं करना और कच्ची सामग्री कीमत में स्वीकृत गिरावट के बावजूद कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि, आवेदक के सामने आने वाली गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ, सीमित प्रचालनों के कारण अनुमोदन लेने में आवेदक की असमर्थता, सार्वजनिक रूप से अज्ञात कारणों की वजह से आवेदक के उत्पादन की उच्च लागत जैसे अन्य कारक उसके उत्पाद की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार थे।
- xviii. प्राधिकारी को यह पुष्टि करनी चाहिए कि चीन से आयातों के मामले में औसत क्षति मार्जिन की तुलना में कीमत कटौती काफी अधिक है, चूंकि कीमत कटौती काफी अधिक है, इसलिए असहयोगी उत्पादकों के लिए क्षति मार्जिन भी काफी अधिक है।
- xix. जांच परिणाम से पता चलता है कि यद्यपि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में काफी अक्षमताओं का पता लगाया है तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्षति का निर्धारण करने के लिए लाभ/हानि की गणना करते समय इन अक्षमताओं पर पूरी तरह ध्यान दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में अत्यधिक खर्चों (उदाहरण के लिए, वेतन, मूल्यहास और स्थिर परिसंपत्तियां) पर ध्यान दिलाया है, जिन पर एनआईपी निर्धारण में विचार किया है परंतु लाभ/हानि, नकदी प्रवाह या निवेश पर आय के आकलन में नहीं किया गया। इस बात पर स्पष्टीकरण कि क्या इन पहलुओं पर उचित ढंग से ध्यान दिया गया था, पारदर्शी क्षति निर्धारण के लिए अपेक्षित है।
- xx. कॉस्मो फेराइट लिमिटेड के पास सभी प्रकार के सॉफ्ट फेराइट कोर का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ज्योमेट्री में एक विशिष्ट डाई की आवश्यकता होती है और वह अलग-अलग प्रयोग को पूरा करती है। इन ज्योमेट्री का उत्पादन ऑर्डर-पर होता है जिसका अर्थ है कि उपलब्ध क्षमता प्रत्येक ग्रेड के उत्पादन के सामर्थ्य की गारंटी नहीं देती है। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने उपलब्ध क्षमता के तहत बिक्री के रुझानों की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि बिक्रियों में आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, ऐसा जांचों में कानूनी और वास्तविक आधार नहीं है कि आवेदक सभी पक्षकारों ने सभी ग्रेडों की आपूर्ति के लिए आवेदक की सीमित क्षमता को स्वीकार किया है।
- xxi. प्राधिकारी का क्षति विश्लेषण आवेदक की अप्रयुक्त क्षमताओं के आस पास केन्द्रित है। ऐसा लगता है कि एडीडी आवेदक की नई क्षमताओं की जरूरत के लिए मांगा गया है और यह कि आवेदक को 100% क्षमता उपयोग पर कार्य करना चाहिए।
- xxii. क्षति विश्लेषण क्षमता विस्तार पर केंद्रित है जबकि क्षति नहीं दर्शाने वाले कारकों को हटा दिया गया है। "कोई क्षति नहीं" को किसी आधार के बिना बताया गया है। उल्लेखनीय है कि घरेलू बिक्रियां क्षति अवधि के दौरान अपने उच्चतर स्तर तक बढ़ गई थी फिर भी यह विवरण इसके बारे में मौन है। कम क्षमता उपयोग खराब समय पर विस्तार से जुड़ा है जिसका समाधान नहीं हुआ है।
- xxiii. उत्पादन और खपत के सापेक्ष और समग्र रूप से आयातों में गिरावट आई है। तथापि, इस कानूनी अपेक्षा का निष्कर्ष निकालने के बजाय, आयात को क्षमता उपयोग से जोड़ा गया था, जिसके आवेदक ने अप्रयुक्त होने का दावा किया है।

- xxiv. मालसूची और उत्पादन विश्लेषण में विरोधाभास मौजूद हैं। क्षति अवधि के दौरान मालसूची में 27% की गिरावट आई, जबकि इसे मामूली मानकर खारिज कर दिया गया, जबकि केवल 1% की उत्पादन गिरावट को वास्तविक माना गया।
- xxv. इस विवरण में नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जैसे प्रमुख लाभपद्धता संकेतकों का विश्लेषण नहीं किया गया है जबकि ये सभी काफी सुधार दर्शा रहे थे।
- xxvi. भागीदार उत्पादकों के क्षति मार्जिन में अंतर दर्शाता है कि कीमत आयातों के पीछे प्रमुख कारक नहीं है। दोनों उत्पादकों के बीच कीमत अंतर के कारण का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- xxvii. प्राधिकारी द्वारा अलीशा कॉइल्स जो आवेदक का अपना डिविजन है, की बिक्रियों को कुल सूचित बिक्रियों में शामिल करने से क्षति विश्लेषण के लिए निहितार्थ हैं। यह देखा गया कि अलीशा कॉइल्स की बिक्रियां समान कीमत पर की गईं, जिसके परिणामस्वरूप आवद्ध खपत पर भी घाटा हुआ था।
- xxviii. प्राधिकारी द्वारा लाभ/हानि, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, और वेतन और मजदूरी में आवद्ध खपत से घाटे को शामिल करने के लिए विचार किया गया है जिसे आवेदक ने अलग से नहीं बताया था। इससे प्रस्तुत आंकड़ों की सत्यता और विश्वसनीयता पर चिंता होती है जैसा कि पहले प्रतिवादियों ने ध्यान दिलाया था।
- xxix. प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार, मात्रा और बाजार हिस्से को आवद्ध बिक्री को शामिल करने और उसके बिना दोनों तरह से निर्धारित करना चाहिए। कुल मांग में आवद्ध बिक्री को शामिल करने से आयातों के लिए कम बाजार हिस्सेदारी और आवेदक के लिए अधिक बाजार हिस्सा प्रदर्शित होगा और यह भी पता चलेगा कि आवद्ध खपत से घाटे के कारण नुकसान अधिक बताया गया है।
- xxx. प्राधिकारी से घरेलू बिक्रियों और आवद्ध खपत के लिए क्षति के आंकड़ों को अलग करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि हितबद्ध पक्षकारों को अधिक उचित और पारदर्शी आकलन के लिए संशोधित आंकड़ों पर टिप्पणी करने का अवसर मिले।
- xxxii. प्राधिकारी द्वारा 2021-22 को एक आपवादिक वर्ष मानने और इसे क्षति विश्लेषण से बाहर करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
- xxxiii. यदि 2021-22 को क्षति विश्लेषण के दायरे से बाहर रखा जाता है, तो यह देखा जा सकता है कि मांग में लगातार वृद्धि हुई है, पीओआई में आयातों में उत्पादन और खपत की दृष्टि से गिरावट आई है, कोई कीमत हास/न्यूनीकरण नहीं हुआ है, उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और वह जांच की अवधि में सबसे अधिक है।
- xxxiiii. कॉस्मो का संयंत्र 40 साल पुराना है और इसकी मरम्मत और रखरखाव पर काफी खर्च होता है। कॉस्मो फेराइट में अधिकांश मशीनरी उपयोगी जीवन पार कर चुकी है, जिससे अस्वीकृति के कारण घाटा हुआ है और कॉस्मो में कोई आटोमेशन नहीं है। हमें कॉस्मो के लगभग 400 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत के दावे पर संदेह है। प्राधिकारी ने केवल 250 रुपये प्रति किलोग्राम पर विचार किया है।
- xxxv. कॉस्मो ने क्षमता विस्तार का गलत समय पर निर्णय लिया। उसने स्वयं दावा किया है कि उसके संयंत्र में अप्रयुक्त क्षमता है। इसके बावजूद, इसने क्षमता विस्तार किया। यह निर्णय काफी विचित्र और आश्चर्यजनक था।
- xxxvi. कॉस्मो ने यह भी दावा किया कि वह निर्यात बाजार में बहुत अधिक कीमत लेने में सक्षम है। यदि निर्यात कीमतें इतनी अधिक हैं, तो कॉस्मो की निर्यात बिक्री में कमी क्यों आई? उसके निर्यात बाजार गवाने का एकमात्र कारण गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं।
- xxxvii. जब कॉस्मो की स्वयं की ट्रांसफार्मर इकाई ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है, संगत सूचना प्रदान नहीं की है, तो कैसे कॉस्मो और इसकी ट्रांसफार्मर इकाई प्राधिकारी के समक्ष पूर्णतः सहयोगी है।
- xxxviii. प्राधिकारी ने विस्तृत रूप से पाया है कि कॉस्मो द्वारा सूचित उत्पादन लागत अधिक है और उन्होंने क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए कॉस्मो द्वारा सूचित उच्चतर उत्पादन लागत को स्वीकार नहीं किया है, तो कॉस्मो द्वारा अर्जित लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय निर्धारित करने के लिए उसी उच्चतर लागत को क्यों स्वीकार किया गया।

- xxxviii. हम पुरजोर भरोसा करते हैं कि डीजीटीआर ने क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए काफी अधिक खर्च की अनुमति नहीं दी है। तथापि, डीजीटीआर ने इन सभी खर्चों की अनुमति दी है और लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय निर्धारित की है।
- xxxix. वर्तमान जांच में कारणात्मक संबंध निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि आवेदक के अनेक आर्थिक मापदंडों में सुधार दर्शाते हैं।
- xl. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में आवेदक के दावों की जांच नहीं की है। प्राधिकारी को या तो वास्तविक क्षति के खतरे के दावे की जांच करनी चाहिए या यह स्पष्ट करना चाहिए कि जांच शुरूआत अधिसूचना में यह दावा क्यों स्वीकार किया गया परंतु प्रकटन विवरण में हटा दिया गया।
- xli. प्रयोक्ता समझते हैं कि प्राधिकारी ने यह मान लिया है कि आवेदक को वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है। जब वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है, तो उपायों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xlii. प्राधिकारी ने सॉफ्ट फेराइट कोर पर बीसीडी के बढ़ने के समय ट्रांसफार्मर के आयातों में वृद्धि संबंधी अनुरोधों को नोट नहीं किया है प्राधिकारी ने यह भी नोट नहीं किया है कि ट्रांसफार्मरों की अधिकांश मांग को मुख्य रूप से आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है और ट्रांसफार्मर उद्योग कम लाभ मार्जिन पर प्रचालन कर रहा है।
- xliii. 7.5% बीसीडी लगाने के बाद, वियतनाम ने एशियाई व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क मुक्त होने और चीन से 0% शुल्क के कारण सस्ते कोर की वजह से आयातों के कारण ट्रांसफार्मर का अपना निर्यात बढ़ा है।
- xliv. प्राधिकारी ने स्पीडोफर के वर्तमान लाभ मार्जिन और उस पर ए डी डी के प्रभाव के संबंध में अनुरोधों की पूरी तरह अनदेखी की है। प्राधिकारी ने केवल यह नोट किया है कि प्रयोक्ता उद्योग पर शुल्क का प्रभाव मामूली होगा।
- xlv. यदि एडीडी लगाया जाता है, तो स्पीडोफर की बिक्री कीमत प्रत्यक्ष उत्पादन लागत से कम हो जाएगी, और 15 महीनों से कम में पूरी पूंजी समाप्त हो जाएगी।
- xlvi. यदि 40% एडीडी लगाया जाता है, तो यह देखा जाएगा कि उत्पादन लागत में 8% की वृद्धि होगी। इससे विकटर का प्रचालन पूरी तरह से अव्यवहार्य हो जाएगा। विकटर को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा और वह प्रत्यक्ष लागत भी बसूली में भी सक्षम नहीं होगा।
- xlvii. जीटी मैग्नेटिक्स ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है। उसने बताया कि सॉफ्ट फेराइट की लागत जीटी मैग्नेटिक्स से तैयार उत्पाद की कुल लागत और बिक्री कीमत 30-40% बनती है। यदि 40% पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो इससे प्रचालन पूरी तरह से अव्यवहार्य हो जाएगा।
- xlviii. बजरंग इलेक्ट्रॉनिक्स, भूमि इलेक्ट्रॉनिक (ओपीसी) प्रा. लिमिटेड, जीके इलेक्ट्रॉनिक्स, केएम मैग्नेटिक्स, गुरसिम टेक्रो इंडिया, मैगसोल टेक्रोलॉजीज, मिंगहाओ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एम.के. इलेक्ट्रॉनिक्स, एन एन मैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड, प्रिज्मेटिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, रिसव इलेक्ट्रॉनिक्स, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलविजन इंडिया, सनराइज इलेक्ट्रो, विकटर मैग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, विगोर इंडस्ट्रीज, विजया इलेक्ट्रॉनिक्स ने कर्मचारियों की संख्या, वार्षिक ट्रांसफार्मर उत्पादन, कम लाभ मार्जिन और एडीडी लगाने के कारण लागत में वृद्धि की जानकारी दी है और एडीडी नहीं लगाने का अनुरोध किया है।
- xlix. केवल 1-3% के लाभ मार्जिन के साथ, भारत के ट्रांसफार्मर उद्योग के पास अतिरिक्त को खपाने की क्षमता नहीं है। सॉफ्ट फेराइट कोर का घरेलू उत्पादन केवल 40% मांग को पूरा करता है, और कई छोटे व्यवसाय सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं।
- i. एडीडी के कारण छोटे ट्रांसफार्मर उत्पादकों पर दबाव पड़ेगा, जिससे उनके बंद होने का जोखिम होगा। ये व्यापार 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को दर्शाते हैं और लागत वृद्धि के लिए काफी संवेदनशील हैं।
- ii. एक कमजोर ट्रांसफार्मर उद्योग भारत की सेमीकंडक्टर उत्पादन की महत्वाकांक्षाओं में बाधा बन सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इस क्षेत्र के लिए अनिवार्य घटक हैं।
- iii. प्रस्तावित एडीडी से 4,000 से अधिक छोटे ट्रांसफार्मर उत्पादकों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, जिससे नौकरी में नुकसान और व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।
- liii. कॉस्मो निर्यात बाजार में रुचि लेता है और घरेलू बाजार में नहीं। कॉस्मो अपने उत्पादन के 40% का निर्यात और 30% का आबद्ध रूप से प्रयोग करता है, जिससे बाजार के लिए केवल 60 टन प्रति माह बचता है।

- liv. कॉस्मो के अलीशा कॉइल्स को बढ़ावा देने के निहित स्वार्थ हैं। हमारे उपभोक्ता अपने एसीटी के व्यवसाय का स्थान बदलने पर पहले से ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एडीडी से उनकी कीमतें प्रभावित नहीं होंगी। कॉस्मो अपने फेराइट व्यवसाय को ट्रांसफार्मर व्यवसाय में बदलने का इरादा रखता है।
- lv. ट्रांसफार्मर उद्योग के भीतर, सैमसंग और सेलकॉम जैसे बड़े और मध्यम विनिर्माताओं को एडीडी की चिंता नहीं है क्योंकि उनके लिए ट्रांसफार्मर लागत का एक छोटा हिस्सा है। एडीडी ट्रांसफार्मर के गृह उद्योग और लघु उत्पादकों को प्रभावित करेगा।
- lvi. पीयूसी के चीन के उत्पादकों की कम भागीदारी दर्शाती है कि वे पीयूसी में रुचि नहीं रखते हैं परंतु एडीडी लगने के बाद ट्रांसफार्मर के अपने निर्यात में वृद्धि करेंगे।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध:

133. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्राधिकारी 2021-22 से पीओआई के बीच कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन संबंधी आंकड़ों में गड़बड़ी के अनुरोधों की अनदेखी कर सकते हैं क्योंकि ये अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचीबद्ध आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। प्राधिकारी गोपनीय सूचना से सत्यापित कर सकते हैं कि 2021-22 से पीओआई तक कर्मचारियों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
- ii. प्राधिकारी से वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में घरेलू उद्योग से अनुरोधों की जांच करने का आग्रह किया जाता है।
- iii. प्राधिकारी को एलसीना द्वारा किए गए अनुरोधों को अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि एलसीना ने वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण नहीं किया है। इसके अलावा एलसीना द्वारा किए गए अनुरोध के अगोपनीय अंश प्राधिकारी द्वारा 05 जनवरी 2024, 09 जनवरी 2024 और 24 अप्रैल 2024 को जारी हितबद्ध पक्षकारों की सूची में प्राधिकारी के निर्देशों के बावजूद उनकी टिप्पणियों के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किए गए थे। घरेलू उद्योग को प्रकटन विवरण जारी होने तक यह जानकारी भी नहीं थी कि एलसीना ने प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग को ईएलसीना के अनुरोध की तारीख भी नहीं पता है। घरेलू उद्योग को एलसीना द्वारा किए गए इन अनुरोधों की जांच करने का समय पर कोई अवसर नहीं दिया गया ताकि वे अपने हितों का बचाव कर सकें।
- iv. एलसीना द्वारा किए गए अनुरोधों का परिचालन नहीं करना एडी करार के अनुच्छेद 6.2, 6.4 और 6.5.2, एडी नियमों के नियम 6(7) और भारत संघ तथा अन्य बनाम मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और अन्य [(2016) 10 एससीसी 28] और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [(2006) 10 एससीसी 386] मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। एलसीना द्वारा किए गए अनुरोध को एडी नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा ध्यान में नहीं लिया जाना चाहिए।
- v. बाजार की जानकारी के अनुसार आयात आंकड़ों के आधार पर, यिविन और डीएमईजीसी द्वारा किए गए पीयूसी के निर्यातों का भारत में पीयूसी के कुल आयातों में प्रतिशत इतना कम है कि उस पर विचार नहीं किया जा सकता। इतनी कम मात्रा में निर्यातों को यिविन और डीएमईजीसी के लिए निर्यात कीमत के निर्धारित हेतु विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।
- vi. प्राधिकारी से टोंगज़ियांग के लिए निर्धारित पहुंच कीमत को सत्यापित करने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि जोड़े, नग और एमटी की संख्या के रूप में माप की इकाई के साथ सौदों के परिवर्तन के लिए टोंगज़ियांग द्वारा अपनाई गई परिवर्तन पद्धति गलत हो सकती है, जिससे पाटन और क्षति विश्लेषण में गड़बड़ी हो सकती है।
- vii. प्राधिकारी से वर्तमान जांच में मूल्यानुसार एडीडी की सिफारिश का अनुरोध है क्योंकि पीयूसी को अनुकूल उत्पाद के रूप में आयातित किया गया है और उसमें अनेक जियोमैट्रिक है और उसे "नगों" या "जोड़ों" या "संख्याओं" में व्यापार या बिक्री किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क की एक नियत दर के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क प्राधिकारियों के लिए पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण करने में अनावश्यक बोझ और प्रशासनिक कठिनाई होगी क्योंकि उन्हें आयातित ज्योमेट्री के प्रकार के आधार पर प्रत्येक पोतलदान के भारत की गणना करना अपेक्षित होगी। उस प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास प्रत्येक आयातित ज्योमैट्री के भारत के संबंध में समझ और जानकारी होनी चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच :

134. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण उपरांत के अनुरोधों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि जो टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं और जिनकी पहले ही समुचित रूप से जांच की जा चुकी है तथा जिन्हें अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल किया जा चुका है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा संक्षिप्तता की दृष्टि से प्रकटीकरण उपरांत जांच में दोहराया नहीं जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण उपरांत की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मामलों तथा प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए मामलों की नीचे जांच की गई है।
135. प्राधिकारी ने इस जांच के प्रयोजन के लिए केवल 85051110 को ही संगत एचएस कोड के रूप में माना है और यह जांच शुरुआत से पहले के चरण में घरेलू उद्योग के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी द्वारा आयातों के विश्लेषण के लिए वर्तमान जांच में केवल एचएस कोड 85051110 पर ही विचार किया गया है।
136. कतिपय ज्योमेट्री के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे के प्रतिबंध से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसमें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची गई ज्योमेट्री के मात्रा-वार उत्पादन और बिक्री के आंकड़े मांगे गए थे। प्राधिकारी ने सॉफ्ट फेराइट कोर की ज्योमेट्री पर भी विचार किया था, जिसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे को प्रतिबंधित करते हुए भारत में आयात किया गया था। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद एक कस्टमाइज्ड उत्पाद है और ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर इसका उत्पादन और बिक्री की जाती है। ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद के सभी माप के ज्योमेट्री का उत्पादन करना संभव नहीं है, जब तक कि ग्राहक द्वारा इसकी मांग न की जाए।
137. प्राधिकारी ने मांगी गई सूचना के आधार पर, दिनांक 05 अप्रैल 2024 को जारी किए गए, विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्धारण करने में यह नोट किया है कि निम्नलिखित ज्योमेट्री का कोई आयात नहीं है : क्यूपी, यूआर, ईईआर, ईटीडी, ईआरवाई, ईएफएफ, ईएफडी, ईवीडी, ईवी और ईईडी। इसके अलावा, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि विभिन्न ज्योमेट्री का बदल बदल कर उपयोग नहीं किया जा सकता है और वे एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं। प्राधिकारी ने मात्रा-वार उत्पादन व बिक्री के आंकड़ों तथा उपरोक्त ज्योमेट्री के आयात के आंकड़ों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखने के बाद, दिनांक 05 अप्रैल 2024 को जारी किए गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे के निर्धारण में विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर निर्णय लिया है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्धारण करते समय सॉफ्ट फेराइट कोर के अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित ज्योमेट्री पर विचार नहीं किया गया है।
138. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद और अनग्राउंड एवं ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की विभिन्न ज्योमेट्री के बीच कीमत का अंतर है, अतः प्राधिकारी द्वारा अलग से मार्जिन की गणना की जानी चाहिए और ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर एवं अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को अलग-अलग पीसीएन के रूप में माना जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई समय अवधि के भीतर वर्तमान जांच में पीसीएन तैयार करने के लिए कोई अनुरोध दाखिल नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद/ पीसीएन पर अपनी टिप्पणी देने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे लेकिन किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणी नहीं की है। पाटनरोधी जांच की एक समयबद्ध प्रक्रिया है और जांच के इतने बाद चरण में ग्राउंड एवं अनग्राउंड विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग पीसीएन का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

139. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा जिन ग्राहकों को अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की बिक्री की गई है, वे यह निर्धारित करने के लिए संगत मानदंड नहीं है कि समान वस्तु को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जा सकता है अथवा नहीं। संगत मानदंड यह है कि क्या घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है। वर्तमान जांच में, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर का उत्पादन और बिक्री की है।
140. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी उत्पाद को दायरे से बाहर करने के लिए, स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है कि क्या बाहर किया गया उत्पाद विचाराधीन उत्पाद से अलग है और एक समान उत्पाद नहीं है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैरा में अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को बाहर करने के दावे की जांच की है।

क. क्या अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर से ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर तक की विनिर्माण प्रक्रिया न्यूनतम मूल्य वर्धन के साथ वृद्धिशील है ?

141. इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया को सत्यापित किया है, जो यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया का अधिकांश भाग अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर तक ही सीमित है। यह देखा गया है कि ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर के निर्माण के लिए अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की प्रोसेसिंग एक चरण की प्रक्रिया है, जिसके बाद विचाराधीन उत्पाद को ग्राहकों को भेजने से पूर्व केवल उसका गुणवत्ता निरीक्षण और पैकिंग की जाती है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आंतरिक चुंबकीय गुण सिंटरिंग प्रक्रिया के दौरान ही निर्धारित किए जाते हैं।
142. एक हितबद्ध पक्षकार, स्पीडोफर ने यह भी तर्क दिया है कि स्पीडोफर द्वारा किए गए निरीक्षण और गुणवत्ता जांच को विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में गिना जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विनिर्माण का तात्पर्य है प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे अनेक बदलाव लाना, जहां पर उत्पाद को मूल उत्पाद नहीं माना जा सकता। अतः स्पीडोफर द्वारा की गई गुणवत्ता जांच विनिर्माण नहीं मानी जा सकती क्योंकि गुणवत्ता जांच किए जाने के बाद कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं किया जा रहा है।
143. इसके अलावा, स्पीडोफर ने यह भी अनुरोध किया है कि मूल्य वर्धन यह निर्धारित करने का एकमात्र मानदंड है कि किसी मध्यवर्ती उत्पाद को जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जा सकता है अथवा नहीं। स्पीडोफर ने यह भी तर्क दिया है कि स्पीडोफर द्वारा किया गया मूल्य वर्धन 15-20%, 35-40%, 30% और 39% है जब जांच के विभिन्न चरणों में अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर में परिवर्तित किया जाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि स्पीडोफर ने मूल्य वर्धन के आंकड़ों को 4 बार संशोधित किया है, जो इसके शुरुआती दावे से तकरीबन दोगुना है। इससे इसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। घरेलू उद्योग ने अपने स्वयं के आंकड़ों के आधार पर मूल्य वर्धन गणना प्रदान की है जो कि 4-6% है।
144. इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर में परिवर्तित करने की विनिर्माण प्रक्रिया में इसके आंतरिक गुणों में बिना कोई परिवर्तन किए यह प्रक्रिया बहुत ही न्यूनतम होती है।

ख. क्या उपायों की प्रवंचना की कोई संभावना मौजूद है?

145. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यदि अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को बाहर किया जाता है तो उपायों की प्रवंचना होने की प्रबल संभावना मौजूद है।

146. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न्यूनतम मूल्य वर्धन और रूपांतरण में आसानी के कारण प्रवंचना की अधिकता है, जो व्यापार सुधारात्मक कार्रवाई को निष्प्रभावी कर सकती है, यदि अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाता है। अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर के आयातक और प्रसंस्करणकर्ता पाटित कीमतों पर अपने आयात को बढ़ा सकते हैं और केवल केवल ग्राइंडिंग के प्रचालनों के बाद बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बड़ी हुई मात्रा की आपूर्ति शुरू कर सकते हैं जो विचाराधीन उत्पाद के निर्माण की पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इससे पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा।
147. इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को बाहर रखने के चलते वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होगी।
- ग. क्या मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों की समान भौतिक और रासायनिक विशिष्टताएं हैं।**
148. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि ग्राउंड और अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर का निर्माण फेरिक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के बड़े अनुपात को मिलाकर किया जाता है। इस प्रकार, अनग्राउंड और ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की रासायनिक विशिष्टताओं में कोई अंतर नहीं है।
149. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सॉफ्ट फेराइट कोर के निर्माण में ग्राइंडिंग अंतिम चरण है और यह ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के चुंबकीय प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए फिनिशिंग चरण है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सॉफ्ट फेराइट कोर के कुछ गुण उत्पादन प्रक्रिया के पहले चरण में निर्धारित किए जाते हैं जिसमें विभिन्न गुणों को प्राप्त करने के लिए कच्चे माल के पाउडर को अलग-अलग अनुपात में मिलाना शामिल है। इस प्रकार, अंतिम उत्पाद के कुछ गुणों को विभिन्न ज्योमेट्री में दबाव डालने के लिए पाउडर तैयार करने के पहले चरण में निर्धारित किया जाता है। प्री-सिंटरिंग, मिश्रण को ग्रीन कोर बनाने के लिए अपेक्षित ज्योमेट्री में दबाव डाला जाता है। तब अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए ग्रीन कोर को सिंटर किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के आंतरिक चुंबकीय गुण पहले से ही सिंटरिंग प्रक्रिया के दौरान निर्धारित हैं।
150. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद को सिंटरिंग प्रक्रिया के बाद निर्मित माना जाता है और अनग्राउंड और ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर में एकमात्र भौतिक अंतर उत्पाद को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने के लिए आवश्यक फिनिशिंग है। इस प्रकार, अनग्राउंड और ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर में कोई भौतिक और रासायनिक अंतर नहीं है।
151. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की आपूर्ति नहीं कर रहा है और इस प्रकार, अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की बिक्री के इनवाँयस के रूप में साक्ष्य प्रदान किए हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने विगत में भी स्पीडोफर को अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर की आपूर्ति की है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर का निर्माण और उसकी आपूर्ति करता है।
152. स्पीडोफर के दावों की आगे जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और स्पीडोफर के परिसरों का भौतिक सत्यापन किया है। घरेलू उद्योग और स्पीडोफर के संयंत्रों के सत्यापन के दौरान की गई टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी का निम्नलिखित निष्कर्ष है :

- क. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया को उसके मूल चरण से ही चला रहा है, अर्थात् घरेलू उद्योग फेरिक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड खरीदता है और कच्ची सामग्रियों को विचाराधीन उत्पाद में बदलने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं करता है। नीचे दी गई तालिका में घरेलू उद्योग और स्पीडोफर द्वारा की गई प्रक्रियाओं की तुलना दर्शाई गई है :

क्र. सं.	उत्पादन प्रक्रिया में चरण	घरेलू उद्योग	स्पीडोफर
1	मिक्सिंग प्रक्रिया	हां	नहीं
2	प्री-सिंट्रिंग प्रक्रिया	हां	नहीं
3	मिलिंग	हां	नहीं
4	स्प्रे ड्राइंग	हां	नहीं
5	प्रेसिंग	हां	नहीं
6	सिंट्रिंग	हां	नहीं
7	ग्राइंडिंग एवं पैकिंग	हां	नहीं

- ख. यह देखा जा सकता है कि स्पीडोफर कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है, बल्कि वह केवल ग्राइंडिंग के कार्यों को लागू करके अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को ग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर में परिवर्तित कर रहा है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण सुविधाओं में किए गए निवेश के संबंध में, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा हाल ही में किए गए निवेश की जांच की। यह देखा गया कि संयंत्र और मशीनरी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए कुल निवेश (***) करोड़ रुपए) में से केवल (***) करोड़ रुपए) ग्राइंडिंग के कार्यों के लिए आवश्यक है, जो संयंत्र और मशीनरी के लिए किए गए कुल निवेश का 5-10% होता है। चूंकि स्पीडोफर विचाराधीन उत्पाद की संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया को पूरी नहीं करता है, अतः अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर के विनिर्माण के चरण तक आवश्यक निवेश के संबंध में स्पीडोफर के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। इसलिए घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए निवेश का अधिकांश और महत्वपूर्ण हिस्सा केवल अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर बनाने के चरण तक की आवश्यकता है। ग्राइंडिंग के कार्यों के लिए आवश्यक मशीनरी को किए गए कुल निवेश में महत्वपूर्ण अनुपात नहीं माना जा सकता है।
153. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में अनग्राउंड सॉफ्ट फेराइट कोर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखने का निर्णय लिया है।
154. विचाराधीन उत्पाद के आयातक स्पीडोफर ने भी वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का निर्माता होने का दावा किया था। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि स्पीडोफर को विचाराधीन उत्पाद का निर्माता नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के अंतिम चरण पर केवल ग्राइंडिंग का काम करता है। प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण ग्राइंडिंग के काम को विनिर्माण नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि स्पीडोफर पाटन का लाभार्थी है।
155. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि स्पीडोफर विचाराधीन उत्पाद के आयात में शामिल है और वह ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार विचाराधीन उत्पाद पर ग्राइंडिंग करता है। स्पीडोफर का फोकस विनिर्माण के बजाय आयात पर है। स्पीडोफर द्वारा किया गया आयात काफी अधिक रहा है और इसने भारत में पाटन में योगदान दिया है। प्राधिकारी का यह मानना है कि स्पीडोफर को विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता। इसका उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए संगत नहीं है।

156. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के संबंध में, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने 2021-22 और जांच अवधि में आयात किए हैं। आवेदक द्वारा आयातित पीयूसी की मात्रा कुल भारतीय मांग और उत्पादन के 1% से कम बैठती है। आवेदक नियमित आयातक नहीं है, उसने नगण्य मात्रा में ही आयात किया है और वह मुख्य रूप से विनिर्माण की गतिविधि में लगा हुआ है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए आयातों के कारण उसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने से वंचित नहीं किया जाता।
157. आयातों के लिए आवेदक के औचित्य का समर्थन करने वाले साक्ष्य के प्रकटीकरण के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों का कारण घरेलू उद्योग की व्यवसायिक रूप से संवेदनशील सूचना है और इसे पाटनरोधी नियमों के नियम 7 के अंतर्गत प्रकट नहीं किया जा सकता है।
158. घरेलू उद्योग द्वारा यह दर्शाने के लिए प्रदान किए गए ईमेल के प्रकटीकरण के अनुरोध के संबंध में कि उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए गुणवत्ता संबंधी मामलों का समाधान कर दिया गया है, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ईमेल घरेलू उद्योग की व्यवसायिक रूप से संवेदनशील सूचना है और इसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत प्रकट नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा उठाई गई गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के बारे में जानकारी है और घरेलू उद्योग ने उपरोक्त गुणवत्ता संबंधी मामले के समाधान को दर्शाने वाले साक्ष्य प्रदान किए हैं। चूंकि पत्राचार कुछ ही हितबद्ध पक्षकारों के बीच है, अतः प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन करना उचित नहीं समझते हैं।
159. कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने टीडीके इंडिया और घरेलू उद्योग की कीमतों में अंतर के मामले को उठाया है। प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि टीडीके इंडिया ने प्राधिकारी को यह सूचित किया है कि वह अपने उत्पादन का 80% निर्यात करता है और इस प्रकार, वर्तमान जांच में भाग लेने में उसकी रुचि नहीं है। यहां तक कि टीडीके इंडिया लाभ में रहा है, बावजूद इसके वह ऊंची कीमतों पर बिक्री कर रहा है, लेकिन लाभप्रदता टीडीके इंडिया द्वारा किए गए निर्यात के कारण हो सकती है अथवा यह कि टीडीके इंडिया घरेलू उद्योग की तुलना में विचाराधीन उत्पाद अर्थात् एनपीयूसी की विभिन्न ज्योमेट्री की बिक्री कर रहा है। तथापि, टीडीके इंडिया की भागीदारी न होने के चलते, इसे सत्यापन योग्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी टीडीके इंडिया और घरेलू उद्योग के बीच कीमत के अंतर के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं समझते।
160. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने 2021-22 से जांच की अवधि तक कर्मचारियों की संख्या में बदलाव करने में चालाकी की है, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तन के कारण कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। चूंकि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को संशोधित किया है और घरेलू उद्योग ने केवल संशोधित विचाराधीन उत्पाद से संबंधित संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन विचाराधीन उत्पाद के मूल दायरे और विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे के बीच कर्मचारियों की संख्या में किए गए आनुपातिक समायोजन के कारण हुआ है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षों ने गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सूचीबद्ध आंकड़ों पर भरोसा किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने लेखापरीक्षित लेखा पुस्तकों और अपनी संगत प्रक्रियाओं के अनुसार आंकड़े प्रदान किए हैं। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान वेतन और मजदूरी में वृद्धि करने के संबंध में घरेलू उद्योग से स्पष्टीकरण मांगा था। घरेलू उद्योग ने इसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान वेतन और मजदूरी में वृद्धि मुख्य रूप से क्षमता में वृद्धि के साथ कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और 2021-22 में श्रमिकों और कर्मचारियों के मजदूरी/ वेतन में वृद्धि होने के कारण हुई है, जो पिछले कुछ वर्षों से रुकी हुई थी क्योंकि घरेलू उद्योग को पाटित किए गए आयातों के कारण अत्यधिक क्षति का सामना करना पड़ रहा था।

161. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों को अनुमोदन न दिए जाने के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी आयातक/ उपयोगकर्ता ने यह दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
162. घरेलू उद्योग द्वारा ओईएम से आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद के अनुमोदन के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने ट्रांसफॉर्मर डिवीजन अलीशा कॉइल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स द्वारा ओईएम को की गई बिक्री के नमूना इनवॉयस, घरेलू उद्योग के उत्पाद के उपयोग को मंजूरी देने वाले ओईएम के नमूना विनिर्देश और अनुमोदन पत्र, घरेलू उद्योग द्वारा ओईएम को की गई बिक्रियों के नमूना इनवॉयस के रूप में ओईएम को की गई आपूर्ति का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को की गई बिक्री के नमूना इनवॉयस भी प्रदान किए हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ ओईएम और ग्राहकों द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद को मंजूरी न देने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसे ट्रांसफॉर्मर निर्माताओं के हरेक ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
163. जहां तक किसी वर्ष के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत का संबंध है, यह उस पूरे वर्ष के लिए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री की समग्र लागतों का प्रतिनिधित्व करती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बिक्री लागत की गणना पूरे वर्ष के लिए कच्ची सामग्री की खपत कीमत के आधार पर की जाती है और खरीद कीमतों के साथ खपत कीमत की तुलना उस स्थिति में भ्रामक हो सकती है जहां कच्ची सामग्री की कीमतों में काफी भिन्नता होती है।
164. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग अपने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग अपने इन-हाउस डिवीजन अर्थात् अलीशा कॉइल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स में कैप्टिव उपयोगों के लिए कर रहा है और विचाराधीन उत्पाद के कैप्टिव उपभोग का ब्यौरा नहीं दिया है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसके दो डिवीजन हैं, सीएफआर डिवीजन और एसीटी डिवीजन। जीएसटी नियमों के अनुसार, सीएफआर डिवीजन द्वारा एसीटी डिवीजन को की गई बिक्री को आपूर्ति माना जाता है और इस प्रकार, यह जीएसटी के अधीन है और सीएफआर डिवीजन की पुस्तकों में बिक्री के रूप में और एसीटी डिवीजन की पुस्तकों में खरीद के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। घरेलू उद्योग ने एसीटी डिवीजन को किए गए विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के लिए जीएसटी इन्वॉयस भी प्रदान किए हैं। तदनुसार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग की गणना में घरेलू उद्योग द्वारा एसीटी डिवीजन को की गई विचाराधीन उत्पाद की बिक्री शामिल है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एसीटी डिवीजन की बिक्री कीमत असंबद्ध ग्राहकों की कीमतों के बराबर है।
165. आयातकों/ उपयोगकर्ताओं ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे एनआईपी का निर्धारण करने के लिए विचार की गई अक्षमताओं पर विचार करें, जिन्हें घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर लागू किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एनआईपी पर पहुंचने के लिए किए गए समायोजन, पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III के अनुसार किए गए हैं।
166. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र के अनुसार घरेलू उद्योग की क्षमता पर विचार किया है, जैसी कि प्राधिकारी की प्रक्रिया है। इसके साथ ही, ऐसे विचाराधीन उत्पाद के मामले में, जिसमें कई अनुकूल बनाने योग्य ज्योमेट्री शामिल हैं, प्रत्येक ज्योमेट्री के लिए अलग से क्षमता निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की समग्र क्षमता पर विचार किया है और घरेलू उद्योग के वास्तविक उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों के आधार पर ज्योमेट्री का दायरा निर्धारित किया है।
167. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति की जांच घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग के आधार पर की गई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति का विश्लेषण क्षमता उपयोग के आधार पर नहीं बल्कि घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मापदंडों के आधार पर किया गया है। तथापि, यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग की क्षति को स्थापित करने के लिए सभी आर्थिक मापदंड गिरावट दर्शाते हों।

168. इसके अलावा, भारत में मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध क्षमताओं के बावजूद घरेलू उद्योग का कम क्षमता उपयोग इस बात को दर्शाता है कि पाटित किए गए आयातों ने घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि को प्रतिबंधित कर दिया है।
169. अनुबंध II के पैरा ii में यह कहा गया है कि प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, चाहे वह निरपेक्ष रूप से हो या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष हो। वर्तमान जांच में, उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, जबकि जांच अवधि में इसमें मामूली गिरावट आई है। बावजूद इसके, आयात पूरी क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण बने रहे।
170. वस्तुसूची में गिरावट आना प्रासंगिक है लेकिन चूंकि विचाराधीन उत्पाद एक अनुकूल बनाने योग्य उत्पाद है और इसे अलग-अलग ज्योमेट्री में बेचा जाता है, अतः वस्तुसूची में गिरावट को इस तथ्य का संकेत नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा, यह दोहराया जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी मानदंड क्षति को स्थापित करने के लिए गिरावट दिखाते हों।
171. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और आरओसीई की स्थिति वर्ष 2021-22 को छोड़कर पूरी क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक रहे हैं, जो घरेलू उद्योग के लिए एक असाधारण वर्ष था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष से हानियों में गिरावट रहना घरेलू उद्योग के आर्थिक प्रदर्शन में सुधार के समान नहीं है। जांच की अवधि में हानियां अभी भी एक महत्वपूर्ण स्तर पर है और यहां तक कि जांच की अवधि में हानि 2020-21 से बढ़ गई है और वर्ष 2021-22 में लाभ जांच अवधि में हानि में बदल गया। घरेलू उद्योग नकारात्मक नकदी लाभ और पीबीआईटी का सामना कर रहा था।
172. प्राधिकारी ने पहले ही नोट कर लिया है कि एसीटी को की गई बिक्री को घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। एसीटी को की गई बिक्री को बिक्री के रूप में माना गया है और बिक्री विचाराधीन उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य पर की गई है। इसके अलावा, कैप्टिव बिक्री को शामिल करने और बाहर करने सहित घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों को निर्धारित करने के लिए कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है।
173. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई लागत के संबंध में, प्राधिकारी ने कानून के तहत निर्धारित पद्धति के अनुसार घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और एनआईपी का निर्धारण किया है।
174. वर्तमान जांच में कारणात्मक संबंध के अभाव के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है या कोई अन्य "ज्ञात" कारक सामने नहीं लाया है, जिससे यह पता चल सके कि वर्तमान जांच में पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
175. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ट्रांसफार्मरों की लागत में वृद्धि होगी और भारत में ट्रांसफार्मर उद्योग समाप्त हो जाएगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है, तथा इससे सॉफ्ट फेराइट कोर के आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा।
176. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में भाग लेने वाले किसी भी उपयोगकर्ता ने प्राधिकारी द्वारा जारी ईआईक्यू के तहत अपेक्षित अपने उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाण निर्धारण उपलब्ध नहीं कराया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक उपकरणों की कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाण निर्धारण किया है, जिसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। कुछ आयातकों/ उपयोगकर्ताओं द्वारा शुल्क के प्रभाव का दावा विलम्ब के चरण में दायर किया गया है।
177. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार बढ़ेगा और उपयोगकर्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में केवल उचित कीमतें सुनिश्चित होती हैं तथा इससे आयातों पर प्रतिबंध या रोक नहीं है।

178. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद के अनुमोदन के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई भी सकारात्मक साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद आयातित संबद्ध वस्तुओं की तुलना में खराब गुणवत्ता के हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पहले ही भारत के साथ-साथ निर्यात बाजार में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति कर दी है, वह भी काफी मात्रा में और लंबी अवधि के लिए।
179. कुछ नए पक्षकारों जैसे बजरंग इलेक्ट्रॉनिक्स, भूमि इलेक्ट्रॉनिक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, जीके इलेक्ट्रॉनिक्स, केएम मैग्नेटिक्स, गुरसिम टेक्नो इंडिया, मैगसोल टेक्नोलॉजीज, एन एन मैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लिमिटेड, रिसव इलेक्ट्रॉनिक्स, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलविजन इंडिया, सनराइज इलेक्ट्रो, विगोर इंडस्ट्रीज, विजया इलेक्ट्रॉनिक्स ने कर्मचारियों की संख्या, वार्षिक ट्रांसफार्मर उत्पादन, कम लाभ मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण लागत में वृद्धि की जानकारी दी है और पाटनरोधी शुल्क न लगाने का अनुरोध किया है। चूंकि इनमें से किसी भी पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और यह उनके द्वारा कोई जानकारी प्रदान करने का पहला मामला है, इसलिए प्राधिकारी उन्हें हितबद्ध पक्षकार नहीं मान सकते।
180. *ऐलसिना* ने प्रकटीकरण विवरण जारी करने से पहले भी वर्तमान जांच में कुछ अनुरोध किए हैं। तथापि, *ऐलसिना* ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया। *ऐलसिना* ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आर्थिक हित प्रश्नावली के अनुसार कोई जानकारी भी प्रदान नहीं की। इस प्रकार, प्राधिकारी वर्तमान जांच में *ऐलसिना* को एक हितबद्ध पक्षकार नहीं मानते हैं। इसके अलावा, *ऐलसिना* अपने अनुरोध अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रसारित करने में विफल रहा है। इसलिए, प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(3) के तहत *ऐलसिना* द्वारा दाखिल किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जा रहा।
181. इसके अलावा, चीन के विनिर्माताओं की कम भागीदारी इस बात का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकती कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से ट्रांसफार्मरों के आयातों में वृद्धि होगी।
182. घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति होने के खतरे की जांच के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अनुसार प्राधिकारी को यह जांच परिणाम दर्ज कराना होगा कि भारत में संबद्ध आयातों से भारत में किसी स्थापित उद्योग को भौतिक क्षति पहुंच रही है अथवा क्षति की आशंका हो रही है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना में भौतिक रूप से बाधा आ रही है। चूंकि, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि चीन जन. गण. से पाटन किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है, अतः उसने क्षति की जांच को केवल घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति के संबंध में सीमित करने का निर्णय लिया है।
183. मूल्यानुसार शुल्क की सिफारिश के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी का यह मानना है कि विचाराधीन उत्पाद एक अनुकूलित उत्पाद है और इसमें अनेक ज्योमेट्री होती है तथा इसका व्यापार अथवा बिक्री "टुकड़ों" या "जोड़ों" या "संख्याओं" में होती है। घरेलू उद्योग के साथ-साथ चीन के निर्यातक भी इनवाँयस "टुकड़ों" या "जोड़ों" या "संख्याओं" में जारी करते हैं। निष्पक्ष तुलना करने के लिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए माप की इकाई वजन (किलोग्राम) ली गई है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित दर के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिकारियों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा और उन्हें पाटनरोधी शुल्क का आकलन करने और उसे एकत्र करने में प्रशासनिक कठिनाई होगी क्योंकि उन्हें आयातित ज्योमेट्री के प्रकार के आधार पर प्रत्येक शिपमेंट के वजन की गणना करने की आवश्यकता होगी। अगर कुछ निर्यातक शिपिंग दस्तावेजों में वजन घोषित भी करते हैं, तो भी इसकी सटीकता की पुष्टि करना प्रशासनिक रूप से कठिन है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मूल्यानुसार पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

ढ. निष्कर्ष और सिफारिशें

184. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :
- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सॉफ्ट फेराइट कोर" है।

- ii. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित ज्योमेट्री और लंबाई के मैंगनीज-जिंक आधारित सॉफ्ट फेराइट कोर तक सीमित है :
- क) 10 मि.मी. से 128 मि.मी. तक की लंबाई के ईई/ ई/ ईएफ
- ख) 20 मि.मी. से 71 मि.मी. तक की लंबाई के पीक्यू/ ईक्यू
- ग) 24 मि.मी. से 35 मि.मी. तक की लंबाई के ईटी
- घ) 03 मि.मी. से 202 मि.मी. तक की लंबाई के टोरॉयड (कोटिंग के साथ और कोटिंग के बिना)
- ङ) 10 मि.मी. से 141 मि.मी. तक की लंबाई के यूयू/ यूआई
- च) 20 मि.मी. से 245 मि.मी. तक की लंबाई के आई बार
- छ) 11 मि.मी. से 67 मि.मी. तक की लंबाई के ईआर
- iii. वर्तमान जांच के दायरे में उपर्युक्त ज्योमेट्री को ग्राउंड और अनग्राउंड दोनों रूप शामिल हैं।
- iv. निम्नलिखित सॉफ्ट फेराइट कोर को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा गया है :
- क. निकेल-जिंक आधारित सॉफ्ट फेराइट कोर
- ख. मैग्नीशियम-जिंक आधारित सॉफ्ट फेराइट कोर
- ग. मिरर फिनिश के साथ मैग्नीशियम-जिंक सॉफ्ट फेराइट कोर
- v. संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुएँ और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के 'समान वस्तुएँ' हैं।
- vi. आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में 30-40% का योगदान है। अतः, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत 'प्रमुख अनुपात' के परीक्षण में पास होता है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।
- vii. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, और मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण हैं।
- viii. संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में 14% की वृद्धि हुई है। भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग का लगभग 50-60% पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, पाटन किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग का बाजार अंश लगभग 15-25% पर स्थिर रहा है। घरेलू उद्योग उत्पादन का इष्टतम स्तर हासिल करने में असमर्थ रहा है।
- ix. पाटन किए गए आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप पूरी क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक और महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के हानि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई जांच अवधि में नकारात्मक रहे हैं और 2020-21 की तुलना में गिरावट दर्शाते हैं।
- x. पाटन किए गए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है। क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण है।
- xi. पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
185. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और संस्तुत उपायों के प्रभाव के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और पाटनरोधी नियमों के तहत

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव का परिमाणीकरण करने के बाद, प्राधिकारी का मानना है कि पाटन और क्षति की पूर्ति के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

186. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन. गण के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जिसे वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाया गया है :

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के प्रतिशत के रूप में शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
1	85051110	सॉफ्ट फेराइट कोर *	चीन जन. गण.	चीन जन. गण . सहित कोई देश	हुज़ोऊ हाओतोंग इलैक्ट्रॉनिक टैक्नोलॉजी कं., लि. (उत्पादक)	31
2	- वही -	- वही -	चीन जन. गण .	चीन जन. गण . सहित कोई देश	यिबिन जिनचुआन इलैक्ट्रॉनिक्स कं., लि. और हेंगडियन गुप डीएमईजीसी मेग्नेटिक्स कं., लि.	शून्य
3	- वही -	- वही -	चीन जन. गण .	चीन जन. गण . सहित कोई देश	क्र. सं. 1 से 2 के अलावा कोई अन्य	35
4	- वही -	- वही -	चीन जन. गण . सहित कोई देश	चीन जन. गण .	कोई	35

*वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित ज्योमेट्री और लंबाई के मैंगनीज-जिंक आधारित सॉफ्ट फेराइट कोर तक सीमित है :

क) 10 मि.मी. से 128 मि.मी. तक की लंबाई के ईई/ ई/ ईएफ

ख) 20 मि.मी. से 71 मि.मी. तक की लंबाई के पीक्यू/ ईक्यू

ग) 24 मि.मी. से 35 मि.मी. तक की लंबाई के ईटी

घ) 03 मि.मी. से 202 मि.मी. तक की लंबाई के टोरॉयड (कोटिंग के साथ और कोटिंग के बिना)

ङ) 10 मि.मी. से 141 मि.मी. तक की लंबाई के यूयू/ यूआई

च) 20 मि.मी. से 245 मि.मी. तक की लंबाई के आई बार

छ) 11 मि.मी. से 67 मि.मी. तक की लंबाई के ईआर

ण आगे की प्रक्रिया

187. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के खिलाफ कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम/ नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2024

FINAL FINDINGS

Case No. – AD(OI) – 21/2023

Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of “Soft Ferrite Cores” originating in or exported from China PR

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/22/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”) thereof.

1. Cosmo Ferrites Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Soft Ferrite Cores” (hereinafter also referred to as the “product under consideration”, or the “subject goods”) originating in or exported from China PR” (hereinafter referred to as the “subject goods”) from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima-facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/22/2023-DGTR dated 30th September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation in accordance with Section 9 of the Custom Tariff Act, 1975 Act read with Rule 5 of the Anti-dumping Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the said subject country, and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which, if levied would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as per the information made available to it by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

- d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was sent to the other interested parties.
- e. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers/exporters in its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- f. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-dumping investigation to the following known producers/exporters in the subject country, as made available by the applicant and offered an opportunity to them to make their submissions known in accordance with Rule 6(2) of the Rules:
- i. TDG Holding Co Ltd
 - ii. Falco Electronics Xiamen Coltd
 - iii. Hangzhou Global-Star Electronic Co Ltd
 - iv. Tongxiang Huayuan Electronic Co Ltd
 - v. Shanghai Magway Magnetic Co Ltd
 - vi. Haining Lingtong Impoert And Export
 - vii. Hangzhou Hongqiao Electronic Technology Co Ltd
 - viii. M S Tak Technology Heyuan Co Lt
 - ix. Hengdian Group Dmegc Magnetics Co Ltd
 - x. Zaozhuang Yiyuan Electronics Technology Co Ltd
 - xi. M S Guangzhou Tongyang Electronics
 - xii. Shenzhen Yimai Supply Chain Management Co Ltd
 - xiii. Xuyi Ouge Electronic Co Ltd
 - xiv. Changxing Chaoneng Technology Co Ltd
 - xv. Ferrics Technology Co Limited
 - xvi. Kinsung International Hk Co Ltd
 - xvii. Yangzhou Rd Co Ltd
 - xviii. BTR Co Ltd
 - xix. Zhongshan Saqiang Import And Export Trading Co Lt
 - xx. Ferroxcube Dong Guan Ltd
 - xxi. Shaanxi Shinhom Enterprises Co Ltd
 - xxii. Shunxin International Trading Co Ltd
 - xxiii. Falco Electronics Xiamen Co Ltd
 - xxiv. Haining Kangming Electronic Co Ltd
 - xxv. Ningbo Yinzhou Guanya Import Expo
- g. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
- i. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
 - ii. Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd.
 - iii. Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd.
 - iv. Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd.
- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. GT Electronic I Pvt Ltd

- ii. Shah Electronics
- iii. Minghao Electronics India Private Limited
- iv. Kaypee Electronics Associates Pvt Ltd
- v. Dongjin Electronics India Private Limited
- vi. Parker Overseas Pvt Ltd
- vii. Siya Overseas LLP
- viii. Speedofer Components Pvt Ltd
- ix. Contact Engineering Madras Private Limited
- x. Ferro Star
- xi. Flare Luminaires Private Limited
- xii. Perfect Electronics Private Ltd
- xiii. Elcompo Electronic Industries Private Limited
- xiv. Dolphin Automation
- xv. Salcomp Manufacturing India Private Limited
- xvi. Utsavagiri Computers Electronic Industries P Ltd
- xvii. FCI OEN Connectors Limited
- xviii. Victor Magnetics Private Limited
- xix. Gursim Techno India
- xx. Apex Wire
- xxi. Jaquar Company Pvt Ltd
- xxii. Vigor Industries
- xxiii. Sansun Opto Electronics Co
- xxiv. Delta Electronics India Private Limited
- xxv. Radhika Opto Electronics Pvt Ltd
- xxvi. Goel Lightings
- xxvii. Samtron Overseas
- xxviii. Ms Electronics
- xxix. Ukb Electronics Private Limited
- xxx. Cherokee India Pvt Ltd
- xxxi. Ace Electro
- xxxii. Calcom Vision Ltd
- xxxiii. Avalon Technology And Services Private Limited
- xxxiv. Eos Power India Pvt Ltd
- xxxv. Igarashi Motors India Ltd
- xxxvi. Svm Private Limited
- xxxvii. K N Enterprises
- xxxviii. Ecoled Illuminations Pvt Ltd
- xxxix. Syrma Technology Private Limited
- xl. Gt Magnetics Private Limited
- xli. Gaviranga Enterprises
- xlii. Just Electrons

- xliii. S A Electronics
 - xliv. Indo-Tech Magnetics Private Limited
 - xlv. Sunoxer Technologies
 - xlvi. Rahat Shah Electronics
 - xlvii. Victory Devices Private Limited
 - xlviii. Reliance Enterprises
 - xlix. Molex India Private Limited
- i. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following importers and users have submitted questionnaire responses to the Authority:
- i. Speedofer Components Pvt. Ltd.
 - ii. Victor Magnetics Private Limited
 - iii. GT Magnetics Private Limited
 - iv. Minghao Electronics India Private Limited
 - v. YMD Electromac India
 - vi. Ferro Star
 - vii. Shree Shyam Components
 - viii. Siya Overseas LLP
- j. The user questionnaire response filed by Ferro Star, Shree Shyam Components and Siya Overseas LLP are found to be incomplete.
- k. Further, the following interested parties have also made submissions during the investigation:
- i. China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)
 - ii. Electronic Industries Association Of India (Elcina)
- l. The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted by the following interested parties :
- i. Cosmo Ferrites Limited (“domestic industry”)
 - ii. Speedofer Components Pvt. Ltd.
 - iii. Prismatic Engineering Pvt. Ltd.
 - iv. Minghao Electronics India Private Limited
 - v. YMD Electromac India
 - vi. Ferro Star
 - vii. Shree Shyam Components
 - viii. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. & Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd.
 - ix. Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. & Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd.
- m. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury investigation for the present investigation is April 2019 to March 2020, April 2020 to March 2021, April 2021 to March 2022 and the POI.
- n. The Directorate General of Systems (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past injury investigation period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered for the subject investigation. For the purpose of the present final findings, the Authority has relied upon the DG System import data.
- o. The Authority held two meetings with all the interested parties to discuss the product under consideration and the PCN methodology on 16.01.2024 and 07.02.2024. After receiving inputs from all the interested parties, the Authority vide notification dated 05.04.2024 redefined the scope of the product under consideration.

- p. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties to other interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views in an oral hearing held on 31.05.2024. Further, a fresh oral hearing was held on 13 September, 2024 due to change in the Designated Authority. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.
- r. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 7 November 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- s. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- t. The information submitted by the applicant and other interested parties has been examined and verified to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings.
- u. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on a confidential basis were directed to provide an adequate summary of the confidential version in a non-confidential version.
- v. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- w. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- x. '***' in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 81.08.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration (herein after also referred to as "PUC") was defined as follows:

"3.The product under consideration in the present investigation is "Soft Ferrite Cores" originating in or exported from China PR. Ferrite cores are magnetic cores made of ferrites, which are polycrystalline oxides. They belong to a class of materials that exhibit the technically applicable property of ferromagnetism. In a ferromagnetic material, magnetism occurs under an externally applied field. On removals of this field, the material returns to its non-magnetic state. This behaviour is termed as magnetically "soft".

4.Soft Ferrites Cores are made from ceramic compounds by mixing, pressing, extruding, and firing large proportions of ferric oxide (Fe2O3) blended with a small proportion of one or more additional metallic elements such as strontium, barium, manganese, nickel, and zinc. The most common forms of Soft Ferrite Cores are Manganese-zinc ferrite (MnZn) and Nickel-zinc ferrite (NiZn). The product

under consideration in the present investigation is limited to Manganese-Zinc-based Soft Ferrite Cores.

5.The product under consideration is used to attenuate high-frequency noise levels caused by electronic devices. They are available in a variety of geometries to make them suitable for different industries. Owing to their high magnetic permeability & low electrical conductivity, they are equipped in applications, such as RF transformers, switch mode power supplies (SMPS) & ferrite loop stick antennas. They are used in several applications, including but not limited to, electric vehicles, electric vehicle chargers, mobile chargers, LED drivers, telecommunication devices, solar panels etc.

6.The product under consideration is imported under tariff item 85051110 “Ferrite Cores” of the first schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present petition.”

C.1. Submissions made by the other interested parties

5. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration:
 - i. There are discrepancies between the claims made by the applicant regarding the product range manufactured by them and the products actually supplied by them.
 - ii. The quality of the products supplied by the domestic industry is inconsistent and has performance issues.
 - iii. The scope of the PUC cannot be decided based on the product catalogue of the domestic industry. The Authority should restrict the scope of PUC to only EE, PQ and Toroid cores as discussed in the two discussions held by the Authority.
 - iv. The Authority must restrict the scope of PUC to only those geometries actively sold by the domestic industry and used by domestic customers.
 - v. The domestic industry does not possess the tools to manufacture several geometries of EE, PQ and Toroid cores.
 - vi. The domestic industry manufactures only 445 geometries and 12 raw material grades out of the 70 grades under HSN code 85051110. The domestic industry must provide the production data of the geometries and grades produced by it.
 - vii. Each geometry of soft ferrite cores is tailored to optimize performance characteristics such as application, frequency, inductance, magnetic flux, thermal stability, and EMI shielding, making them indispensable in designing efficient and effective electronic components and systems. Since applicant does not produce all geometries and ranges, every geometry and range not produced by the applicant must be excluded from the scope of the product under consideration.
 - viii. Different applications require different sizes and shapes of ferrite cores. From consumers point of view, different types are not inter-se substitutable. For example, EE1310 cannot substitute EE1313, even if 1310 becomes much cheaper than 1313.
 - ix. The performance of ferrite cores can vary with frequency. Specific dimensions and shapes are designed to optimize performance for low, medium, or high-frequency applications.
 - x. Different applications generate varying amounts of heat and therefore, ferrite cores are needed to be designed by the producers to meet very specific requirements of the consumers in respect of various sizes to manage thermal dissipation effectively.
 - xi. Magnetic properties of ferrite cores, such as permeability and saturation flux density, are influenced by their dimensions. Different applications require specific magnetic characteristics, necessitating a range of core sizes
 - xii. Electronic devices have different spatial limitations. To fit into various design constraints, ferrite cores are manufactured in numerous dimensions. Thus, ferrite producers must produce and give very specific size required by the consumers
 - xiii. The inductance of a coil wound on a ferrite core depends on the core's size and shape. Designers need a variety of core dimensions to achieve the desired inductance values for different circuits. This again makes different types different product for a consumer.

- xiv. Smaller cores would cost lesser. Therefore, the power supply equipment manufacturers tend to optimise their costs by reducing the sizes to the extent possible.
- xv. Often specific core dimensions for custom applications or prototyping are required which need wide range sizes.
- xvi. There are industry standards for certain applications that dictate the use of specific core sizes.
- xvii. Paragraph 3.10 of the manual of operating procedures provides that the only those items should be included in the product scope which are produced and commercially sold by the domestic industry.
- xviii. CESTAT in Oxo Alcohols Industries' Association vs. Designated Authority held that if the products are not manufactured by the domestic industry, the import of the same could not cause injury to the domestic industry, and therefore, such products should be excluded from the scope of the product under consideration.
- xix. The methodologies suggested by the domestic industry to differentiate between MnZn soft ferrite cores, NiZn soft ferrite cores, and MgZn soft ferrite cores at Custom ports are impractical and expensive.
- xx. The purpose of the PUC/ PCN meeting was only to understand the scope of the product under consideration and cannot be treated as a hearing, nor can be considered as a decision which has attained finality.
- xxi. There is also a price variation among different geometries of the PUC. Different products cannot be interchangeably used by the consumers . Thus, exclusion of certain geometries from the scope of PUC cannot lead to circumvention of the ADD.
- xxii. Transformer producers are barred from using a non-approved soft ferrite. These are clear and strict instructions from their consumers. Further, it is not for the transformer producers to seek approval of soft ferrite of some producer. Cosmo product is undisputedly not approved by several large end consumers.
- xxiii. If any domestic producer does not produce that particular type (geometry), the transformer producer will have to either import it or not produce the particular transformer
- xxiv. The Authority must consider only the production of the applicant for defining the scope of PUC in the present investigation. The production by other domestic producers is irrelevant.
- xxv. The applicant is a well-established domestic industry and cannot seek protection on geometries not actually produced by it in commercial volumes. Mere competence without any actual production and merchant sales must be considered insufficient to include an item in the definition of the PUC.
- xxvi. Ungrounded soft ferrite core was never included inside the scope of the product under consideration. What was included inside the scope of the product under consideration was soft ferrite core which has the applicable property of ferromagnetism i.e., grounded soft ferrite core. The Authority defined ungrounded soft ferrite core as unfinished product. Unfinished product does not exhibit the properties of finished product. In any case, the applicant has in none of its submissions till this stage sought anti-dumping duty on imports of ungrounded soft ferrite core.
- xxvii. The applicant has not stated that ungrounded soft ferrite is included under the scope of the product under consideration in any of its submissions. The scope of the product under consideration has been enhanced by the Authority after the initiation of the investigation and without being sought by the applicant.
- xxviii. Ground and unground soft ferrite articles do not compete with each other since they are different in terms of usage and physical characteristics. The unground ferrite core cannot be used in the manufacture of transformers as it lacks the necessary characteristics required for practical application and will not provide the desired electrical properties. Grinding is only a pre-requisite step before the final product is manufactured.
- xxix. The applicant does not have a dedicated factory/setup for grinding and cannot provide the actual information on cost incurred from unground to ground soft ferrite, the net fixed assets required, and the value addition done when converting unground soft ferrite core to ground soft ferrite core.

- xxx. Since Speedofer has a dedicated factory/ setup to undertake the process of grinding, only its data can form the basis for calculation of value addition and the net fixed assets deployed for this.
- xxxii. The grinding process to convert unground soft ferrite core to ground soft ferrite core is not merely an incremental activity. Since each soft ferrite core has to be physically inspected for over a hundred defects, the quality checks performed by Speedofer must be counted as production activity after making unground soft ferrite cores.
- xxxiii. The past findings relied on by the applicant do not justify the inclusion of intermediate/penultimate products in the scope of PUC. The facts of the final findings relied on by the domestic industry are different from the facts of the present case.
- xxxiv. The applicant's reliance on the factors analyzed by the Authority in the matter of Ofloxacin to justify inclusion of ungrounded soft ferrite cores is flawed since the value addition from O-Acid to Ofloxacin was below 5%.
- xxxv. Speedofer Components Pvt. Ltd incurs around Rs *** per MT cost on imported ungrounded soft ferrite core to convert it into grounded soft ferrite core which amounts to more than 40% value addition. More than *** people are employed to undertake this exercise.
- xxxvi. Producers of grounded soft ferrite core from ungrounded soft ferrite core cannot be unfairly more competitive over the applicant, for the reason that whereas the applicant has reported that it incurs only insignificant costs from ungrounded soft ferrite core to grounded soft ferrite, the stand alone producers would incur significant costs.
- xxxvii. The Authority has not provided any reason for inclusion of unground soft ferrite cores in the scope of PUC in the present investigation in its notice specifying the PCN. The meetings held by the Authority to understand the scope of PUC and PCN cannot be treated as a decision. Thus, the interested parties are free to advance their arguments regarding the scope of PUC.

C.2. Submissions made by the domestic industry

6. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the product under consideration:
- i. The domestic industry manufactures only MnZn soft ferrite cores. MgZn soft ferrite cores and NiZn soft ferrite cores are excluded from the scope of the PUC in the present investigation.
 - ii. MnZn soft ferrite cores are customized products which are manufactured as per the customer's specifications such as geometries, dimensions and compositions. It is not possible to list each type of soft ferrite cores that the domestic industry manufactures or is capable of manufacturing in the domestic industry's catalogue. Certain types of MnZn soft ferrite cores are also manufactured only when a customer places an order with the domestic industry with the required specifications.
 - iii. The domestic industry manufactures more than 1500 types of MnZn soft ferrite cores. This can be seen in the product portfolio of the domestic industry.
 - iv. The list of products sold and the powders used from 2018-19 till December 2023 shows that the domestic industry has sold more than 1500 types of MnZn soft ferrite cores.
 - v. To identify whether an imported soft ferrite core is PUC or NPUC, the Customs Authorities may verify the chemical composition of a soft ferrite core through the material safety data sheets maintained by the manufacturers of soft ferrite cores. The Customs Authorities at the port may differentiate that chemical composition of soft ferrite cores to ascertain PUC and NPUC using the X-ray Fluorescence technique and chemical analysis in an NABL accredited lab to determine the composition of a soft ferrite core.
 - vi. The Customs Authorities may also differentiate chemical composition of soft ferrite cores to ascertain PUC and NPUC by testing the electrical resistivity of the soft ferrite core.
 - vii. The dimensions of a soft ferrite core can be measured using a vernier caliper. The nomenclature of the dimensions of MnZn soft ferrite is universal.
 - viii. The importers/users who are raising issues of quality before the Authority have also purchased PUC from the domestic industry and have sent appreciation mails to the domestic industry for such supplies. In support of the same, the domestic industry has provided sample appreciation emails. These parties are also regularly purchasing the PUC from the domestic industry.

- ix. With respect to the supply issues raised by some of the importers / users, the list of sample transactions with purchase order date, committed delivery date and final invoice dates from previous years have been provided to show that there are no delays in the domestic industry's deliveries to the customers. The domestic industry is also prompt in replying to product enquiries made by customers.
- x. Speedofer's claim regarding 70 grades under HSN code 85051110 is unsubstantiated. Speedofer may also be referring to grades used to manufacture NiZn soft ferrite cores, which is NPUC in the present investigation.
- xi. The domestic industry has been supplying MnZn soft ferrite cores to the major transformer manufacturers in India. In support of the same, the domestic industry has provided the purchase orders along with the invoices of sales made to these transformer manufacturers.
- xii. The Authority should not restrict the scope of PUC in the present investigation based on the volume/value of imported cores. The legal criteria to exclude a type / grade of PUC is well settled i.e., if the domestic industry is not manufacturing / not capable of manufacturing a like article in India and imports of which cannot cause injury to the domestic industry.
- xiii. The PUC is a made-to-order specialized product and not all the geometries are manufactured by the domestic industry in the same ratio. They are manufactured when a customer places an order with the domestic industry with the required specifications.
- xiv. It has never been the practice of the Authority to define the scope of the PUC based on volume/value of imports of the subject goods.
- xv. Narrowing down the scope of PUC based on geometries and dimensions will defeat the entire purpose of the present investigation since it will lead to rampant circumvention by the producers in China PR by altering the product descriptions.
- xvi. The domestic industry has supplied high end PUC to transformer manufacturers like Victor Magnetics Private Limited.
- xvii. The domestic industry does not manufacture soft ferrite cores with mirror finish.
- xviii. In an anti-dumping investigation, quality is not a parameter for seeking exclusions and quality is not relevant in defining the scope of PUC.
- xix. Contrary to claims of the importers, the Authority had not decided to restrict the scope of PUC to EE, PQ and Toroid cores in meetings held for PUC/PCN.
- xx. The claims of Speedofer regarding the lack of tools with the domestic industry is without any substance and should not be entertained.
- xxi. The domestic industry has submitted evidence of supplies made to OEMs in form of invoices of sales made by its transformer division Alisha Coils and Transformers to OEMs, specification and approval sheets of OEMs approving the usage of domestic industry's product, sample invoices of sales made by the domestic industry to OEMs.
- xxii. The purpose of PUC/PCN meetings is to finalize the scope of PUC so that information regarding the revised PUC can be collected from all concerned parties. The assertion by importers/users that the purpose is just to discuss the scope of the PUC/PCN without deciding it is absurd.
- xxiii. Since anti-dumping investigation is a time-bound exercise where the Authority has set deadlines for determining aspects such as the scope of PUC and PCN methodology, any further consideration in this regard will only undermine the findings of the Authority on the scope of PUC which has been formalized after such extensive deliberations by all parties and examination of all submissions by the Authority.
- xxiv. The domestic industry has provided all the requisite evidence as directed by the Authority in all its past submissions and has substantiated its claims; while none of the interested parties have made any substantiated claim backed by any positive evidence for defining the scope of PUC in the present investigation.
- xxv. The submissions by one of the importers and trader of the PUC, Speedofer that unground soft ferrite cores should be excluded from the scope of the PUC in the present investigation should not be entertained as Speedofer's change in position from a manufacturer of the PUC to an importer of the PUC creates serious doubts on the veracity of the information and statements made by Speedofer in the present investigation.

- xxvi. Speedofer has been opposing the anti-dumping application since the beginning of the investigation, irrespective of whether unground soft ferrite cores have been included in the PUC. Therefore, the claims made by Speedofer that that it was supporting the application of domestic industry and started opposing it only when the unground soft ferrite cores was included in the scope of the PUC at a later stage is false.
- xxvii. Speedofer has in its active participation shared false information as it declared itself as one of the manufacturers of the PUC despite performing only last stage grinding operations on imported unground PUC.
- xxviii. Unground soft ferrite cores are the penultimate stage in the production process of soft ferrite cores and is a 'Like Article' to the soft ferrite cores i.e., PUC has no independent uses and have the same raw materials and manufacturing process.
- xxix. The basic property of the soft ferrite core is intrinsic magnetic property which is set during sintering and cannot be altered at any stage of the process. Therefore, the grinding operation does not add nor modify the intrinsic magnetic property of soft ferrite cores i.e., there is no difference in the basic properties of unground soft ferrite core and the PUC.
- xxx. The conversion process of the unground soft ferrite core is the process of grinding, which is simple and inexpensive. The Ld. CESTAT in *Oswal Wollen Mills Ltd. vs. Designated Authority* also recognized that if a product is easily convertible and such a fact is also recognized by exporters, then the products are "like products".
- xxxi. Speedofer carries out one step in the production process, before supplying the PUC to its customers. The Authority has examined similar situations in the past and has held that the intermediate product must be included in the scope of the PUC regardless of the value addition. There exists a strong possibility of circumvention of measures of unground soft ferrite is excluded from the scope of the PUC in the present investigation. If unground soft ferrite cores are excluded from the scope of the PUC, the importers will continue to import unground soft ferrite cores at dumped prices, carrying out grinding operations in India and the injury to the domestic industry will further intensify, defeating the purpose of the ADD when imposed.
- xxxii. The imports of unground soft ferrite cores are significant in the total imports of the PUC into India and has increased over the injury period to as high as 30%.
- xxxiii. There are no characteristic physical or chemical differences between unground soft ferrite cores and PUC. The crucial properties of the PUC i.e., magnetic properties are set during the sintering process. This shows that the product has been produced post-sintering and the importers importing unground soft ferrite cores are not carrying out any operations regarding the manufacturing of the PUC. Grinding operation is not an incremental process to manufacture finished soft ferrite cores.
- xxxiv. Entities apart from Speedofer such as Gursim Techno India, Kaypee Electronics Associates Pvt Ltd and SS Electronics have imported unground soft ferrite cores and have inhouse grinding facilities in India. The domestic industry has also supplied unground soft ferrite cores in the domestic market to Ferrite Sales Corporation, a trader like Speedofer.
- xxxv. Speedofer and the domestic industry both have employees engaged in the grinding process. But it is not a skill intensive exercise and is just the final stage in the manufacturing of the PUC.
- xxxvi. Speedofer is making profit as it is a beneficiary of dumping of the PUC in India. It has claimed a value addition of 15-20% in previous submissions and has revised it to 40% without any reasoning. The Authority in its Final Findings in the *anti-dumping investigation concerning imports of "Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes" originating in or exported from China PR* has noted that secondary producers who import the PUC and processed it to change its form have shielded themselves from dumping and have benefitted from dumping in India.
- xxxvii. Speedofer has not provided any verifiable quantification of conversion cost incurred by it from unground to ground soft ferrite cores.
- xxxviii. The import price of unground soft ferrite core is dumped prices and selling price of Speedofer will include its profit margin, and hence these values cannot be used to calculate value addition. Comparing the costs of production of ground and unground PUC is the appropriate methodology.

- xxxix. The domestic industry is aware of the conversion cost carried out in the grinding process of unground to ground PUC as it carries out the entire manufacturing process of the PUC, has assets dedicated to grinding and has sold unground PUC. The cost of conversion from unground to ground soft ferrite core is in the range of 4-5% of the total cost of production depending on the type of soft ferrite core.
- xl. A significant portion of investment is made up to the stage of sintering operations and the grinding operations require very less investment in equipment. Based on the machinery wise detail purchased for various operations involved in manufacturing of the PUC, machinery for grinding operations accounts for less than 5% of the total investment made for the plant and machinery.
- xli. The majority of the value addition in the manufacturing process takes place up to the stage of unground soft ferrite core. Nevertheless, value addition is not the sole criterion to include a penultimate product within the scope and unground soft ferrite cores have to be included in the scope of the PUC.
- xlii. The meaning of manufacturing, though not provided in anti-dumping laws, has been considered by judicial bodies under different laws. The cases of *Ujagar Prints (2) v Union of India 1989 (SC)* and *CST v Rajshree Electronics 1996*, both provide that manufacturing refers to application of processes to a commodity, to the point where it becomes something commercially new and distinct from the original commodity. Quality checks done by Speedofer cannot constitute manufacturing as they do not produce a new product.
- xliii. The scope of the PUC has been restricted by the Authority based on the actual production data of the domestic industry, and not the capacity of the domestic industry. The claims that the scope of PUC covers geometries not manufactured by domestic industry are baseless.
- xliv. The importer/users have not provided the geometries they believe are not manufactured by the domestic industry.
- xlv. PUC is a customized product and hence, the price of the same geometry can vary with each customer based on the negotiations. Claims by other interested parties that difference in prices of different geometries remove the possibility of circumvention is baseless.
- xlvi. The importer/users made no representations regarding price differences at the time of PCN submissions.
- xlvii. The final findings in the anti-dumping investigation on imports of Industrial Laser Machines, used for cutting, marking or welding” originating in or exported from China PR provides that where the product is customized, the capability to manufacture becomes relevant and if such types of PUC are in commercial competition with the like article they can be covered under the scope of the PUC, including PUC which have not been produced by the domestic industry. Likewise, the PUC in the present investigation is a customized product.
- xlviii. No submission has been made by the domestic industry to include geometries produced by other producers in the scope of the PUC.
- xliv. The Authority has not enhanced the scope of the PUC by adding unground soft ferrite cores but has provided a clarification since unground soft ferrite cores are the PUC without finishing and is hence included in the scope. Speedofer’s strong opposition since the beginning of the investigation shows that unground soft ferrite cores were always included in the PUC.

C.3. Examination by the Authority

7. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined as under:
8. Pursuant to the initiation, the opportunity to make comments on the scope of the product under consideration and PCN was provided to all interested parties. Thereafter, the Authority provided opportunities to all interested parties to explain their submissions with respect to PUC/PCN in the discussions held on 16th January 2024 and 07th February 2024.
9. The Authority notes that the domestic industry has excluded Nickel Zinc (NiZn) soft ferrite cores from the scope of the PUC in the application itself on the ground that NiZn soft ferrite cores are not produced by the domestic industry. Accordingly, the Authority had excluded NiZn soft ferrite cores from the scope of the PUC in the initiation notification.

10. Some of the interested parties made the claim that Magnesium-Zinc (MgZn) soft ferrite cores are not produced by the domestic industry in the PUC/PCN discussions & as per the initiation notification, the PUC is limited to only MnZn soft cores only. In response of the same, the domestic industry clarified that it does not manufacture MgZn soft ferrite cores and the same can be excluded from the scope of the PUC.
11. With respect to the claim regarding the exclusion of soft ferrite cores with mirror finish, the domestic industry has accepted that it does not carry out mirror finishing operations and the soft ferrite cores with mirror finish can be excluded from the scope of the PUC.
12. Some interested parties had sought exclusion of MnZn Soft Ferrite Cores used for high end applications. The Authority had requested these parties to provide a list of MnZn Soft Ferrite Cores used for high end applications. However, none of the interested parties provided such lists or any other submissions regarding the same.
13. After considering comments on the scope of the PUC and PCN methodology, the authority issued a notice that was published on the DGTR website on 5 April, 2024. The authority clarified that the scope of the PUC is restricted to the following geometries and length of MnZn Soft Ferrites Cores-

The Authority restricts the scope of the PUC to the following geometries and length of MnZn Soft Ferrites Cores-

 - a. *EE/E/EF of length 10 mm to 128 mm*
 - b. *PQ/EQ of length 20 mm to 71 mm*
 - c. *ET of length 24 mm to 35 mm*
 - d. *Toroid (with and without coating) of length 03 mm to 202 mm*
 - e. *UU/UI of length 10 mm to 141 mm*
 - f. *I Bars of length 20 mm to 245 mm*
 - g. *ER of length 11 mm to 67 mm*
14. The Authority notes that Speedofer was opposing the present investigation since the nascent stages of the investigation hence, the claim that Speedofer was supporting the application is incorrect.
15. The Authority notes that some of the interested parties have claimed that the Authority has enhanced the scope of PUC by including unground soft ferrite cores in the scope of PUC at a later stage. The other interested parties have claimed that what was included inside the scope of the product under consideration was only finished soft ferrite core which does not include ungrounded soft ferrite core. In this regard it is noted that the applicant has included the data of both grounded and ungrounded soft ferrite core in the application and the authority has just clarified the inclusion of the ungrounded soft ferrites core in the notice dated 5th April, 2024.
16. The Indian authority as well as the authorities in other jurisdictions have considered physical, technical and chemical characteristics of the product, its main use and applications, degree of interchangeability, consumer perception, distribution channels, manufacturing process, cost of production etc. as the parameters to define the scope of the product under consideration. The Authority has thus carefully considered arguments raised by all the interested parties and has examined the scope of the product under consideration based on the following parameters:
 - a. Commercial substitutability and manufacturing process;
 - b. Uses, raw materials, and properties of the products;
 - c. The resemblance in terms of properties even though there were substantial impurities in the domestically produced 'like product';
 - d. If the product is easily convertible and such a fact is also recognized by exporters; and
 - e. The difference in raw materials has not been considered decisive if the products are commercially / technically substitutable.
17. Applying these parameters to the facts of the present investigation, the Authority notes that unground and ground soft ferrite cores both fall under the scope of the PUC because:
 - a. Unground soft ferrite cores are the penultimate stage in the production process of soft ferrite cores.
 - b. The domestic industry has claimed that there is no independent use of unground soft ferrite cores, and it has to be converted to ground soft ferrite cores for usage. However, the user industry has disputed and claimed that ungrounded soft ferrite has its independent usage. In this regard, the Authority notes that

ungrounded soft ferrite has minimal independent use and limited application. For making the use of ungrounded soft ferrite core, it has to be converted to grounded soft ferrite cores.

- c. The manufacturing process of ground and unground soft ferrite cores is the same. Unground soft ferrite cores are the penultimate stage in the manufacture of ground soft ferrite cores. Grinding is the final and one step process in the entire manufacturing process of the PUC.
 - d. The basic properties of the PUC i.e., its intrinsic magnetic properties, are set during sintering itself. Thus, there is no difference in the basic properties of unground and ground soft ferrite cores.
 - e. The basic raw materials used for manufacturing of the PUC, either ground or unground are ferric oxide, manganese oxide and zinc oxide. None of the interested parties have disputed this fact.
18. In view of the above analysis, the Authority considers it appropriate to include the ungrounded soft ferrite core in the scope of the PUC.
 19. The Authority has considered all the submissions of all the interested parties with respect to the value addition. Considering the fact that there is a minimal value addition in conversion of ungrounded to grounded soft ferrite cores, there is no requirement for creating separate PCN for ground and unground soft ferrite cores. Further, no interested party has proposed the PCN for ground and unground soft ferrite cores at the time of finalization of PUC/PCN, therefore, the Authority does not consider it appropriate to propose any PCNs in the present investigation.
 20. In view of the above, the authority defines the scope of the PUC as follows;

The product under consideration in the present investigation is "Soft Ferrite Cores" originating in or exported from China PR. Ferrite cores are magnetic cores made of ferrites, which are polycrystalline oxides. They belong to a class of materials that exhibit the technically applicable property of ferromagnetism. In a ferromagnetic material, magnetism occurs under an externally applied field. On removals of this field, the material returns to its non-magnetic state. This behaviour is termed as magnetically "soft".

Soft Ferrites Cores are made from ceramic compounds by mixing, pressing, extruding, and firing large proportions of ferric oxide (Fe₂O₃) blended with a small proportion of one or more additional metallic elements such as strontium, barium, manganese, nickel, and zinc. The most common forms of Soft Ferrite Cores are Manganese-zinc ferrite (MnZn) and Nickel-zinc ferrite (NiZn). The product under consideration in the present investigation is limited to Manganese-Zinc-based Soft Ferrite Cores.

The product under consideration is used to attenuate high-frequency noise levels caused by electronic devices. They are available in a variety of geometries to make them suitable for different industries. Owing to their high magnetic permeability & low electrical conductivity, they are equipped in applications, such as RF transformers, switch mode power supplies (SMPS) & ferrite loop stick antennas. They are used in several applications, including but not limited to, electric vehicles, electric vehicle chargers, mobile chargers, LED drivers, telecommunication devices, solar panels etc.

The product under consideration is imported under tariff item 85051110 "Ferrite Cores" of the first schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present petition.

21. The Authority restricts the scope of the PUC to the following geometries and length of MnZn Soft Ferrites Cores-
 - a. EE/E/EF of length 10 mm to 128 mm
 - b. PQ/EQ of length 20 mm to 71 mm
 - c. ET of length 24 mm to 35 mm
 - d. Toroid (with and without coating) of length 03 mm to 202 mm
 - e. UU/UI of length 10 mm to 141 mm
 - f. I Bars of length 20 mm to 245 mm
 - g. ER of length 11 mm to 67 mm
22. The Authority clarifies that the scope of PUC also covers the above-mentioned geometries of MnZn Soft Ferrites Cores when imported in both ground and unground form and with or without finish. The Authority

further clarifies that Nickel-Zinc (NiZn) and Magnesium-Zinc (MgZn) Soft Ferrite Cores, Soft Ferrite Cores with mirror finish are not included in the scope of PUC in the present investigation.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the other interested parties

23. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing in the present investigation:
- i. Speedofer has submitted that it does not only carry out a minor operation of grinding/finishing and primarily functions as a trader but is engaged in significant value addition through precision grinding since 2011.
 - ii. Speedofer's role in the supply chain is not limited to the distribution of products but extends to the creation of specialized ferrite cores, positioning them as a manufacturer in the industry.
 - iii. The Authority retains discretion to decide whether the production by the other producers holds any significance or not as per applicable laws and trade notices.
 - iv. The applicant in its application has not stated that it has considered exported production of TDK India Pvt. Ltd. ("TDK India") in ascertaining total Indian production and has stated that exports made by TDK India have been excluded for determining standing.
 - v. The applicant's submission that there is a typographical error in the application should not be admitted since the error is quite significant.
 - vi. The total Indian production should be calculated after considering the exported production as well as production which was captively consumed by the Indian producers.
 - vii. The applicant has not stated that TDK India is related to TDK China Co., Ltd., which is engaged in the production and sales of the product under consideration in China in its submissions. Thus, it unclear as to how the Authority has noted TDK India should not be considered as an eligible domestic industry under Rule 2(b) as a claim of the applicant in the initiation notification.
 - viii. Since the Authority has considered a criterion not claimed by the domestic industry, it cannot be said that notice of initiation has established standing. This is an incurable defect in the present investigation.
 - ix. There is no proof that TDK India has acted different. There is no evidence that the applicant has even invited TDK India to join the investigation. If TDK India believes that the product import is not causing injury to Indian industry, it cannot be construed that the same is because of having a related producer in China, who is not even exporting the product to India despite such a significant demand in India.
 - x. TDK China Co., Ltd. is not a significant exporter of PUC to India. Also, the fact that TDK India is exporting significant volumes to TDK China Co., Ltd. itself establishes that the Chinese entity is not even a major producer or exporter of the product to India.
 - xi. The issue of relationship and import is relevant only in the period of investigation. The eligibility of the domestic industry is required to be seen with reference to the foreign producers who have exported the product to India. If a foreign producer has not exported the product into India, it does not disentitle a domestic producer from being treated as an eligible domestic producer.
 - xii. In those situations where a producer is entirely producing for captive purposes, or a producer is predominantly producing for captive purposes cannot be equated with a situation where a producer is predominantly producing for merchant market, with part captive consumption. In the present case, none of the domestic producers is either an EOU or SEZ. The domestic producers are those having domestic production in a DTA unit with significant domestic sales with or without export sales. There may be some producers which may be captively consuming the product in the domestic market in the period of investigation but may decide to sell in the domestic market.
 - xiii. If exports of TDK India are excluded, the total production of applicant for exports must also be excluded for determination of standing. If exports made by both domestic producers are excluded, the applicant does not have a standing as domestic industry.

- xiv. By excluding the captive consumption of other producers and including its own or its affiliate captive consumption in ascertaining total Indian production, the applicant has undertaken discriminatory treatment of its own captive consumption and other domestic producers.
- xv. Production meant for captive consumption as well as for exports should also be included while estimating the total domestic production.
- xvi. Rule 5 requires the Authority to determine whether domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total Indian production. Thus, there cannot be a “prima facie” satisfaction of the authority regarding standing.
- xvii. Rule 5 requires the Authority to determine whether domestic producers expressly supporting the application account for more than 50% of production of producers supporting or opposing the application and is a pre-initiation requirement. The application proforma requires the applicant to identify the status of these producers - whether supporter, opposer or neutral.
- xviii. The applicant has presumed that there was no opposition to the application and has attempted to justify the same on the grounds that there is no opposition post initiation. The relevant requirement however is whether 50% test was met at the time of initiation.
- xix. The standing of the domestic Industry in the initiation notification provides that only after the exclusion of export sales by TDK India, and captive consumption by CIE Automotive Ltd., the domestic industry holds only 30-40% of the total domestic production.
- xx. The Director General has determined standing on a basis totally different from the basis on which domestic industry had established its standing. Since the basis adopted by the domestic industry and the Director General are not the same, it follows that the applicant had not established standing, on the basis as found by the authority. In other words, the notice of initiation has established the standing not even demanded by the domestic industry. This is an incurable defect in the present investigation.
- xxi. Both applicant and TDK India are involved in imports of ferric oxide. Based on the consumption norms, it can be considered that the production of TDK India has produced around 5600 MT of PUC. Thus, the production of the applicant would constitute below 25% of Indian production.
- xxii. The respondents have quantified production of TDK India by establishing its purchase of raw material which shows that the petitioner has grossly understated production in an effort to show that it meets standing requirements.
- xxiii. The applicant has requested the Authority to not consider information provided by other interested parties to determine the standing because the petitioner is aware that consideration of right facts would establish that the petitioner does not have standing to maintain the present application.
- xxiv. Only if the exports of TDK India are excluded, the share of applicant in the total Indian production will be in the region of 30-40%, which is the percentage claimed by the applicant in the application. Thus, the statement made by the applicant that their production constitutes 30-40% without excluding exports by TDK India is misleading.
- xxv. The applicant has not provided any substantiative evidence of how it has arrived at the production of TDK India and other domestic producers, and the stated percentages of exports made by TDK India.
- xxvi. As per the information collected by the respondents, exports by TDK India are around only 40% of its estimated production. Even as per the website of TDK India, it has exported around only 50-60% of all products produced by them. The information is publicly available and should be relied upon.
- xxvii. The consideration of the applicant regarding 80% exports of the PUC by TDK India without providing any evidence has skewed and distorted the total domestic demand of PUC.
- xxviii. Applicant in its application had claimed that 80% of the total production of TDK India is exported. However, applicant has changed its stance in their written submissions and have now claimed that the TDK India exports 90% of its production.
- xxix. The applicant has also wrongly claimed that for the reason that TDK India are more inclined towards exports and have related parties, its production for the purpose of standing is not significant, important or serious. If exports of a domestic producer make it insignificant or not

- important, then the same rationale should also be extended by the applicant to their own exports as well.
- xxx. The applicant has considered only 70% of CIE Automotive India Limited's production for estimation of the total Indian production and total Indian demand. The demand has been further skewed as the applicant has not excluded its own captive consumption while calculating total demand. The assessment of captive consumption by CIE Automotive India Limited is also based on assumptions.
- xxxi. Given that the applicant has significant idle capacities and the average shipment time between India and China is more than 30-45 days, the applicant should have manufactured the PUC instead of importing to meet its' requirement. The reason for imports made by the applicant is absence of certain products from within the applicant's product range and that the applicant's own product could not have been used for the intended application.
- xxxii. The petitioner is a regular importer of the subject goods from China PR and has imported substantial quantities of PUC before, during and post the POI. The imports made by the petitioner have also increased during POI. The petitioner has imported a substantial quantity of PUC during the POI, which has been recorded as a negligible quantity. Thus, the petitioner is not eligible to constitute domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules.
- xxxiii. Imports made by the petitioner are regular imports and not under any duty-free scheme.
- xxxiv. The circumstances claimed by the applicant for seeking relaxation of ineligibility are not exceptional circumstances. Meeting the orders of its customers is a general course of business and the petitioner must ensure that it has enough stock to meet its customers' demands.
- xxxv. The import data of imports made by the petitioner show that the products imported were of so significantly different geometry that it can be contended that the applicant had to import these products because of its own requirement and partly to meet urgent requirement of some customer since it does not manufacture the same. The Authority should investigate why the petitioner imported the material and allowed its own plant to be not utilized for the purpose. It's a case of self-inflicted injury and therefore not the import per se, but the purpose of imports is important.
- xxxvi. The claim by the petitioner that they imported a minimal volume to meet urgent customer orders and for in-house consumption at Alisha Coils and Transformers (ACT) cannot be considered exceptional. The producers/exporters hereby submit that fulfilling customer orders is a standard business practice, and the ability to meet industry demand is questioned when the petitioner struggles to meet its own needs. Furthermore, market intelligence indicates that the petitioner's imports were regular and not under any duty-free scheme, contrary to their suggestion.
- xxxvii. The applicant has identified three other Indian producers of the product under consideration. However, there is another producer Central Electronics Limited ('CEL'), one of the pioneer public companies in India which produces the product under consideration. The respondents request the Authority to examine the same for determination of total Indian production and demand.
- xxxviii. The domestic industry has not sold ungrounded soft ferrite cores in any meaningful quantities in the current investigation period.
- xxxix. Exclusion of ungrounded soft ferrite core can not lead to its imports for the reason that the processing of the same requires investment, availability of technically expert employees and undertaking significant production activities. It would tantamount to development of industry in the same manner as grounded soft ferrite.
- xl. It is incorrect and misleading to state that grinding is not major meaningful step in the overall production.
- xli. The applicant has presented self-serving calculations. Value addition is the difference between the value of output and the value of input. Therefore any cost that contributes to transforming or enhancing the product should be considered part of the value addition.
- xlii. Machinery, land and building, marketing employees, administrative overheads etc. all form part of the activities of Speedofer. When all these form part of the cost of production of the Speedofer based on which it determines its prices and Authority determines NIP, these cannot be ignored for value addition.

- xliii. The respondents have nowhere stated that the applicant should be considered ineligible because it has imported the product under consideration. The respondents had only sought real justification for such imports.
- xliv. For the fact that the Applicant made imports of NPUC, the respondents request the Authority to verify the veracity of the claim.
- xlv. The Authority is requested to examine the share of the approval from the product produced by the applicant.
- xlvi. The producers/exporters submitted that the reasons provided by the petitioner for importing the subject goods are not exceptional circumstances. In fact, meeting the orders of its customers is a general course of business and the petitioner must ensure that it has enough stock to meet its customers' demand. It is questionable that when the petitioner cannot fulfill its own demand how can it fulfill Indian industry's demand. Thus, imports are imperative.
- xlvii. The petitioner has provided selective import data in the petition. The Authority is requested to consider the DGCI&S data for the subject goods and critically examine the imports made by the petitioner.
- xlviii. The producers/exporters submitted that the data sourced from the secondary sources is not authentic and reliable. The Authority should have called for DGCI&S data for the examination of imports in the present investigation at the time of initiation.
- xlix. The producers/exporters submitted that the selective choice of import data might have also resulted in the so called "minuscule imports" of the petitioner, which otherwise are not miniscule. Therefore, it is necessary that the Authority should firm up the data first and then only proceed with the present investigation. Accordingly, standing of the domestic industry shall also be revisited.

D.2. Submissions made by the domestic industry

24. The following submissions have been made by the applicant with regard to the domestic industry and its standing:
- i. Article 4.1 of the AD Agreement and under Rule 2(b) of the AD Rules defines the term "Domestic Industry" as domestic producers of the like product "*as a whole*" or who's collectively output of the like product constitutes "*a major proportion of the total domestic production*" of that product, subject to exclusion of producers who are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product.
 - ii. The threshold for initiation of an investigation and standing under Article 5.4 of Anti-dumping Agreement and Rule 5(3) of the AD Rules is that the domestic producers expressly supporting the application must represent twenty-five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and second, in case there are any opposing domestic producers of the like article, the proportion of domestic producers supporting the application should be more than fifty percent than the portion of the domestic producers expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application.
 - iii. As per the WTO panel in *Argentina – Poultry Anti-Dumping Duties*, the reference to a major proportion under Article 4.1 of AD Agreement suggests that there may be more than one "major proportion" for the purpose of defining "domestic industry". Since there may be multiple "major proportions", it is inconceivable that each individual "major proportion" could – or must – exceed 50 per cent. Therefore, it is permissible to define the "domestic industry" in terms of domestic producers of an important, serious or significant proportion of total domestic production. Article 4.1 of the ADA does not require members to define domestic industry in terms of domestic producers representing majority i.e., 50 plus percent of total domestic production.
 - iv. The Ld. CESTAT in the case of *Lubrizol (India) Pvt. Ltd. vs. Designated Authority [2005 SCC OnLine CESTAT 1199]*, major proportion of domestic production means the collective output that constitutes a significant or important share of the total domestic production. The significant share in total production may be less than 50 percent of the total production in India.
 - v. This reasoning has been followed in a myriad of investigations wherein the Authority has observed that since the phrase used is "major proportion" not "majority proportion", there is no express requirement that Applicants must constitute 50% or more of the total domestic

- production in order to have a major proportion. The Authority has also observed that domestic producers constituting 30-40% of the total production constitute domestic industry.
- vi. The domestic industry is largely a single product company focused on the production and sale of PUC in the domestic market; and accounts for around 30-40% of the total Indian production of PUC. The domestic industry constitutes more than 25% of the total Indian production and satisfies the requirement of more than 25% of the total production under Article 5.4 of the ADA and Rule 5(3).
 - vii. CIE Automotive Ltd. produces both soft and hard ferrites. The PUC is a miniscule part of the total turnover of CIE Automotive Ltd. CIE Automotive Ltd. uses its production for its own downstream products and exports significant quantity of PUC. The production of CIE Automotive Ltd. for the purposes of standing is not significant, and the injury to the domestic industry examination will not be distorted if CIE's domestic performance data of the PUC is not included in the injury examination. Therefore, in the petition, the domestic industry had provided the statement of Indian production, including and excluding the captive production of CIE.
 - viii. TDK India is a multiproduct company with related producers/exporters in China. TDK India exports 80% of its production of PUC and does not have an interest in the Indian market.
 - ix. Since TDK India has acted differently compared to unrelated parties by not coming forward to join the application in spite of the several requests made by the domestic industry, the Authority may consider TDK India for the purposes of standing is not significant, and the injury to the domestic industry examination will not be distorted if TDK's domestic performance data of the PUC is not included in the injury examination.
 - x. The performance of Delta indicates that Delta is incurring significant losses.
 - xi. There are no domestic producers of like article who have opposed the application. The producers of the PUC are acting neutral. The domestic industry is the only significant, important and serious domestic producer in India.
 - xii. The domestic industry is the only serious player in the domestic market of India because other Indian producers are either captive users or exporters of PUC. Therefore, the domestic industry is representative of the injury caused to the domestic industry in India by dumped imports from China. For the purpose of standing, the production of CIE Automotive Ltd., TDK India and Delta Manufacturing Limited is not significant, important or serious.
 - xiii. Given the fact that there are no opposing domestic producers in the present case, the percentage of the domestic producers expressly supporting constitutes 100% of the total production of the like article by producers expressly supporting or opposing the application. Hence, the requirement of 50% test under the explanation to Rule 5(3) is satisfied.
 - xiv. The claim of 30-40% share in the total Indian production to determine standing of the domestic industry is based on the total Indian production without any adjustment of the export of TDK India and captive consumption of CIE, and hence, the domestic industry satisfies the requirement under Rule 2(b) read with Rule (5) of AD Rules.
 - xv. The domestic industry has never excluded the export volume of TDK India from Indian production to determine the standing of the domestic industry. With respect to CIE, the domestic industry has calculated the domestic industry's share both including and excluding the captive volumes of CIE and in both the situations the share of the domestic industry in the total Indian production is in the range of 30-40%. This is amply clear from Annexure-2.4 of the petition.
 - xvi. Annexure 2.4 shows that the domestic industry first considered the total Indian production without adjusting the Indian production for the captive consumption by CIE, and additionally has calculated excluding only the captive consumption by CIE; and the export production of TDK India was never excluded.
 - xvii. In the past anti-dumping investigations, the Authority has calculated the standing including and excluding captive consumption. In the case of *Pig Iron Mfrs Assn. v/s Designated Authority, Min. of Commerce*, the Ld. CESTAT ruled that captive consumption is to be treated as a separate market while computing domestic industry and producers using their production for captive purposes are to be excluded from the scope of domestic industry marketing their products in the domestic market.

- xviii. The Authority must not consider the information provided by other interested parties regarding the production of other Indian producers without confirmation from the other Indian producers and without verification. The interested parties should also disclose the actual numbers and the source to the domestic industry for making comments on the same.
- xix. The domestic industry in its pre-initiation clarifications had claimed that TDK India may be considered an ineligible domestic producer due to its affiliations in China. This claim has been noted by the Authority in its initiation notification. The Authority did not consider TDK India as ineligible as its share was included in the total production of India. The claims of domestic industry have been noted in the initiation notification in several past investigations.
- xx. CEL has stopped its operations of manufacturing soft ferrite cores 20 years ago and is presently a customer of domestic industry for soft ferrite cores. They manufacture ferrite substrates which is not the PUC.
- xxi. After ensuring absence of opposition, the Authority initiates an investigation when *prima facie* the applicant has a standing, and once the investigation is open, other producers can oppose the application.
- xxii. The methodology provided by the other interested parties to determine the production of TDK India based on imports of ferric oxide is flawed because of the following reasons:
- The import of ferric oxide does not mean that the entire ferric oxide imported by TDK India has been utilized to manufacture PUC in the POI.
 - TDK India also manufactures MnZn Soft Ferrite Cores, NiZn Soft Ferrite Cores, Permanent Magnets and Ferrite Powder, all of which require ferric oxide as a major raw material. The other interested parties have not made any adjustments on account of this.
 - The other interested parties have neither accounted for the consumption of ferric oxide for those geometries of MnZn soft ferrite cores covered under scope of PUC nor have they suggested any methodology for segregation of the same.
 - The interested parties have done double counting of ferric oxide imports by considering both imports cleared under warehoused and ex bond bills of entry.
 - The PUC cannot be manufactured without manganese oxide, which also has to be imported since the quality required for manufacturing the PUC is not available in India. TDK India has imported only 1,008 MT of manganese oxide in the POI. Applying the SION and considering that 0.0340 Kg of manganese oxide is required for manufacturing 1 kg of MnZn soft ferrites, TDK India could have manufactured only 3,316 MT of MnZn soft ferrites. It is also not possible to account the scope of PUC restricted to certain geometries in this data.
 - The imports of ferrite powder by TDK India cannot be directly considered to determine the quantity of MnZn soft ferrite cores being manufactured. SION is different for ferrite powder and ferric oxide, which the interested parties have failed to consider. Moreover, as per market intelligence available with the applicant, TDK India imported only 26.35 MT of ferrite powder, which can be used to manufacture only 21.08 MT of MnZn soft ferrite cores.
 - TDK India has also exported 414 MT of ferrite powder in the POI to its related entities. 311 MT ferric oxide must have been used to manufacture this ferrite powder. This has not been accounted for by the interested parties.
 - If the methodology applied by the interested parties is considered and production is determined based on the imports of ferric oxide, the production of Delta Manufacturing Limited would be nil since Delta Manufacturing Limited has not imported ferric oxide in the POI.
- xxiii. The interested parties have not accounted for several adjustments prerequisite for determining the production of TDK India and has just based their calculation on the imports of ferric oxide.
- xxiv. Without prejudice to the above submissions, if the Authority wishes to calculate the PUC production of TDK India and other domestic producers based on the imported input, the following methodology should be considered by the Authority:

- xxv. The Authority should consider the imports of Mn3O4 and not the imports of Ferric Oxide as the basis to calculate the production of the Manganese Soft Ferrite or the PUC due to the following reasons-
- The quality of Mn3O4 required for manufacturing of the Manganese Soft Ferrite is not available in India. Therefore, Mn3O4 is imported by the producers of the Soft Ferrite Cores in India. The domestic industry has met all its requirements of Mn3O4 by importing only and the same can be verified with the costing data of the domestic industry.
 - Mn3O4 is only used in manufacturing of Manganese-Zinc Soft Ferrite Cores whereas Ferric Oxide is used in manufacturing of Manganese-Zinc Soft Ferrite Cores, Nickel-Zinc Soft Ferrite Cores and Permanent Magnets. Consideration of manganese oxide to calculate the production eliminates the possibility of overlap of production of other products such as NiZn soft ferrite cores and permanent magnets.
 - The per unit cost on account of Mn3O4 constitutes the highest cost in the total raw material cost of MnZn Soft Ferrite Cores and second highest in terms of the quantity as compared to Ferric Oxide.
- xxvi. Since Delta has not imported Ferric Oxide, Mn3O4 and ferrite powder, and considering the logic given by the importers/users, the Authority should consider the nil production of Manganese-Zinc Soft Ferrite Cores for Delta. However, the Annual Reports of Delta Manufacturing Limited shows otherwise. Therefore, it may be assumed that Delta has procured ferrite powder from either TDK India or CIE Automotive India Limited. In this case, the domestic industry has suggested the following methodologies to ascertain the production of MnZn soft ferrite cores for the other Indian producers:
- Ascertain the turnover of Manganese-Zinc Soft Ferrite Cores using the segment reporting for Soft Ferrite given in the Audited Annual Account of Delta.
 - The average domestic selling price of the domestic industry should be considered to arrive at sales quantities. Since there is no information available with respect to the change in inventory, the sales quantity MnZn Soft Ferrite Cores can be considered as production quantity of MnZn Soft Ferrite Cores of Delta.
 - The production quantity of MnZn Soft Ferrite Cores of Delta so arrived should be adjusted in the production quantity of either TDK India or CIE or nil production should be considered for Delta. Else, to the extent of Delta's production, it will amount the double counting of production both in Delta and CIE/TDK.
 - Alternatively, the imports of manganese oxide made by TDK India and CIE in the POI may be considered to arrive the production of MnZn Soft Ferrite Cores in the POI. For this purpose, the consumption factor of 0.3040 given in the SION can be used. In this case, there is no need to adjust Delta's production because this production already includes the production done by Delta.
- xxvii. Without prejudice, the domestic industry has also provided various methodologies to arrive at the production of all other Indian producers based on the imports and exports of ferric oxide, manganese oxide and ferrite powder. The production of the applicant remains above 25% of the total Indian production in all these scenarios.
- xxviii. Without prejudice, additional methodology for the calculation of TDK India's production based on the turnover of soft ferrites has been provided by the domestic industry:
- Total turnover of the soft ferrites reported in the Annual Report is subtracted with the export value of soft ferrites made by TDK India to arrive at the domestic sales value.
 - The domestic sales value arrived at is divided by the average selling price of the domestic industry to calculate the domestic sales of soft ferrites.
 - The export sales value of TDK India has been divided by the rate for the transaction which has been reported in Kgs.
 - The domestic sales quantity and export sales quantity so arrived has been considered as production in the absence of any concrete information available with respect to the inventory of soft ferrites lying with TDK India.

- xxix. If TDK India's production is calculated with the additional methodology, the share of domestic industry remains 30-40%, including or excluding captive, satisfying threshold given in Rule 2(c) read with Rule 5.
- xxx. The domestic industry has imported the miniscule quantities of the PUC in 2021-22 and POI from the subject country to meet the urgent demand and orders of certain customers that the domestic industry was unable to manufacture. No imports were made by the domestic industry in the other years of the injury period from the subject country. The imports made in 2020-21 are not imports but the return of the products the domestic industry had exported.
- xxxi. The imports made by the domestic industry in 2021-22 and the POI is less than 1% of its own production, its own sales, total Indian production demand in the country.
- xxxii. The domestic industry is not a regular importer of the PUC and is focused primarily on the manufacturing and selling of the PUC in India. The miniscule imports made by the domestic industry during the POI in terms of its own production and sales and total imports of the PUC from the subject country are negligible to disentitle it from being treated as eligible domestic industry.

D.3. Examination by the Authority

25. The issues raised by the other interested parties and the domestic industry with respect to the domestic industry's standing have been examined below-
26. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:
- “(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*
27. The application was filed by Cosmo Ferrites Limited. Apart from Cosmo Ferrite Limited, there are 3 other domestic producers of the PUC in India namely:
- a. TDK India Pvt Ltd.
 - b. CIE Automotive India Limited
 - c. Delta Manufacturing Limited
28. None of the other domestic producers have either supported or opposed the application filed by the applicant. The Authority notes that the applicant has claimed that it constitutes 30-40% of the total Indian production in the POI and the same was considered by the Authority for the initiation of the present investigation.
29. With respect to the submission made by other interested parties that applicant has presumed that there was no opposition to the application and has attempted to justify the same on the grounds that there is no opposition post-initiation, the Authority notes that it has not received any opposition from any other Indian producer of the PUC.
30. The other interested parties have submitted that the Authority has erred in initiation of the present investigation claiming that there cannot be a *prima facie* satisfaction of the Authority with respect to standing of the domestic industry. The Authority notes that none of the other domestic producers have participated in the present investigation to either support or oppose the investigation. The Authority sent intimation letters to all other domestic producers to share the data of their production in the application proforma after initiation of the investigation but except TDK India, no response was received. TDK India vide email dated 29 November, 2023 has communicated that it exports more than 80% of the total manufactured goods outside India and is not interested in participating in the present investigation. Later in June 2024 also, the Authority sought such information from the domestic producers and responses were received only from TDK India Ltd wherein they stated that the total production of “Manganese-Zinc (MnZn) Soft Ferrite Cores of their company for the period from 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months) was *** M Tons and therein captive consumption was NIL. They further reiterated that they do not wish to participate in the investigation. It is to be noted that TDK India has not opposed the application filed by the applicant.
31. With respect to the submission made by other interested parties that there is no evidence that the applicant has even invited TDK India to join the investigation, the Authority notes that TDK India has informed the Authority, it is not interested in joining the application.

32. With respect to the submission made by other interested parties that the applicant is obligated to consider the entire production while estimating total domestic production in the country, the Authority notes that the applicant has provided the total Indian production of the PUC in the application. The Authority has also considered the total Indian production for the purpose of determining standing in the present investigation.
33. The other interested parties have raised concerns with respect to the standing of the applicant in the present investigation, claiming that the domestic industry has erred in determining its share in the total Indian production by excluding the export volume of TDK India from Indian production to determine the standing of the domestic industry. The Authority had sought clarification from the domestic industry in this regard. The domestic industry submitted that it had inadvertently stated that the production of TDK India for their affiliate exports had been excluded to determine the standing in their application. The domestic industry clarified that it has never excluded the export volume of TDK India from the total Indian production to determine the standing of the domestic industry, which can also be seen in Annexure 2.4 of the application.
34. The other interested parties have submitted that the Authority has erred by excluding the production volume of TDK India while determining standing for the purpose of initiation in the initiation notification. The Authority notes that it has only noted the claim of the domestic industry made in the pre-initiation clarifications provided by the domestic industry. The Authority notes that it did not consider TDK India as an ineligible domestic producer at the time of initiation and the total Indian production determined at the time of initiation included the total production of TDK India.
35. With respect to the submission made by other interested parties that TDK China Co., Ltd. is not a significant exporter of PUC to India and TDK India exports significant volumes to TDK China Co., Ltd., the Authority notes that the total production of TDK India has been considered in the determination of the total Indian production of the PUC and TDK India has been treated as an eligible domestic producer.
36. With respect to the arguments to calculate the standing including captive consumption, the Authority notes that the domestic industry has only provided the calculation for determination of standing including and excluding the captive consumption of CIE Automotive India Limited.
37. The other interested parties have also claimed that Central Electronics Limited is also a manufacturer of PUC. The Authority notes the submission of the domestic industry that Central Electronics Limited has shut down its operations and is currently a customer of the domestic industry. The domestic industry has claimed that it has sold the goods to this entity.
38. Some other interested parties have submitted that the applicant does not constitute domestic industry since its production constitutes less than 25% of the total Indian production. The interested parties have claimed that the actual production of TDK India is much higher than the production considered by the applicant in its application. To this effect, the interested parties have submitted that ferric oxide is the major raw material for the production of PUC and since ferric oxide is not available in India, imports are the only source of procuring ferric oxide. The interested parties have applied the SION for soft ferrite cores on the total imports of ferric oxide by TDK India and have determined that the production of TDK India is around 5600 MT, which would lead to the share of the applicant dropping below 25% of the total Indian production.
39. The Authority notes that the domestic industry has also provided various methodologies to arrive at the production of all other Indian producers based on the imports and exports of ferric oxide, manganese oxide and ferrite powder and annual reports of Delta and TDK India.
40. A communication was sent to TDK India to ascertain their production, TDK India replied on 20 June, 2024 that they do not wish to participate in the subject investigation. Further, they stated that the total production of "Manganese-Zinc (MnZn) Soft Ferrite Cores for the period from 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months) of their company was *** M Tons and the captive consumption was nil. The detail provided is approximately the same as mentioned by the domestic industry in its petition.
41. Barring domestic industry, none of the interested parties provided any information to ascertain the production of any other producer in India. The Authority has considered the information provided by the applicant and the information of TDK India to ascertain total Indian production. Some interested parties have submitted that 50% test has not been qualified by the applicant under Rule 5(3) of the AD Rules. The 50% test is applied by the Authority only where there is opposition to the application filed by the domestic industry. In case there is no opposition to the application, it can be considered that the 50% criteria are also fulfilled by the domestic industry. The Authority further notes that there is no opposition by other Indian producers in the present investigation. Therefore, a 50% test need not be applied in the present investigation.
42. The other interested parties have also submitted that the applicant is a regular importer of the PUC and thus, is not eligible to constitute domestic industry in the present investigation. The Authority notes that the domestic industry has made imports in 2021-22 and the POI. The applicant has claimed that it imported to cater to urgent needs for its division – Alisha Coils & Transformers. The domestic industry further stated that

the it has imported *** MT during the POI & the imports made are even less than 1% of the Indian demand &/or production. The Authority notes that the imports made by the applicant do not disentitle it from constituting domestic industry in the present investigation.

43. Thus, the evidence on record shows that the applicant commands a major proportion in the total domestic production of India. Further, the applicant constitutes 30-40% of the total Indian production. Accordingly, the Authority notes that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
44. The interested parties and the domestic industry have made reference to several decisions of the judicial bodies and the past findings of the authority to substantiate their arguments. There is no doubt that the Authority can refer to the previous decisions as it provides valuable insights, however, it is pertinent to note that each case is distinct and warrants independent consideration.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the other interested parties

45. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the confidentiality:
 - i. A private company is not required to disclose financial information to the public. Therefore, the financial statement is not freely available in the public domain. Trade Notice 10/2028 is silent about the financial statement of user/importer industries and its requirements to disclose to the other interested parties.
 - ii. Annexure- 3 contains transaction-wise details of purchase PUC made by the respondents. This information is not available in the public domain and is not susceptible to summarization. Trade Notice 10/2018 does not instruct that the information of Annexure- 3 to be disclosed to the other interested parties in any form.
 - iii. The respondents will disclose name of currency, and exchange rates for the purchase of product under consideration only if the Authority directs.
 - iv. The description reported in Appendix-1 contains details of the different geometries imported by Speedofer. The information is business sensitive information. Confidentiality on the description of the product imported is claimed in line with the practice allowed by the Authority.
 - v. The description reported in Appendix-4 contains details of the different geometries sold by Speedofer. The information is business sensitive information. Description of the product re-sold is claimed confidential in line with the practice allowed by the Authority.
 - vi. Costing methodology of the applicant is business sensitive information that cannot be disclosed. In fact, the applicant has itself claimed it completely confidential but raising allegations on the respondents.
 - vii. There is no inconsistency between the information provided in Annexure- 4 and Annexure- 5. Since there is no resale of the PUC during the period of investigation, the information has not been reported.
 - viii. The applicant has in para 181-184 of the written submission claimed that the quality concerns made by the users/consumers have already been addressed. The applicant has provided evidence of certain email correspondence but has claimed them completely confidential. Since these submissions pertain to email communications with the respondents (who have authorised us to appear on their behalf), these should be disclosed to us. Claiming these as confidential highly undermines the credibility of the applicant comments and has also prevented respondents from commenting on the submissions.
 - ix. The respondents had in the rejoinder submissions filed dated 17th June 2024 requested disclosure of these communications. The respondents vide email dated 5th August 2024 filed a letter and again requested disclosure of these communications. Instead of providing adequate reply to the submissions of the respondents, the applicant just brushed aside the submissions on account of them being belated.

E.2. Submissions of the domestic industry

46. The following submissions have been made by domestic industry with regard to confidentiality:
 - i. Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd., Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd., Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. and Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd.

- have claimed confidentiality on the list of products sold/produced during the POI without providing a justification for the same in their EQRs.
- ii. Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd., Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., and Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. has claimed complete confidentiality on the list of related companies involved in PUC in their EQRs.
 - iii. Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd., Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., and Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. has claimed complete confidentiality on the manufacturing process for the PUC.
 - iv. Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd., Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., and Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. have claimed complete confidentiality over their channels of distribution in their EQRs.
 - v. In Appendix-3B of their EQR, Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. and Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. has claimed complete confidentiality with respect to all the particulars such as description of product, terms of payment, delivery terms and exchange rate for the export of PUC during the POI.
 - vi. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. has claimed all adjustments for export price comparability as confidential without any due justification. Further, in its Appendix-3A, Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. has reported certain adjustments under the category 'any other deduction' and claimed the entire Appendix-3A as confidential which prevents the applicant from understanding the basis and nature of such adjustments.
 - vii. The exporter has claimed excess confidentiality in their exporter's questionnaire response.
 - viii. Victor Magnetics Pvt. Ltd., Minghao Electronics India Private Limited, GT Magnetics Private Limited, and Speedofer have claimed excessive confidentiality by not disclosing their audited financial statements for the year 2021-22 and 2022-23 in their UQRs.
 - ix. In Appendix-1, Speedofer has claimed confidentiality on the description of the product imported by it. The disclosure of this information is essential to determine whether Speedofer is also importing the PUC in any other form for trading.
 - x. Under Appendix-4, Speedofer has claimed confidentiality on the description of the product resold by it. The disclosure of this information is essential to determine whether Speedofer is also importing the PUC in any other form for trading.
 - xi. YMD Electromac India, Victor Magnetics Pvt. Ltd., Minghao Electronics India Private Limited and GT Magnetics Private Limited have claimed complete confidentiality in Annexure-3 without even disclosing the name of currency, delivery terms and exchange rate for the purchases of PUC during the POI.
 - xii. YMD Electromac India, Victor Magnetics Pvt. Ltd., Minghao Electronics India Private and GT Magnetics Private Limited have claimed complete confidentiality over Annexure-4 but have not provided any information relating to resale of PUC in Annexure-5 of the UQR. This raises doubts on the nature of these parties as users or traders.

E.3. Examination by the Authority

47. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to the confidentiality have been examined as under-
48. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the AD Rules.
49. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

50. The domestic industry has raised the issues of confidentiality claims of the other parties. The user industry provided its reply justifying the confidentiality claimed. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by the various interested parties in the form of public file.
51. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request to all parties therein to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions made by the other interested parties

52. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions in the present investigation:
 - i. The import data sourced from the secondary sources is not authentic and reliable.
 - ii. The petitioner cannot be selective while considering the import data as per their convenience. The imported products whether imported in kgs, pcs or pairs are competing in the same market with the PUC in the Indian industry. The petitioner should have considered the whole import data for HSN Code 85051110 for the examination of the dumping and injury and all the analysis shall be based on the same. However, the import considered in the petition is vitiated and understated. the petitioner should also be asked by the Authority to disclose the conversion methodology used for converting the subject goods into weight.
 - iii. The selective choice of import data might have also resulted in the so called "minuscule imports" of the petitioner, which otherwise are not miniscule.

F.2. Submissions made by the domestic industry

53. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions in the present investigation:
 - i. There is no requirement under law or trade notice issued by authority for the domestic industry to file an importer's questionnaire response if it has imported PUC.
 - ii. The Authority should not accept the submissions of the importers/user who have not filed the importer/user questionnaire. The Ld. CESTAT in *Merino Panel Products v Designated Authority* has held that it is incumbent on the importer to establish they are an interested party, under section 2(c), by furnishing information as required in the questionnaire. Only four users have filled the questionnaire response and only their submissions can be accepted.
 - iii. There is no entity named Rory Electronic Pvt. Ltd, and hence, any submissions made on behalf of this party should be discarded by the Authority.
 - iv. Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd., Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. have not reported the geometry of the PUC in their Appendices. If the geometry is not provided by these exporters, the Authority will never be able to determine and verify whether the transactions reported by these exporters even pertain to the geometries covered in the scope of the PUC.
 - v. In the absence of geometry detail, the Authority will not be able to verify the correctness of the geometry reported by these exporters in the export transactions. Each geometry has different weight; therefore, to verify the accuracy of the weights reported, the reporting of geometry is must.

- vi. Exporters have neither provided the weight per unit in their appendices nor the calculation methodology for converting the data for pieces/pairs to weight.
- vii. Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd. has stated in the EQR that it has not produced the PUC but has only exported the PUC produced by its related producer Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. to India. However, Tongxiang claims to be a manufacturer of the PUC on its website, with South Asia as 50% of its market.
- viii. Despite claiming on the website that it exports the PUC to all over the globe, Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd. has not reported any sales to third countries in their EQR.
- ix. No relative value in the finished product and quantification of impact of ADD has been provided by any of the users in the UQR, which is the most important information a user can provide to show the impact of ADD on their downstream products.
- x. The PUC is used in transformers meant for different applications. Therefore, the impact of the ADD on different types of transformers will be different. However, none of the user has given the segregation of cost of production and selling price of different transformers. This information will not enable the Authority to calculate the impact of ADD on different transformers.
- xi. No user has provided the geometry of soft ferrite cores and weight per piece regarding the purchases of PUC during the POI and the calculation methodology for converting the import data in MT in their questionnaire responses.
- xii. Siya Overseas LLP, Ferro Star and Shree Shyam Components have filed empty questionnaire responses, with reply to only a few questions in the questionnaire response. Most of the responses in the importer questionnaire responses are blank without providing any due justification of the same.
- xiii. Speedofer has filed an IQR in the present investigation which is riddled with inconsistencies. Considering these inconsistencies, we request the Authority to kindly reject the IQR filed by Speedofer.

F.3. Examination by the Authority

54. The miscellaneous submissions made by the other interested parties and the domestic industry have been examined as below-
55. As regards the concerns expressed by the interested parties regarding the import data used by the applicant in its petition, the Authority for the purpose of the present investigation, has relied upon DG Systems data.
56. The Authority notes that submissions have been filed on behalf of 12 importers/users. However, only 7 importers/users have filed questionnaire responses in the present investigation. Out of the 7 importers/users, Siya Overseas LLP, Ferro Star and Shree Shyam Components have filed grossly deficient responses. The authorization letter of these users is with the Authority and these parties had registered withing the prescribed time limit. The submissions made by these parties are same as submissions made by the other users. Therefore, consideration or non-consideration of their submissions does not have only material impact on the investigation.
57. The domestic industry has raised certain concerns with the respect to the questionnaire responses filed by the exporters in the present investigation. The domestic industry submitted that Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd., Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. have reported the geometry of the PUC and have provided the weight per unit in their appendices. The Authority notes that it had sought certain information/clarification from the exporters which have been provided by the producer/exporters. The EQRs are found satisfactory and considered by the Authority.
58. As regards the claim of the domestic industry that the users participating in the present investigation have not provided the relative value of the PUC in the finished products manufactured by them nor have they provided the quantification of the impact of ADD if imposed on their downstream products. The Authority notes that the information on share of the product under consideration in the total cost of the downstream product is part of the response filed by the users. Further, the users through written submissions and letters also provided the impact of anti-dumping measures.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by the other interested parties

59. The following submissions have been made by the other interested parties regarding normal value, export price and dumping margin:

- i. Designation of China PR as a Non-Market Economy (NME) is not in accordance with applicable laws and procedures.
- ii. The relevant provision in Section 15 of China's accession protocol which allowed for treatment of China PR as an NME has expired on 11th December, 2016. Therefore, there is currently no provision prevailing which allows the Authority to treat China PR as an NME in any investigation.
- iii. The Authority should determine the normal value in accordance with Article 2 of the Anti-Dumping Agreement
- iv. The Authority should apply the data on costs and prices provided by the Company in this response for the determination of the normal value rather than applying analogue country data in this investigation.
- v. The applicant has quantified dumping margin as high as 80-90% and injury margin as 40-50%. It is also relevant to point out that the applicant itself has quantified impact of anti-dumping duty by considering 15% anti-dumping duty. In other words, the applicant is aware that its claim of injury margin is exaggerated (which implies absence of adequate and accurate information in the application). If injury margin is considered as 15% and dumping margin as 80%, the difference between cost of production adopted for CNV and NIP would still increase further. Evidently, highly inaccurate data has been presented to the authority.

G.2. Submissions made by the domestic industry

60. The following submissions have been made by the domestic industry regarding normal value, export price and dumping margin in the present investigation:
 - i. As per Article 15 (d) of the Accession Protocol, the expiration of the provisions of Article 15(a) subparagraph (ii) does not lead to an automatic conclusion that China PR would be granted a Market Economy Status. China PR obligation to establish, under the national law of the importing WTO Member that it is a market economy, for the provisions of subparagraph (a) to be terminated has not yet been discharged.
 - ii. China PR has been consistently treated as an NME both by the Indian Authority and investigating authorities in other countries in all anti-dumping investigations in the last three years. On this basis, China PR may be validly treated as an NME for the purposes of the present investigation and Authority should determine normal value for China under NME conditions, unless proved otherwise by specific producers/ exporters from China.
 - iii. None of the participating exporters have claimed market economy status in the present investigation.
 - iv. The Authority must construct on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit of margin; since the information required for the construction of normal value based on the price or constructed value in the market economy third country, or based on the price from such a third country to other country, is not available with the domestic industry and has not been provided by any other interested party as well.
 - v. In the present investigation, the Authority must construct normal based on the domestic industry's cost of production and include a reasonable profit margin on it.
 - vi. Out of the approximately 92 producers/exporters from China who have exported the PUC to India over the injury period, only 2 groups have participated in the present investigation. The top 9 exporters constitute more than 80% of the exports of the PUC in the POI.
 - vii. The participation of the exporters/producers from the subject country is minimal, which implies that the remaining exporters have not participated as their dumping margin will be higher than the dumping margin claimed by the domestic industry in the application.
 - viii. None of the participating producers/exporters have denied dumping in the present investigation. Since the participation of exporters from the subject country is at the lower end, the actual dumping margin for some of the exporters/producers will be much higher than the claim of dumping margin made by the domestic industry in the application.
 - ix. The dumping has intensified over the injury period. In the present investigation, the import prices of the PUC were not moving in tandem with the change in the major input prices.

- x. Contrary to Speedofer's claims that there is no dumping of the PUC from China in the country. However, its own supplier from China has not participated in the present investigation to prove that there is no dumping.
- xi. The dumping margin for Speedofer's suppliers in China is more than the dumping margin claimed in the application. It is clear that Speedofer is involved in dumping practices and is a beneficiary of dumping in India, and the claim made by it that there is no dumping is factually incorrect.

G.3. Examination by the Authority

G.3.1 Determination of normal value

Examination of Market Economy Treatment

61. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties have been examined as below-
62. The Authority sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following groups of producers/exporters have filed response to the exporter's questionnaires:
 - i. Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. (producer) and Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd. (exporter)
 - ii. Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. (producer/exporter) and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. (producer/exporter)
63. The Authority notes that none of the producers/exporters have filed a response to the relevant questionnaire to claim market economy treatment.

Normal value for China PR

64. Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions

prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.

65. The applicant has relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
66. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
67. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

68. The Authority notes that under the provisions of para (7) of Annexure I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a third country, or the price from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
69. As per paragraph 7 of Annexure I to the Rules, the Authority may move to the third method of determining normal value on any reasonable basis, when it has exhausted the first method, that is, price or constructed value in third country, and second method, that is, price from third country to other countries, including India. However, it is noted that no reliable information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first two methods. Imports from third country to India is almost nil, since the subject country has almost 100% share in imports. In the absence of the information/evidence, it is not possible for the Authority to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., *on any other reasonable basis* by considering the cost of production in India along with reasonable profits. The normal value so determined is provided in the dumping margin table below.

G.3.2 Determination of Export Price

a. Export price for cooperating producers/ exporters

i. Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. (producer) and Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd. (exporter)

70. Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. (Haotong) is a producer of the subject goods in China PR. Haotong has exported the subject goods through its related trader Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd. (Tongxiang) to un-related customers in India.
71. During the POI, Haotong has exported *** MT of invoice value *** US\$ of the subject goods to India The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of inland transportation, port expenses, credit cost and bank charges. Accordingly, the net export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin table below.

ii. Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. (producer/exporter) and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. (producer/exporter)

72. Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. (Yibin) and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. (Hengdian) are both producers and exporters of the PUC. However, Yibin has exported the PUC to India through its related producer/exporter Hengdian. Hengdian has exported the PUC directly to unrelated customers in India. Since the companies are related, the Authority has determined the dumping margin for the group.
73. During the POI, Hengdian group has exported *** MT of invoice value *** US\$ of the subject goods to India through Hengdian. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, inland insurance, transportation, credit cost, packing expense etc. Accordingly, the net export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

b. Export price for non-cooperating producers/exporters

74. The export price for all other producers and exporters that have not participated in the present investigation has been determined on the basis of facts available.

G.3.3. Determination of Dumping Margin

75. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is determined as follows:

S. No.	Particulars	Normal Value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
1	Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. (producer)	***	***	***	***	60-70
2	Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.	***	***	(***)	(***)	(40-50)
3	Others	***	***	***	***	70-80

76. The dumping margin is more than de-minimis for Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd., the producer/exporter from China PR.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the other interested parties

77. The other interested parties have made the following submissions regarding injury:
- The legal standard under the AD Rules is deterioration/decline in performance with respect to various injury parameters listed in the AD Rules. In the present investigation, the petitioner has not been able to show deterioration in various injury parameters but has rather shown improvement.
 - There is no law which requires the Authority to examine performance and compare it with “could have been performance”. The emphasis in the AD Rules is on “deterioration”. The Authority cannot examine whether the performance has not improved to the extent it could have improved.
 - Decline or deterioration in performance of the domestic industry in respect of the various injury parameters listed under the rules is must before the Director General can come to a conclusion that the domestic industry has suffered material injury as a result of imports.
 - The legal requirement as per para (iv) of Annexure II is to analyze the natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

- v. Though the domestic industry has faced financial losses, mere existence of financial losses is not sufficient to conclude injury if the losses have significantly reduced over the injury period.
- vi. Cosmo Ferrite Limited has been in losses for more than a decade now. Had dumping been the reason, they would have not suffered losses in past.
- vii. The increase in selling price post POI in absence of a proportionate increase in raw material prices shows that the performance of the domestic industry must have improved post POI.
- viii. It was the applicant who claimed that 2021-22 was an exceptional year. The onus is on the applicant to provide reason and how it should be addressed/ adjusted. If the year 2021-22 is excluded, it would be seen that none of the parameters show that the petitioner has suffered injury.
- ix. Since the fiscal year 2021-22 witnessed abnormal conditions contributing to exceptional profits, the authority should not base its assessment solely on the abnormal performance of the domestic industry during this period. Instead, the Authority may evaluate trends from the base year, 2019-20, which provides a more representative baseline for assessing the domestic industry's overall performance.
- x. There has been no significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative terms in the present case. Imports have declined from the year 2021-22 to POI. The imports in relation to consumption are lowest in the POI.
- xi. Increase in exports made by producers constituting 90% of the total exports should imply that the exports of the major producers of the base year have now declined, and this is the reason for their non-participation. The fact is that the imports from the subject country has declined. The legal requirement is that the Authority should consider volume of dumped imports from the subject country.
- xii. Even though the imports were highest in the year 2021-22, the domestic industry's economic performance was the best in the year 2021-22. This shows that there is no nexus between the imports and injury to the domestic industry.
- xiii. Despite the price undercutting being the highest in the year 2021-22, the domestic industry's economic performance was the best in the year 2021-22. This shows that the prices of the domestic industry were not governed by the import prices.
- xiv. There is no nexus between the imports and the applicant's sales. Had the imports been a cause of price suppression, FY 2021-22 would show highest losses when the imports were at their highest volume level and highest price undercutting level. There is no price suppression due to imports of product under consideration from China PR.
- xv. The applicant has increased both domestic sales and export sales. However, the applicant has increased the selling price only with respect to export sales. Thus, profitability of the applicant has increased in respect of exports while the petitioner has claimed losses in domestic market. This implies that the focus of the petitioner has undergone a material change in line with the focus of other domestic producers, such as TDK, wherein the industry is keen to export because of better prices being received as compared to domestic market.
- xvi. The applicant's claim regarding loss of sales is baseless since the imports into India have declined and the sales volumes of the domestic industry have shown increase over the injury period. Furthermore, the applicant is consistently increasing its exports from India.
- xvii. An objective analysis of lost sales will require information and evidence on the sales that have been lost by the domestic industry. This would require information on orders placed by the consumers, which did not materialise into sales because the consumers thereafter purchased the imported material. Evidence of lost sales is not statistical. It is actual documents and evidence of lost sales. An analysis comparing the newly set up capacity with the domestic sales does not mean lost sales.
- xviii. Delta between the import price into India and the raw material price into China has increased in the period of investigation when compared to 2019-20 and 2020-21. The applicant cannot contend that delta has declined when compared to the year 2021-22, because the applicant itself has claimed 2021-22 as an exceptional year.
- xix. The applicant has claimed that in 2021-22, domestic sales were more than breakeven sales and it could achieve breakeven point which resulted in profits. The domestic sales in the period of

- investigation are higher than the domestic sales in 2021-22. Such being the case, profitability could not have suffered on this account.
- xx. Contrary to the claims of the petitioner, the prices of raw materials have declined in the POI. The respondents have provided the import price of ferric oxide for the imports made by the domestic industry in this regard.
- xxi. The landed price of imports from the subject country remained at same level in 2020-21. However, the applicant was able to increase its own selling price by 26%. This shows that the increase in the selling price was despite no increase in import price.
- xxii. The expansion of capacity by the applicant despite operating at idle capacities in the injury period has resulted in injury in the POI.
- xxiii. There is no co-relationship between production and sales since the sales did not increase with the increase in production and vice versa.
- xxiv. The applicant has not considered its own captive consumption and captive consumption of CIE Automotive India Ltd. and has exaggerated the export sales of TDK India Pvt. Ltd. to inflate the market share of imports and show lower demand. If the correct sales are taken into consideration, the market share of imports will be lower than of the Indian producers.
- xxv. The applicant is utilizing a significant portion of its production of the PUC for captive uses within its in-house division, namely Alisha Coils and Transformers. The applicant has not provided the details of captive consumption of the PUC by Alisha Coils and Transformers. If the captive sales of the applicant are included in the total demand for the product under consideration, the market share of imports will be lower than of the Indian producers.
- xxvi. Even if the data provided by the applicant for the injury period is considered, the market share of imports is lowest in the POI and that of the applicant is highest.
- xxvii. The performance of the applicant in terms of profitability has improved. The applicant made significant profits in the year 2021-22 and has provided the reason that it was able to procure the raw material at lower prices.
- xxviii. The information on profitability in the period of investigation after considering the depreciation and interest cost of 2021-22 provided by the applicant shows that if depreciation and interest cost are considered at level of 2021-22, then the applicant would be in profit.
- xxix. Post period of investigation data is not relevant in determining the injury to the domestic industry. Examination of post period of investigation data is relevant in specific special circumstances.
- xxx. The applicant has provided no justification for price of exports being much higher despite competing with the Chinese producers in the same markets.
- xxxi. The applicant's average inventory as no. of days of production and no. of days of sales has declined. The applicant has been able to sell its inventory over the injury period. As the domestic sales increased, the imports declined.
- xxxii. As claimed by the domestic industry, FY 2021-22 was abnormal because of an increase in the price of raw materials, ferric oxide and manganese oxide; disruption in the supply chain due to COVID outbreak; and floods in China. The Authority must not consider the abnormal performance of the domestic industry in abnormal circumstances and examine the trend from the base year FY 2019-20 which clearly shows that the performance of the domestic industry improved.
- xxxiii. Both applicant and respondents have contended that 2021-22 was an abnormal period and should be disregarded for the injury analysis. The applicant has sought exclusion on the grounds that it earned higher profits because of supply chain issues and that it was holding raw material at lower price. However, the applicant has been unable to justify its increase in selling price vis-à-vis the increase in costs and increase in import prices.
- xxxiv. Contrary to the claims of the applicant, the import price of ferric oxide has declined in the period of investigation as compared to the preceding year. Even when ferric oxide declined, the applicant has increased its selling price, particularly after initiation of present investigations.
- xxxv. The Soft Ferrite Core market has experienced steady growth driven by increasing demand. Accordingly, the sales of the petitioners, other Indian producers and imports from China

- (subject country) have all increased to meet the demand. Imports came down sharply in the POI, which shows that imports from China PR are coming only to fulfill the demand and supply gap in India and not to cause any injury to the domestic industry. Thus, there is no volume effect caused by imports from China PR during the period of investigation
- xxxvi. The cost of the investigated products in China is lower to that of India due to cost advantage with respect to the raw materials and level of manufacturing, larger capacities, efficient sintering equipment, low cost of electricity, and management.
- xxxvii. The petitioner increased its capacity and its production of the PUC during the POI. However, its capacity utilization declined during period of investigation by 13%. With the increase in capacity during the POI, its capacity utilization has declined. Had the petitioner not increased the capacity, its capacity utilization must have increased and achieved the optimum level.
- xxxviii. It is unclear how the number of employees could change merely due to updates in import data or alterations in the Product Under Consideration.
- xxxix. The losses claimed by the petitioner during the injury period have come down during the POI showing that there is no injury to the domestic industry. It is evident from the Annual Report of the petitioner which shows that the profitability of the petitioner has increased substantially during the period of investigation.
- xl. The petitioner's increase in capacity indicates a significant expansion which typically requires substantial capital investment, which indicates that the petitioner has been successful in raising the necessary funds.
- xli. The petition deliberately fails to address several crucial issues which impacted the domestic industry independently from the imports originating in the country concerned. Such reasons include internal problems, depressed market conditions globally, fluctuations in the price of raw materials, impact of the pandemic COVID-19, Russia Ukraine War, shutdown of the plant etc.
- xlii. The claim regarding a return on Capital Employed of 22% or more on gross fixed assets to arrive at the reasonable return for working out the Non-Injurious Price is highly inflated and are not in accordance with the Law.
- xliii. The applicant has failed to establish causal link between the alleged dumped imports and the injury. Most of the economic parameters of the applicant have shown an improvement. Further, the relation between the alleged dumped imports and the injury caused to the applicant is not linear.
- xliv. It is the duty of the domestic industry to show that cause of injury is dumped imports. Existence of causal link cannot be assumed automatically.
- xlv. The products provided by the applicant is not approved by prominent electronic companies. This can be seen from the decline in export sales of the applicant in comparison to FY 2021-22 and 2020-21.
- xlvi. Imports have not impacted the prices of the applicant. In cases where the applicant's quality is approved, the respondents have sourced the product from the applicant despite the import being available at lower prices.
- xlvii. The absence of full product profile with the applicant required by the downstream industry is preventing the applicant from further increasing its sales and market share.
- xlviii. The applicant has not taken any steps for getting its product approved by the customers and thus, the users have no option but to import.
- xlix. The applicant had been supplying unground soft ferrite cores to Speedofer Components Pvt. Ltd. in the past but stopped supplying after quality issues were raised by Speedofer Components Pvt. Ltd. The applicant has not taken any steps to address the quality concerns raised by the users or develop a larger product portfolio.
1. The applicant has a higher cost of production due to internal deficiencies. Since the cost of raw materials is only 30% of the total cost of production, any efficient producer would have established itself in the domestic market. Moreover, contrary to the claims of the applicant, the cost of raw materials has declined in the POI.
- li. The applicant has been unable to keep up with the developments in technology and in eventual end products.

- lii. Automobile, aeronautics and defense industries demand zero-defect components and the product supplied by Cosmo is not approved by any automobile manufacturer for these applications.
- liii. The applicant has cited past practices of the Authority claiming that Authority has in past several investigations found that domestic industry suffered injury despite improvement in certain economic parameters, however facts of those cases are not similar to the present case.
- liv. The producers/exporter submitted that as stated by the petitioner above, the prices of major raw materials (Ferric oxide and Manganese oxide) had shot up significantly. However, the domestic industry had entered a supply contract with its raw material suppliers before the prices increased drastically. Therefore, the domestic industry was able to procure the raw materials at a lower price consistently for several months but sell the PUC in the domestic market at increased prices in line with the increased prices at the same of sale, thereby leading to an exceptional year of profits. The Authority is hereby requested to note that this opportunity was not available with the other producers/exporters. Therefore, the petitioner earned exceptionally well. Comparison of the same with the outcome of business in normal circumstances is not at all reasonable and justified. The Authority therefore, shall not make comparison based on this period.
- lv. The Authority shall examine the trend from the base year, i.e., 2019-20 which clearly shows that the performance of the domestic industry has improved.
- lvi. Sales of the petitioners, other Indian producers and Imports from the subject country, China, all have increased in tandem with the increase in demand. In fact, imports have come down sharply during the POI with the decline in demand as compared to previous year. This shows that imports from China PR are coming only to fulfill the demand and supply gap in India and not to cause any injury to the domestic industry. Thus, there is no volume effect caused by imports from China PR during the period of investigation.
- lvii. Landed value of imported products from China has been showing fluctuations due to the exchange rate and production of raw materials for the investigated product powder unit price decline. The dollar against the Chinese yuan exchange rate in April 2022 was 1:6.3, in November 2022 was 1:7.25, in March 2023 was 1:6.98. The raw materials used in the production of the investigated products, namely, the powders, also witness the decline in the prices. The decline in the unit price of raw materials during the investigation period led to the decline in the unit price of the products under investigation, which is a natural market rules, and the Chinese exporters did not dump the products under investigation.
- lviii. The level of manufacturing and sintering process of raw material powder of the PUC in India lags behind that of China and the cost of raw material powder of the Investigated Products in China is lower than that of India.
- lix. The supply of iron red, the raw material required for the raw material powder of the investigated products in China is sufficient and its price is lower, iron red accounts for 70% of the composition of the powder and iron red is an ancillary product of the steel mills and the steel production capacity of China is larger and hence has an unmatched advantage over India.
- lx. China has a more advanced and efficient sintering equipment in its mills and the low cost of electricity in China makes the energy cost of the PUC relatively low.
- lxi. The factories in China producing the investigated products are highly automated and the cost of labor required to produce the investigated products is low.
- lxii. The factories in China have a single specification, which reduces the frequency of mold replacement and lowers the cost of mold consumption and management costs.
- lxiii. The Domestic Industry evidently asserts that its performance was outstanding in 2021-22 due to factors like soaring raw material prices, disruptions caused by COVID-19 in the supply chain, and floods in China. The producers/exporters hereby submit that such performance should be regarded as abnormal. These events gave the domestic industry an edge over competitors, resulting in unusually high profits. Consequently, the producers/exporters urge the authority not to use this period for comparison and instead evaluate the domestic industry's progress from the stable base year of 2019-20 to provide an accurate assessment of its improvement over time.
- lxiv. In the updated injury information, the petitioner seems to have manipulated the data, increasing the number of employees to 27 for 2021-22, whereas it remained at 23 for the POI.

- The Authority is urged to thoroughly scrutinize the authenticity of the data provided by the petitioner.
- lxv. The applicant is producing only the subject goods and hence its Annual report uploaded on the website is presumed to be showing actual performance of the Company. It is evident from the Annual Report of the petitioner which shows that the profitability of the petitioner has increased substantially during the period of investigation.
- lxvi. The producers/exporters submitted that the increase in the petitioner's installed capacity from 100 to 143 indicates a significant expansion in their production capabilities. This expansion suggests that the petitioner has invested in infrastructure, technology, or other resources to increase their capacity to manufacture goods. Such expansion typically requires substantial capital investment, which indicates that the petitioner has been successful in raising the necessary funds.
- lxvii. The producer/exporter submitted that any injury allegedly suffered by the domestic industry has been caused by factors other than imports from China PR.
- lxviii. The producers/exporters submitted that there are inflated claims of return on capital employed.

H.2. Submissions made by the domestic industry

78. The domestic industry has made the following submissions regarding injury:
- i. Certain injury parameters have shown improvement in the FY 2021-22 owing to exceptional circumstances:
 - Prices of raw materials shot up. However, the domestic industry was able to rely on old contracts with its raw materials suppliers and procure them at a lower cost but sell the PUC in the domestic market in line with the increased prices at the time of sale, leading to exceptional profits.
 - Recovering from the COVID 19 Pandemic, China faced bottlenecks in the supply chain, congestion at ports, lack of transportation, and increased freight rates. China's COVID policy also led to whole shipping terminals being shut down in case of COVID detection.
 - Provinces in China were affected from floods and the In-Fa Typhoon, which severely disrupted supply chains, operations and closure of air, sea and rail cargo transportation hubs.
 - There was a rise in demand of PUC, but China producers were unable to capture it, which allowed the domestic industry to increase its domestic sales.
 - ii. The Chinese exporters charged higher prices during this period which can be seen from the fact that landed prices were at its highest in this year. Although the imports from China also increased in this year but due to supply chain disruptions, the Chinese exporters had limited ability to cater to the increased Indian demand. This gave the domestic industry some respite from dumped imports and enabled it to cater to the increased Indian demand at remunerative prices which were above its cost of production leading to a profitability situation.
 - iii. None of the interested parties have suggested how to make adjustments if FY 2021-22 is to be excluded from the injury analysis.
 - iv. The improvement in FY 2021-22 can be observed industry-wide and not just with the domestic industry. Transformer manufacturers participating in the present investigation were also able to capitalize the situation and earn profits in FY 2021-22.
 - v. It is a well-established understanding that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury or is likely to suffer injury on an overall basis due to dumping. Further, they have quoted several investigations in the past wherein despite improvement in certain economic parameters, the Authority has held that the domestic industry is injured.
 - vi. Despite the increase in demand, the domestic sales of the domestic industry have declined. The subject imports have not only taken away the increased demand but also eaten the sales of the domestic industry. The increase in sales of the domestic industry is far below the increase in demand.

- vii. The performance with respect to NPUC is irrelevant in an anti-dumping investigation because the claim is to examine the injury on PUC. If this approach is taken, then a multiproduct company which is injured in one sector and not injured in another will never be able to approach the Authority for protection from dumped imports.
- viii. Export performance is not relevant in an anti-dumping investigation. Although the domestic industry's export volume declined during the POI, this was not considered in determining the impact of dumped imports and the extent of injury suffered by the domestic industry. The domestic industry has provided financial performance data solely related to the PUC domestic sales.
- ix. The imports from China have increased in absolute terms and were significant throughout the proposed injury period with a decline in the POI. However, the subject imports have shown an increase in the POI from the base year. The imports from China in relation production in India increased over the injury period.
- x. Despite the capacity expansion in the POI, the domestic industry could not utilize the same because of dumped imports.
- xi. The submissions regarding capacity additions done at the end of the POI are baseless. Capacity additions were operational for a major time in the POI.
- xii. The difference between the selling price and the major raw material cost of the domestic industry has declined significantly in the POI due to aggressive dumping from China.
- xiii. The increase in raw material prices is being considered from the base year. The apparent increase in consumption of Ferric oxide by domestic industry is due to the raw material inventory it purchased in 2021-22 but could not utilize in that year.
- xiv. The domestic industry has provided its actual purchase data of the raw materials as per its books to the Authority. Based on the actual purchase quantity and value of ferric oxide and Mn3O4, the decline in prices of Ferric Oxide and MN3O4 in the POI is not significant, and the impact of this decline is less than 1% on the total cost of sales of the PUC.
- xv. The submissions made by the importer/users deliberately reported lower ferric oxide prices to mislead the Authority. The volume of imports in 2022-23 matches with the data provided by the domestic industry but the price reported by importer/users is lower than the actual import price.
- xvi. The increase in the sales in FY 2021-22 of the domestic industry is far below the increase in the demand and the majority share of increased demand has been taken away by the dumped imports.
- xvii. Out of the approximately 92 producers/exporters in China, only 13 exporters of PUC in the subject country constitute 92% exports volume of the PUC of the total exports to India in the POI. The imports from these 13 producers/exporters have increased significantly in the POI over the injury period, showing that the said 13 producers/exporters who had been prominent in the POI were not prominent in the base year and have captured a significance market demand of the PUC in India over the injury period.
- xviii. The exports of the PUC from China to India have significantly increased during the POI in comparison to the base year. This proves beyond doubt that there is volume effect in the present case.
- xix. The price undercutting was not only positive but also significant. The selling price of the domestic industry and the import prices have increased. However, the increase in the import price is far below the increase in the raw material prices.
- xx. The selling prices of the domestic industry and imports prices have increased from the base year. However, the increase in import prices is not in tandem with the increase in raw material costs. Analyzing the rise in selling prices without accounting for fluctuations in raw material costs and sales expenses is fundamentally flawed.
- xxi. The existence of price undercutting is the relevant criterion to determine the price effect and not the degree of the price undercutting.
- xxii. Since the price undercutting is calculated based on average import price and average domestic selling price of the domestic industry, there may be some sales and the import price which

- might not be taking place at the same point of time, resulting in different price undercutting than the average price undercutting.
- xxiii. It is evident that the cost of input cost in China shows increase in the POI whereas the landed price of imports has declined sharply. As a result, the delta of the subject imports shows a significant decline in the POI. Despite the costs of raw material going up significantly during the POI, the price of exports to India has seen a decreasing trend.
- xxiv. With the increasing demand in India and the increase in market share of imports, if the exporters continue to export the PUC at lower prices, it will significantly impact the domestic industry's performance since much of the demand is now being catered to by the Chinese exporters.
- xxv. The domestic industry has been forced to sell its PUC in the domestic market at below its cost of sales thereby incurring losses in all the years except in the year FY 2021-22 which was an exception. Further, there is no reason to sell the product below the cost of production other than the dumped imports.
- xxvi. The cost of sales of domestic industry increased in the POI as compared to previous year because of the increase in the input prices, whereas the selling price of the domestic industry has declined in the POI as compared to previous year and further declined in spite of increase in the raw material prices. Therefore, the landed prices of imports are significantly suppressing the prices of the domestic industry.
- xxvii. The production of the PUC of the domestic industry has increased in the injury period with some decline in the POI, but the capacity utilization of the domestic industry has been low throughout the injury period.
- xxviii. There is a huge gap between the actual sales and the sales quantity required to achieve the breakeven except in the year 2021-22.
- xxix. The profit in FY 2021-22 shows that the dumped imports from China, the domestic industry can cater to the demand of users in India by enhancing its production and domestic sales. The customers prefer the dumped imports rather than buying from the domestic industry only due to the imports being at cheaper dumped prices.
- xxx. The profit, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have been negative throughout the injury period except in 2021-22. While the losses of the domestic industry declined in the period of investigation, the losses are at significant levels.
- xxxi. The fact that losses have declined over the injury period does not imply that the domestic industry is no longer injured, rather that the domestic industry has remained injured throughout the period. The plausible cause of these losses is admittedly only dumping.
- xxxii. The increase in interest and depreciation cost are due to the increase in the capacity in the POI. The same has been approved by the statutory and the cost auditor.
- xxxiii. The increase in expense has been reported to the Authority based on the audited financial statements of the domestic industry and has been duly verified by the Authority. Contrary to the claims of other interested parties, the domestic industry is still in losses after considering the depreciation and interest costs due to capacity expansion.
- xxxiv. The average inventory of the domestic industry was consistent throughout the injury period. At the end of most months, closing inventory was much higher than the closing inventory at the end of the POI.
- xxxv. In the POI, production has shown negative growth whereas the domestic sales, inventory and market share show growth. The price parameters have returned to negative growth as in the POI.
- xxxvi. The domestic industry had made new investments to its manufacturing unit and increased its capacity to cater to the increasing demand in the financial year 2021-22 which shows that the domestic industry wants to ramp up capacities. The dumping has severely impacted the ability of the domestic industry to further increase the capacity and meet the entire demand in India since the profits have again turned into losses after opening of the supply chain issues from China.
- xxxvii. The export price of all the geometries is much higher than the domestic selling price. This shows that the domestic industry's inability to fetch a remunerative price in the domestic

- market is due to dumped imports in the country. Therefore, the domestic industry is incurring losses in the domestic market.
- xxxviii. The domestic industry's losses have further increased in the post POI period due to a significant decline in the prices.
- xxxix. Domestic industry has two units – CFR and ACT, which are the part of the same legal entity, but separate accounting records are maintained for each of them. Hence, the sale of soft ferrite to ACT is shown as domestic sales and not captive consumption.
- xl. Domestic sales volume has been estimated based on market intelligence. TDK has nowhere provided that it has exported 50-60% of all it produces. There is no positive evidence to show that TDK exports were only 40% or that the domestic industry has understated TDK's production.
- xli. The legal standard is that all performance parameters need not show deterioration to establish injury and in previous anti-dumping investigations, the domestic industry was held to be injured despite improvement in some economic parameters.
- xlii. Reduction in losses does not indicate that there is no injury, but rather the presence of losses itself indicates injury due to dumped imports.
- xlili. Burden of proof to show that the injury is suffered by factors other than dumped imports lies on the interested parties, which have provided no positive evidence to this regard.
- xliv. The increase in raw material prices is being considered from the base year. The apparent increase in consumption of Ferric oxide by domestic industry is due to the raw material inventory it purchased in 2021-22 but could not utilize in that year.
- xlv. Since PUC is customized, its prices are affected by factors other than import price. The conclusion based on indexed data does not signify that there is no correlation between import prices and domestic industry prices.
- xlvi. No positive evidence has been provided to show that there is no correlation between production and sales of the domestic industry, or there are "other factors" involved.
- xlvii. The CCCME and exporters argued for FY 2021-22 to be excluded from injury analysis. No positive evidence has been provided that domestic industry increased its prices beyond reasonability. Reasons for increase in prices has been given by domestic industry.
- xlviii. Chinese exporters having advantages does not justify dumping the subject goods in India.
- xlix. It has been the consistent practice of the Authority to consider 22% ROCE while determining NIP.
1. The domestic industry has provided the approvals from certain OEMs to whom its transformer division, Alisha Coils and Transformers has supplied transformers using the PUC manufactured by the domestic industry. The domestic industry has also provided the specification sheets of certain OEMs, wherein the PUC supplied by the domestic industry has been approved for usage. Even in the post POI period, Alisha Coils and Transformers has continued supplying transformers using the Soft Ferrite Cores supplied by the domestic industry. The domestic industry has also supplied the PUC to public sector units such as through a trader.
 - li. None of the interested parties have provided any substantial evidence showing that the PUC supplied by the domestic industry is not meeting their quality standards as compared to the imported PUC.
 - lii. The domestic industry has addressed all the unsubstantiated quality issues raised by the interested parties in its submissions. The domestic industry has also provided proof of supply made to these interested parties. The domestic industry has resolved all the issues submitted by Victor Magnetics Private Limited.
 - liii. The importers/users have failed to provide "positive evidence" in their submissions as required under Article 3.1 of the ADA, and the WTO Panel Reports in Pakistan – BOPP Film (UAE) and Korea – Pneumatic Valves.
 - liv. The initial burden of proof lies on the importer/users to provide evidence on the issues alleged by them, as is a well-established principle in law which has been recognized by WTO.

- iv. Imports from the subject countries constitute almost 98-99% of the total imports into India. Barring imports from the subject countries, imports from other countries are below de-minimis limits and therefore, imports from the other countries cannot be a cause of injury to the domestic industry.
- lvi. The demand for the subject goods has increased over the injury period with an insignificant decline in the POI. Since there are significant unutilized capacities lying with the domestic industry, therefore, the possible decline in demand cannot be a reason of injury to the domestic injury.
- lvii. The pattern of consumption in India has not changed with respect to the PUC. Therefore, the injury to the domestic industry is not due to the same.
- lviii. There are no trade restrictive practices/competitions that can be considered germane to the material injury suffered by the domestic industry.
- lix. There has been no injury caused to the domestic industry on account of changes in technology.
- lx. Though the domestic industry's export volume has declined in the POI, its export performance has not been considered when determining the effect of the dumped imports and the extent of the injury. Therefore, the injury claimed in the petition cannot be attributed to the export performance.
- lxi. The domestic industry is majorly involved only in the production and sales of PUC. The injury claimed in the petition pertains to the PUC only and does not include the profitability of any other products.
- lxii. The parameters proposed by importer/users have never been applied to establish causal link.
- lxiii. Existence and significant price undercutting is relevant, but it's degree is not. The improvement in price undercutting was due to market conditions and COVID-19.
- lxiv. The importer/users using the defense of MSMEs when they have failed to provide positive evidence to show that injury was caused by something other than the dumping of PUC signifies that no such evidence exists.
- lxv. The scope of PUC is restricted based on actual production data of the domestic injury. Absence of full product file is not a criteria for injury to the domestic industry.
- lxvi. Approvals and invoices of sales by the domestic industry or ACT to OEM and public sector companies is on record. Given the wide usage of PUC, domestic industry cannot be expected to have approvals from all consumers.
- lxvii. The claim that the injury to domestic industry is due to its inability to gain approval because of limited operations has no merit.
- lxviii. The importers/users have submitted that the domestic industry has not reported its own captive consumption in the application. In this regard, it is submitted that the domestic industry has two units namely CFR division and Alisha Coils and Transformers ('ACT'). ACT is involved in the production and sale of transformers.
- lxix. The importers/users have again failed to appreciate that the imported quantity does not equate to actual consumption and at the imported price. The consumption price of ferric oxide in the books of the domestic industry shows increase due to the raw material inventory lying with domestic industry, which was purchased in 2021-22, when the prices were high, but it could not be utilized in the same year.
- lxx. The domestic industry highlighted that the interested parties have provided opposite views with respect to the consideration of 2021-22 in injury analysis. The entire arguments of the imports/users are based on the abnormal performance of the domestic industry in 2021-22, whereas CCCME and the exporters have argued for exclusion of 2021-22 from the injury analysis.
- lxxi. The importers/users have made false allegations that domestic industry has imported PUC throughout the injury period. The data on record of imports made by the domestic industry clearly shows that they have imported the PUC only in 2021-22 and 2022-23. The transactions reported in the year 2020-21 are not the imports but the return of the exported product. Further, the imports made by the domestic industry are below 1% of its production, sales and the demand in the country.

- lxxii. The domestic industry submitted that the existence and significant price undercutting is the norm, and not the degree of price undercutting. They further submitted that the domestic industry was able to improve despite the significant price undercutting due to the market conditions prevalent in the period. Covid 19 had played a major role that year.
- lxxiii. The domestic industry's production declined compared to the previous year. According to WTO law, any increase in production must be evaluated alongside the increase in demand to determine injury. The industry's production has not matched the rising demand in India due to the presence of dumped imports of PUC, indicating injury.
- lxxiv. Reduction in losses does not indicate that there is no injury, but rather the presence of losses itself indicates injury due to dumped imports. Profit in one year due to abnormal and extraordinary circumstances is not sufficient to claim that the domestic industry has not suffered material injury.
- lxxv. The other interested parties have been selective in the analysis of certain volume and price parameters by comparing the POI performance of the domestic industry with the base year and completely ignored intervening trends of injury period. This selective approach contradicts judicial precedents and undermines the purpose of evaluating data over the full four-year injury period.
- lxxvi. The Appellate Body in the United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten from the European Communities (WT/DS166/AB/R) also notes that the causal link may exist even when factors other than dumped imports are affecting the situation of the domestic industry.
- lxxvii. None of interested party has provided any evidence or brought forward any other “known” factor before the Authority to show that there is no causal relationship in the present investigation between the dumped imports and the injury due to domestic industry on account of the profits in the FY 2021-22.
- lxxviii. In absence of any positive evidence to show that the domestic industry has been injured by factors other than the dumped imports, it would be highly inappropriate to note that there is no causal link in the present investigation due to the economic parameters of the domestic industry in an abnormal year.

H.3. Examination by the Authority

79. Rule 11 of the Rules read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
80. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties:
81. With regard to the submissions of the other interested parties that certain economic parameters of the domestic industry have shown an improvement, the Authority notes that it is not necessary for all parameters to show deterioration for the Authority to determine whether the domestic industry is facing material injury. The Authority notes that the material injury to the domestic industry is due to the dumped imports despite an improvement in FY 2021-22 due to exceptional circumstances.
82. As regards the submission of the interested parties that 22% return on capital employed is not acceptable, the Authority notes that such is the consistent practice of the Authority in all previous investigations conducted.
83. With respect to the approvals of PUC supplied by the domestic industry from OEMs, the Authority notes that the domestic industry has submitted evidence of supplies made to OEMs in form of sample invoices of sales made by its transformer division Alisha Coils and Transformers to OEMs, approvals from certain OEMs to

whom its transformer division, sample invoices of sales made by the domestic industry to OEMs. The domestic industry has also provided the sample invoices of sales made to public sector units.

84. With respect to losses to the domestic industry in the POI on account of increase in depreciation and interest cost, the Authority notes that, if the depreciation and interest cost of the POI is replaced with the depreciation and interest cost of FY 2021-22, the domestic industry is still in losses.
85. With respect to the claim of the other interested parties that the capacity of the domestic industry was expanded towards the end of the POI and should be considered proportionately, the Authority notes that the expanded capacity of the domestic industry has been considered appropriately.
86. With respect to the claim of the other interested parties that salary and wages of the domestic industry have increased over the injury period, the Authority has considered the data as per Domestic Industry's audited books of accounts. Further the Authority has taken the cognizance of the submissions of the domestic industry that it's temporary profitability allowed it to restore employee wages, and increments, and expand capacity to meet growing demand.
87. With respect to the claim that the domestic industry is utilizing a significant portion of its production of the PUC for captive uses within its in-house division, namely Alisha Coils and Transformers and has not provided the details of captive consumption of the PUC, the Authority notes that the domestic industry has two divisions, CFR division and ACT division. As per the GST regulations, the sale made by CFR division to ACT division is considered as supply and thus, is subject to GST and reported as sales in the books of CFR division and purchases in the books of ACT division. The domestic industry has also provided the GST invoices for the sales of PUC made ACT division. The Authority further notes that the demand calculation for the PUC includes the sales of the PUC made by the domestic industry to ACT division, therefore, there is no error in calculation of the demand for the PUC. Further, the NSR claimed by the domestic industry also includes the sales made to the ACT division. It is also noted by the Authority that the selling price to ACT division is comparable with the prices of the unaffiliated customers.

H.3.2. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand/apparent consumption

88. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG Systems. The demand/apparent consumption so calculated is as under:

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	81	95	129
Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	113
Subject imports from China	MT	1,979	2,276	2,874	2,160
Imports from other countries	MT	30	36	50	28
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	120	114

89. It is seen that the demand increased till 2021-22 and then declined marginally in the POI. The sales of the domestic industry have increased over the injury period. However, the sales of the domestic industry have not increased commensurate with the available capacity. Over the injury period, a significant demand has been met by imports despite the idle capacities lying with domestic industry.

b) Import volume from the subject country relative to production and consumption in India

90. The Authority has analyzed the imports from the subject country both in absolute terms and relative terms by comparing the imports with the domestic production & demand for each year of injury investigation period:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports from China	MT	1,979	2,276	2,874	2,160

Indian Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	120	114
Indian Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	110	112
Subject country import in relation to -					
Indian Demand	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	113	122	96
Indian Production	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	117	133	98

91. It is seen that the volume of imports from China PR have increased over the injury period with a slight decline in the POI. The imports from the subject country have been significant throughout the injury period. The imports from the subject country relative to production and consumption remained significantly high despite significant capacities remaining unutilized with the domestic industry.
92. The imports in relation to production and consumption increased till 2021-22 but has declined in the period of investigation.

H.3.3. Price effect of the dumped imports

93. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

94. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Landed Price	Rs/MT	2,16,967	2,27,701	2,89,471	274,618
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range %	0-10	30-40	60-70	35-45

95. It is noted that the landed price of the imports is much below the domestic selling price of the domestic industry and resulted positive price undercutting in injury period and POI.

b) Price suppression/depression

96. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed prices of the subject imports.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	99	121	131
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***

Trend	Index	100	126	205	166
Landed Price	Rs/MT	2,16,967	2,27,701	2,89,471	2,74,618
Increase/(decrease)					
Cost of Sales	Rs/MT		(***)	***	***
Selling Price	Rs/MT		***	***	(***)
Landed Price	Rs/MT		10,734	61,770	-14,853

97. It is seen that while the cost of sales increased by INR *** per MT in the POI the selling price declined by INR *** per MT. In spite of increase in the cost of sales in the POI, the selling price of the domestic industry declined significantly due to the decline in landed prices of imports. The Authority also notes that the selling price of the domestic industry is below the cost of sales over the injury period except FY 2021-22.

H.3.4 Economic parameters of the domestic industry

98. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

99. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	143
Plant Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	102	125	124
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	102	125	87
Production of PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	128	125
Domestic sales of PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	81	95	129

100. The Authority notes that the production of the PUC of the domestic industry has declined in the POI as compared to previous year in spite of expansion of capacity.

b) Market share

101. Market share of the domestic industry and of imports is shown in table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Share of subject country	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	121	96

Share of other countries	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	116	138	80
Share of domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	79	79	113
Share of other Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	83	98
Total Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	90	82	104
Total	%	100%	100%	100%	100%

102. It is seen that the market share of the domestic industry has improved in the POI compared to the previous years but has remained significantly lower than the capacity available with the domestic industry.

c) Inventories

103. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	84	70	73

104. It is seen that the inventory of the domestic industry has mostly remained constant over the injury period.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

105. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Profit/(loss)	Rs/MT	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Index	(100)	(31)	88	(42)
Profit/(loss)	Rs. Lacs	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Index	(100)	(25)	84	(54)
Cash Profit	Rs. Lacs	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Index	(100)	(9)	129	(39)
PBIT	Rs. Lacs	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Index	(100)	(15)	122	(32)
Return on Capital Employed (ROCE)	%	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Index	(100)	(18)	120	(14)

106. It is noted that the profitability, cash profits and ROCE of the domestic industry have remained negative throughout the injury period except in 2021-22 which was an exceptional year for the domestic industry.

e) Employment, productivity and salaries & wages

107. The Authority has examined the information relating to employment, salaries & wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	128	125
Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	127	123
Production/employee	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	101	101
Salaries & wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	108	157	171
Salaries & wages /employee (Rs)	Rs/Nos	***	***	***	***
Trend	Index	100	108	124	138

108. It is seen that the production of the domestic industry has increased till 2021-22 and declined in the POI from the immediate previous year. The number of employees and the wages paid to them have also increased.

f) Growth

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Production (MT)	Y/Y		0.95%	26.59%	-2.35%
Domestic Sales (MT)	Y/Y		-19.16%	18.05%	34.90%
PBT (Rs Lacs)	Y/Y		74.79%	432.77%	-164.14%
Inventory (MT)	Y/Y		-16.26%	-16.87%	5.35%
Market Share (%)	Y/Y		-21.49%	0.99%	42.05%
Cash Profit (Rs Lacs)	Y/Y		90.93%	1520.72%	-130.41%
ROCE (%)	Y/Y		81.96%	767.14%	-111.48%

109. It is seen that the performance of the domestic industry has deteriorated in many parameters such as Production, PBT, Inventory, Cash Profits, ROCE and improved in some parameters such as sales, and market share.

g) Impact on the ability to raise capital investments

110. The Authority notes that even though the domestic industry has made new investments to increase its capacities to cater to the increasing demand of PUC in India, the domestic industry has been unable to utilize its capacities is facing losses due to dumped imports.

h) Factors affecting prices

111. The domestic industry has contended that the landed price of imports was below the cost of sales of the domestic industry and therefore, imports are likely to have an impact on the prices of the domestic industry. The importers have contended that TDK India is selling at profits and at much higher prices. It has however been contended by other parties that there are other factors that are affecting the prices of the domestic industry.

i) Magnitude of dumping

112. It is noted that the dumping margin from the subject country is significant and above de-minimis.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

113. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a) Volume and value of imports from third countries

114. It is noted that there are negligible imports from any other country. The imports from the subject country constitute 97% of the imports in India. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

b) Contraction in demand

115. The demand for the product under consideration has steadily increased with a slight decline in the POI. The demand for the subject goods is expected to continue to grow. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c) Pattern of consumption

116. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

117. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

118. The other parties have argued that the applicant has failed to keep pace with developments in technology. The domestic industry has counter-argued that there is no such development in technology that the domestic industry has not kept up with. The domestic industry has even expanded its capacities for the production of the subject goods.

f) Productivity

119. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

g) Export performance of the domestic industry

120. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h) Performance of other products

121. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

122. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the period of investigation and the injury margin so worked out is as under:

S. No.	Particulars	Non-injurious price (USD/MT)	Landed Price (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
1	Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. (producer) Tongxiang Huayuan Electronic Co., Ltd. (exporter) and	***	***	***	***	20-30
2	Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. (producer/exporter) and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. (producer/exporter)	***	***	(***)	(***)	(50-60)
3	Others	***	***	***	***	30-40

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K.1. Submissions made by other interested parties

123. The other interested parties have made the following submissions regarding the Indian industry interest:
- i. The applicant has wrongly claimed that the PUC is a small component in the end-use products and imposition of ADD will have no impact on their costs and prices.
 - ii. There are almost 4,000 transformer producers in India, majorly in MSME. The PUC constitutes 30-40% of the total cost of their product. Imposition of anti-dumping duty will lead to a sharp increase in the cost of the transformers. The applicant has determined 80-90% as dumping margin and 40-50% as injury margin. The transformer producers are already facing significant competition from the imports and with such an increase cost, the transformer industry in India will be completely wiped off.
 - iii. The imposition of anti-dumping duty will be detrimental to the government of India's scheme for promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors (SPECS).
 - iv. 80% of the transformers market is already catered by the imports. If the cost increases, the transformer manufacturers will not be able to pass on the increased cost, particularly when such cost increases would selectively happen for the domestic industry and not for Chinese manufacturers or exporters of transformers. Thus, the transformer manufacturers will lose the remaining 20% market share after the imposition of anti-dumping duty.
 - v. Contrary to the claims of the applicant that the cost of PUC is 15% of the cost of transformer, the cost on account of PUC constitutes 30-40% of the cost of transformer.
 - vi. The applicant has claimed that the impact of the 15% anti-dumping duty would be 3.5% on the transformer industry, while in their application they are asserting a dumping margin of 70-80%. Thus, if the Authority recommends imposing duty in 50-60% range, the impact will be at least in the range 14-15%. The transformer industry is a highly price driven industry. This implies that the transformer producers will have to compete with the import price and eventually will have to run out of business.
 - vii. The applicant does not sell unground soft ferrite cores in the market. Anti-dumping duty will make the import of ungrounded soft ferrite core unviable. If the applicant increases its price by the anti-dumping duty, it will kill the downstream user industry, only benefiting the domestic industry.
 - viii. The landed price of ungrounded imports after anti-dumping duty plus the value addition undertaken by Speedofer Components Pvt. Ltd. will push its cost significantly above the price

- of Cosmo Ferrite Limited. Speedofer Components Pvt. Ltd. will not be able to sustain in the market and will shut down its operations leading to the loss of significant employment.
- ix. The consumption of ungrounded soft ferrite core in the country is hardly 20% of consumption of transformers in the country. This further shows vulnerability of Transformer producers.
 - x. The present application has been brought by the applicant with an ulterior motive of rooting respondents out of the business and solicit respondents' customers for its in-house division Alisha Coils and Transformers. This situation will create monopoly in the market. Even if the anti-dumping duty is imposed on the PUC, the in-house manufacturing unit of the applicant will always have steady supply of the PUC. While the respondents would suffer immense loss in terms of increased cost of sale.
 - xi. Anti-dumping duties are being sought to feed the investment undertaken in building the capacity expansions.
 - xii. The employment is much higher in transformer industry and the power supply industry as compared to soft ferrite industry. The imposition of anti-dumping duty will kill the transformer industry and the employment generated by this sector will be adversely affected.
 - xiii. The applicant has submitted that there are only 4 producers of the PUC in India and out of which TDK India Pvt. Ltd. is engaged in exports of the product under consideration and CIE Automotive India Limited captively consume a significant share of their production. Therefore, Cosmo Ferrite Limited is the only beneficiary of the anti-dumping duty. On the contrary, there are 4000 transformer producers in India.
 - xiv. The transformer industry is operating at a much lower profit margin. If the cost of production for transformer producers increases by this much magnitude, all transformer manufacturers will be out of business, given the loss on their sales.
 - xv. Despite the fact that the domestic industry is fully aware of transformer industry operations as its own unit is producing transformers and has access to annual report of company such as Speedofer Components Pvt. Ltd, Victor, it is surprising that the company has contended that costs on account of soft ferrite constitutes only 15% of the cost of transformer. Indeed, cost on account of sort ferrite constitutes 30-40% of the cost of transformer.
 - xvi. The applicant has accepted that there is a demand and supply gap in the country. The Indian producers such as TDK India Pvt. Ltd. and Cosmo Ferrite Limited export a large share of their production. The Indian industry is not interested in selling the product in the Indian market and therefore, user industry will be forced to import the product after paying anti-dumping duty.
 - xvii. Cosmo Ferrite Limited product is not approved by several major equipment manufacturers. If the anti-dumping duty is imposed, the respondents will have to either import after payment of duties or lose sales. Importing after payment of duties is unviable and they shall be outpriced by direct imports of transformers.
 - xviii. The respondents have not claimed that the applicant is not approved by any OEM. The concerns of the respondents are only with regard to the product specification of prominent electronic companies in high- end products that demand quality of product and zero-defects. These companies have not approved product produced by the applicant.
 - xix. The respondents have shown how the lack of the availability of the product profile with the applicant has forced them to import. When despite no measures, the users are forced to import, the imposition of measures will kill these users.
 - xx. If the Authority has to take a view that competition from China cannot be a reason to not impose anti-dumping duty, then the market Rs 3500 cr. will be completely captured by the imports. The market of Rs 3500 cr. cannot be compromised at the cost of a market of Rs 600 cr. The user industry may be advised what remedy is available to them.
 - xxi. Since the capacity of the domestic industry cannot meet the demand of Indian market, the implementation of the anti-dumping duty for the product under investigation will trigger price increase, which is not in the best public interest.
 - xxii. The specifications of the investigated products currently exported from China to India are transforming from low value-added products to high value-added products. The complexity of product design and the demand for customization has increased. Some technically advanced products cannot be produced by the Indian domestic industry. As a result, the Indian domestic industry is not able to meet such demands of Indian downstream customers.

- xxiii. The performance of power and high conductivity materials of the same type of products produced by the Indian domestic industry can only correspond to the lower middle level of performance of the same type of products imported from China, and there is a significant gap between the new generation of high-performance materials of the products imported from China to India. Chinese imports include iron depleted materials in addition to power and high conductivity materials, which are not found in Cosmo's public information.
- xxiv. The investigated products have a wide range of uses and the end-users are involved in many industries, and the adoption of anti-dumping measures on the investigated products will adversely affect the development of many industries in India.
- xxv. The Electronic Industries Association of India (ELCINA), representing the Electronic Hardware Industry represent the full value chain of electronics manufacturers, including those producing wound components like ferrites, transformers, and inductors. Our members have raised serious concerns regarding the ongoing Anti-Dumping Investigation on "Soft Ferrite Cores" imported from China (Gazette No. CG-DL-E-04102023-249138 & Case File No. AD(OI)-(21/2023) dated 30/9/23). These concerns are primarily about the negative impact on India's electronics industry, particularly affecting transformer and ferrite core manufacturers which are an essential input for all electronic equipment.
- xxvi. Transformer manufacturing, dominated by MSMEs, is already operating on thin margins and is a labor-intensive sector. Increasing duties on raw materials would not only harm these businesses but may also result in closure of many units as demand shifts to overseas suppliers, resulting in job losses. We urge reconsideration of such measures to protect the domestic transformer manufacturing industry and its workforce.
- xxvii. In light of these above concerns, ELCINA urges the Director General of Trade Remedies (DGTR) to reconsider the submission proposing imposition of Anti-Dumping Duties (ADD) on soft ferrite cores. Such a duty would be against the interest of Make in India and the large number of transformer manufacturers for electronic equipments who constitute the large majority of this core segment of electronic components.

K.2. Submissions made by the domestic industry

124. The other interested parties have made the following submissions regarding the Indian industry interest:
- i. The purpose of ADD is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
 - ii. ADD does not restrict imports from the subject countries. Fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of ADD. On the contrary, it would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
 - iii. The Authority must consider whether ADD shall have any adverse impact on the public's interest, and to determine such impact, the authority must weigh the impact of the imposition of ADD on the availability of the goods in the Indian Market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large.
 - iv. In the present investigation, only four transformer manufacturers, though severely deficient, have filed questionnaire responses. No representation has been filed by the user Association on behalf of its members. Thus, the level of cooperation from users in India is extremely low and not representative of the interests of the user industry in India.
 - v. The four users who have filed the UQRs have failed to provide any quantification of ADD or its impact on the downstream industries, but has simply made unsubstantiated statements to project an incorrect picture of the impact of ADD
 - vi. Even the users participating in the present investigation have not responded to the EIQ issued by the Authority to allow stakeholders to demonstrate how the imposition ADD would affect their operations, which shows that the consumers will not be bothered by the duties.
 - vii. No quantified information has been provided by the interested parties establishing that imposition of proposed duties would lead to such significant increase in cost of production of the downstream industry that the same shall render such downstream industries ineffective and inefficient. While importers have participated with the investigation, they have been unable to provide any quantification of the impact of the duties. This further affirms the quantification of

- the impact of duties on the user industry provided by the domestic industry. The impact, if any, is insignificant.
- viii. Submissions made by 0.3% of the transformer manufacturers located around NCR cannot be considered as representative of the industry. Only 10 instances of non-approval cannot be considered a majority.
 - ix. Some of the interested parties import the PUC in unground form(without finishing), which is nothing but the PUC without finishing. The scope of PUC should cover the geometries of MnZn Soft Ferrite Cores when imported in both ground and unground form and with or without finish.
 - x. Soft Ferrite Core manufacturers such as the domestic industry are either tier 3 or tier 4 suppliers in the supply chain. Any approval for supplying the Soft Ferrite Cores will be available with the transformer manufacturer or PCB manufacturer who is supplying its goods after incorporating the Soft Ferrite Cores to the Tier 1 supplier or the OEMs.
 - xi. ADD does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of ADD would not affect the availability of the product.
 - xii. The performance of the domestic industry has deteriorated on account of several parameters, which could not have been the case had the domestic industry been in a monopolistic position. ADD ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
 - xiii. The protection of domestic industry from unfair and dumped imports will not be inconsistent with the 'Make in India' initiative of the Government of India.
 - xiv. The domestic industry has submitted financial statements of certain transformer manufacturers available on MCA website and annual reports.
 - xv. The PUC market is an essential segment in the electronics and electric industry. The Indian government has introduced several schemes and protection measures in place to protect the growing electronics industry. The domestic industry is a manufacturer of the PUC in India and protection of the domestic industry will further promote domestic production in India, fulfilling the objective of promotion of domestic production of the "Make in India" initiative.
 - xvi. The Government is also trying to promote the manufacturing of PUC in India by incentivizing the manufacturing under various schemes. Therefore, protection of the domestic industry is in favor of the "Make in India" and "Atmanirbhar Bharat" policies of the Government.
 - xvii. The users have been able to pass on the increase in cost in the past when customs duty was imposed on the PUC and have managed to remain profitable through all these years. They shall be able to pass on the increase in cost due to imposition of ADD as well. No positive evidence has been shared to the contrary.
 - xviii. The profitability of the transformer manufacturer was not affected in 2021-22, when selling price of PUC increased.
 - xix. The Authority must take a balanced approach between the interests of the domestic producers and their downstream users. It is already shown that the impact of ADD will be miniscule on the downstream products and the end-products.
 - xx. Despite catering to just 20% of the demand in India, these transformer manufacturers have remained profitable and able to compete with the Chinese imports of PUC because they are beneficiaries of dumping of PUC in India. If the transformer manufacturers believe that imposition of ADD on PUC will result in increase in imports of transformers, the appropriate action to address the issue is not opposing the ADD on the PUC, but to take measures to ensure that transformers are not imported into India at dumped prices.
 - xxi. The soft ferrite cores market is small now, but demand is rising quickly. The government must protect the domestic industry of soft ferrites in the country from the dumped imports.
 - xxii. Domestic industry used to supply unground soft ferrite cores to Speedofer, but stopped due to factors including disagreement regarding the price.
 - xxiii. Transformer Manufacturers are not concerned with the quality of the product, but the fact that imposition of ADD will force them to buy PUC at fair prices, which may affect their profitability.

- xxiv. Non-approval submissions filed by 0.3% of the transformer producers cannot be considered representative of the industry in India. Majority transformer manufacturers are not bothered by anti-dumping investigation. Only those around NCR are, for they are beneficiaries of anti-dumping.
- xxv. There can be no confidentiality on non-approval information as product specifications referred to must have been shared by the transformer manufacturer, on which the claims of non-approval are based. If this information is not disclosed and the domestic industry is not given an opportunity to address it, these submissions must be discarded.
- xxvi. No quantified information has been provided to show that the imposition of ADD would lead to an increase in the cost of production of the downstream industry, which would render such industry ineffective and inefficient. Traders of PUC have also not provided quantification of impact of duties.
- xxvii. Speedofer is a beneficiary of dumping of PUC, and imposition of ADD will only lead to it purchasing PUC at fair prices. Importing at fair prices do not logically lead to the shutdown of an industry.
- xxviii. The claims regarding quality issues with the unground soft ferrite cores sold to Speedofer are factually incorrect; the domestic industry ceased supplying PUC not due to quality concerns but because of delayed payments, unreasonable transport delays, and pricing disagreements, as Speedofer is more interested in importing cheaper dumped PUC from China. Evidence has been provided to support this assertion. The domestic industry continues to sell unground soft ferrite cores to other customers.
- xxix. ADD, if imposed, will only be to the extent of the dumping or injury margin whichever is lower. It is understood that the beneficiaries of dumping will suffer if the anti-dumping duties are imposed, and their profit margins will get reduced to the extent of antidumping duty. This is the very reason why ADD is imposed, i.e., to provide a level playing field and counter the ill effects of unfair trade practices.
- xxx. The imposition of ADD will benefit with domestic industry and other Indian producers of PUC which have been incurring loss. The fact that a single or multiple manufacturers will benefit should not be a relevant consideration.
- xxxi. The import/users have indirectly admitted that the domestic industry is the only relevant and significant producer in the country. Further unsubstantiated claims regarding domestic industry only supplying PUC to ACT should be disregarded.
- xxxii. The domestic industry has not been able to operate at optimum capacity due to dumping of PUC and once such is rectified, it will be able to do so.
- xxxiii. The demand supply gap cannot justify not imposing ADD, since the domestic industry has not even been able to cater to the market share it is capable of due to dumped imports.

K.3. Examination by the Authority

- 125. With regard to the contention that the imposition of anti-dumping duty will lead to increase in cost of transformers and wipe out the transformer industry in India, the Authority notes that there is no evidence on record regarding the same. Despite an increase in the landed prices of the PUC when BCD was imposed, the user industry has not shown adverse effects. On the other hand, the imposition of anti-dumping duty is likely to remedy the injury to the domestic industry due to unfair trade practices. The Authority notes that none of the transformer manufacturers participating in the present investigation has demonstrated their inability to pass on the increase in cost.
- 126. The Authority further notes that the domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty on the price of transformers and electric appliances wherein the transformers are used. The participating users have provided the impact of anti-dumping duty on their operations. Through the quantification of the impact of anti-dumping duty, the domestic industry claimed that the user industry was a pass-through industry. The impact of duty on the user industry will be insignificant.
- 127. The Authority notes the impact of ADD on user industry as claimed by the domestic industry as well as the other interested parties.
- 128. With regard to the contention that the imposition of anti-dumping duty will lead to monopoly and higher prices for users, the Authority notes that the imposition of anti-dumping duty only ensures fair prices in India and does not restrict or ban imports. There is no evidence on record to show that the imposition of anti-dumping duty will lead to the creation of a monopoly in India. The Authority notes that there have been

several investigations where anti-dumping duty has been levied even though there was a single producer in the country and a single supplying country outside India.

129. The Authority notes that the impact and public interest analysis cannot be based on the number of players in the domestic production and downstream industry. The imposition of ADD will only ensure a fair playing field to the domestic industry. It will not lead to stoppage of imports into India. The demand supply gap is no justification for the non-imposition of ADD. the Authority notes that the imposition of ADD does not restrict the imports but only ensures that the imports are not at dumped prices.

L. WRIT PETITION FILED BEFORE THE HIGH COURT OF DELHI BY SPEEDOFER COMPONENTS PVT. LTD. AND VICTOR MAGNETICS PVT. LIMITED

130. Pursuant to the issuance of the Disclosure Statement by the Authority on 07th November 2024, Speedofer Components Pvt. Ltd and Victor Magnetcs Private Limited filed writ petitions W.P. (C) 15865/2024 and W.P. (C) 15866/2024 respectively before the High Court of Delhi, claiming that the Authority has omitted the disclosure of essential facts and submissions in the Disclosure Statement.
131. However, the High Court dismissed the writ petitions in light of the same court's judgement in the case of Hindustan Lever Ltd. Now Known as Hindustan Unilever Limited v. Union of India & Ors., and directed the Authority to consider the submissions made by Speedofer and Victor in its final findings. The Authority has accordingly noted and examined the submissions made by Speedofer and Victor in the present final findings.

M. POST DISCLOSURE COMMENTS

M.1. Submissions of the other interested parties

132. The following submissions have been made by other interested parties:
- i. It is unclear whether the Authority has considered the import volumes of PUC under one HS code or for all nine HS codes identified by the applicant. The Authority must clarify whether the imports by the petitioner have been examined considering only one HS code or for the nine HS codes identified by the applicant.
 - ii. The applicant supplies majorly the cores used in lighting segments, which are also moving away from using transformers.
 - iii. Different geometries are completely different products, and the description of the product cannot be simply altered just to avoid antidumping duty.
 - iv. The determination of whether a grade or type of product falls within the scope of the product under consideration is based solely on the applicant's production. If the applicant has not produced a specific grade, it cannot be included. Production by other domestic producers is irrelevant to this determination, consistent with the Authority's established practice. Therefore, any claim by the applicant that other producers are manufacturing additional geometries should not be considered. Only the geometries produced by Cosmo Ferrite Limited should be included within the scope of the product under consideration.
 - v. EQ shape has been included in the scope of the PUC but the applicant's current catalogue doesn't have this shape.
 - vi. The Authority is requested to consider unground cores as a separate PCN as the opposition by Speedofer shows that unground cores are eligible for PCN since the beginning.
 - vii. Cosmo is just selling unground soft ferrite cores to Ferrite Sales Corporation, their own distributor who sells only Cosmo's products.
 - viii. The Authority must disclose the value addition considered from ungrounded to grounded as value addition has vital consequences for the present investigation. The Authority is requested to disclose whether the value addition has been considered based on the claims made by the applicant or based on the information provided by Speedofer. If the Authority has considered the value addition claims of the Applicant, the Authority must also disclose how the Authority has deemed the claims of the Applicant appropriate.
 - ix. Since the imports of ungrounded soft ferrite cores involve the issue of possible circumvention, it is unclear how activity undertaken by the applicant can be considered relevant to determine value addition.

- x. The production of grounded soft ferrite cores from unground cores involves considerable investment, specialized expertise, and extensive production efforts, making it unlikely that unground cores are imported solely to avoid anti-dumping duties on grounded cores. Furthermore, the significant existing imports of unground cores suggest that their demand is independent of duties on grounded cores. The fact that only one domestic manufacturer, Speedofer Components Private Limited, engages in converting unground to grounded cores underscores the complexity of the conversion process.
- xi. Speedofer Components Pvt. Ltd provided detailed information on value addition, showing a price difference exceeding 20% between grounded and ungrounded soft ferrite cores. Despite this, the Authority concluded that the value addition is minimal, which Speedofer contests as inconsistent. They note that the DGTR has previously recommended anti-dumping duties on products with lower value addition than this case. Additionally, Speedofer highlights that over 100 employees would face job losses if the duty is imposed, emphasizing the broader economic impact of such a decision.
- xii. The Authority is requested to clarify whether Speedofer has been treated as a domestic producer in determining the standing of the applicant since Speedofer has produced and sold grounded soft ferrites.
- xiii. The applicant imported material from China despite claiming idle production capacity, raising questions about why it didn't produce in-house for its own needs. This suggests either a lack of capability, non-approval of its product by consumers, or misleading claims about imports. Respondents seek disclosure of evidence supporting the applicant's justification for imports.
- xiv. The emails provided by the applicant showing that the user quality concerns have been resolved have not been disclosed by the applicant. The applicant intends to suppress facts and prevent the other interested parties from establishing the hollowness of the applicant's submissions. Non-disclosure of information from the respondents to which such information belongs is contrary to the principles of natural justice which ensure fairness in decision-making.
- xv. The Authority has not examined the prices of TDK provided by the other interested parties and compared them with the prices of Cosmo and the import prices. The Authority should clarify whether these contentions have been considered to establish the relevant facts in the disclosure statement.
- xvi. The Authority in the anti-dumping investigation concerning imports of Polyester Staple Fibre from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand investigation held that there was another producer which was selling at higher prices than the import price and therefore, the imports could not be considered as the factor which affected prices. Similar analysis should be applied in the present investigation as well because TDK India has been profitable despite selling at higher prices.
- xvii. The Authority must clarify whether other factors such as the absence of complete product portfolio, high salary cost, depreciation due to new capacity, non-approval of applicant's product by major consumers in India and increase in raw material cost despite admitted decline in raw material price, perceived quality challenges faced by the applicant, Inability of the applicant to seek approval owing to limited operations, Higher cost of production of the applicant owing to reasons not publicly known.
- xviii. The Authority must confirm that the price undercutting is much higher than the average injury margin in case of imports from China since the price undercutting is much higher than the injury margin for the non-cooperating producers.
- xix. The findings indicate that while the authority identified significant inefficiencies in the domestic industry's cost of production, it is unclear if these inefficiencies were fully accounted for when calculating profit/loss to determine injury. Submissions from interested parties highlighted excessive expenses (e.g., salaries, depreciation, and fixed assets), which seem to have been considered for NIP fixation but not for assessing profit/loss, cash flow, or return on investment. Clarification on whether these aspects were appropriately factored in is required for a transparent injury determination.
- xx. Cosmo Ferrite Limited does not possess the capacity to produce all types of soft ferrite cores, as each geometry requires a specific dye and caters to distinct applications. Production for these geometries is order-driven, meaning that available capacity does not guarantee the ability to produce every grade. Despite this, the Authority examined sales trends against available capacity, concluding that sales have not increased proportionally. However, such an examination

- lacks a legal and factual basis, as all parties, including the applicant, have acknowledged the applicant's limited capacity to supply all grades.
- xxi. The injury analysis of the Authority has been centered around the idle capacities with the applicant. It seems that ADD is sought to feed the new capacities of the applicant and that the applicant should run on 100% capacity utilization.
- xxii. The injury analysis focuses on capacity expansion while omitting factors that do not show injury. Instances of "no injury" are stated without substantiation. Notably, domestic sales increased to their highest level during the injury period, yet the statement is silent about this. Declined capacity utilization, linked to poorly timed expansion, is also not addressed.
- xxiii. Imports, in absolute and relative terms to production and consumption, have declined. However, instead of concluding on this legal requirement, imports were linked to capacity utilization, which the applicant claims remained idle.
- xxiv. Contradictions exist in inventory and production analysis. Inventories declined by 27% during the injury period, but this is dismissed as immaterial, while a mere 1% production decline is deemed material.
- xxv. The statement lacks an analysis of key profitability indicators, such as cash profits, profit before interest, and return on capital employed, which all showed significant improvement.
- xxvi. The difference in the injury margins of the participating producers shows that price is not the governing factor behind imports. The reason for the price difference between the 2 producers should be analyzed.
- xxvii. The Authority's inclusion of sales to Alisha Coils, the applicant's own division, in the total sales reported has implications for the injury analysis. It was observed that sales to Alisha Coils were made at the same price, resulting in losses even on captive consumption
- xxviii. The profit/loss, cash profit, return on capital employed, and salary and wages considered by the Authority include losses from captive consumption, which were not disclosed separately by the applicant. This raises concerns about the accuracy and reliability of the submitted data, as previously highlighted by respondents.
- xxix. Consistent with the Authority's practice, the volume and market share should be determined both including and excluding captive sales. Including captive sales in total demand would show a lower market share for imports and a higher market share for the applicant, while also reflecting that reported losses are inflated due to captive consumption losses.
- xxx. The Authority is requested to segregate injury data for domestic sales and captive consumption, providing interested parties an opportunity to comment on the revised data for a more accurate and transparent assessment.
- xxxi. No reason has been provided by the Authority for not considering 2021-22 as an exceptional year and excluding the same from the injury analysis.
- xxxii. If 2021-22 is excluded from the scope of the injury analysis, it can be seen that the demand has consistently increase, imports in relation to production and consumption has declined in the POI, there is no price suppression/depression, production has increased over the injury period and the market share of the domestic industry has increased and is highest in the period of investigation.
- xxxiii. Cosmo's plant is 40 years old and has significant expenses on repair and maintenance. Most of the machinery at Cosmo Ferrite is beyond its useful life, leading to losses due to rejections, and Cosmo has no automation. We suspect Cosmo claimed cost of around 400 Rs per KG. Authority has considered only Rs 250 per KG.
- xxxiv. Cosmo made an ill time decision to expand capacity. It has itself claimed that its plants were operating at idle capacity. Despite that, it undertook capacity expansion. The decision was very curious and surprising
- xxxv. Cosmo additionally claimed that it is able to fetch much higher prices in the export market. If the export prices are so high, why did Cosmo's export sales declined. The only reason why it lost export market is because of the quality issues.
- xxxvi. When Cosmo's own transformer unit has not filed questionnaire response, has not provided relevant information, how Cosmo and its transformer unit are fully cooperative before the Authority.

- xxxvii. The Authority has admittedly found that the cost of production reported by Cosmo is higher and has not accepted the higher cost of production reported by Cosmo for the purpose of determination of non-injurious price, why the same higher cost has been accepted for determining the profits, cash profits and return on investment earned by Cosmo.
- xxxviii. We strongly believe that the DGTR has not allowed significant expenses for fixation of non-injurious price. However, the DGTR has allowed all these expenses and determined profit, cash profit and return on investment.
- xxxix. A causal link has not been established in the present investigation as several economic parameters of the applicant show improvement.
- xl. The Authority has not examined the applicant's claims with respect to the threat of material injury in the disclosure statement. The Authority must either examine the threat of material injury claims or must clarify why the claim was acknowledged in the initiation notification but dropped in the disclosure statement.
- xli. The users understand that the Authority has accepted that there is no threat of material injury to the applicant. When there is no threat of material injury, there is no need for imposition of measures.
- xl.ii. The Authority has taken no note of the submissions regarding the increase in transformer imports when the BCD on soft ferrite cores was increased. The Authority has also not noted that the demand for transformers is being met majorly by imports and the transformer industry is operating at slim profit margins.
- xl.iii. After the imposition of 7.5% BCD, Vietnam has increased their exports of transformers due to the imports being duty free under Asian Trade Agreements and cheaper cores due to 0% duty from China.
- xl.iiii. The Authority has completely disregarded Speedofer's submissions regarding its current profit margins and the impact of ADD on it. The Authority has simply noted that the impact of duty on the user industry will be insignificant.
- xl.v. If ADD is imposed, Speedofer's selling price will fall below direct cost of production, and entire capital would be completely wiped off in less than 15 months.
- xl.vi. If 40% ADD is imposed, it would be seen that the cost of production shall increase by 8%. This shall make Victor's operations totally unviable. Victor shall suffer significant financial losses and shall not be able to recover even the direct cost.
- xl.vii. GT Magnetics provided quantified impact of anti-dumping duty. It submitted that cost on account of soft ferrite constitutes 30-40% of the total cost and selling price of GT Magnetics finished product. If 40% anti-dumping duty is imposed, it will lead to operations totally unviable.
- xl.viii. Bajrang Electronics, Bhoomi Electronic (OPC) Pvt. Ltd., GK Electronics, KM Magnetics, Gursim Techno India, MagSol Technologies, Minghao Electronics India Pvt. Ltd., M.K. Electronics, N N Magnetics and Electronics (P) Ltd., Prismatic Engineering Pvt Ltd., Risav Electronics, Shivam Electronics, Solvision India, Sunrise Electro, Victor Magnetics Private Limited, Vigor Industries, Vijaya Electronics have provided the number of employees, annual transformer production, lean profit margin and increase in cost due to imposition of ADD and have requested not to impose the ADD.
- xl.ix. With profit margins of only 1-3%, India's transformer industry lacks the capacity to absorb additional costs. Domestic production of soft ferrite cores meets just 40% of demand, and many small businesses operate with limited resources.
1. The ADD would financially strain small transformer manufacturers, risking closures. These businesses represent Rs. 6,000 crores in investment and are highly vulnerable to cost increases.
- li. A weakened transformer industry could hinder India's semiconductor manufacturing ambitions, as transformers are essential components for this sector.
- lii. The proposed ADD could threaten the survival of over 4,000 small transformer manufacturers, leading to job losses and broader economic impacts.
- liii. Cosmo is interested in the export market and not the domestic market. Cosmo exports 40% and uses 30% captively of its production, leaving only 60 tons per month for the market.

- liv. Cosmo has vested interest in promoting Alisha Coils. Our customers are already discussing shifting their business to ACT because the ADD does not affect their prices. Cosmo intends to convert their ferrite business to transformer business.
- lv. Within the transformer industry, the large and middle scale manufacturers such as Samsung and Selcom are not bothered with ADD since transformers are very small cost for them. The ADD will impact the Grah Udyog and small-scale manufacturers of transformers.
- lvi. The low participation of Chinese manufacturers of PUC shows that they are not interested in the PUC but will increase their transformer export once the ADD is imposed.

M.2 Submissions of the domestic industry

133. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. The Authority may disregard the submissions regarding the manipulation of data with respect to the change in number of employees from 2021-22 to POI since the submissions are based on misinterpretation of indexed figures provided by the domestic industry. The Authority can verify from confidential information that there is no major change in the number of employees from 2021-22 to POI.
- ii. The Authority is requested to examine the submissions of the domestic industry with respect to the threat of material injury.
- iii. The Authority must reject the submissions made by ELCINA since ELCINA did not register as an interested party in the present investigation. Moreover, non-confidential version of the submission made by ELCINA were not circulated to the other interested parties for their comments despite the Authority's directions in lists of interested parties issued by the Authority on 05th January 2024, 09th January 2024 and 24th April 2024. The domestic industry was not even aware that ELCINA had filed any submission before the Authority until the Disclosure Statement was issued. The domestic industry is not even aware of the date of the submission made by ELCINA. No timely opportunity was provided for the domestic industry to examine these submissions made by ELCINA to defend its interest.
- iv. The non-circulation of submission made by ELCINA are in direct violation of Article 6.2, 6.4 and 6.5.2 of the AD Agreement, Rule 6(7) of the AD Rules and the principles laid down by the Supreme Court in the cases of Union of India and Another vs. Meghmani Organics Limited and Others [(2016) 10 SCC 28] and Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority [(2006) 10 SCC 386]. The submissions made by ELCINA must be disregarded by the Authority as per Rule 7(3) of the AD Rules.
- v. Based on the import data as per the market intelligence, the percentage of exports of PUC made by Yibin and DMEGC in the total imports of PUC into India is too miniscule to be considered representative. Such low volumes of exports cannot be considered reliable to determine the export price for Yibin and DMEGC.
- vi. The Authority is requested to verify the landed price determined for Tongxiang, as the conversion methodology adopted by Tongxiang to convert the transactions with unit of measurements as pairs, pieces and numbers to MT might be inaccurate, leading to a skewed dumping and injury analysis.
- vii. The Authority is requested to recommend ADD on ad-valorem basis in the present investigation since the PUC is imported is a customized product and consists of numerous geometries and is traded or sold in "pieces" or "pairs" or "numbers". A fixed rate of antidumping duty will result in unnecessary burden on and administrative difficulty to the customs authorities to assess and collect the antidumping duty as they would require to calculate the weight of each shipment based on the type of the geometry imported. For that purpose, the custom authorities must have understanding and information with respect to the weight of each geometry imported.

M.3 Examination by the Authority

134. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties. It is noted that comments which are reiterations and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paragraphs of the final findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

135. The Authority has considered only 85051110 as the relevant HS code for the purpose of this investigation and it is after having extensive deliberations with the domestic industry at the pre-initiation stage. Thus, only HS code 85051110 has been considered in the present investigation for analysis of imports by the Authority.
136. With respect to the submissions regarding the restriction of the scope of the PUC based on certain geometries, the Authority notes that it had sought the volume-wise production and sales data of the geometries produced and sold by the domestic industry. The Authority had also considered the geometries of soft ferrite cores which had been imported into India while restricting the scope of the PUC. Further, the PUC is a customized product and is produced and sold based on the customers' requirements. In such a situation, it is not possible for the domestic industry to produce all the dimensions of the geometries of the PUC unless it is demanded by a customer.
137. Based on the information sought, the Authority noted in the determination of the scope of the PUC issued on 05th April 2024 that there is no import of the following geometries: QP, UR, EER, ETD, ERY, EFF, EFD, EVD, EV & EED. Further, the Authority noted that the different geometries cannot be interchangeably used and are not a substitute for each other. After taking into account the volume-wise production and sales data and the import data of the above geometries and the submissions made by various interested parties, the Authority decided the scope of the product under consideration and PCN methodology in the determination of the scope of the PUC issued on 05th April 2024. The geometries produced by other domestic producers of soft ferrite cores have not been considered while determining the scope of the PUC in the present investigation.
138. The other interested parties have also submitted that there is a price difference between different geometries of the PUC and unground and ground soft ferrite cores, therefore, the Authority should carry out the margin calculations separately and treat ground soft ferrite cores and unground soft ferrite cores as separate PCNs. The Authority notes that none of the interested parties have filed any submissions for the creation of PCNs in the present investigation within the time period provided to the interested parties. The interested parties were given ample opportunities to give their comments on PUC/PCN but none of the interested party given their comments on the PCN methodology. Anti-dumping investigations are time bound exercise and the claim of separate PCN for ground and unground PUC at such belated stage of the investigation cannot be accepted.
139. The Authority notes that the set of customers to whom unground soft ferrite cores have been sold by the domestic industry is not a relevant criterion to determine whether a like article can be included in the scope of the PUC or not. The relevant criteria are whether the domestic industry has produced and sold the like article. In the present investigation, the domestic industry has produced and sold unground soft ferrite cores in the domestic market.
140. The Authority notes that to exclude a product from the scope, it is important to clearly determine if the excluded product is different from PUC and is not a like product. The Authority has examined the assertion to exclude unground soft ferrite cores in the following paras.
- a. Whether manufacturing process involved from unground soft ferrite cores to ground soft ferrite cores is incremental with minimal value addition?*
141. In this regard, the domestic industry has submitted and the Authority has verified its manufacturing process of the PUC to show that the majority of the manufacturing process of the PUC is up to unground soft ferrite cores. It is seen that processing of unground soft ferrite cores to make ground soft ferrite cores is a one step process, post which only quality inspections and packing are carried out before the PUC is shipped to the customers. Moreover, the Authority notes that the intrinsic magnetic properties of the PUC are set during the sintering process itself.
142. One of the interested parties, Speedofer has also argued that inspection and quality checks carried out by Speedofer must be counted as manufacturing process. The Authority notes that manufacture means to bring about a series of changes through the process where the product cannot be regarded as the original product. Therefore, the quality checks carried out by Speedofer cannot constitute manufacturing since no new product is being manufactured after the quality checks are carried out.
143. Moreover, Speedofer has submitted that the value addition is the only criterion to determine whether an intermediate product can be included in the scope of PUC in an investigation. Speedofer has also contended that the value addition carried out by Speedofer is 15-20%, 35-40%, 30% and 39% when unground soft ferrite cores are converted to ground soft ferrite cores at different stages of the investigation. The Authority notes that Speedofer has revised the figure of value addition 4 times, increasing it by almost double its initial claim. This creates doubts on the veracity of its submission. The domestic industry has provided the value addition calculations based on its own data which is 4-6%.
144. Thus, the Authority notes that the manufacturing process involved from converting unground soft ferrite cores to ground soft ferrite cores is very minimal without any change in inherent properties.

b. Whether there exists possibility of circumvention of measures?

145. The domestic industry has submitted that there exists a strong possibility of circumvention of measures if unground soft ferrite cores are excluded.
146. The Authority notes on account of minimal value addition and ease of conversion there is high preponderance of circumvention which can nullify the trade remedial action if unground soft ferrite cores are excluded from the scope of PUC. The importers and processers of unground soft ferrite cores can increase their imports at dumped prices and start supplying increased quantities of PUC in the market after undertaking mere grinding operations which is the last step in the whole process of manufacture of PUC. This will defeat the purpose of imposition of anti-dumping duty.
147. Thus, the Authority notes that exclusion of unground soft ferrite cores will lead to circumvention of anti-dumping duty in the present investigation.

c. Whether intermediate and end products have similar physical and chemical characteristics.

148. The Authority notes that both the domestic industry and other interested parties have submitted that the ground and unground soft ferrite cores are manufactured by mixing of large proportions of ferric oxide, manganese oxide and zinc oxide. Thus, there is no difference in chemical characteristics of unground and ground soft ferrite cores.
149. As noted above, grinding is the final step in the manufacture of soft ferrite cores and is the finishing step to optimize the magnetic performance of the PUC as per the customers' requirements. The Authority notes that certain properties of the soft ferrite core are determined at the very first stage of the production process involves mixing of the raw material powders in different proportions to achieve different properties. Thus, certain properties of the final product are determined at the very first stage of preparing the powder for pressing into different geometries. Pre-sintering, the mix is pressed into the desirable geometries to make green cores. The green cores are then sintered to manufacture the final product. The intrinsic magnetic properties of the PUC are already set during the sintering process.
150. The Authority notes that the product is considered to be manufactured post the sintering process and the only physical difference in unground and ground soft ferrite cores is the finishing required to optimize the product as per the customers' requirements. Thus, there are no physical and chemical differences in the unground and ground soft ferrite cores.
151. The other interested parties have also submitted that the domestic industry is not supplying unground soft ferrite cores in the domestic market and thus, unground soft ferrite cores cannot be included in the scope of the PUC. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence in the form of invoices of sales of unground soft ferrite cores in the domestic market. The Authority also notes that the domestic industry has supplied unground soft ferrite cores to Speedofer in the past as well. Thus, the Authority notes that the domestic industry manufactures and supplies unground soft ferrite cores in the domestic market.
152. To further examine the claims by Speedofer, the Authority has conducted a physical verification of the premises of the domestic industry, and Speedofer. Based on the observations made during the plant verification of domestic industry and Speedofer, the Authority holds the following:

- a. The domestic industry is carrying out the manufacturing process of the PUC from its basic stage i.e., the domestic industry purchases ferric oxide, manganese oxide and zinc oxide and carries out the following processes to convert the raw materials into the PUC. The table below shows the comparison of the processes carried out by the domestic industry and Speedofer:

S. No.	Stage in production process	Domestic Industry	Speedofer
1	Mixing Process	Yes	No
2	Pre-sintering Process	Yes	No
3	Milling	Yes	No
4	Spray Drying	Yes	No
5	Pressing	Yes	No
6	Sintering	Yes	No
7	Grinding and Packing	Yes	Yes

- b. It can be seen that Speedofer is not carrying out any manufacturing activity is just converting unground soft ferrite cores to ground soft ferrite cores by applying grinding operations.
- c. With respect to the investments made in the manufacturing facilities of the PUC, the Authority examined that recent investment made by the domestic industry for manufacturing the PUC. It was observed that out of the total investment by the domestic industry of (INR *** crores) for plant and machinery, out of which only (INR *** crores), is required towards grinding operations, which is in the range of 5-10% of the total investment made for the plant and machinery. Since Speedofer does not carry out the entire manufacturing process of the PUC, there was no data available with Speedofer with respect to the investment required up to the stage of manufacturing of unground soft ferrite cores. Therefore, based on the domestic industry data, the Authority notes that the majority and significant proportion of investment is required for manufacturing the PUC up to the stage of making unground soft ferrite cores only. The machinery required for grinding operations cannot be considered to constitute significant proportion in the total investment made.
153. Based on the above facts, the Authority has decided not to exclude unground soft ferrite cores from the scope of the PUC in the present investigation.
154. Speedofer, an importer of the PUC, had also claimed to be a manufacturer of the PUC in the present investigation. The Authority notes that Speedofer cannot be considered a manufacturer of the PUC since it carries out only grinding operations on the penultimate stage of the PUC. The grinding operations cannot be treated as manufacturing because of the observations made by the Authority above. Further, the Authority notes that Speedofer is the beneficiary of dumping.
155. The Authority notes that Speedofer is involved in importation of the PUC and performing grinding on the PUC as per the customers' requirement. The focus of Speedofer is importation rather than manufacturing. The imports by Speedofer have been significant and they have contributed to dumping in India. The Authority holds that Speedofer cannot be treated as a domestic producer of the PUC. Its production is not relevant for the determination of the total Indian production of the PUC.
156. With respect to the imports made by the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has made imports in 2021-22 and the POI. The volume of the PUC imported by the applicant constitutes less than 1% of the total Indian demand and production. The applicant is not a regular importer, has imported only negligible quantities and is primarily engaged in the activity of manufacturing. Thus, the Authority notes that the imports made by the applicant does not disentitle it from constituting domestic industry in the present investigation.
157. With respect to the request for disclosure of the evidence supporting the applicant's justification for imports, the Authority notes that the reason for imports is a business sensitive information of the domestic industry and cannot be disclosed under Rule 7 of the AD Rules.
158. With respect to the request for disclosure of the emails provided by the domestic industry to show that the quality issues raised by the users have been resolved, the Authority notes that the emails are business sensitive information of the domestic industry and cannot be disclosed under Rule 7 of the AD Rules. The Authority notes that the users are aware of the quality concerns raised by them and the domestic industry has provided evidence showing the resolution of the said quality issues. Since communication is between certain interested parties, the Authority does not deem it appropriate to disclose the same to all the interested parties under Rule 7 of the AD Rules.
159. Certain interested parties have raised the issue of difference in the prices of TDK India and the domestic industry. The Authority reiterates that TDK India has informed the Authority that it exports 80% of its production and thus, is not interested in participating in the present investigation. Even if TDK India has remained profitable despite selling it at higher prices, the profitability could be a due to the exports made by TDK India or that TDK India has been selling different geometries of PUC i.e NPUC than the domestic industry. However, in absence of participation of TDK India, the same cannot be considered as verifiable evidence. Thus, the Authority does not deem it fit to draw any conclusion based on the price difference between TDK India and the domestic industry.
160. With respect to the claim that the domestic industry has manipulated the change in number of employees from 2021-22 to POI, it is noted that there is a change in the number of employees on account of change in PUC. As the Authority modified the PUC scope and the domestic industry has submitted revised data pertaining to only revised PUC, the change in number of employees is on account of the proportionate adjustment made in the number of employees between the original scope of the PUC and revised scope of the PUC. Further, the Authority notes that the other interested parties have relied upon the indexed figures to

- arrive at an inaccurate conclusion. With respect to the claim of the other interested parties that salary and wages of the domestic industry have increased over the injury period, the Authority notes that the domestic industry has provided the data as per its audited books of accounts and as per its consistent practices. The Authority had sought clarification from the domestic industry with respect to the increase in salary and wages over the injury period. The domestic industry has provided an explanation for the same. The Authority notes that the increase in salary and wages over the injury period is mainly on account of the increase in the number of employees with the increase in capacity and the increase in wages/salaries of workers and employees in 2021-22 which were on hold for the last few years due to the domestic industry facing extreme losses due to the dumped imports.
161. With respect to the non-approval of products supplied by the domestic industry, the Authority notes that none of the importers/users have provided any substantial evidence to show that the products supplied by the domestic industry is not at par with the quality standards.
 162. With respect to the approvals of PUC supplied by the domestic industry from OEMs, the Authority notes that the domestic industry has submitted evidence of supplies made to OEMs in form of sample invoices of sales made by its transformer division Alisha Coils and Transformers to OEMs, sample specification and approval sheets of OEMs approving the usage of domestic industry's product, sample invoices of sales made by the domestic industry to OEMs. The domestic industry has also provided sample invoices of sales made to public sector units. The interested parties have submitted evidence with respect to non-approval of PUC supplied by the domestic industry of certain OEMs and customers. The Authority notes that the domestic industry cannot be expected to be approved by each and every customer of the transformer manufacturers.
 163. As regards the cost of sales of domestic industry for any year represents the overall costs of production and sales of PUC for that entire year, the Authority notes that cost of sales is calculated based on consumption price of the raw material for the entire year and the comparison of consumption price with the purchase prices may be misleading in a situation where the raw material prices vary significantly.
 164. With respect to the claim that the domestic industry is utilizing a significant portion of its production of the PUC for captive uses within its in-house division, namely Alisha Coils and Transformers and has not provided the details of captive consumption of the PUC, the domestic industry has submitted that it has two divisions, CFR division and ACT division. As per the GST regulations, the sale made by the CFR division to ACT division is considered as supply and thus, is subject to GST and reported as sales in the books of CFR division and purchases in the books of ACT division. The domestic industry has also provided the GST invoices for the sales of PUC made ACT division. Accordingly, the Authority notes that the demand calculation for the PUC includes the sales of the PUC made by the domestic industry to ACT division. Therefore, there is no error in calculation of the demand for the PUC. Further, the NSR claimed by the domestic industry also includes the sales made to the ACT division. It is also noted by the Authority that the selling price to the ACT division is comparable with the prices of the unaffiliated customers.
 165. The importers/users have also requested the Authority to consider the inefficiencies considered for the NIP fixation to be applied to the economic parameters of the domestic industry. The Authority notes that the adjustments made to arrive at the NIP have been made in accordance with Annexure III of the AD Rules.
 166. The Authority has considered the capacity of the domestic industry as per the pollution control board certificate provided by the domestic industry as per the practice of the Authority. Moreover, in case of PUC covering several customizable geometries, the capacity cannot be determined for each geometry separately. The Authority has considered the overall capacity of the domestic industry and has determined the scope of the PUC based on the actual production and sales data of the domestic industry.
 167. With respect to the submissions that the injury has been examined based on the capacity utilization of the domestic industry, the Authority notes that the injury analysis has not been based on the capacity utilization but all the economic parameters of the domestic industry. However, it is not necessary that all economic parameters show deterioration to establish injury to the domestic industry.
 168. Moreover, the low-capacity utilization of the domestic industry despite available capacities to cater to the demand in India is an indicator that the dumped imports have restricted the increase in capacity utilization of the domestic industry.
 169. Para ii of Annexure II states that the Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In the present investigation, imports from the subject country in relation to production and consumption have increased over the injury with a slight decline in POI. Nevertheless, the imports remained significant throughout the injury period.
 170. The decline in inventory is relevant but since the PUC is a customizable product and sold in different geometries, the decline in inventory cannot be said to indicative of the fact that the economic condition of the

- domestic industry has improved. Moreover, it is reiterated that it's not necessary that all parameters show deterioration to establish injury.
171. The profitability, cash profits and ROCE of the domestic industry have remained negative throughout the injury period except in 2021-22 which was an exceptional year for the domestic industry. The Authority notes that the decline in losses from the base year does not equate to an improvement in the economic performance of the domestic industry. The losses are still at a significant level in POI and even the losses in the POI have increased from 2020-21 and the profit in the year 2021-22 turned into losses in the POI. The domestic industry was incurring negative cash profits and PBIT.
 172. The Authority has already noted that the sales made to ACT have not been recorded as captive consumption by the domestic industry. The sales made to ACT have been treated as sales and the sales have been made at the prevailing market price of the PUC. Moreover, there is no requirement under law to determine the economic parameters of the domestic industry including and excluding captive sales.
 173. With respect to the cost claimed by the domestic industry, the Authority has determined the cost of production of the domestic industry and the NIP as per the methodology prescribed under the law.
 174. With respect to the absence of causal link in the present investigation, the Authority notes that none of interested party has provided any evidence or brought forward any other "known" factor before the Authority to show that there is no causal relationship in the present investigation between the dumped imports and the injury to domestic industry.
 175. With regard to the contention that the imposition of anti-dumping duty will lead to increase in cost of transformers and wipe out the transformer industry in India, the Authority notes that imposition of anti-dumping duty is likely to remedy the injury to the domestic industry due to unfair trade practices and not restrict the imports of soft ferrite cores.
 176. The Authority further notes that the none of the users participating in the present investigation have provided a quantification of impact of ADD on their products as required under the EIQ issued by the Authority. The Authority notes that the domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty on the price of transformers and electric appliances wherein the transformers are used. The claim of impact of duty filed by some importers/users have been filed at belated stage.
 177. With regard to the contention that the imposition of anti-dumping duty will lead to monopoly and higher prices for users, the Authority notes that the imposition of anti-dumping duty only ensures fair prices in India and does not restrict or ban imports.
 178. With respect to the approval of the PUC supplied by the domestic industry, the Authority has noted that none of the interested parties have provided any positive evidence that the products manufactured by the domestic industry is of sub-par quality compared to the imported subject goods. The Authority notes that the domestic industry has already supplied the product under consideration in India as well as the export market; that too in significant volumes and for a long period.
 179. Certain new parties such as Bajrang Electronics, Bhoomi Electronic (OPC) Pvt. Ltd., GK Electronics, KM Magnetics, Gursim Techno India, MagSol Technologies, N N Magnetics and Electronics (P) Ltd., Risav Electronics, Shivam Electronics, Solvision India, Sunrise Electro, Vigor Industries, Vijaya Electronics have provided the number of employees, annual transformer production, lean profit margin and increase in cost due to imposition of ADD and have requested not to impose the ADD. Since none of these parties participated in the present investigation and this is the first instance of them providing any information, the Authority cannot consider them as interested parties.
 180. ELCINA has made certain submissions in the present investigation as well prior to the issuance of the disclosure statement. However, ELCINA did not participate in the present investigation. ELCINA also did not provide any information as per the economic interest questionnaire prescribed by the Authority. Thus, the Authority does not consider ELCINA as an interested party in the present investigation. Further, ELCINA failed to circulate their submissions to all the other interested parties. Therefore, the Authority is not considering the submissions filed by ELCINA under Rule 7(3) of the AD Rules.
 181. Further, the low participation of Chinese manufacturers cannot be a basis to conclude that the imposition of ADD will lead to an increase in the imports of transformers.
 182. With respect to the examination of the threat of material injury to the domestic industry, Rule 11 of the AD Rules requires the Authority to record the finding that the subject imports into India are causing or threatening material injury to any established industry in India or materially retarding the establishment of any industry in India. Since, the Authority has concluded that there is material injury to the domestic industry due to the dumped imports from China PR, it has decided to restrict the injury examination with respect to the material injury to the domestic industry only.

183. With respect to the domestic industry's submission regarding the recommendation of duty on ad-valorem basis, the Authority observes that the PUC is a customized product and consists of numerous geometries and is traded or sold in "pieces" or "pairs" or "numbers". The domestic industry as well as exporters from China issue the invoices in "pieces" or "pairs" or "numbers". For making a fair comparison, the unit of measurement for the purposes of the present investigation has been taken as weight (KG). Therefore, the fixed rate of antidumping duty will result in unnecessary burden on and administrative difficulty to the customs authorities to assess and collect the antidumping duty as they would require calculating the weight of each shipment based on the type of geometry imported. There is also a possibility that some exporters declare inaccurate dimensions and sintered density of the material for deriving the weight of the shipment, which can lead to underpayment of ADD. Even if some exporters declare the weight in shipping documents, it is administratively difficult to verify the accuracy of the same. Therefore, considering the peculiarity of the PUC, the Authority deems it appropriate to recommend antidumping duty on ad-valorem basis.

N. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

184. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- i. The product under consideration in the present investigation is "Soft Ferrite Cores" originating in or exported from China PR.
 - ii. The product under consideration in the present investigation is limited to Manganese-Zinc-based Soft Ferrite Cores of the following geometries and lengths:
 - a) EE/E/EF of length 10 mm to 128 mm
 - b) PQ/EQ of length 20 mm to 71 mm
 - c) ET of length 24 mm to 35 mm
 - d) Toroid (with and without coating) of length 03 mm to 202 mm
 - e) UU/UI of length 10 mm to 141 mm
 - f) I Bars of length 20 mm to 245 mm
 - g) ER of length 11 mm to 67 mm
 - iii. The scope of the present investigation covers the above-mentioned geometries in both ground and unground forms.
 - iv. The following Soft Ferrite Cores are excluded from the scope of the present investigation:
 - a) Nickel-zinc based Soft Ferrite Cores
 - b) Magnesium-zinc based Soft Ferrite Cores
 - c) MnZn Soft Ferrite Cores with mirror finish
 - v. The subject goods exported from the subject country and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.
 - vi. The applicant constitutes 30-40% in the total Indian production of the PUC. Therefore, the applicant passes the 'major proportion' test under Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.
 - vii. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined, and the margins are positive and significant.
 - viii. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period with a slight decline in the POI. The demand for the subject goods has increased by 14% in the POI compared to the base year. Despite having the capacity to meet almost 50-60% of the demand of the PUC in India, the market share of the domestic industry has remained stagnant at approximately 15-25% due to the dumped imports. The domestic industry has been unable to achieve the optimum level of production.
 - ix. The landed price of dumped imports is significantly below the selling price of the domestic industry, resulting in positive and significant price undercutting throughout the injury period. The

domestic industry losses have increased in the POI as compared to 2020-21. The profitability, cash profit, PBIT and ROCE of the domestic industry have remained negative in the POI and show deterioration as compared to 2020-21.

- x. The domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports. The injury margin is significant.
- xi. Imposition of anti-dumping duty would not affect the availability of the product to the customers.

185. The Authority notes that the investigation was initiated and notified all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping Rules and having quantified the impact of the imposition of anti-dumping duty, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends the imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

186. In view of the above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1)(b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as a percentage of the CIF price of the goods, as indicated in Col. 7 of the duty table given below.

Duty Table

S. No.	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty as % of CIF
1	2	3	4	5	6	7
1	85051110	Soft Ferrite Cores*	China PR	Any country including China PR	Huzhou Haotong Electronic Technology Co., Ltd. (producer)	31
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Yibin Jinchuan Electronics Co., Ltd. and Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.	Nil
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any, other than S. No. 1 to 2	35
4	-do-	-do-	Any country including China PR	China PR	Any	35

**The product under consideration in the present investigation is limited to Manganese-Zinc-based Soft Ferrite Cores of the following geometries and lengths:*

a) EE/E/EF of length 10 mm to 128 mm

- b) PQ/EQ of length 20 mm to 71 mm
- c) ET of length 24 mm to 35 mm
- d) Toroid (with and without coating) of length 03 mm to 202 mm
- e) UU/UI of length 10 mm to 141 mm
- f) I Bars of length 20 mm to 245 mm
- g) ER of length 11 mm to 67 mm

O. FURTHER PROCEDURE

187. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act/Rules.

DARPAN JAIN, Designated Authority